102nd | वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2023-24

नैनीताल बैंक

NAINITAL BANK

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं अपने साथी बोर्ड सदस्यों, बैंक ऑफ बड़ौदा और नैनीताल बैंक की प्रबंधन के प्रति बैंक को स्थिर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए आभार और प्रशंसा व्यक्त करता हूं। मैं अपने सभी हितधारकों और नियामकों के समर्थन के लिए भी आभारी हूं जिन्होंने बैंक के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने में हमारा मार्गदर्शन किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करते हैं।

दुनिया भर में ये अवलोकित किया गया है अनिश्चितताओं और कमजोरियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने वांछित बेंचमार्क को पूरा किया है, जिसने विकास के साथ स्थिरता सुनिश्चित की है – जिसके परिणामस्वरूप भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर विश्व रैंकिंग में आगे बढ़ रहा है। समय पर परिवर्तनों के साथ ठोस नीतियों के कार्यान्वयन और मौद्रिक समायोजनों के लिए विनियामक भागीदारी ने गारंटी दी है कि सभी बैंक किसी भी प्रकार की मुद्रास्फीति और चलनिधि दबावों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बीते वित्त वर्ष में भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत रही है और चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस वृद्धि को बुनियादी ढांचे के विकास, निर्माण, विनिर्माण, रेलवे, आवास, सड़क और राजमार्ग और पूंजीगत व्यय में वृद्धि से समर्थन मिला है। इसके अलावा, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को सरकार द्वारा समय पर सहायता और उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर विनिर्माण से वांछित दर पर हमारा विकास सुनिश्चित होगा। आपका बैंक तदनुसार सरकारी, नियामक और बाजार की आवश्यकताओं का अनुपालन करने और तालमेल बिठाने की स्थिति में है, जो हमें इन आशाजनक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

आइए हम वर्ष की कुछ प्रमुख हाइलाइट्स देखें जिन्होंने हमारे आगे के मार्ग को दिशा दी है। हमारी कासा जमा राशि ₹ 3,452 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि कुल जमा राशि बढ़कर ₹ 8,268 करोड़ हो गई है. हमारी बैलेंस शीट की मजबूती में काफी सुधार हुआ है, सकल अग्रिम बढ़कर ₹ 4,819 करोड़ हो गया है। हमने वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹ 46 करोड़ की तुलना में ₹ 47 करोड़ का शुद्ध लाभ भी दर्ज किया। हमारे प्रमुख वित्तीय अनुपात जैसे संपत्ति पर रिटर्न, कासा, शुद्ध ब्याज मार्जिन क्रमशः 0.52%, 41.75%, 3.53% था। हमारा जीएनपीए और एनएनपीए क्रमशः 8.29% और 0.94% तक कम हो गया, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में 9.60% और 1.84% क्रमशः था।

तकनीकी प्रगति के कारण बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति आ गई है और आपका बैंक ग्राहकों को संपूर्ण ई–सेवाएं प्रदान करने के लिए और साइबर चुनौतियों से पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई चैनल बनाने के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार कर रहा है. एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के हमारे प्रयास में, आपके बैंक में विभिन्न परिवर्तनकारी परियोजनाएं लागू की

Chairman's Message

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to present to you the Annual Report of your Bank for the Financial Year 2023-24. On this occasion I extend my gratitude and appreciation towards my fellow Board Members, Bank of Baroda's and Nainital Bank's Management Teams for the efforts put in towards taking the Bank on the path of steady progress. I am also grateful for the support from all our stakeholders and Regulators who have constantly guided us in strengthening Bank's fundamentals and to ensure that we also contribute towards the growth of the Indian Economy.

Inspite of uncertainties and weakness observed all around the globe, Indian economy has met its desired benchmarks, which has ensured stability coupled with growth - resulting in India moving up the ladder in the world ranking on Largest & Fastest Growing Economies of the world. Implementation of sound policies with timely changes and regulatory involvement for the monetary adjustments have guaranteed that all Banks are well prepared to face any kind of inflationary and liquidity pressures. The financial year gone by has seen the GDP in India grow at 8.2 per cent with growth projected at 7.2 per cent in the current financial year. This growth has been supported by a boost in infrastructure development, construction, manufacturing, railways, housing, roads and highways and capital expenditure. Further, timely assistance by the Governments to the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector through Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) and largescale manufacturing through schemes like Production Linked Incentive (PLI) will ensure our growth at desired rate. Your Bank is accordingly being positioned to comply and be in synchronization with governmental, regulatory & market requirements, which will enable us to reap the benefits arising from these promising sectors.

Let us look at some of the key highlights of the year that have shaped our forward path. Our CASA deposits have reached ₹ 3,452 Crores, while Total Deposits grew to ₹ 8,268 Crores. Our Balance Sheet strength improved significantly, with Gross Advances growing to ₹ 4,819 Crores. We also registered a Net Profit of ₹ 47 Crores compared to ₹ 46 Crore in Financial Year 2022-23. Our Key Financial Ratios such as Return on Assets, CASA, Net Interest Margin stood at 0.52%, 41.75%, 3.53% respectively. Our GNPA and NNPA came down to 8.29% and 0.94% respectively witnessing a good improvement over 9.60% and 1.84% in Financial Year 2022-23.

Banking Sector has been revolutionized by technological advancements and your Bank is preparing itself well for having multiple channels for delivering end to end e-services to customers and also to ensure that sufficient protection is provided from cyber challenges. In our endeavour to provide a robust ecosystem, various transformational projects are being

जा रही हैं जो यह सुनिश्चित करेंगी कि हमारी सेवाएं पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ हमारे समाज के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए समावेशी और सुलभ हों।

एक जिम्मेदार वित्तीय संस्थान के रूप में, हम अपने दिन–प्रतिदिन के संचालन में ग्राहक फोकस, परिचालन उत्कृष्टता, उत्पाद नेतृत्व, लोगों पर ध्यान केंद्रित करने और स्थिरता के हमारे मूल मूल्यों से समझौता किए बिना अपने सभी हितधारकों के लिए निरंतर मूल्य बनाने का प्रयास करते हैं। इन मूल्यों को बरकरार रखा जा रहा है क्योंकि हम कॉर्पोरेट प्रशासन के कड़े मानकों को बनाए रखते हैं, स्वतंत्रता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, पारदर्शिता और समय पर प्रकटीकरण जैसे मौलिक सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण जोर देते हैं। एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारी प्रथाओं में संसाधनों के संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन को कम करने, हमारे संचालन और आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से स्थायी समाधान लागू करने और बड़े पैमाने पर समाज के कल्याण की दिशा में योगदान करने के लिए गतिविधियां शामिल हैं। इसलिए, आपका बैंक उन समुदायों के विकास और कल्याण में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से सामाजिक मूल्य सृजन के लिए गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है जिनमें हम काम करते हैं. सामाजिक रूप से जागरूक और प्रतिबद्ध संगठन के रूप में समाज को वापस देना और प्रगति और विकास में योगदान देना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है।

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन अच्छे गवर्ननेंस को प्राप्त करने की दिशा में एक केंद्रित दृष्टिकोण है, जो बैंक की प्रगति के लिए वस्तुनिष्ठ और जिम्मेदारी से योगदान करने के लिए योग्यता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। बोर्ड स्तर पर गुणवत्तापूर्ण चर्चा और सूचना साझा करना सुनिश्चित करना और प्रकटीकरण में पारदर्शिता बोर्ड की प्राथमिकता रही है। आपका बोर्ड लगातार कॉर्पोरेट प्रशासन की प्रतिबद्धता का पालन कर रहा है, जहां विभिन्न नीतियों और रूपरेखाओं को नियामक वातावरण और व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ अलाइन किया जा रहा है, जो हमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से जोखिम प्रबंधन और लेखा परीक्षा और अनुपालन पर निगरानी बनाए रखने में मदद करता है और जैविक विकास की दिशा में भी योगदान देता है। बोर्ड और इसकी विभिन्न समितियों ने बैंक के लिए महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न पहलुओं पर मूल्यांकन और सुधार का सुझाव देने के लिए पूरे वर्ष बैठकें कीं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका बैंक बाहरी घटनाओं के उतार–चढ़ाव का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। निदेशक मंडल जमाकर्ताओं, कर्मचारियों और अन्य सभी हितधारकों के हितों की देखभाल करने के लिए सर्वोत्तम मानकों को सुनिश्चित कर रहे हैं और अपना रहे हैं।

मैं योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने और बैंक के वादों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए हमारे स्टाफ सदस्यों के सराहनीय समर्पण के लिए ईमानदारी से सराहना करता हूं। चूंकि बैंकिंग वातावरण चुनौतियों से भरा है, इसलिए हर स्तर पर क्षमता और दक्षता के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं अपने ग्राहकों, निवेशकों और सभी हितधारकों को निरंतर समर्थन, विश्वास और सबसे ऊपर, हम पर जताए गए विश्वास के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे आपके मजबूत समर्थन के साथ विश्वास है कि बैंक अब तक की तुलना में तेज गति से नई ऊंचाइयों पर जाना जारी रखेगा।

implemented in your Bank which will ensure that our services are inclusive and accessible to a wide spectrum of our society with adequate safeguards.

As a responsible financial institution, we strive to create sustained value for all our stakeholders without compromising on our core values of Customer Focus, Operational Excellence, Product Leadership, People Focus and Sustainability in our day-to-day operations. These values continue to be upheld as we keep maintaining stringent standards of corporate governance, placing significant emphasis on fundamental principles such as independence, accountability, responsibility, transparency and timely disclosure. As a Corporate Citizen we have also ensured that our practices include activities for conserving resources, reducing carbon emissions, implementing sustainable solutions through our operations & supply chain and contributing towards the welfare of the society at large. Therefore, your Bank have also been actively involved in activities for Social Value Creation through various initiatives under Corporate Social Responsibility (CSR) for contributing to the development and welfare of the communities in which we operate. It is, and has been, our duty and responsibility as a socially conscious and committed organization to give back to the society and contribute towards progress and development.

The Board of Directors and Senior Management have a focused approach towards attaining Good Governance, which ensures competency and independence to contribute objectively and responsibly towards the Bank's progress. Ensuring quality discussions and information sharing at the Board level, and transparency in the disclosures have been the priority of the Board. Your Board is continuously adhering to the commitment of corporate governance, where various policies and frameworks are being aligned with regulatory environment and business needs, which helps us in maintaining oversight over risk management and audit & compliances through various channels and also contribute towards organic growth. Board and its various Committees met throughout the year to evaluate and suggest improvements over various aspects of critical importance to the Bank, and to ensure that your Bank is well placed to face upto the ebbs and flows of external events. The Board of Directors are ensuring & adopting best standards to look after the interests of depositors, employees and all other stakeholders.

I place on record my sincere appreciation for the continued dedication of our staff members in aligning with the strategies and enabling the Bank to deliver on the promises. As the banking environment is full of challenges, there is a need to enhance the level of competence and efficiency at every level.

I extend my sincere thanks to our customers, investors and all the stakeholders for the continued support, confidence and above all, the trust reposed on us. I am sure with your strong support; the Bank will continue to move to newer heights at a faster pace than hitherto.

निदेशक मंडल
Board of Directors

N. K. Chari
Non-Executive Independent Chairman

Nikhil Mohan
Managing Director & Cheif Executive Officer

Binita Shah
Non-Executive Independent Director

Manoj Sharma
Non-Executive Independent Director

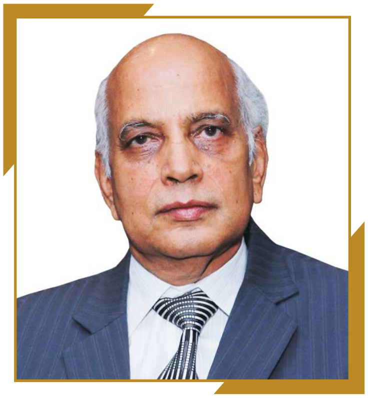

U. C. Nahta
Non-Executive Independent Director

Neelam Damodharan
Non-Executive Independent Director

Rakesh Nema
Non-Executive
Non Independent Director

Gopal Singh Gusain
Non-Executive Additional Independent Director

कार्यकारी अधिकारी / Executives

Dr Deepak Pant
Chief Operating Officer

Mahesh Kumar Goyal
Chief Financial Officer

Mahesh Chandra Jindal
Chief Compliance Officer

Pushkar Dutt Bhatt
Vice President-Recovery

Deepak Singh Bisht
Chief Technology Officer

Rahul Pradhan
Vice President- Operations

Sanjay Lal Sah
Vice President & Regional Head, Haldwani Region

Ajay Seth
Vice President & Regional Head, Delhi Region

Sunny Mehra
Associate Vice President & Regional Head, Dehradun Region

Sachin Kumar
Chief Risk Officer

Mukul Sanwal
Associate Vice President Credit

Praveen Singh Bisht
Chief Information Security Officer

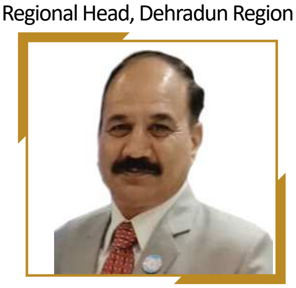

Sanjay Kumar Gupta
Associate Vice President HRM & Law

Punkaj Tondon
Chief of Internal Vigilance

Deepak Sanwal
Head of Central Internal Audit Department

Mohit Agarwal
Associate Vice President

Manoj Dalakoti
Associate Vice President

Gaurava Sharma
Chief Digital Officer

विषय–सूची CONTENTS

निदेशक मंडल की रिपोर्ट	6	Report of the Board of Directors
बेसल–III पिलर–3 प्रकटीकरण	82	Basel–III Pillar–3 Disclosures
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र	114	Balance Sheet as on 31st March 2024
31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ और हानि खाता	115	Profit & Loss Account for the Year Ended 31st March, 2024
31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह का विवरण	116	Statement of Cash Flow for the Year Ended 31st March, 2024
तुलन–पत्र की अनुसूचियां	117	Schedules to Balance Sheet
खातों पर टिप्पणियां	134	Notes on Accounts
हमारी शाखायें	193	Our Branch Network

निदेशक मंडल की रिपोर्ट की 102वीं रिपोर्ट (2023–24)

प्रिय सदस्यों,

आपके बैंक के निदेशक, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ–हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरणी तथा व्यवसाय व परिचालन विवरणी के साथ बैंक की 102वीं रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते है।

कार्य निष्पादन के महत्वपूर्ण संकेत:

- बैंक का कुल कारोबार जो 31/03/2023 को ₹ 12,305.42 करोड़ था, जो दिनांक 31/03/2024 को बढ़कर ₹ 13,086.87 करोड़ हो गया, जो 6.35% की वार्षिक बढ़ोतरी को दर्शाता है।
- दिनांक 31/03/2024 को बैंक का सकल अग्रिम दिनांक 31/03/2023 के ₹ 4,623.59 करोड़ की तुलना में 4.23% की वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़कर ₹ 4,819.13 करोड़ रहा।
- दिनांक 31/03/2024 को बैंक की कुल जमा राशि दिनांक 31/03/2023 को ₹ 7,681.83 करोड़ की तुलना में 7.63% की वृद्धि के साथ बढ़कर ₹ 8267.75 करोड़ रही।
- दिनांक 31/03/2024 तक कम लागत वाली जमाराशि का हिस्सा **41.75%** रहा।
- 31/03/2024 को बैंक का सीडी अनुपात 31/03/2023 के 60.19% की तुलना में 58.29% रहा।
- दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बैंक की निवल स्वामित्व निधि ₹ 776.85 करोड़ रही।
- दिनांक 31/03/2023 को जमाराशि की लागत 4.24% से बढ़कर दिनांक 31/03/2024 तक 4.85% रही।
- दिनांक 31/03/2023 को अग्रिम पर लाभ 8.39% की तुलना में दिनांक 31/03/2024 को 9.05% रहा।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित स्तर न्यूनतम 40% की तुलना में समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 58.59% रहा।
- 31 मार्च, 2023 को बैंक का परिचालन लाभ ₹ 76.94 करोड़ के मुकाबले दिनांक 31 मार्च, 2024 को ₹ 107.28 करोड़ रहा।
- दिनांक 31 मार्च, 2024 को बैंक का शुद्ध लाभ दिनांक 31 मार्च, 2023 के शुद्ध लाभ 46.30 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर **₹ 47.10 करोड़** हो गया।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात बेसल–III के मानदंडों के अनुसार पिछले वर्ष के 16.24% के मुकाबले 15.22% रहा। दिनांक 31.03.2024 को कुल पूंजी पर्याप्तता में से टियर–I पूंजी 14.26% और टियर–II पूंजी 0.97% रही।
- पिछले वर्ष के सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए 9.60% की तुलना में दिनांक 31 मार्च, 2024 तक घटकर 8.29% हो गया।

102th REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS (2023-24)

Dear Members,

The Directors of your Bank feel immense pleasure in presenting the 102th Annual Report of the Bank along with statement of the Audited Balance Sheet, Profit & Loss Account, Cash-Flow Statement and the Report on Business and Operations for the Financial Year 2023-24.

KEY PERFORMANCE INDICATORS:

- Total Business of the Bank which was ₹ 12,305.42 crores as on 31/03/2023 increased to ₹ 13,086.87 crores as on 31/03/2024, showing annualized growth of 6.35%.
- Gross Advances of the Bank increased from ₹ 4,623.59 crores as on 31/03/2023 to ₹ 4,819.13 crores as on 31/03/2024, registering annualized growth of 4.23%.
- Total Deposits of the Bank increased to ₹ 8267.75 crores as on 31/03/2024 in comparison to ₹ 7,681.83 crores as on 31/03/2023 registering a growth of 7.63%.
- Share of low cost deposit stood at **41.75%** as on 31/03/2024.
- C. D. Ratio of the Bank stood at 58.29% as on 31/03/2024 as against 60.19% as on 31/03/2023.
- Bank's Net Worth stood at ₹776.85 crores as on March 31st, 2024.
- The Cost of Deposit increased from 4.24% as on 31/03/2023 to 4.85% as on 31/03/2024.
- Yield on Advances was 9.05% as on 31/03/2024 in comparison to 8.39% as on 31/03/2023.
- Priority Sector Lending stood at 58.59% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against RBI stipulation of minimum 40%.
- Operating Profit of the Bank stood at ₹ 107.28 crore as on 31st March, 2024 against ₹ 76.94 crore as on 31st March, 2023.
- Net Profit of the bank increased to ₹ **47.10 crore** as on 31st March, 2024, against Net Profit of ₹ 46.30 crore as on 31st March, 2023.
- The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 15.22% as against 16.24% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 14.26% and Tier – II capital was 0.97% as on 31.03.2024.
- Gross NPA to Gross Advances decreased to 8.29% as on March 31st, 2024 as against 9.60 % last year.

- शुद्ध अग्रिमों पर शुद्ध एनपीए पिछले वर्ष के **1.84%** की तुलना में घटकर **0.94%** हो गया।
- शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 3.27% की तुलना में बढ़कर 3.53% हो गया।
- आस्तियों पर औसत आय पिछले वर्ष के 0.54% की तुलना में 0.52% रहा।
- प्रति कर्मचारी व्यवसाय पिछले वर्ष के ₹10.99 करोड़ की तुलना में घटकर ₹ 10.79 करोड़ हो गया।
- प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष ₹ 61.97 के मुकाबले दिनांक 31 मार्च, 2024 को बढ़कर ₹ 66.14 हो गया।
- दिनांक 31 मार्च, 2024 को प्रति शेयर आय (ईपीएस) पिछले वर्ष ₹ 3.94 की तुलना में ₹ 4.01 रही।
- वित्त वर्ष 2023–24 में तीन (03) नई शाखाएँ खोली गईं।

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में वृद्धि बेहतर रही, जिस कारण वर्ष 2022 में 4.1% की वृद्धि के बाद वर्ष 2023 में 4.5% की वृद्धि हुई। चीन में वृद्धि में सुधार (2022 में 3% से 2023 में 5.4% तक), इस क्षेत्र में वृद्धि में सबसे अधिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कोविड–19 प्रोटोकॉल को हटाने के बाद मांग में सुधार और ढीली राजकोषीय नीति और घोषित कुछ संरचनात्मक सुधारों ने विकास को बेहतर बनाने में मदद की। हालांकि, संपत्ति क्षेत्र का संकट और स्थानीय सरकार के वित्तीय संकट का खतरा अभी भी बना हुआ है।

कीमतों के दृष्टिकोण से, वैश्विक मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आने का अनुमान है, जो वर्ष 2023 में 6.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024 में 5.9 प्रतिशत और वर्ष 2025 में 4.5 प्रतिशत का अनुमान है, साथ ही उन्नत अर्थव्यवस्थाएं उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर जल्दी वापस आ जाएंगी। मुख्य मुद्रास्फीति में आम तौर पर धीरे–धीरे गिरावट आने का अनुमान है। मूल्य स्थिरता को बहाल करने के लिए केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी लचीली रही है।

वर्ष 2024 की शुरुआत में वैश्विक विकास में विचलन अधिक स्पष्ट हो गया है। वित्तीय स्थितियाँ अभी भी तंग बनी हुई हैं क्योंकि प्रमुख केंद्रीय बैंकों ने अभी तक अपने दर कटौती चक्रों को शुरू नहीं किया है। हालाँकि, जैसे–जैसे विकास धीमा होता है और मुद्रास्फीति कम होती है, आने वाले महीनों में मौद्रिक नीति में ढील की उम्मीद बनी रहती है। इसके साथ ही, चीन में ढीली राजकोषीय और मौद्रिक नीति और चल रहे संपत्ति क्षेत्र के संकट से निपटने के लिए घोषित सुधार उपायों से वैश्विक विकास की संभावनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।

वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति में और कमी आने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण विकसित अर्थव्यवस्थाओं में हुई प्रगति (2023 में 4.6% बनाम 2.6%) है। जबकि ईएमडीई के लिए मुद्रास्फीति 8.3% पर अपरिवर्तित रहने की उम्मीद है। तेल

- Net NPA to Net Advances decreased to **0.94%** in comparison to last year's 1.84%.
- Net Interest Margin (NIM) increased to 3.53% in comparison to last year's 3.27%.
- Average Return on Assets stood at 0.52% in comparison to last year's 0.54%.
- Business per Employee decreased to ₹ 10.79 crore in comparison to last year's ₹ 10.99 crore.
- Book Value per Share increased to ₹ 66.14 as on March 31st, 2024 as against ₹ 61.97 last year.
- Earnings per Share (EPS) stood at ₹ 4.01 as on March 31st, 2024 as against ₹ 3.94 last year.
- Opened three (03) new branches in the F.Y. 2023-24.

GLOBAL ECONOMIC SCENARIO

Growth in Emerging and Developing Economies (EMDEs) held up better, expanding by 4.5% in 2023, after increasing by 4.1% in 2022. Improvement in growth in China (from 3% in 2022 to 5.4% in 2023), accounted for most of the pickup in growth in this region. Revival in demand following removal of Covid- 19 protocols and along with loose fiscal policy and certain structural reforms announced helped improve growth, However, reeling property sector crisis and threat to local government financial crisis still remains.

On the prices front, Global inflation is forecast to decline steadily, from 6.8 percent in 2023 to 5.9 percent in 2024 and 4.5 percent in 2025, with advanced economies returning to their inflation targets sooner than emerging market and developing economies. Core inflation is generally projected to decline more gradually. The global economy has been surprisingly resilient, despite significant central bank interest rate hikes to restore price stability.

Divergence in global growth has become more apparent at the start of 2024. Financial conditions still remain tight as major central banks are yet to embark on their rate cut cycles. However, as growth slows and inflation moderates, there remains heightened expectation of easing monetary policy in the coming months. Along with this, loose fiscal and monetary policy in China and reform measures announced to deal with the ongoing property sector crisis may help boost global growth prospects.

Inflation is expected to moderate further in 2024, mainly due to progress made in advanced economies (2.6% versus 4.6% in 2023). While inflation for EMDEs is expected to remain

की कीमतों में वर्ष 2024 में (–) 2.5% और वर्ष 2023 में (–) 16.4% की और गिरावट आने का अनुमान है, लेकिन गैर ईंधन वस्तुओं पर दबाव बढ़ सकता है क्योंकि वर्ष 2024 में उनमें 0.1% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्ष 2023 में (–) 5.7% की गिरावट के बाद यह उम्मीद की गई है। इससे वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में कटौती के समय में देरी हो सकती है, जो बदले में वैश्विक विकास संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है।

भारतीय आर्थिक परिदृश्य

भारत दुनिया में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और उम्मीद की जाती है कि अगले 10–15 वर्षों में यह दुनिया की शीर्ष तीन आर्थिक शक्तियों में से एक होगा, जो इसके मजबूत लोकतंत्र और मजबूत साझेदारी के कारण ही संभव हो पाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि मजबूत आधार पर बनी हुई है क्योंकि घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स द्वारा समर्थित लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखती है। वित्त वर्ष 2023 में 7% की वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था ने 8.2% की मजबूत वृद्धि दर्ज की। लगातार तीन वर्षों से, भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद 7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, जो मजबूत घरेलू मांग और सुधारों और पूंजीगत व्यय के लिए निरंतर सरकारी प्रयासों से प्रेरित है। उद्योग ने वित्त वर्ष 2023 में 2.1% के मुकाबले 9.5% की वृद्धि दर्ज की है, जिसे विनिर्माण (–2.2% से 9.9%) और खनन गतिविधि (1.9% से 7.1%) दोनों में उच्च वृद्धि का समर्थन प्राप्त है, आवास क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण निर्माण क्षेत्र ने पिछले वर्ष के 9.4% के मुकाबले 9.9% पर दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है।

सेवा क्षेत्र में कुछ नरमी दर्ज की गई, लेकिन 7% से ऊपर की वृद्धि दर्ज करना जारी रहा, जैसा कि वर्ष (वित्त वर्ष 2023 में 57.3 के मुकाबले वित्त वर्ष 24 में 60.3%) के लिए मजबूत पीएमआई रीडिंग से पता चलता है। इस अवधि के दौरान घरेलू यात्री यातायात, रेल माल ढुलाई और जीएसटी संग्रह सहित अन्य संकेतकों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है।

मौद्रिक नीति के मोर्चे पर, आरबीआई ने वित्त वर्ष 25 के लिए पहली नीति में नीति दर और रुख को अपरिवर्तित रखा है। इसने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने विकास और मुद्रास्फीति अनुमानों को क्रमशः 7% और 4.5% पर बरकरार रखा है। हमें उम्मीद है कि इसी अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था 7.5%– 7.8% की वृद्धि दर्ज करेगी।

भारत में पूंजी प्रवाह में सुधार होने की संभावना है, जिससे निजी निवेश और निर्यात में वृद्धि होगी।

वित्त वर्ष 2024–25 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और आगे की राह

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, भारत का बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और अच्छी तरह से विनियमित है। देश में वित्तीय और आर्थिक स्थितियाँ दुनिया के किसी भी अन्य देश से कहीं बेहतर हैं। ऋण, बाजार और तरलता जोखिम अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय बैंक आम तौर पर लचीले हैं और वैश्विक मंदी का अच्छी तरह से सामना कर चुके हैं। भारतीय बैंकिंग उद्योग ने हाल ही में भुगतान और लघु वित्त बैंकों जैसे अभिनव बैंकिंग

unchanged at 8.3%. Oil prices are projected to decline further by (-) 2.5% in 2024 (-) 16.4% in 2023, but non fuel commodities may see a build up in pressure as they are expected to increase by 0.1% in 2024. Following (-) 5.7% decline in 2023. This could delay the timing of rate cuts by global Central banks, which in turn may impact global growth prospects.

INDIAN ECONOMIC SCENARIO

India has emerged as the fastest-growing major economy in the world and is expected to be one of the top three economic powers in the world over the next 10-15 years, backed by its robust democracy and strong partnerships. Growth in the Indian economy remains on a strong footing as the domestic economy continues to showcase resilience backed by strong macro fundamentals. The economy clocked a robust growth of 8.2% in FY 2024 compared with a growth of 7% in FY 2023. For three consecutive years, India's economy has recorded above 7% growth despite global uncertainties, driven by strong domestic demand and continuous government efforts toward reforms and capital expenditure. Industry has registered a growth of 9.5% against 2.1% in FY 2023 supported by higher growth in both manufacturing (9.9% from -2.2%) and mining activity (7.1% from 1.9%), Construction Sector registered close to double digit growth at 9.9% against 9.4% in the previous year on account of housing sector doing well.

Service Sector registered some moderation, but continue to record above 7% growth as reflected by stronger PMI readings for the year (60.3% in FY24 against 57.3 in FY23). Other indicators including domestic passenger traffic, rail freight and GST collections have registered strong growth during this period.

On monetary policy front, RBI has kept the policy rate and the stance unchanged in the first policy for FY25. It has also retained its growth and inflation projections for FY 2025 at 7% and 4.5% respectively. We expect the economy to clock a growth of 7.5%- 7.8% for the same period.

India is likely to experience improved capital flows, boosting private investment and exports.

INDIAN BANKING SECTOR IN FY 2024-25 AND WAY AHEAD

As per the Reserve Bank of India (RBI), India's banking sector is sufficiently capitalised and well-regulated. The financial and economic conditions in the country are far superior to any other country in the world. Credit, market and liquidity risk studies suggest that Indian banks are generally resilient and have withstood the global downturn well. The Indian banking industry has recently witnessed the rollout of innovative

मॉडल की शुरुआत देखी है। हाल के वर्षों में भारत ने प्रधानमंत्री जन धन योजना और पोस्ट पेमेंट बैंकों जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने बैंकिंग क्षेत्र की पहुँच बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। डिजिटल भुगतान, नियो–बैंकिंग, भारतीय एनबीएफसी और फिनटेक के उदय जैसे प्रमुख बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के साथ इन जैसी योजनाओं ने भारत के वित्तीय समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है और देश में ऋण चक्र को बढ़ावा देने में मदद की है।

दिसंबर 2023 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि बैंक ऋण, पर्याप्त पूंजी, तरलता बफर, मजबूत आय और कम एनपीए में निरंतर वृद्धि के बीच वित्तीय क्षेत्र की सेहत स्थिर बनी हुई है। कॉर्पोरेट और बैंकिंग दोनों क्षेत्रों की बैलेंस शीट भी मजबूत हुई है। इसके अलावा, तनाव परीक्षण के परिणाम संकेत देते हैं कि गंभीर तनाव परिदृश्य में भी, अनुसूची वाणिज्यिक बैंकों के पूंजी भंडार पर्याप्त रहने की उम्मीद है और जीएनपीए अनुपात में भी मामूली वृद्धि होने की संभावना है।

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारतीय बैंकों के लिए अपने दृष्टिकोण को "सकारात्मक" से "स्थिर" में संशोधित किया है और कहा है कि उसे क्रेडिट वृद्धि और लाभप्रदता में नरमी की उम्मीद है। इस क्षेत्र की समग्र स्थिति स्वस्थ रहने की उम्मीद है। निरपेक्ष रूप से ऋण विस्तार वित्त वर्ष 24 में अब तक का सबसे अधिक रहा। आईसीआरए के अनुसार, वर्ष–दर–वर्ष प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 11.7–12.5 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 24 में 16.3 प्रतिशत थी।

पिछले 18 महीनों में बैंकिंग क्षेत्र के ब्याज मार्जिन में कमी जमा लागत में वृद्धि के कारण आई है, लेकिन वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है, जो कि अग्रिमों के पुनः मूल्य निर्धारण की संभावना से प्रेरित है।

मार्जिन में कमी होने के बावजूद ऋण पुस्तिका में वृद्धि से स्थिर परिचालन लाभ में परिवर्तन होने की उम्मीद है जिसे सौम्य क्रेडिट लागत से सहायता मिलेगी।

बैंक का कार्यनिष्पादन

उपर्युक्त परिदृश्य में विभिन्न मानदंडों पर बैंक का कार्यनिष्पादन का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है:

वित्तीय झलक: (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
1.	कुल ब्याज आय	692.13	587.73
	ए) अग्रिमों से ब्याज के रुप में आय	421.43	354.98
	बी) निवेशों से ब्याज के रुप में आय	147.73	153.31
	सी) अन्य	122.97	79.44
2.	गैर ब्याज आय	62.79	14.82
	कुल आय–ए (1+2)	**754.92**	**602.55**

banking models like payments and small finance banks. In recent years India has also focused on increasing its banking sector reach, through various schemes like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and Post payment banks. Schemes like these coupled with major banking sector reforms like digital payments, neo-banking, a rise of Indian NBFCs and fintech have significantly enhanced India's financial inclusion and helped fuel the credit cycle in the country.

RBI in the Financial Stability Report for Dec.'23 noted the health of the financial sector continues to be steady amist sustained growth in bank credit, adequate capital, liquidity buffers, strong earnings and lower NPAs. Balance Sheets of both corporate and banking sector also strengthened . Apart from this, stress tests results indicate that even under severe stress scenario, capital reserves of scheduled commercial banks are expected to remain adequate and GNPA ratios are also likely to inch up only marginally.

Rating agency ICRA revised its outlook for Indian banks to "stable" from "positive" for FY25, saying it expects credit growth and profitability to moderate. The sector's overall profile is expected to remain healthy. Credit expansion in absolute terms was the highest ever in FY24. The growth in per cent terms year-on-year is expected to moderate to 11.7-12.5 per cent in FY25 from 16.3 per cent in FY24 as per ICRA.

While the compression in the banking sector's interest margins over the last 18 months has been driven by rising deposit costs, the expectation of a rate cut in the second half of FY25 could lead to margin pressure that is driven by a likely downward re-pricing of advances.

A growth in loan book, despite margin compression, is expected to translate into steady operating profits that will be aided by benign credit costs.

BANK'S PERFORMANCE

Under the above scenario the Bank's performance on various parameters was as listed below:

FINANCIAL HIGHLIGHTS **(₹ In Crores)**

S. No.	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1.	Total Interest Income	692.13	587.73
	(a) Interest Income from Advances	421.43	354.98
	(b) Interest Income from Investments	147.73	153.31
	(c) Others	122.97	79.44
2.	Non Interest Income	62.79	14.82
	TOTAL INCOME - A(1+2)	**754.92**	**602.55**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
3.	कुल ब्याज जो दिया गया	372.05	308.72
	ए) जमा पर दिया गया ब्याज	372.05	308.72
	बी) अन्य ब्याज व्यय	0.00	0.00
4.	स्टाफ लागत	183.78	120.53
5.	अन्य परिचालन लागत	91.81	96.37
	कुल खर्चे–बी (3+4+5)	**647.64**	**525.62**
	परिचालन लाभ (ए–बी)	**107.28**	**76.93**
	प्रावधान और आकस्मिकताएं– सी	60.18	30.63
	शुद्ध लाभ (ए–बी–सी)	**47.10**	**46.30**

वित्तीय अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 के अनुसार	31.03.2023 के अनुसार
1.	जमा की औसत लागत (%)	4.85	4.24
2.	अग्रिमों से औसत आय (%)	9.05	8.39
3.	शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	3.53	3.27
4.	आस्तियों से औसत प्राप्ति (%)	0.52	0.54
5.	औसत कार्यशील निधि में स्टाफ का खर्च (%)	2.02	1.41
6.	औसत कार्यशील निधि पर परिचालन लाभ (%)	1.18	0.90
7.	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (करोड़ में)	4.01	3.94
8.	प्रति शेयर बही मूल्य (करोड़ में)	66.14	61.97

पूंजी पर्याप्तता

बेसल–III मानकों के तहत बैंक की पूंजी पर्याप्तता विगत वर्ष के 16.24% के मुकाबले इस वर्ष 15.22% रही। दिनांक 31.03.2024 को कुल पूंजी पर्याप्तता में से टियर–I पूंजी 14.26% और टियर–II पूंजी 0.97% थी।

जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमाराशियाँ पिछले वर्ष के ₹ 7,681.83 करोड़ से बढ़कर दिनांक 31/03/2024 को ₹ 8,267.75 करोड़ हो गई है, जो 7.63% की वृद्धि दर्शाती है। कम लागत वाली जमाराशि का हिस्सा दिनांक 31/03/2023 के 40.70% से बढ़कर दिनांक 31/03/2024 तक 41.75% हो गया।

जमा की लागत दिनांक 31/03/2023 को 4.24% से बढ़कर 31/03/2024 को 4.85% हो गई।

S. No.	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
3.	Total Interest Expended	372.05	308.72
	Interest Expended on Deposits	372.05	308.72
	Other Interest Expenses	0.00	0.00
4.	Staff Cost	183.78	120.53
5.	Other Operating Costs	91.81	96.37
	Total Expenses—B (3+4+5)	**647.64**	**525.62**
	Operating Profit (A-B)	**107.28**	**76.93**
	Provision & Contingencies -C	60.18	30.63
	Net Profit (A-B-C)	**47.10**	**46.30**

FINANCIAL RATIOS

S. No.	Particulars	As on 31.03.2024	As on 31.03.2023
1.	Average Cost of Deposits (%)	4.85	4.24
2.	Average Yield on Advances (%)	9.05	8.39
3.	Net Interest Margin (%)	3.53	3.27
4.	Average Return on Assets (%)	0.52	0.54
5.	Staff Expenses to Avg. Working Fund (%)	2.02	1.41
6.	Operating Profit to Avg. Working Funds (%)	1.18	0.90
7.	EPS (in Cr)	4.01	3.94
8.	Book Value per share (in Cr)	66.14	61.97

CAPITAL ADEQUACY

The Capital Adequacy under Basel-III norms stood at 15.22% as against 16.24% last year. Out of the Total Capital Adequacy, Tier –I capital was 14.26% and Tier – II capital was 0.97% as on 31.03.2024.

DEPOSIT MOBILISATION

Deposits of the Bank has increased from ₹ 7,681.83 crore of last year to ₹ 8,267.75 crore as on 31/03/2024 showing a growth of 7.63%. The Share of low cost deposit increased to 41.75% as on 31/03/2024 from 40.70% as on 31/03/2023.

The Cost of Deposit increased from 4.24% as on 31/03/2023 to 4.85% as on 31/03/2024.

कुल जमा / Total Deposit

(₹ In Crores/रु. करोड़ में)

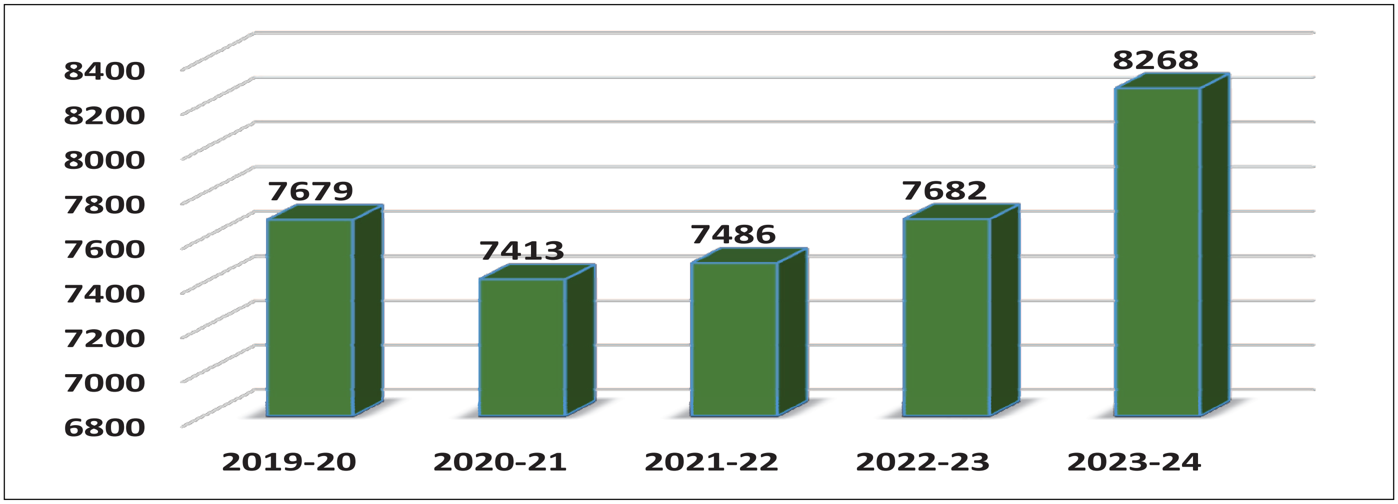

सम्मिलित जमाराशि / Deposit Mix

(₹ In Crores/रु. करोड़ में)

31 मार्च 2024 को / As on 31st March 2024

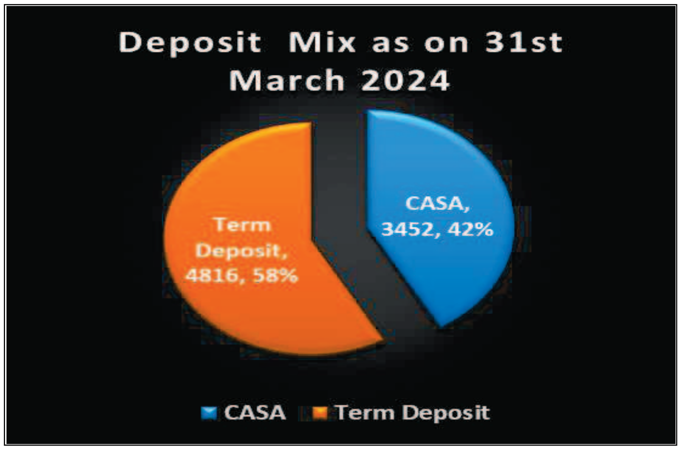

31 मार्च 2023 को / As on 31st March 2023

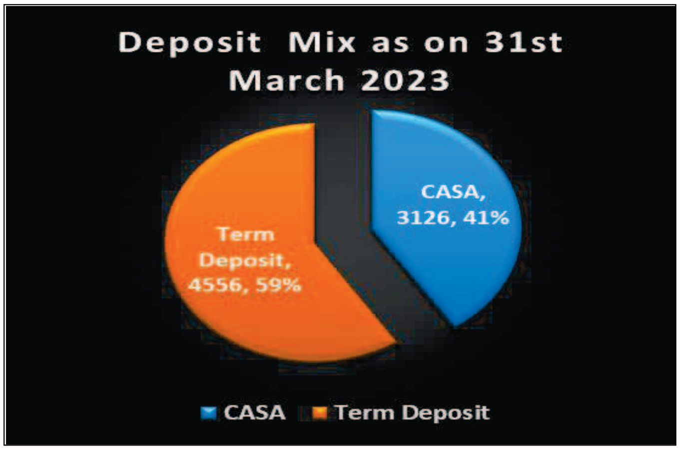

कासा [कम लागत वाली जमाराशि] / CASA [Low Cost Deposit]

(₹ In Crores/रु. करोड़ में)

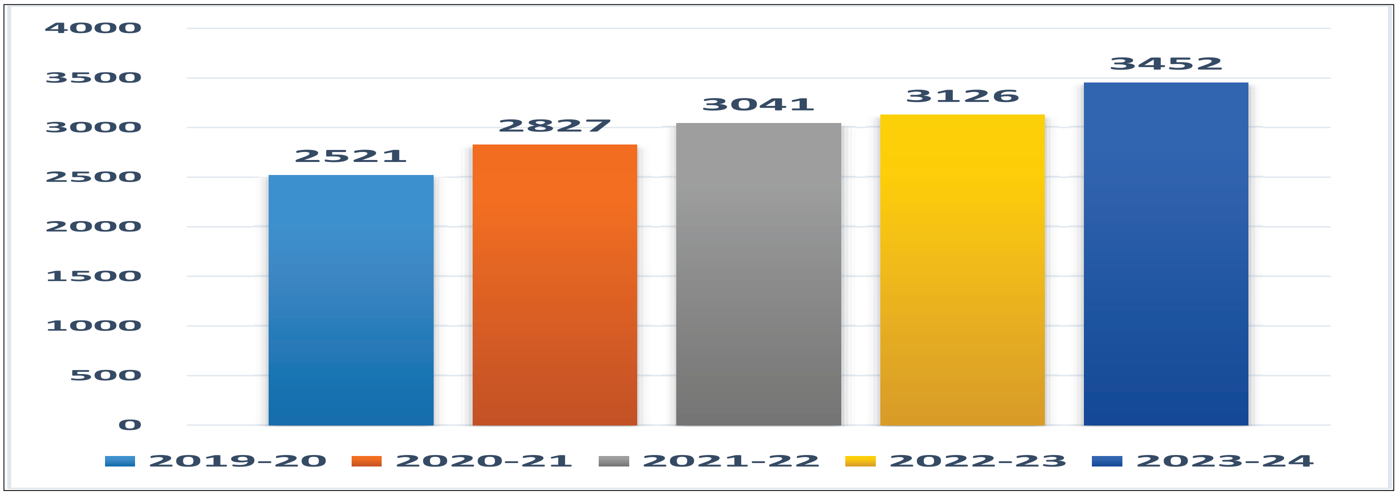

सकल अग्रिम / Gross Advances

(₹ In Crores/रु. करोड़ में)

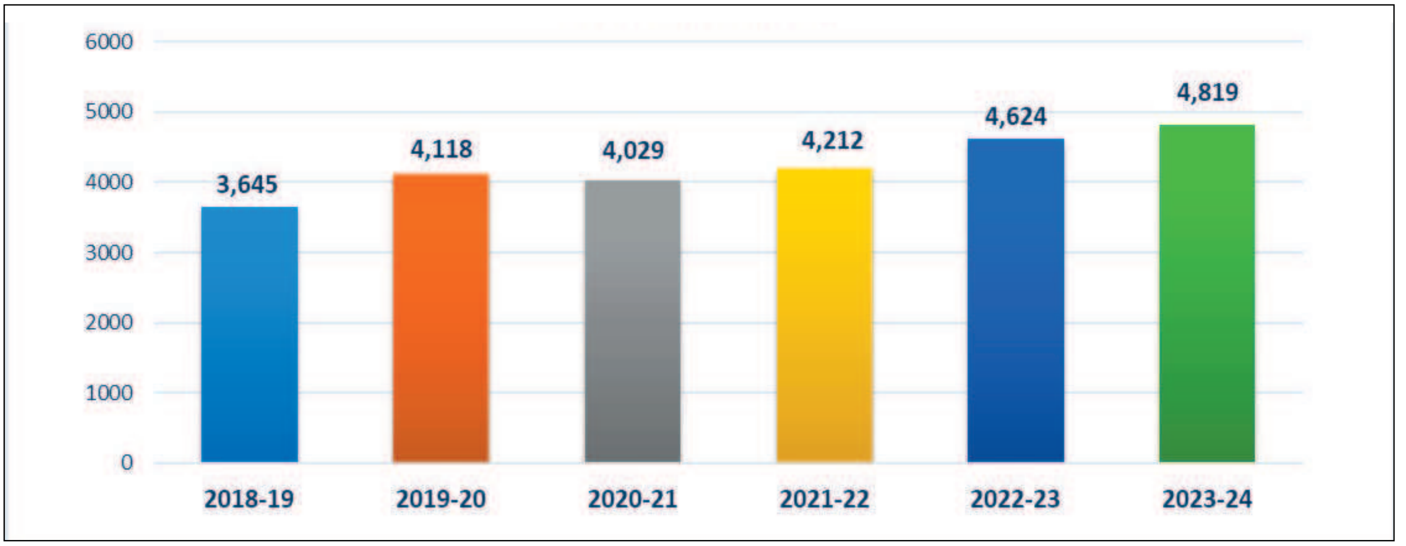

ऋण परिनियोजन

दिनांक 31.03.2024 को बैंक का सकल अग्रिम दिनांक 31.03.2023 के ₹ 4623.59 करोड़ से बढ़कर ₹ 4819.13 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.23% की वृद्धि को दर्शाता है।

CREDIT DEPLOYMENT

The Gross Advances of the Bank increased to ₹ 4,819.13 crore as on 31.03.2024 from ₹ 4,623.59 crore on 31.03.2023, showing an increase of 4.23% over previous year.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances

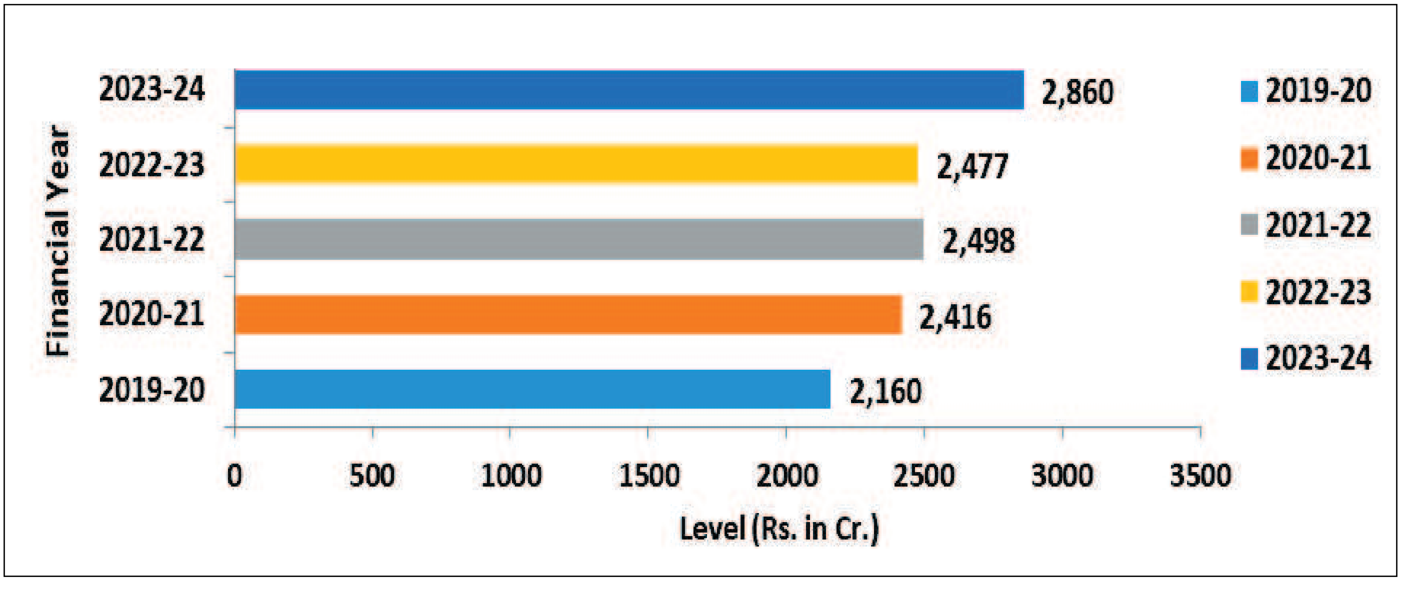

प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण पूर्व की तरह ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक रहा। बैंक का सकल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31.03.2024 को ₹ 2860.03 करोड़ था, जो 31.03.2023 को ₹ 2477.28 करोड़ था, जो समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 58.33% है।

Priority Sector Advances

The Priority Sector Advances of the Bank continued to be higher than regulatory stipulation of RBI @40%. The Gross Priority Sector Advances of the Bank stood at ₹ 2860.03 crore as on 31.03.2024 against ₹ 2477.28 crore as on 31.03.2023 representing 58.33% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

नई पहलें एवं प्रौद्योगिकी का समावेश

नई पहलें

आज की वैश्विक परिस्थितियों में न केवल सफलतापूर्वक बैंकिंग परिचालन के लिए अपितु ग्राहकों की बढ़ती हुई मांगों को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए भी सूचना प्रौद्यौगिकी का व्यापक प्रयोग आवश्यक हो गया है। पिछले दो दशकों में प्रौद्यौगिकी प्रगति ने बैंकिंग को पुनःपरिभाषित किया है। ग्राहकों को और अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावपूर्ण ढंग से सेवा प्रदान करना, कम्प्यूटरीकरण और उपलब्ध तकनीक के सर्वाधिक उपयोग के द्वारा ही संभव है। बैंक की सभी शाखाएं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रही हैं और ग्राहकों को इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधाऐं जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी,यूपीआई, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग, पीएफएमएस एवं डब्ल्युएलएटीएम सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को ''टैप एंड पे'' सुविधा वाले चिप आधारित रुपे डेबिट कार्ड, एसएमएस और ईमेल चैनलों का उपयोग करने वाले अपने ग्राहकों को अलर्ट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

बैंक ने व्यवसाय में विकास प्राप्त करने और मौजूदा आईटी प्लेटफॉर्म को उन्नत/संवर्धित करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों को चिह्नित किया है ताकि नैनीताल बैंक लिमिटेड को एक डिजिटल बैंक बनाया जा सके–

- बैंक ग्राहकों को दूर से ही जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म (ईकेवाईसी) शुरू करने की प्रक्रिया में है।
- बैंक एक अधिग्रहणकर्ता के रूप में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर शामिल होने की प्रक्रिया में है।
- बैंक ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए पेमेंट गेटवे/एग्रीगेटर को शामिल करने की प्रक्रिया में है।

विकासात्मक कार्य

ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के अपने निरंतर प्रयास में, बैंक ने निम्नलिखित एप्लिकेशंस की शुरुआत की है–

- बैंक प्रौद्योगिकी सक्षम उपकरणों का उपयोग करके दूरदराज के गांवों में भी परिचालन के क्षेत्र के कोने–कोने तक पहुँचने हेतु वित्तीय समावेशन समाधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।
- बैंक के इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगिता बिल भुगतान करने के लिए एनपीसीआई की भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) सेवा को एकीकृत किया है।
- बैंक ने प्रायोजक बैंक के रूप में ऋण खातों में संग्रह दक्षता बढ़ाने के लिए नाच अधिदेश प्रबंधन प्रणाली लागू की है।
- बैंक ने ग्राहकों को पंजीकृत ई–मेल के माध्यम से खातों का विवरण भेजने की सुविधा शुरू की है।
- बैंक ने ग्राहकों की सहजता और सुविधा के लिए डिजिटल सेवा प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने के प्रमुख कार्यक्रम के एक भाग के रूप

NEW INITIATIVES AND DEVELOPMENT

NEW INITIATIVES

Extensive use of Information Technology has become a necessity not only to carry out successful banking operations but also to satisfy growing customer demands in present globalized environment. In last two decades, the technology has redefined the 'Banking'. To serve the customer efficiently and effectively, the way-out is to go for automation and make maximum use of technology. Currently, Bank's all branches are functioning on Finacle 10.x CBS platform and also facilitating customers by providing electronic payment facility like Bharat Bill Payment Services (BBPS), RTGS, NEFT, UPI, IMPS, Net Banking, PFMS and WLATM Services. Bank is issuing chip based Rupay Debit Cards having "Tap & Pay" facility and also providing the Alert services to its customers using SMS & email channels.

Bank has identified following major thrust areas for achieving business growth and to upgrade/ enhance the existing IT platform so as to make the Nainital Bank Limited, a Digital Bank –

- Bank is in the process of introducing Digital Platform (eKYC) for customer onboarding remotely.
- Bank is in the process of getting on boarded on the UPI platform as an acquirer.
- Bank is in the process of Onboarding of Payment Gateway/Aggregator for doing on-line transactions.

DEVELOPMENTS

In its constant endeavor to ensure customer comfort and regulatory compliance, the Bank has introduced following applications –

- Bank has implemented Financial Inclusion Solution to reach nook and corner of the area of operation, even in remote villages using technology enabled tools.
- Bank has integrated NPCI's Bharat Bill Payment System (BBPS) Service to make utility bill payment for Bank's Internet Banking Application users.
- Bank has implemented NACH Mandate Management System to increase collection efficiency in loan accounts as a sponsor bank.
- Bank has introduced feature to send statement of accounts through registered e-mail to the customers
- Bank has implemented and installed Self Service Passbook Printing Kiosk in identified bank branches as a

में चिह्नित की गई बैंक शाखाओं में सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क को लागू और स्थापित किया है।

- बैंक द्वारा निर्धारित समय के भीतर धन के तेजी से निपटान और वितरण चैनल विवाद के समाधान के लिए ई–चैनल लेनदेन (आईरिकॉन) के ऑटो रिकॉन्सिलिएशन को लागू किया है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

बैंक एनपीए से निपटने और वसूली प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण रखता है। बैंक के आस्ति वर्गीकरण का विवरण नीचे दिया गया है:

आस्ति वर्गीकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
मानक	4413.12	91.71	4175.86	90.40
अवमानक	62.99	1.31	59.21	1.28
संदिग्ध	312.30	6.49	361.46	7.83
हानिकर आस्ति	23.37	0.49	22.59	0.49
सकल अग्रिम	**4811.79**	**100**	**4619.12**	**100**

part of flagship programme of establishing Digital Service Platform for customer ease and convenience.

- Bank has implementation of Auto Reconciliation of e-channel transactions (iRecon) for faster settlement of funds and resolution of delivery channel dispute with in turnaround time prescribed by the Bank.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

The Bank has a proactive approach towards tackling NPAs and focused recovery efforts. Asset classifications of the Bank are detailed below:

ASSET CLASSIFICATION

(₹ in Cr.)

	As on 31.03.2024		As on 31.03.2023	
	Amount	%	Amount	%
Standard	4413.12	91.71	4175.86	90.40
Sub-Standard	62.99	1.31	59.21	1.28
Doubtful	312.30	6.49	361.46	7.83
Loss assets	23.37	0.49	22.59	0.49
Gross Advances	**4811.79**	**100**	**4619.12**	**100**

आस्ति वर्गीकरण / Asset Classification

(₹ In Crores /रु. करोड़ में)

31 मार्च 2024 को / As on 31st March 2024

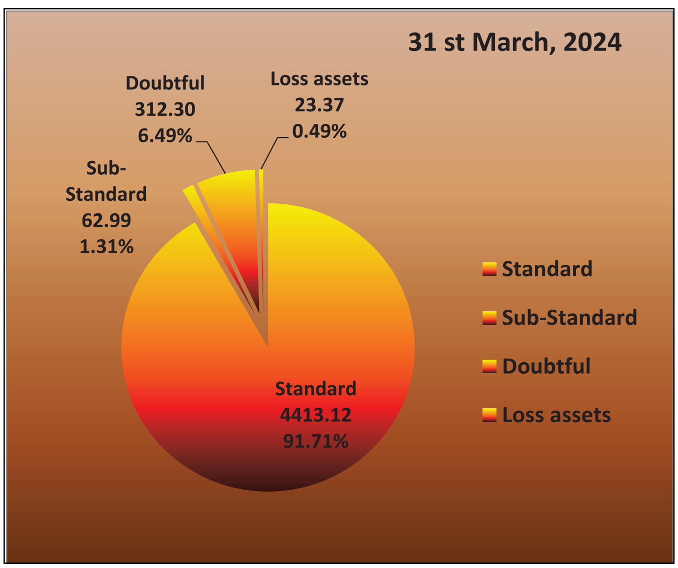

31 मार्च 2023 को / As on 31st March 2023

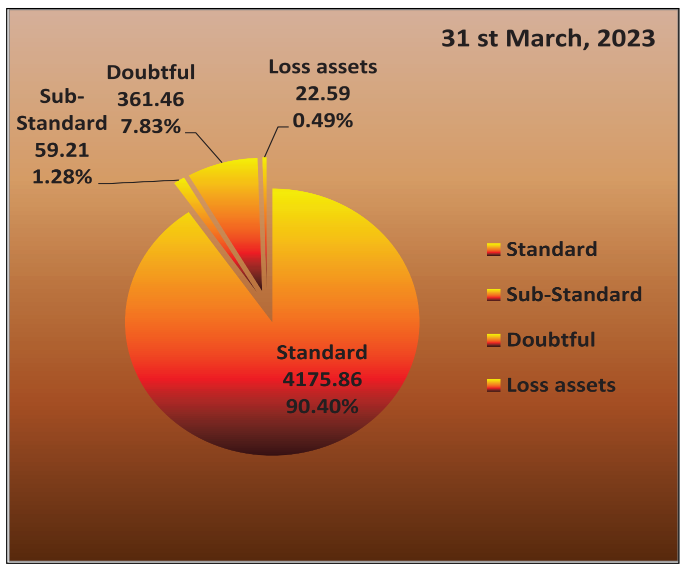

बैंक का सकल एनपीए ₹ 31.03.2023 के ₹ 443.26 करोड़ से घटकर 31.03.2024 को ₹ 398.67 करोड़ हो गया। बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान पुराने एनपीए खातों के साथ हाल ही में हुए एनपीए खातों में वसूली करने और अपग्रेड करने का निरंतर प्रयास करता है।

- सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए दिनांक 31 मार्च, 2024 को 8.29% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 9.60% था।

Gross NPA of the Bank decreased from ₹ 443.26 crore as on 31.03.2023 to ₹ 398.67 crore as on 31.03.2024. The Bank endeavors to recover and upgrade recently added NPA accounts along with old NPA accounts during the current financial year.

- Gross NPA to Gross Advances stood at 8.29% as on March 31st, 2024 as against 9.60% last year.

- शुद्ध अग्रिमों के मुकाबले शुद्ध एनपीए 0.94% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 1.84% था।

निवेश परिचालन

विभिन्न प्रतिभूतियों में बैंक के कुल सकल निवेश जो दिनांक 31.03.2024 को ₹ 1992.75 करोड़ रहे, जबकि दिनांक 31.03.2023 को यह ₹ 2164.58 करोड़ था। कुल निवेश में से, 52.23% प्रतिभूतियों को "बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी और ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी)" में "मार्क टू मार्केट" और शेष 47.77% को "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

निवेश में लेनदेन अधिकतम प्राप्तियों, मूल्यह्रास के लिए पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के साथ साथ पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे।

लाभप्रदता

बैंक का परिचालन लाभ दिनांक 31 मार्च, 2024 को ₹ 107.28 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31 मार्च, 2023 को यह ₹ 76.94 करोड़ था। अनुमानित दायित्वों के लिए सभी प्रावधान करने के बाद, दिनांक 31/03/2024 को बैंक का शुद्ध लाभ ₹ 47.10 करोड़ रहा, जबकि दिनांक 31/03/2023 को यह ₹ 46.30 करोड़ था।

यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 31.03.2024 तक सोलह (16) शाखाएँ घाटे में थीं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

बैंक का सीआईएडी विभाग उचित कीमत पर बैंक के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण को बढ़ावा दे रहा है। बेहतर पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए 'जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा' प्रणाली को उपयुक्त रूप से अपनाया गया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को भी अपने दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु सीआईएडी विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। बैंक ने समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली के तहत निर्धारित व्यवसाय के कवरेज के संबंध में विनियामक के निर्देशों का अनुपालन किया है।

सामाजिक प्रतिबद्धता

निरंतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और लाभप्रदता पर बढ़ते दबाव के दौर में भी बैंक ने सामाजिक बैंकिंग के तहत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण लक्ष्य को पार करना जारी रहा। वर्ष के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण ₹ 2860.03 करोड़ रहा और यह समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 58.33% रहा। जबकि कृषि ऋण ₹ 1103.12 करोड़ रहा जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का 22.49% रहा, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस उद्देश्य के लिए 18% का न्यूनतम मानदंड निर्धारित किया था।

वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)

बैंक एसएलबीसी और विभिन्न अन्य केंद्रों द्वारा आवंटित उप सेवा क्षेत्रों में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंटों के माध्यम से वित्तीय समावेशन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। दिनांक 31.03.2024 तक उत्तराखंड राज्य में 23 बीसी एजेंट, उत्तर प्रदेश राज्य में 08 बीसी एजेंट, हरियाणा में 04 बीसी

- Net NPA to Net Advances stood at 0.94% in comparison to last year's 1.84%.

INVESTMENT OPERATIONS

The total gross Investments of the Bank in various securities stood at ₹ 1992.75 crore as on 31.03.2024 against ₹ 2164.58 crore as on 31.03.2023. Out of total investments, 52.23% securities have been "marked to market" in "Available for Sale (AFS) category & Held for Trading (HFT)" and rest 47.77 % is classified under "Held to Maturity (HTM)" category.

The investment transactions were taken with a view to maximize yield, protect portfolio against depreciation and simultaneously ensuring sufficient liquidity.

PROFITABILITY

Operating Profit of the Bank stood at ₹ 107.28 crore as on 31st March, 2024 against ₹ 76.94 crore as on 31st March, 2023. After making all provisions for estimated liabilities, the Net Profit of the Bank stood at ₹ 47.10 crore as on 31/03/2024, against Net Profit of ₹ 46.30 crore as on 31/03/2023.

It is submitted that as on 31.03.2024 Sixteen (16) branches were in loss.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

CIAD Department of the Bank is promoting effective control on the affairs of the Bank at a reasonable cost. The 'Risk Based Internal Audit' system has been suitably adopted to have better supervision and control. Audit committee of the Board is also being assisted by CIAD Department to discharge its obligations more effectively. Bank has complied with the directives of the regulator in respect of coverage of stipulated business under concurrent audit system.

SOCIAL COMMITMENT

The Bank has maintained its focus on meeting commitments under social banking even in the era of increased competition and stress on profitability. Priority sector lending targets continued to be surpassed. Lending to priority sector stood at ₹2860.03 crore during the year and constituted 58.33% of Adjusted Net Bank Credit. Whereas agriculture credit stood at ₹1103.12 crore constituting 22.49% of Adjusted Net Bank Credit, against the minimum norms of 18% laid down by the Reserve Bank of India, for the purpose.

FINANCIAL INCLUSION PLAN (FIP)

The Bank has been implementing Financial Inclusion Plan through Business Correspondent Agents in Sub Service Areas allotted by SLBC & various other centres. As on 31.03.2024, 23 BC Agents have been deployed in Uttarakhand State, 08 BC Agents have been deployed in UP State, 04 BC Agents in

एजेंट, दिल्ली में 05 बीसी एजेंट और राजस्थान राज्य में 01 बीसी एजेंट तैनात किए गए हैं। अन्य केंद्रों में बैंक और अधिक संख्या में बीसी एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। बीसी एजेंटों ने 10137 बचत बैंक वित्तीय समावेशन खाते खोले हैं और इन खातों में दिनांक 31.03.2024 तक ₹ 235.54 लाख जमा हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

व्यापक वित्तीय समावेशन योजना के कार्यान्वयन के लिए, माननीय प्रधान मंत्री ने दिनांक 28.08.2014 को प्रधान मंत्री जन धन योजना शुरू की और वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन अर्थात् प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के साथ 'प्रत्येक परिवार' से 'प्रत्येक वयस्क' तक खाते खोलने के फोकस में परिवर्तन को 28.08.2018 से आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 31.03.2024 तक बैंक ने 56594 पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं और ₹ 1872.00 लाख जमा किए हैं। हमारे बैंक ने मौजूदा दिशा–निर्देशों के अनुसार पात्र खातों में ओवरड्राफ्ट सुविधा बढ़ाई है और इन खातों में 31.03.2024 तक कुल बकाया राशि 0.52 लाख रुपये है।

शाखा नेटवर्क एवं विस्तार कार्यक्रम

बैंक पूरे उत्तर भारत में अपने नेटवर्क को व्यापक बनाने हेतु शाखाओं की संख्या को 171 तक ले जाने में सफल रहा है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 03 नई शाखाएँ खोली हैं। शाखा नेटवर्क अब 05 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। बैंक की योजना वित्त वर्ष 2024–25 में 12 नई शाखाएं खोलने की है।

शाखाओं की क्षेत्रवार स्थिति

क्षेत्रवार शाखाएँ			
क्र. सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2024*	2023*
1	मेट्रो	35	35
2	शहरी	46	44
3	अर्धशहरी	34	34
4	ग्रामीण	56	55
	कुल	**171**	**168**

*जनगणना 2011 के अनुसार शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण

बैंक की उपस्थिति देश के 05 राज्यों में है। शाखाओं की राज्यवार स्थिति नीचे दी गई है:

Haryana, 05 BC Agents in Delhi & 01 BC Agent in Rajasthan State. Bank is in process to appoint more no. of BC Agents in other centres. BC Agents have opened 10137 Saving Bank Financial Inclusion accounts and deposit in these accounts is ₹ 235.54 lakhs as on 31.03.2024.

Pradhan Mantri Jan DhanYojna (PMJDY)

For the implementation of Comprehensive Financial Inclusion Plan, Hon'ble Prime Minister launched Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna on 28.08.2014 and decided to continue the National Mission on Financial Inclusion namely Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) beyond 28.08.2018, with the change in focus of opening of accounts from 'every household' to 'every adult'.

Bank has opened 56594 PMJDY accounts and mobilized deposit of ₹ 1872.00 lakhs till 31.03.2024. Our bank has extended overdraft facility in eligible accounts as per extant guidelines and total amount outstanding in these accounts is ₹ 0.52 lakhs as on 31.03.2024.

BRANCH NETWORK & EXPANSION PROGRAMME

The Bank had been successful in widening its network across North India with 171 branches. The Bank has opened 03 new branches during the financial year 2023-24. The branch network now covers 05 States/Union Territories. The Bank plans to open 12 new Branches in the financial year 2024-25.

AREA WISE POSITION OF BRANCHES

Area-wise Branches			
S. No.	Area	No. of Branches	
		2024*	2023*
1	Metro	35	35
2	Urban	46	44
3	Semi-Urban	34	34
4	Rural	56	55
	Total	**171**	**168**

* Area wise classification of branches as per Census 2011

The Bank is having its presence in -05- states of the country. The State wise position on of branches is given below:

वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का क्षेत्रवार विस्तार / Area-wise Spread of Branches at the year ended on

31 मार्च 2024 को / As on 31st March 2024 | **31 मार्च 2023 को / As on 31st March 2023**

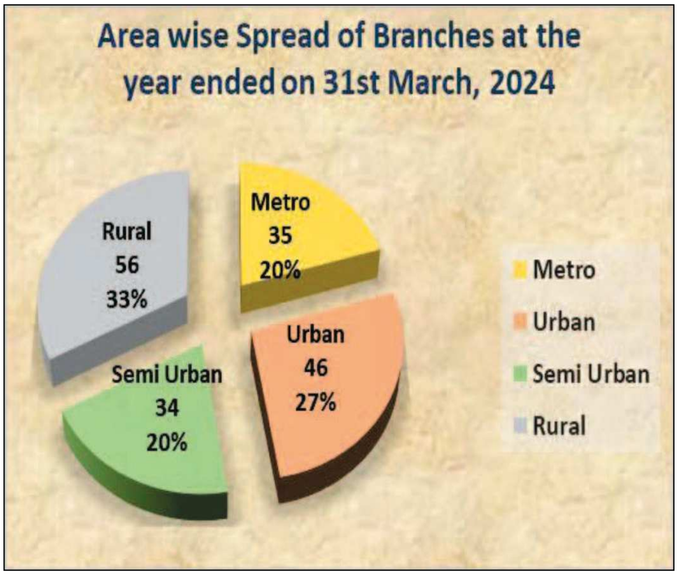

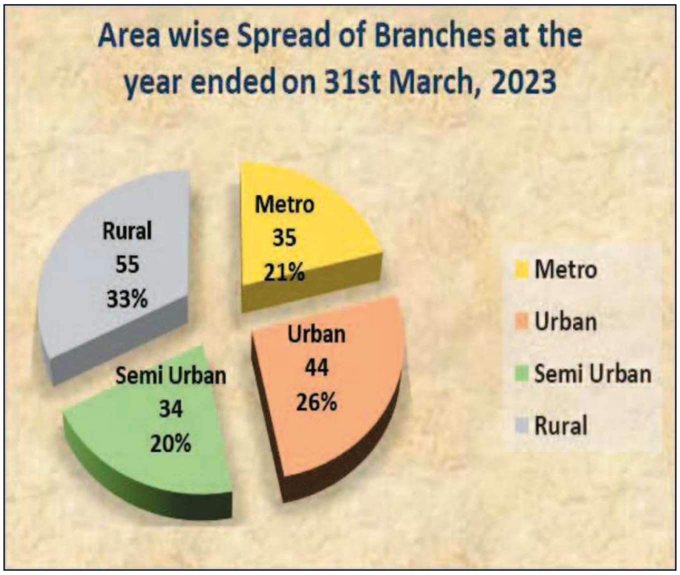

शाखाओं की राज्यवार स्थिति

राज्यवार शाखाएं			
क्र.सं.	क्षेत्र	शाखाओं की संख्या	
		2024	2023
1	उत्तराखण्ड	98	97
2	उत्तर प्रदेश	46	44
3	दिल्ली	16	16
4	हरियाणा	08	08
5	राजस्थान	03	03

STATE WISE POSITION OF BRANCHES

State-wise Spread of Branches at the year ended on			
S. No.	Area	No. of Branches	
		2024	2023
1	Uttarakhand	98	97
2	Uttar Pradesh	46	44
3	Delhi	16	16
4	Haryana	08	08
5	Rajasthan	03	03

वर्ष की समाप्ति पर शाखाओं का राज्यवार विस्तार / State-wise Spread of Branches at the year ended on

31 मार्च 2024 को / As on 31st March 2024 | **31 मार्च 2023 को / As on 31st March 2023**

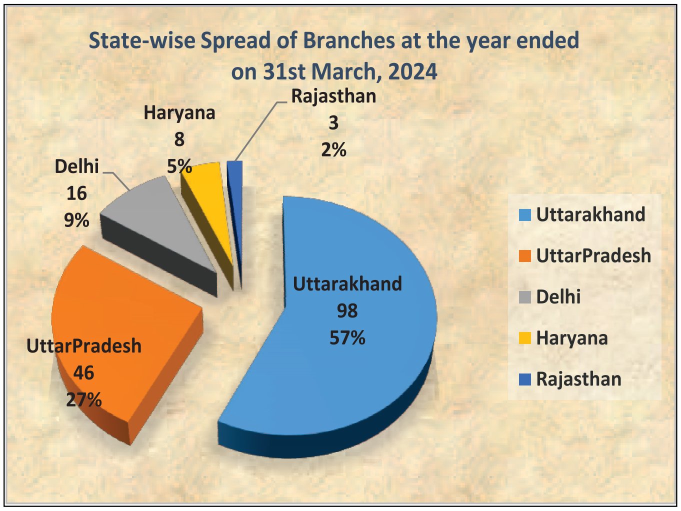

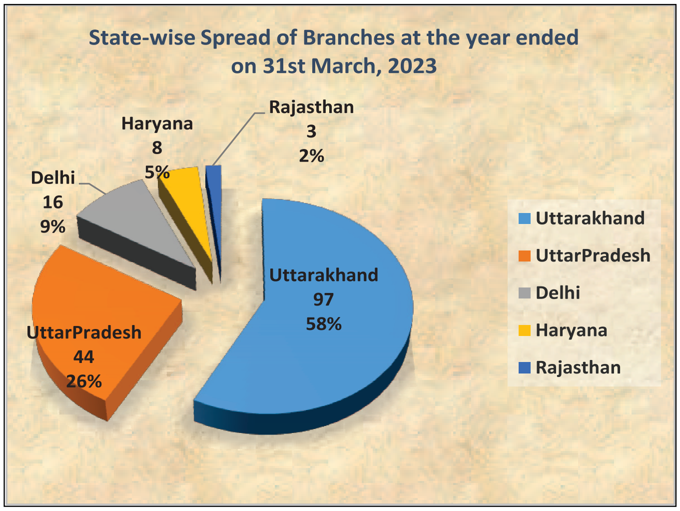

मानव संसाधन की स्थिति

किसी भी संगठन के प्रभावी और कुशल संचालन के लिए मानव संसाधन सब से महत्वपूर्ण कारक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने इस आयाम को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। बैंक का एक प्रतिबद्ध, स्वःप्रेरित और सहानुभूति पूर्ण कार्यबल (टीम) है जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने को प्रयासरत है। बैंक के स्वस्थ, निरंतर विकास और नेटवर्क विस्तार के साथ मौजूदा जनशक्ति को बढ़ाने के लिए बैंक ने वित्त वर्ष 2023–24 में प्रमुख प्रतिभा अधिग्रहण कर अपनी पहल को जारी रखा है।

बैंक के कुल कर्मचारियों की संवर्गवार संख्या इस प्रकार रही:

क्र.सं.	संवर्ग	(31.03.2024 के अनुसार)	(31.03.2023 के अनुसार)
1	कार्यपालक	29	30
2	अधिकारी	552	464
3	क्लर्क	362	348
4	सब–ऑर्डिनेट स्टाफ	132	137
5	अंशकालिक उप–कर्मचारी	95	139
6	प्रबंधन प्रशिक्षार्थी	61	105
	कुल	**1231**	**1223**

HUMAN RESOURCE POSITION

Human Resource is the single most important catalyst for effective and efficient operation of any organization. Competition has rendered this dimension still more critical. The Bank has a team of committed, self-motivated and empathetic workforce who strive to meet the customers' requirements. To augment the existing manpower in line with the Bank's healthy and sustained growth and expansion of network, the Bank has continued its initiatives of major talent acquisition in the FY 2023-24.

The cadre wise strength of Bank staff was as under:

S. No.	Cadre	(as on 31.03.2024)	(as on 31.03.2023)
1	Executive	29	30
2	Officers	552	464
3	Clerks	362	348
4	Sub-Ordinate Staff	132	137
5	Part Time Sub-Staff	95	139
6	Management Trainee	61	105
	TOTAL	**1231**	**1223**

वर्ष के दौरान संवर्ग–वार कर्मचारियों की संख्या/Cadre-wise Staff Strength at the year ended on

31 मार्च 2024 को/As on 31st March 2024

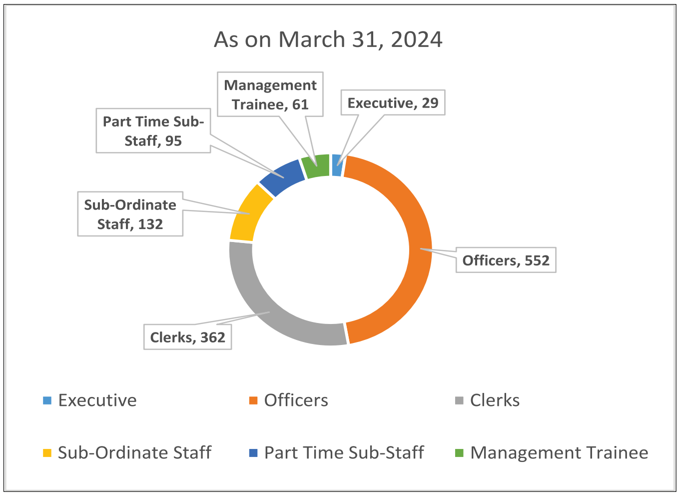

31 मार्च 2023 को/As on 31st March 2023

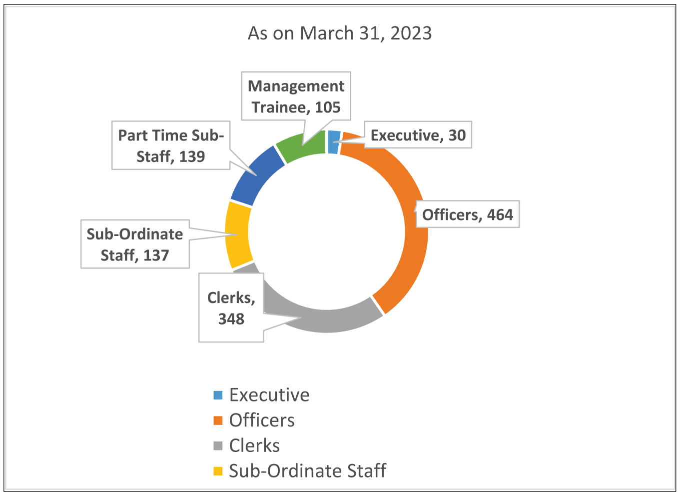

अभिप्रेरक पहलें

बैंक कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए बैंक द्वारा की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:

क. नवंबर 2023 एवं फरवरी 2024 के महीने में बैंक में 13 विशेषज्ञ अधिकारी, 59 प्रबंधन प्रशिक्षु और 50 लिपिकों ने कार्यभार ग्रहण किया।

ख. 108 प्रबंधन प्रशिक्षु ग्रेड/स्केल– I में शामिल हुए।

Motivational Initiatives

Some of the initiatives undertaken by the Bank in order to boost the morale of the Bank employees are as under:

A. 13 Specialist Officers, 59 Management Trainees and 50 Clerks were joined in the Bank in the month of November 2023 & February 2024.

B. 108 Management trainees absorbed in Grade/Scale- I.

ग. 10 लिपिक स्टाफ सदस्यों को दिनांक 01.07.2023 से जेएमजीएस ग्रेड/स्केल–I में पदोन्नत किया गया है।

घ. 30 अधिकारियों को दिनांक 01.07.2023 से एमएमजीएस ग्रेड/स्केल–II में पदोन्नत किया गया है।

ङ) 21 प्रबंधक स्टाफ सदस्यों को दिनांक 01.07.2023 से एमएमजीएस ग्रेड/स्केल–III में पदोन्नत किया गया है।

च. 02 वरिष्ठ प्रबंधक स्टाफ सदस्यों को दिनांक 01.05.2023 से एसएमजीएस ग्रेड/स्केल–IV में पदोन्नत किया गया है, 01 वरिष्ठ प्रबंधक स्टाफ सदस्यों को दिनांक 01.06.2023 से एसएमजीएस ग्रेड/स्केल–IV में पदोन्नत किया गया है और 01 वरिष्ठ प्रबंधक स्टाफ सदस्यों को 01.08.2023 से एसएमजीएस ग्रेड/स्केल–IV में पदोन्नत किया गया है।

छ. 01 वरिष्ठ प्रबंधक स्टाफ सदस्य को दिनांक 01.05.2023 से एसएमजीएस ग्रेड/स्केल–V में पदोन्नत किया गया है।

ज समीक्षाधीन वर्ष के दौरान – 1073 स्टाफ सदस्यों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों/कार्यशालाओं में भाग लिया।

दिनांक 31.03.2024 के अनुसार संवर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	संवर्ग	महिला	पुरुष	कुल
1	कार्यपालक	2	27	29
2	अधिकारी	115	437	552
3	लिपिक	91	271	362
4	प्रबंधन प्रशिक्षु	19	42	61
5	अधीनस्थ कर्मचारी	3	129	132
6	अंशकालिक अधीनस्थ कर्मचारी	31	64	95
	कुल	**261**	**970**	**1231**

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरचना:

बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप है। बोर्ड के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके पास विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, वित्त, लेखा, कानून, आईटी और डिजिटल भुगतान, मानव संसाधन, प्रबंधन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में कौशल अनुभव और ज्ञान है, जैसा कि सभी लागू कानूनों के तहत विनिर्दिष्ट है।

सतत और संतुलित विकास प्राप्त करने की दृष्टि से, बैंक अपने रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के समर्थन में बोर्ड स्तर पर बढ़ती विविधता को एक आवश्यक तत्व के रूप में देखता है। एक विविध बोर्ड में निदेशकों के कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि, जाति, लिंग और अन्य गुणों में अंतर का अच्छा उपयोग होता है।

C. 10 Clerical Staff Members have been elevated to JMGS Grade/Scale- I w.e.f. 01.07.2023.

D. 30 Officers have been elevated to MMGS Grade/Scale- II w.e.f. 01.07.2023.

E. 21 Manager Staff Members have been elevated to MMGS Grade/Scale- III w.e.f. 01.07.2023.

F. 02 Senior Manager Staff Members have been elevated to SMGS Grade/Scale- IV w.e.f. 01.05.2023, 01 Senior Manager Staff Members have been elevated to SMGS Grade/Scale- IV w.e.f. 01.06.2023 & 01 Senior Manager Staff Members have been elevated to SMGS Grade/Scale-IV w.e.f. 01.08.2023

G. 01 Senior Manager Staff Member have been elevated to SMGS Grade/Scale- V w.e.f. 01.05.2023.

H. During the year under review – 1073 staff members attended various training programmes, seminars/workshops on the subject of immediate concern to the Bank.

Cadre wise break-up as on 31.03.2024 is as under:

S. No.	Cadre	Female	Male	Total
1	Executive	2	27	29
2	Officers	115	437	552
3	Clerks	91	271	362
4	Management Trainee	19	42	61
5	Sub-Ordinate Staff	3	129	132
6	Part Time Sub-Staff	31	64	95
	TOTAL	**261**	**970**	**1231**

Board of Directors

Composition of Board

The constitution of the Board is in conformity with relevant provisions of the Companies Act, 2013, Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India directives and Corporate Governance requirements. The Board members are persons of repute, having skills experience and knowledge in various sectors such as Banking, Finance, Accountancy, Law, IT & Digital Payments, Human Resource, Management, Agriculture & other areas as specified under all applicable laws.

With a view to achieve sustainable and balanced development, the Bank sees increasing diversity at the Board level as an essential element in supporting the attainment of its strategic objectives. A diverse Board includes and makes good use of differences in the skills, regional and industry experience, background, race, gender and other qualities of directors.

बैंक लगातार अपने बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने और कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का प्रयास करता है और बोर्ड रूम में विविधता के लाभों को पहचानता और स्वीकार करता है। कौशल, क्षेत्रीय और उद्योग के अनुभव, पृष्ठभूमि और अन्य गुणों सहित कई कारकों पर विचार करके विविधता सुनिश्चित की जाती है। विविधता पर अपने दृष्टिकोण को सूचित करते हुए, बैंक समय–समय पर अपने स्वयं के व्यवसाय मॉडल और विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर कारकों को भी ध्यान में रखता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड की संख्या –6– निदेशकों से कम नहीं थी और बैंक का बोर्ड किसी भी समय स्वतंत्र था, जैसा कि आरबीआई द्वारा अनिवार्य किया गया था। इसके अलावा, बोर्ड में अध्यक्ष एक गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक है।

निदेशकों का चयन और नियुक्ति

बैंक के निदेशकों का चयन और नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों और समय–समय पर संशोधित कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे के अनुसार की जाती है। नामांकन और पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में बोर्ड को उचित अनुशंसा करने से पहले, उनके कौशल सेट, ज्ञान, क्षेत्रीय और उद्योग अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी तथा उपयुक्त और उचित मानदंडों के पालन पर विचार करती है, जिसका उद्देश्य बोर्ड को ऐसे सदस्य प्रदान करना है जिनके पास बैंक के व्यावसायिक हितों की सेवा करने और बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विविध ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल हैं। निदेशक मंडल की नीति के अनुसार, एनआरएचआर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने से पहले निदेशक की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करता है और यह आकलन प्रतिवर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को किया जाता है।

बैंक के निदेशक अनुबंधों के विलेखों पर भी हस्ताक्षर करते हैं जो उन्हें बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त/पुनः नियुक्त होने के योग्य होने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए बाध्य करते है। निदेशकों द्वारा दिए गए फॉर्म/घोषणा/वचन/सहमति में बताई गई निर्धारित जानकारी एनआरसी के समक्ष और बाद में बोर्ड के समक्ष समीक्षा और पुष्टि के लिए रखी जाती है।

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन (नीति) के लिए उत्तराधिकार नियोजन नीति भी तैयार की है और उसे अपनाया है, जिसकी एनआरएचआर और बोर्ड द्वारा वार्षिक समीक्षा की जाती है। इस नीति का उद्देश्य, अन्य

The Bank continuously seeks to enhance the effectiveness of its Board and to maintain the highest standards of corporate governance and recognizes and embraces the benefits of diversity in the boardroom. Diversity is ensured through consideration of a number of factors, including but not limited to skills, regional and industry experience, background and other qualities. In informing its perspective on diversity, the Bank also take into account factors based on its own business model and specific needs from time to time.

During the period under reference, the strength of the Board was not less than -6- Directors and the Board of the Bank was Independent at all point of time, as mandated by RBI. Further, the Chair on the Board is a Non-Executive Independent Director.

Selection and Appointment of Directors

The selection and appointment of Directors of the Bank is done in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, the Guidelines issued by the RBI and as per Corporate Governance Frameworks, as amended, from time to time. The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record, expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment/re-appointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the NRHR assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment/re-appointment as a Director of the Bank and annually i.e. as at 31st March every year.

The Directors of the Bank also sign the deed of covenants which binds them to discharge their responsibilities to the best of their abilities, individually and collectively in order to be eligible for being appointed/re-appointed as a Director of the Bank. The prescribed information as stated in the forms/declarations/undertakings/consent given by the Directors are placed before the NRC and subsequently to the Board, for its review and confirmation.

The Bank has also formulated and adopted the Succession Planning Policy for the Board of Directors and Senior Management (Policy) which has been subjected to an annual

बातों के साथ–साथ, बैंक के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशकों, प्रबंध निदेशक और सीईओ (एमडी और सीईओ), प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पदों के लिए समय–समय पर उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का मूल्यांकन, पहचान और नामांकन करना, उक्त भूमिकाओं के उत्तराधिकारों की योजना बनाना और आसन्न स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र या अचानक बाहर निकलने या किसी भी कारण से ऐसी भूमिकाओं, वर्तमान या नामित उत्तराधिकारियों, भूमिका जवाबदेही में महत्वपूर्ण बदलाव, व्यापार मापदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव और भूमिका धारक या उत्तराधिकारी की आकांक्षा में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्तियों को भरना है।

बोर्ड की संरचना में परिवर्तन

वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, बैंक के बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए –

1. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार, निदेशक मंडल ने दिनांक 23 फरवरी, 2023 से बैंक के गैर–कार्यकारी–अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री संजीव डोभाल (डीआईएन 10055078) की नियुक्ति का अनुमोदन किया और दिनांक 27 सितंबर, 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा उन्हें नियमित किया गया। उनका कार्यकाल –8– वर्ष की अवधि या बैंक ऑफ बड़ौदा में सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, के लिए था। उक्त अवधि के दौरान, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (13) के प्रावधानों के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल बैंक) द्वारा बॉब कैप्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में उनकी पदस्थापना के कारण, श्री संजीव डोभाल ने दिनांक 25 जुलाई, 2023 से बैंक के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है।

2. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की अनुशंसा के अनुसार, निदेशक मंडल ने श्री गोपाल सिंह गुसाईं (03522170) को दिनांक 19 दिसंबर, 2023 से बैंक के गैर–कार्यकारी–अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद धारण करने के लिए नियुक्त करने का अनुमोदन दिया। उनका कार्यकाल 75 वर्ष की अधिकतम आयु प्राप्त करने की तिथि/लगातार पांच (5) वर्ष/आठ (8) वर्ष पूरे होने की तिथि तक के लिए था और वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उपर्युक्त के अधीन, एक बार जब वे (5) पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, तो उनकी पुनर्नियुक्ति साधारण/विशेष संकल्प द्वारा सदस्यों द्वारा अनुमोदन और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और मौजूदा दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

review by the NRHR and the Board. The objective of the Policy is to inter alia assess, identify and nominate suitable candidates to fill vacancies that may arise for positions of the Non-Executive Chairperson, Independent Directors, Managing Director & CEO (MD & CEO), Key Managerial Personnel and other Senior Officials of the Bank from time to time, to plan for succession of the said roles and to fill any vacancies that may arise out of impending move or retirement or resignation or sudden exit or for any reason whatsoever in such roles, incumbent or named successors, significant changes in role accountabilities, substantive changes in the business parameters and changes to the role holder or successor's aspiration.

Changes in the composition of Board

During the year and upto the date of this report, the following changes took place in the composition of the Board of the Bank:-

1. Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors approved the appointment of Mr. Sanjeev Dobhal (DIN 10055078) as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank w.e.f. February 23, 2023 and was regularized by shareholders in the Annual General Meeting held on September 27, 2023. His tenure was for a period of -8- Years or superannuation in Bank of Baroda, whichever is earlier. During the said period, he was liable to retire by rotation, in terms of the provisions of Section 149 (13) of the Companies Act, 2013. Further, due to his posting as MD & CEO of BOB Caps Limited by Bank of Baroda (Parent Bank), Mr. Sanjeev Dobhal has re-signed w.e.f. July 25, 2023 from the Board of the Bank.

2. Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors approved the appointment of Mr. Gopal Singh Gusain (03522170) as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank w.e.f. December 19, 2023 to hold office as such upto the date of the Annual General Meeting. His tenure was for a period upto the date on which he attains upper age of 75 years/five (5) consecutive years/the date of completion of eight (8) years and shall not be liable to retire by rotation in terms of Section 152(6) of Companies Act, 2013. Subject to above, once he completes a term of (5) five years, his re-appointment is subject to the approval by the members by ordinary/special resolution and having regard to the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and the extant guidelines."

निदेशक की स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड

एक निदेशक की स्वतंत्रता का मानदंड कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित शर्तों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें वह एक निदेशक के रूप में भाग लेता है और उसके बाद की पहली बैठक में प्रत्येक वित्त वर्ष में बोर्ड या जब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जो एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो घोषणा करें कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह कहते हुए अपेक्षित घोषणाएं प्रस्तुत की हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के प्रावधानों के तहत स्वतंत्रता के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, जिन्हें बोर्ड के समक्ष रखा गया था। बोर्ड ने इसकी सत्यता का उचित मूल्यांकन करने के बाद, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता की घोषणा की पुष्टि की है और रिकॉर्ड में लिया है। बोर्ड की राय में, सभी स्वतंत्र निदेशक उक्त मानदंडों के तहत विशिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

प्रदर्शन का मूल्यांकन

बैंक अध्यक्ष, एमडी और सीईओ, बोर्ड और इसकी समितियों सहित निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने निष्पादन मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया और मानदंड तैयार किया है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

मानदंड जिसके तहत निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी:

गंभीर मुद्दों को बैंक के समक्ष उठाना, गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा; स्वतंत्र प्रतिपादन; निष्पक्ष राय और बैठकों में मुद्दों का समाधान; बैंक के लिए नए विचारों और योजना के संदर्भ में पहल; सतर्कता तंत्र के तहत व्हिसल ब्लोअर के हितों की रक्षा करना; बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट, यदि कोई हो; बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने में योगदान; जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण की समीक्षा करना।

एमडी और सीईओ के कार्यनिष्पादन के लिए मापदंड निम्नानुसार है

बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति और भागीदारी; नेतृत्व की पहल और गंभीर मुद्दों को बोर्ड के समक्ष उठाना; गोपनीय जानकारी की सुरक्षा; स्वतंत्र प्रतिपादन; निष्पक्ष राय और बैठकों में मुद्दों का समाधान; बैंक के लिए नए विचारों और योजना के संदर्भ में पहल; सतर्कता तंत्र के तहत व्हिसल ब्लोअर के हितों की रक्षा करना; बोर्ड और समिति की बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट, यदि कोई हो; वित्तीय विवरणों की समीक्षा; व्यावसायिक प्रदर्शन और

Criteria for determining Independence of a Director

The criteria of independence of a director is determined based on conditions as laid down in the Companies Act, 2013. The Independent Director shall at the first meeting of the Board in which he/she participates as a director and thereafter at the first meeting of the Board in every Financial Year or whenever there is any change in the circumstances which may affect his/her status as an independent director, give a declaration that he/she meets the criteria of independence.

All the Independent Directors of the Bank have submitted the requisite declarations stating that they meet the criteria prescribed for independence under the provisions of Section 149 (6) of the Companies Act, 2013 which were placed before the Board. The Board has confirmed and taken on record the declaration of Independence provided by the Independent Directors, after undertaking due assessment of the veracity of the same. In the opinion of the Board, all the Independent Directors fulfil the conditions specific under the said norms and are independent of the Management.

Performance Evaluation

The Bank evaluates the performance of the Directors including Chairman, MD & CEO, Board and its Committees. Considering the said provisions, the Bank has devised the process and the criteria for the performance evaluation which has been approved by the Board.

The criteria under which performance of Directors is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings:

Raising of concerns to the Board. Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle -blowers under vigil mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of risk assessment and risk mitigation.

The criteria under which the performance of MD & C.E.O. is Evaluated

Attendance and participations in Board & Committee Meetings; Leadership initiative and raising of concerns to the Board; Safeguard of confidential information; Rendering independent; Unbiased opinion and resolution of issues at meetings; Initiative in terms of new ideas and planning for the Bank; Safeguarding interest of whistle-blowers under vigil

रणनीतिक निर्णय लेने में योगदान; बैंक की ब्रांड छवि को बढ़ाने में योगदान; जोखिम मूल्यांकन और जोखिम न्यूनीकरण की समीक्षा; बैंक में मानव संसाधन पहल; बैंक की नीतियों का अनुपालन; नैतिकता, आचार संहिता आदि; धोखाधड़ी, उल्लंघन आदि की रिपोर्टिंग; बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के प्रदर्शन की समीक्षा; बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन की समीक्षा करना।

मानदंड जिसके तहत समितियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

बैठकों की संख्या, एजेंडों पर उचित मूल्यांकन और विचार–विमर्श, समिति की बैठकें इस तरह से आयोजित की जाती हैं जो खुले संचार को सार्थक भागीदारी और मुद्दों के समय पर समाधान, बैठकों के कार्यवृत्त पर समय पर इनपुट को प्रोत्साहित करती हैं।

मानदंड जिसके तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।

बैंक का निदेशक मंडल निर्णय लेने में प्रभावी है; निदेशक मंडल एक कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना विकसित करने में प्रभावी है जो बोर्ड को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति देता है और प्रोत्साहित करता है; भौतिक जोखिमों की पहचान करने और नीतियों और कानून के सामग्री उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बैंक की नियंत्रण प्रणाली प्रभावी है; बोर्ड नियमित आधार पर बताए गए मिशन को पूरा करने में संगठन के प्रदर्शन की समीक्षा करता है; निदेशक मंडल कंपनी के प्रबंधन को आवश्यक सलाह और सुझाव प्रदान करने में प्रभावी है, क्या बोर्ड पूरी तरह से विनियामक वातावरण और बाजार में नवीनतम विकास के साथ अद्यतित है? निदेशकों को बोर्ड की बैठकों से पहले प्रदान की गई जानकारी रुपरेखा और विवरण के संदर्भ में आपकी अपेक्षाओं को पूरा करती है; बोर्ड की बैठकें इस तरह से आयोजित की जाती हैं जो खुले संचार, सार्थक भागीदारी और मुद्दों के समय पर समाधान को प्रोत्साहित करती हैं; बोर्ड के अध्यक्ष प्रभावी ढंग से और उचित रूप से बोर्ड की बैठकों और बोर्ड की नीति और शासन कार्यों का नेतृत्व और सुविधा प्रदान करते हैं; बोर्ड आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन की प्रतिक्रियाओं और सुधार की दिशा में कदमों पर उचित रूप से विचार करता है; बोर्ड चयन से समाप्ति तक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की भूमिका की देखरेख करता है और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की योग्यता और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया है; बोर्ड स्वतंत्र लेखापरीक्षा योजना पर विचार करता है और सिफारिशें प्रदान करता है।

mechanism; Timely inputs on the minutes of the meetings of the Board and Committee's, if any; Review of financial statements; Driving business performance and contribution to strategic decision making; Contribution to the enhancement of brand image of the Bank; Review of Risk Assessment and Risk Mitigation; Human Resource Initiatives in the Bank; Compliance with policies of the Bank; Ethics, code of conduct etc.; Reporting of frauds, violation etc.; Review of performance Senior Management of the Bank; Overall performance of the Bank.

The criteria under which the performance of Committees is Evaluated

Number of Meetings, Proper evaluation and deliberation on the agendas, Committee Meetings are conducted in a manner that encourages open communication meaningful participation and timely resolution of issues, Timely inputs on the Minutes of the Meetings.

The criteria under which the performance of Board is evaluated by Independent Directors

The Board of Directors of the Bank is effective in decision making; The Board of Directors is effective in developing a corporate governance structure that allows and encourages the Board to fulfil its responsibilities; The Bank's systems of control are effective for identifying material risks and reporting material violations of policies and law; The Board reviews the organization's performance in carrying out the stated mission on a regular basis; The Board of Directors is effective in providing necessary advice and suggestions to the Company's management, Is the Board as a whole up to date with latest developments in the regulatory environment and the market? The information provided to Directors prior to Board Meetings meets your expectations in terms of length and level of detail; Board meetings are conducted in a manner that encourages open communication, meaningful participation, and timely resolution of issues; The Board Chairman effectively and appropriately leads and facilitates the Board meetings and the policy and governance work of the Board; The Board appropriately considers internal audit reports, management's responses, and steps towards improvement; The Board oversees the role of the Independent Auditor from selection to termination and has an effective process to evaluate the Independent Auditor's qualifications and performance; The Board considers the Independent Audit plan and provides recommendations.

बैठकें

वार्षिक आम बैठक – वित्त वर्ष 2022–23 के लिए बैंक की वार्षिक आम बैठक दिनांक 28 सितंबर, 2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें –6– एजेंडे बैंक के सदस्यों के समक्ष रखे गए और उन्हें निम्नानुसार अनुमोदित किया गया –

साधारण व्यवसाय

1. दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को भी उन्हें अपनाना।

2. दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति इक्विटी शेयर 0.60/– रुपये (प्रत्येक 10/– रुपये के अंकित मूल्य का 6%) का लाभांश घोषित करना।

3. श्री निखिल मोहन (डीआईएन 09655509) के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, उन्होंने पुनः नियुक्ति के लिए खुद को पेश किया है।

4. मेसर्स ए आर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 002744सी) को बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में विचार करना और नियुक्त करना तथा यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना।

विशेष कार्य

5. श्री राकेश नेमा (डीआईएन 07207816) को गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

6. बैंक में शाखा सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

101वीं वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त तथा जांचकर्ता की रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

असाधारण आम बैठक – वित्त वर्ष 2023–24 में कोई असाधारण आम बैठक नहीं हुई।

पोस्टल बैलेट – वित्त वर्ष 2023–24 में अनुमोदन के लिए शेयरधारकों को दिनांक 08 फरवरी, 2024 को एक पोस्टल बैलेट भेजा गया, जिसके एजेंडे इस प्रकार हैं –

एसोसिएशन का ज्ञापन (एमओए)

जोड़ा गया	औचित्य
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 (ण)	यह बैंक को उन गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है जिनकी अनुमति समय–समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी जा सकती है।
गारंटियाँ, बीमा उत्पाद, कार्ड	चूंकि मौजूदा खंड में इनका विस्तार से वर्णन नहीं किया गया था, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि इसे अधिक विस्तृत और स्पष्ट किया जाए।

Meetings

Annual General Meeting - The Annual General Meeting of the Bank for FY 2022-23 was held on September 28, 2023 wherein, -6- agendas were placed before the members of the Bank and were approved as under -

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31st March 2023, together with the report of the Directors and Auditors thereon.

2. To declare dividend of ₹ 0.60/- per equity share (6% of the Face Value of ₹10/- each) for the Financial Year ended 31st March 2023.

3. To appoint a Director in place of Mr. Nikhil Mohan (DIN 09655509) who retires by rotation and being eligible, has offered himself for re-appointment.

4. To consider and appoint M/s A R & Company, Chartered Accountants (FRN 002744C) as the Central Statutory Auditors of the Bank and if thought fit, to pass with or without modification(s).

Special Business

5. To appoint Mr. Rakesh Nema (DIN 07207816) as Non-Executive Non-Independent Director.

6. To appoint Branch Statutory Auditors in the Bank.

The minutes of the 101st Annual General Meeting along with Scrutinizer's report is available on the Bank's website.

Extra Ordinary General Meeting - There was no Extra Ordinary General Meeting in the FY 2023-24.

Postal Ballot - There was one Postal Ballot circuited on 08 February, 2024 to shareholders for approval in FY 2023-24 with following agendas summarized as under -

Memorandum of Association (MOA)

Additions	Justifications
Section 6 (o) of Banking Regulation Act, 1949	It enables the Bank to carry out activities which may be permitted by RBI from time to time.
Guarantees, Insurance Products, Cards	As these were not being elaborated in the existing clause, therefore, it was felt necessary it to be more detailed and expressive.

जोड़ा गया	औचित्य
खण्ड ख का जोड़ – मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक बातें	पेमेंट गेटवे, मोबाइल बैंकिंग, टेलर मशीन, यूटिलिटी बिल, विभिन्न सदनों के सदस्य, संविदात्मक रोजगार, संयुक्त उद्यम – सहायक कंपनियों की स्थापना, दान। हालाँकि इनमें से कई को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और अधिदेशों, संबंधित अधिनियमों द्वारा अनुमति दी जा रही है, लेकिन इनके लिए भी एमओए में संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है। चूंकि एनबीएल ने जोखिम निवारक के रूप में निदेशकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए निदेशकों के लिए एक नीति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है, इसलिए, इस खंड को शामिल किया जाना आवश्यक है।
बैंक की प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि	चूंकि राइट्स इश्यू 2023 के दौरान एनबीएल ने बफर में से लगभग 4 करोड़ नए शेयर जारी किए थे, इसलिए बोर्ड ने आगे चलकर अधिकृत पूंजी बढ़ाने की सलाह दी। चूंकि बैंककारी विनियमन, अधिनियम की धारा 12 में कहा गया है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी भारत में तब तक कारोबार नहीं करेगी, जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है, अर्थात – कंपनी की सब्सक्राइब्ड पूंजी अधिकृत पूंजी के आधे से कम नहीं है, और चुकता पूंजी सब्सक्राइब्ड पूंजी के आधे से कम नहीं है और यदि पूंजी में वृद्धि होती है, तो वह इस खंड में निर्धारित शर्तों को ऐसी अवधि के भीतर पूरा करती है जो रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत दो वर्ष से अधिक नहीं हो; इसलिए, एनबीएल ने अधिकृत पूंजी को ₹ 150 करोड़ से बढ़ाकर (15,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित करके) ₹ 230 करोड़ करने का प्रस्ताव किया है, जो 23 करोड़ शेयर में विभाजित है जबकि वर्तमान चुकता पूंजी ₹ 117,44,62,500.00 है जो 11.74 करोड़ शेयर में जारी की गई है।

Additions	Justifications
Addition of Clause B - Matters necessary for furtherance of the main objective	Payment Gateways, Mobile Banking, Teller Machines, Utility Bills, Members of various Houses, Contractual Employment, Establishing JV's - Subsidiaries, Donations. Though many of these are being allowed by RBI circulars & mandates, respective Acts, but these may also require reference in the MOA also. As NBL has proposed to provide a Policy for Directors for Indemnifying Directors as Risk Mitigant, therefore, this clause is necessary to be included.
Increasing the Authorized Capital of the Bank	As during the Rights Issue 2023 NBL had issued around 4 Crore new shares out of the buffer, therefore, it was advised by the Board to increase the Authorized Capital going forward. As Section 12 of BR Act stated that No banking company shall carry on business in India, unless it satisfies the following conditions, namely - that the subscribed capital of the company is not less than one-half of the authorised capital, and the paid-up capital is not less than one-half of the subscribed capital and that, if the capital is increased, it complies with the conditions prescribed in this clause within such period not exceeding two years as the Reserve Bank may allow; Therefore, NBL propose to increase the Authorized Capital from ₹ 150 Crore divided into (15,00,00,000 Equity Shares) to ₹ 230 Crore divided into 23 Crore Equity Shares as the Present Paid - UP Capital is ₹ 117,44,62,500.00 by issuing around 11.74 Crore shares.

संस्था के अंतर्नियम

धारा 83 में परिवर्धन	डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए प्रावधान को सक्षम करने के लिए। इसके अलावा, अन्य सभी विनियामक नियुक्तियों के लिए – अधिनियम और लागू परिपत्रों के अनुसार प्रावधानों का पालन किया जा रहा था, लेकिन हटाने का खंड आवश्यक था जिसके अनुसार नियुक्तियों के ऐसे वर्गों को केवल बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाना आवश्यक था। इसलिए, एओए में खंड और पैरा को शामिल करना आवश्यक था। भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार संशोधन प्रस्तावित किया जा रहा है।

Articles of Association (AOA)

Addition to Clause 83	For enabling the provision for appointment of WTD. Further, for all other regulatory appointments - provisions were being followed as per Act and applicable circulars, but the removal clause was necessary which required that such classes of appointees to be removed by Board Resolution only. Therefore, the insertions of the clause and para was necessary in the AOA. The amendment is being proposed as per the directions of RBI.

लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, डाक मतपत्र को दिनांक 10 मार्च, 2024 को मंजूरी दी गई और जांचकर्ता की रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त डाक मतपत्र के संबंध में – मद संख्या 1 जो कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले मुख्य उद्देश्यों में संशोधन से संबंधित है, को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एजेंडा आइटम के खिलाफ मतदान किया और तदनुसार एमओए और एओए संशोधित हो गया। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन विभाग ने दिनांक 27 मार्च, 2024 को बैंक को निम्न के बारे में सूचित किया है – i. खंड 83 के परिचयात्मक पैराग्राफ में एक प्रावधान जोड़ने के लिए ii. 'सीईओ'/'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' शब्द को हटाने या इसे 'एमडी और सीईओ'/प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी' से बदलने के लिए जहां भी लागू हो, जिसे आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वर्तमान बैठक में पेश किया जा रहा है।

बोर्ड की बैठकें – बैंक दो महीनों में कम से कम –1– एक बोर्ड की बैठक और एक वर्ष में न्यूनतम –6– छह बोर्ड की बैठकों को आयोजित करता है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, नौ (9) बोर्ड की बैठकें बुलाई गई और आयोजित की गईं। बोर्ड के बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 और लागू विनियमों के तहत विनिर्धारित अवधि के भीतर था। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले अनुलग्नक में दिया गया है।

समिति की बैठकें – बैंक के बोर्ड की –11– ग्यारह उप–समितियाँ हैं, जिनके नाम हैं – बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी); बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी); नामांकन और पारिश्रमिक तथा मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर); बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी); हितधारकों के संबंध समिति (एसआरसी); आईटी रणनीति और डिजिटल संवर्धन समिति (आईटी एंड डी); विलफुल डिफॉल्टर समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीसी); गैर–सहकारी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीसी); कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर); वसूली समिति (आरसी); बड़ी मूल्य धोखाधड़ी समिति (एलवीएफसी)। वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले अनुलग्नक में दिया गया है। लार्ज वैल्यू फ्रॉड कमेटी (एलवीएफसी) वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुलग्नक में दिया गया है।

पूंजी संरचना

वर्ष के दौरान, बैंक में पूंजी निवेश हुआ, हालांकि, बैंक की पूंजी संरचना अपरिवर्तित रही। दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बैंक का श्रेणीवार शेयरधारिता पैटर्न निम्नानुसार था–

संरचना विवरण	% शेयरों की	मूल्य
1. प्राधिकृत पूंजी	100.00%	2300000000
निर्गमित पूंजी	51.06%	1174462500
प्रदत्त पूंजी	51.06%	1174462500
2. शेयरहोल्डिंग	% शेयरों की	शेयरों

As per applicable ruled and regulations, the Postal Ballot was approved on March 10, 2024 and the Scrutinizer's Report is available on Bank's Website.

In relation to the above Postal Ballot - Item No. 1 which relates to the amendments to the Main Objects to be pursued by the Company was declined by Bank of Baroda as they voted against the agenda item and accordingly the MOA & AOA stands amended. Further, Department of Regulation, Reserve Bank of India vide communicated dated March 27, 2024 has advised the Bank - i. to add a proviso to the introductory paragraph of Clause 83 ii. to either remove the term 'CEO'/'Chief Executive Officer' or replace it with 'MD & CEO'/Managing Director & Chief Executive officer' wherever applicable which is being tabled in the present meeting for seeking necessary approvals.

Board Meeting - Bank holds atleast -1- One Board Meeting in Two Months and minimum -6- Six Board Meetings in a Year. During the Financial Year under review, Nine (9) Board Meetings were convened and held. The intervening gap between the Board Meetings was within the period prescribed periods under the Companies Act, 2013 and applicable Regulations. The details of the meetings held during the year are set out in the annexure forming part of this Report.

Committee Meetings - Bank is having -11- Eleven Sub-Committee of Board namely - Audit Committee of Board (ACB); Risk Management Committee of Board (RMCB); Nomination and Remuneration and Human Resource Committee (NRHR); Management Committee of Board (MCB); Stakeholders' Relationship Committee (SRC); IT Strategy & Digital Promotion Committee (IT & D); Willful Defaulter Review Committee (WDC); Non-Cooperative Borrower Review Committee (NCBC); Corporate Social Responsibility Committee (CSR); Recovery Committee (RC); Large Value Fraud Committee (LVFC). The details of the meetings held during the year are set out in the annexure forming part of this Report.

Capital Structure

During the year, there was a capital infusion in the Bank, however, the capital structure of the Bank remained unchanged. The category wise Shareholding Pattern of the Bank, as on 31st March, 2024, was as under -

Composition particulars	% of shares	Amount
1. Authorised Capital	100.00%	2300000000
Issued Capital	51.06%	1174462500
Paid-up-Capital	51.06%	1174462500
2. Share Holding	% of shares	Shares

संरचना विवरण	% शेयरों की	मूल्य
I) भारत सरकार	0.00%	0
II) बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई)	98.57%	115769967
III) बीमा कंपनी	0.00%	0
IV) (म्युचुअल फंड) एमएफ/युनाइटेड ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (यूटीआई)	0.00%	0.00
V) अनिवासी (विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)/विदेशी वाणिज्यिक निकाय (ओसीबी)/गैर निवासी भारतीय (एनआरआई)/जीडीआर)	0.00%	0.00
VI) निजी कॉर्पोरेट	0.05%	36256
VII) अन्य/रिटेल वैयक्तिक	1.37%	1629594
VIII) आईईपीएफ	0.01%	10433
कुल	**100%**	**117446250**

बैंक के पास एक पूंजी संरचना है जहां बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 98.57% हिस्सेदारी है। इस शेयरधारिता को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष मामले के रूप में अनुमति दी गई है। बैंक के बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 धारा 19 (2), मास्टर निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (बैकिंग कंपनियों में शेयरों या मतदान अधिकारों का अधिग्रहण और धारण) निर्देश, 2023 और इस समय लागू अन्य कानूनों के अनुपालन के अधीन हैं।

लाभांश

लाभांश के रूप में लाभ के वितरण के लिए बैंक आरबीआई के परिपत्र का पालन करता है। लाभांश वितरण संरचना में भविष्य के विकास को समर्थन देने के लिए आवश्यक पूंजी को बनाए रखते हुए लाभांश के माध्यम से शेयरधारकों को पुरस्कृत करना शामिल है। भारत में मौजूदा यूनिवर्सल बैंकों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ के संबंध में नियामक आवश्यकता (आरबीआई की 26 नवंबर, 2021 की प्रेस विज्ञप्ति) की अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कोई लाभांश प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है। यह लाभ प्रतिधारण बैंक की पूंजी वृद्धि में मदद करेगा और वैकल्पिक रूप से उक्त निर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रमुख शेयरधारक होने की क्षमता में बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल बैंक) के साथ भी मामला उठाया गया है।

जमाराशि

एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5) (v) और (vi) के तहत जमाराशि से संबंधित प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

पारिश्रमिक नीति

बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके

Composition particulars	% of shares	Amount
I) Govt of India	0.00%	0
II) Banks/Financial Institution (FI)	98.57%	115769967
III) Insurance Co	0.00%	0
IV) (Mutual Funds) MFs/ United Trust of India (UTI)	0.00%	0.00
V) Non Residents (Foreign Institu-tional Investors (FIIs)/Overseas Commercial Bodies (OCBs)/Non-resident Indian (NRI)/GDRs)	0.00%	0.00
VI) Private Corporate	0.05%	36256
VII) Others/Retail Individuals	1.37%	1629594
VIII) IEPF	0.01%	10433
Total	**100%**	**117446250**

Bank is having a capital structure where Bank of Baroda is holding 98.57% stake. This shareholding has been permitted by Reserve Bank of India as a special case. Banks are subject to compliance of section 19 (2) of The Banking Regulation Act, 1949, Master Direction Reserve Bank of India (Acquisition and Holding of Shares or Voting Rights in Banking Companies) Directions, 2023 and other laws applicable for the time being in force.

Dividend

The Bank adheres to RBI's Circular for distribution of profit in the form of Dividend. The Dividend Distribution structure encompasses rewarding shareholders through dividends while retaining the capital required for supporting its future growth. For ensuring compliance of the regulatory requirement (RBI press release of November 26, 2021) w.r.t minimum Net Worth for existing Universal Banks in India, no dividend is being proposed for FY 2023-24. This profit retention will help the Bank in capital augmentation and alternatively the matter has been also taken up with Bank of Baroda (Parent Bank) in the capacity of being the major shareholder, for complying with the said RBI directions.

Deposits

Being a Banking Company, the disclosures relating to deposits as required under Rule 8(5) (v) & (vi) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, read with Sections 73 and 74 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Bank.

Remuneration Policy

The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy

अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित नियमों और इस संबंध में आरबीआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंक के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष और गैर–कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की है और उसे अपनाया है।

- **गैर–कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष का पारिश्रमिकः**

नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड को अध्यक्ष के पारिश्रमिक (मानदेय) की सिफारिश करती है, जिसे बैंक के सदस्यों के अनुमोदन और लागू विनियामक अनुमोदन के अधीन बोर्ड द्वारा माना और अनुमोदित किया जाता है। अध्यक्ष को देय पारिश्रमिक (मानदेय) भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के अधीन है। इसलिए, पारिश्रमिक (मानदेय) या उसमें कोई संशोधन भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही अध्यक्ष को देय होता है। अध्यक्ष बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति के भी हकदार हैं। निदेशक मंडल या उसकी किसी भी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के अलावा, अध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक और सदस्यों द्वारा दिए गए अंतिम अनुमोदन के अनुसार प्रति वर्ष 8.40 लाख रुपये के मानदेय के हकदार हैं।

- **बोर्ड, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

बोर्ड,प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक के सम्बन्ध में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों पर विचार करता है और बैंक के सदस्यों के अनुमोदन और लागू विनियामक अनुमोदन के अधीन संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक को मंजूरी देता है। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय पारिश्रमिक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमोदन के अधीन है और इसलिए पारिश्रमिक या पारिश्रमिक में संशोधन उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही देय है। इसके अलावा, मौजूदा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय पारिश्रमिक उनके कैडर में लागू आईबीए नियमों के अनुसार है।

- **गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों (एनईआईडी) का पारिश्रमिक**

गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों (एनईडी) को देय पारिश्रमिक पॉलिसी द्वारा शासित होता है और वर्तमान में बैंक केवल अपने स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क के रूप में प्रति समिति की बैठकों में ₹ 20,000.00 और प्रति बोर्ड बैठकों के लिए ₹ 35,000.00 का भुगतान कर रहा है।

संबंधित पार्टी लेनदेन

वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों, प्रबंधन या निदेशकों/प्रबंधन

for Non-Executive Chairperson and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.

- **Remuneration of Non-Executive Independent Chairman**

The Nomination & Remuneration Committee recommends the remuneration (honorarium) of the Chairman to the Board which is considered and approved by the Board subject to the approval of members of the Bank and applicable regulatory approval. The remuneration (honorarium) payable to the Chairman is subject to prior approval of the Reserve Bank of India. Therefore, the remuneration (honorarium) or any revision therein is payable to the Chairman only post receipt of the approval from the Reserve Bank of India. The Chairman is also entitled to reimbursement of expenses for participation in the meetings of the Board and Committees thereof. Apart from the payment of sitting fees for attending meeting of the Board of Directors or any Committees thereof, the Chairman is entitled to a honorarium of ₹ 8.40 Lac per annum as per the last approval granted by the Reserve Bank of India and the members.

- **Remuneration of Managing Director and Chief Executive Officer**

The Board considers the recommendations of Nomination & Remuneration Committee and approves the remuneration of the Managing Director and Chief Executive Officer , with or without modifications, subject to the approval of Members of the Bank and applicable regulatory approval. The remuneration payable to the Managing Director and Chief Executive Officer is subject to prior approval of the Reserve Bank of India and hence the remuneration or revision in remuneration is payable to them only post receipt of the approval from the Reserve Bank of India. Further, the remuneration payable to existing Managing Director and Chief Executive Officer is as per IBA rules as applicable in his cadre.

- **Remuneration of Non-Executive Independent Directors (NEIDs)**

The remuneration payable to Non-Executive Independent Directors (NEDs) is governed by the Policy and presently the Bank is paying ₹ 20,000.00 per committee meetings and ₹ 35,000.00 per Board Meetings as Sitting Fees to its Independent Directors only.

Related Party Transactions

During the year, the Bank has not entered into any materially

के रिश्तेदारों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक और इन पक्षों के बीच हितों के टकराव की संभावना पैदा कर सकता है, यह लेनदेन उसके सामान्य व्यवसाय के दौरान किए गए लेनदेन के अलावा है। बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम में संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था। संबंधित पक्षों के साथ कोई लेन–देन दर्ज नहीं किया गया था, जो बैंक के व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं थे, न ही संबंधित पार्टियों या अन्य के साथ कोई लेन–देन थे, जो एक हाथ की लंबाई के आधार पर नहीं थे। वित्त वर्ष की शुरुआत में उनकी समीक्षा के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष सभी संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण देने वाला एक विवरण दिया गया है, जो इस प्रकार प्रदान की गई सर्वव्यापक मंजूरी के अनुसार दर्ज किया गया है।

significant transactions with its Promoters, Directors, Management or Relatives of the Directors/Management, which could lead to potential conflict of interest between the Bank and these parties, other than transactions entered into in the ordinary course of its business. Transactions entered into by the Bank with related parties in the normal course of its business were placed before the Audit Committee of Board. There were no transactions entered with related parties, which were not in the normal course of the business of the Bank, nor were there any transactions with related parties or others, which were not on an arm's length basis. A statement giving details of all related party transactions, entered pursuant to the omnibus approval so granted, is placed before the Audit Committee of Board for their review at the beginning of the Financial Year.

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(11), उप–धारा (1) को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधान अपने व्यवसाय को सामान्य प्रक्रिया में बैंकिंग द्वारा दिए गए ऋण,गारंटी या सुरक्षा पर लागु नहीं होते हैं।

बैंक द्वारा किए गए निवेश का विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार ड्ढ•त्त्श्ष्ट विवरणों की अनुसूची 8 में प्रकट किया गया है।

Particulars of Loans, Guarantees and Investments

Pursuant to Section 186(11) of the Companies Act, 2013, the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of its business.

The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the Financial Statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत सूचना

बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है।

Information under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

The Bank has complied with the provisions relating to the constitution of Internal Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 में निहित प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक श्री निखिल मोहन (प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी), श्री महेश गोयल (मुख्य वित्तीय अधिकारी) और श्री विवेक साह (कंपनी सचिव) बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं/थे।

बोर्ड, विनियामक और बैंक की आवश्यकता के अनुसार यथा अधिदेशित, 31 मार्च, 2024 को निम्नलिखित व्यक्ति बैंक में प्रमुख पदों पर हैं–

डॉ. दीपक पंत – मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), श्री पुष्कर दत्त भट्ट – उपाध्यक्ष (प्रमुख – वसूली), श्री महेश जिंदल – मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ), श्री दीपक सिंह बिष्ट – मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ), श्री सचिन कुमार – मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), श्री मुकुल सनवाल– एसोसिएट उपाध्यक्ष (हेड क्रेडिट), श्री दीपक सनवाल – एसोसिएट वाइस

Key Managerial Personnel

In terms of provisions contained in Section 203 of Companies Act 2013, as on March 31, 2024 Mr. Nikhil Mohan (Managing Director and Chief Executive Officer), Mr. Mahesh Goyal (Chief Financial Officer) and Mr. Vivek Sah (Company Secretary) are/were the Key Managerial Personnel's of the Bank.

As mandated by the Board, Regulator and Bank's requirement, the following hold the key positions in the Bank as on 31 March' 2024.

Dr. Deepak Pant - Chief Operating Officer (COO), Mr. Pushkar Dutt Bhatt - Vice President (Head - Recovery), Mr. Mahesh Jindal -Chief Compliance Officer (CCO), Mr. Deepak Singh Bisht - Chief Technology Officer (CTO), Mr. Sachin Kumar - Chief Risk Officer (CRO), Mr. Mukul Sanwal-Associate Vice

प्रेसिडेंट (हेड सीआईएडी), श्री राहुल प्रधान – उपाध्यक्ष (हेड–ऑपरेशंस), प्रवीण सिंह बिष्ट – मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), श्री संजय गुप्ता (हेड एचआर एंड लीगल) और श्री गौरव शर्मा – मुख्य डिजिटल अधिकारी (सीडीओ)।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत की जाने वाली हरित पहल

इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कागज रहित अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में ''हरित पहल'' की शुरुआत की गई थी। यह दस्तावेजों के शीघ्र संचार की सुविधा और डाक पारगमन में वैधानिक दस्तावेजों के नुकसान से बचने के लिए है। इस संबंध में, हमने उन शेयरधारकों को ई–मेल भेजने की पहल की है, जिन्होंने बैंक के साथ अपने ई–मेल पते पंजीकृत किए हैं और उन्हें बैंक की वेबसाइट पर एक लिंक के साथ सुविधा प्रदान की है, जो बैंक के दस्तावेजों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है जैसे कि वार्षिक सूचना आम बैठक, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट आदि शामिल हैं, ताकि बैंक के शेयरधारकों के लिए वैधानिक दस्तावेजों तक पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुसार, एक कंपनी उन सदस्यों को ई–मेल सहित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस की प्रति भेज सकती है, जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) या कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत किया है।

उन सदस्यों के मामले में जिनका ईमेल पता बदल गया है और उन्होंने नया ई–मेल पता अपडेट नहीं किया है, बैंक उक्त दस्तावेजों को उनके मौजूदा ई–मेल पते पर भेजेगा और उक्त दस्तावेजों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में वितरित किया गया माना जाएगा। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते या उसके किसी भी बदलाव को जल्द से जल्द अपने डीपी (इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयर) या केफिन (भौतिक रूप में रखे गए शेयर) के साथ पंजीकृत करें।

हालाँकि, यदि कोई सदस्य वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति प्राप्त करना चाहता है, तो उनसे अनुरोध है कि वे einward.ris@kfintech.com या cs@nainitalbank.co पर डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी या फोलियो नंबर, जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करते हुए लिखें, ताकि बैंक उक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करा सके। कृपया ध्यान दें कि उक्त दस्तावेज बैंक की वेबसाइट www.nainitalbank.co.in पर भी अपलोड किए जा रहे हैं।

सचिवीय मानकों का पालन

बैंक निदेशक मंडल (एसएस–1) की बैठकों पर सचिवीय मानकों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (एसएस–2) का अनुपालन करता है। बैंक ने आईसीएसआई द्वारा जारी निदेशक मंडल (एसएस–4) की रिपोर्ट पर लाभांश पर

President (Head Credit),Mr. Deepak Sanwal -Associate Vice President (Head CIAD), Mr. Rahul Pradhan - Vice President (Head-Operations), Mr. Praveen Singh Bisht - Chief Information Security Officer (CISO), Mr. Sanjay Gupta (Head HR and Legal) and Mr. Gaurav Sharma - Chief Digital Officer (CDO).

Green Initiative under Corporate Governance

"Green Initiative" was introduced by The Ministry of Corporate Affairs as a part of Corporate Governance, in order to promote paperless compliances through electronic mode. This is to facilitate early communication of the documents and evade loss of statutory documents in postal transit. In this regard, we have initiated to send e-mail to the shareholders' who have registered their e-mail addresses with the Bank and facilitating them with a link on the Bank's website, providing free access to documents of the Bank like Notice of Annual General Meeting, Annual Report of the Bank which, inter-alia, includes Directors' Report and Auditors' Report etc. in order to make it more convenient to the shareholders of the Bank to access Statutory documents.

In terms of Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a company may send copy of notice through electronic mode including e-mail to those members who have registered their e-mail address either with their depository participants (DP) or with the company.

In case of members whose email address has changed and they have not updated the new e-mail address, the Bank would send the said documents to their existing e-mail address and the said documents shall be deemed to have been delivered in compliance with the provisions of the Act. Therefore, members are requested to register their email address or any change thereof with their DP (shares held in electronic form) or with KFIN (shares held in physical form) at the earliest.

However, in case any member wishes to receive a physical copy of the annual report are requested to write to einward.ris@kfintech.com or cs@nainitalbank.co,in quoting DP ID and client ID or folio number, as the case may be, to enable the Bank to provide physical copy of the said documents, free of cost. Please note that the said documents are also being uploaded on the Bank's website viz. www.nainitalbank.co.in.

Adherence to Secretarial Standards

The Bank is in compliance with the Secretarial Standards on meetings of the Board of Directors (SS-1) and the Secretarial Standards on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI). The Bank has also

अनुशंसात्मक सचिवीय मानक (एसएस–3) और सचिवीय मानक को स्वेच्छा से अपनाया है।

शेयरों का अमूर्तीकरण

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा केवल डीमैट फॉर्म में प्रतिभूतियाँ जारी करना अनिवार्य कर दिया है और 02 अक्टूबर, 2018 से गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों द्वारा आगे के शेयरों का निर्गमन और समस्त शेयरों का अंतरण केवल अमूर्त रूप में ही होगा। इसका सार इस प्रकार हैः

- गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, जो दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 को या उसके बाद ऐसी प्रतिभूतियों को अंतरित करने का इरादा रखता है, अंतरण से पहले ऐसी प्रतिभूतियों को अभौतिकीकृत करवाएगा।
- एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी की प्रतिभूतियों का प्रत्येक धारक, जो दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 को या उसके बाद किसी गैर–सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी (चाहे निजी प्लेसमेंट या बोनस शेयरों या अधिकारों की पेशकश के माध्यम से) की किसी भी प्रतिभूति की सदस्यता लेता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सभी मौजूदा प्रतिभूतियां हैं ऐसी सदस्यता से पहले अभौतिक रूप में धारित है।
- प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एक डिपॉजिटरी को आवश्यक आवेदन करके अपनी सभी मौजूदा प्रतिभूतियों के डीमैटरियलाइजेशन की सुविधा प्रदान करेगी और प्रत्येक प्रकार की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान संख्या (आईएसआईएन) सुरक्षित करेगी और अपने सभी मौजूदा सुरक्षा धारकों को ऐसी सुविधा के बारे में सूचित करेगी।

उपरोक्त के संबंध में, बैंक ने मेसर्स के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड को बैंक के शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए 'रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट' के रूप में नियुक्त किया है। शेयरधारकों से अनुरोध किया गया था कि हमारी ओर से सुचारु सेवाओं के लिए अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज़ किया जाए।

निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में शेयरों का हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (नियम), समय–समय पर यथा संशोधित, कंपनी (बैंक) के शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सभी शेयर जिन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किया जाना आवश्यक है, चाहे वे डीमैट रूप में हों या भौतिक रूप में, उन्हें कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में अंतरित किया जाना चाहिए।

voluntarily adopted the recommendatory Secretarial Standard on Dividend (SS-3) and Secretarial Standard on report of the Board of Directors (SS-4) issued by the ICSI.

Dematrilisation of Shares

Ministry of Corporate Affairs (MCA) has made it mandatory for issuance of securities in demat form only by unlisted public companies and that with effect from October 02, 2018, issue of further shares and transfer of all shares by unlisted public companies shall be in dematerialized form only. Following is a gist of the same:

- Every holder of securities of an unlisted public company, who intends to transfer such securities on or after October 02, 2018, shall get such securities dematerialized before the transfer;
- Every holder of securities of an unlisted public company, who subscribes to any securities of an unlisted public company (whether by way of private placement or bonus shares or rights offer) on or after October 02, 2018 shall ensure that all his existing securities are held in dematerialized form before such subscription;
- Every unlisted public company shall facilitate demateri-alization of all its existing securities by making necessary application to a depository and shall secure International Security Identification Number (ISIN) for each type of security and shall inform all its existing security holders about such facility;

In relation to the above, the Bank has appointed M/s K Fintech Private Limited as 'Registrar and Share Transfer Agent' for dematerialization of shares of the Bank. The shareholders were requested to get their shares dematerialized for smooth uninterrupted services at our end.

Transfer of Shares to Investors Education Protection Fund (IEPF)

In terms of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules), as amended from time to time, shares of the Company (Bank) in respect of which dividends for seven consecutive years or more remaining unpaid or unclaimed are liable to be transferred to the demat account of the IEPF authority.

It is further submitted that all the shares which are required to be transferred to IEPF authority, whether held in dematerialized form or physical form, to be transferred to the demat accounts of IEPF authority by way of corporate action.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक सभी स्तरों पर कॉर्पोरेट प्रशासन के महत्व को पहचानता है। बैंक इस संबंध में न केवल संविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है बल्कि शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और जनता सहित अपने सभी हितधारकों को सर्वोतम सेवा देने का प्रयास कर रहा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बैंक का दृष्टिकोण उच्चतम स्तर की पारदर्शिता, सरकार और नियामक प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों के लिए सभी निष्पक्ष और सटीक प्रकटीकरण, जैसा कि प्रासंगिक कानूनों के तहत आवश्यक है, शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखना और उनके हितों की रक्षा करना है। बैंक ने बोर्ड में अपने निदेशकों और इसके वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता तैयार की है जिसमें कर्मियों की कोर प्रबंधन टीम और बैंक के कार्यात्मक प्रमुख शामिल हैं।

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के एक भाग के रूप में, वित्त वर्ष के प्रारंभ में बोर्ड की समीक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष बोर्ड के समक्ष एक स्थिति रिपोर्ट भी रखी जाती है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ धारा 92(3) के अनुसार; बैंक का वार्षिक रिटर्न निर्धारित फॉर्म एमजीटी–7 में बैंक की वेबसाइट https://www.nainitalbank.co.in/english/About_Us.aspx पर उपलब्ध कराया गया है।

पुरस्कार एवं सम्मान

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त किए:

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण मंत्रालय

- लीडरशिप स्तर पर – निजी बैंक श्रेणी में प्रथम
- राइस अबॉव द रेस्ट –निजी बैंक श्रेणी में दूसरा
- एपीवाई वार्षिक पुरस्कार वित्त वर्ष 2023–24 – उत्कृष्टता पुरस्कार उपलब्धि

लेखा परीक्षक

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 27 अप्रैल, 2021 को अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/2021–22/25 संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.एआरजी/एसई सी.01/08.91.001/2021–22 के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) ('आरबीआई दिशानिर्देश) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि सांविधिक लेखा परीक्षकों को तीन वर्षों

Corporate Governance

Bank recognizes the importance of corporate governance at all levels. The Bank is not only complying with statutory requirements in this regard but endeavoring to serve the best to all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Public at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to stick to highest level of transparency, all fair and accurate disclosures to the Government & Regulatory Authorities and other Stakeholders', as required under relevant laws, to maintain a high level of business ethics to maximize shareholders' value and to protect their interest. The Bank has formulated a Code of Conduct for its Directors on the Board and its Senior Management including personnel's forming Core Management Team and functional Heads of the Bank.

As a part of good Corporate Governance, a status report is also placed before the Board each year for Board's review at the commencement of Financial Year.

Annual Return

In terms of Section 92(3) read with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014; the Annual Return of the Bank in the prescribed Form MGT-7, is being made available on the website of the Bank at https://www. nainitalbank.co.in/ english/ About_Us.aspx.

Awards and Recognitions

During the Financial Year under review, your Bank was recipient of the following awards:

Ministry of Pension Fund Regulatory and Development Authority

- LEADERSHIP PINNACLE – First in Private Bank category
- RISE ABOVE THE REST – Second in Private Bank category
- APY ANNUAL AWARDS FY 2023-24 – Award of excellence Achiever

Auditors

The Reserve Bank of India vide its Circular No. RBI/2021-22/25 Ref.No.DoS.CO.ARG/SEC.01/08.91.001/2021-22 dated April 27, 2021 had issued Guidelines for Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs)/Statutory Auditors (SAs) of Commercial Banks (excluding RRBs), UCBs and NBFCs (including HFCs) ('RBI Guidelines'). The provisions prescribed that Statutory Auditors shall be appointed for a continuous period of three years,

की निरंतर अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि लेखा परीक्षा फर्म प्रत्येक वर्ष उसमें निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

101वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बैंक के सदस्यों ने मेसर्स एआर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 002744सी) को –1 वर्ष (प्रथम कार्यकाल) की अवधि के लिए बैंक के केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया और 102वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहने को कहा। वाणिज्यिक बैंकों के लिए 27 अप्रैल, 2021 के आरबीआई परिपत्र के अनुसार, लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए बैंकों को –3 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए सीएसए की नियुक्ति करनी होगी। इस संबंध में, मेसर्स एआर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम –2– दो वर्ष (द्वितीय कार्यकाल) यानी 102वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से 104वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक नियुक्त करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, जो उक्त वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों से अनुमोदन के अधीन है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल ने क्रमशः दिनांक 26 जुलाई, 2024 और 29 जुलाई, 2024 को आयोजित बैठक में बैंक के केंद्रीय सांविधिक के लिए मेसर्स एआर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एफआरएन 002744 सी) के नाम को –2– दो साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन के अधीन दूसरा कार्यकाल है। इसके अलावा, बैंक ने मैसर्स एआर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बैंक के केंद्रीय सांविधिक के रूप में नियुक्त करने के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आरबीआई को आवेदन किया है। बैंक ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के रिकॉर्ड पर पेशेवर आचरण आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की वेबसाइट (अधिसूचना अनुभाग के तहत, विशेष रूप से एक्यूआर रिपोर्ट और आदेश के संबंध में) का भी अवलोकन किया है।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने खुद को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया के अधीन किया है और उनके पास आईसीएआई के सहकर्मी समीक्षा बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र है। मेसर्स ए आर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास बैंक लेखापरीक्षा सहित कुल 37 वर्षों का अनुभव है। मैसर्स ए आर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्तमान में सेंट्रल बैंक के केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक हैं और पहले यूको बैंक से जुड़े हुए थे। उपर्युक्त तथा प्रथम कार्यकाल के संतोषजनक लेखापरीक्षा पूर्ण होने के आधार पर, बैंक के बोर्ड की राय है कि मेसर्स ए आर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंट्स (एफआरएन 002744सी) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा आरबीआई परिपत्र द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करती है और उन्हें बैंक के केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में 2–दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करना वांछनीय है, जो दूसरा कार्यकाल है, अर्थात 102वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से 104वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जिसमें पारिश्रमिक भी शामिल

subject to the Audit firms satisfying the eligibility norms as stipulated therein, each year.

The members of the Bank in 101st Annual General Meeting (AGM) appointed M/s AR & Company, Chartered Accountants (FRN 002744C) as Central Statutory Auditors of the Bank for a period of -1- year (First Tenure) and to hold office till the conclusion of 102nd Annual General Meeting. As per RBI Circular of April 27, 2021 for Commercial Banks, the Bank's will have to appoint CSA's for a continuous period of -3- Years in order to protect the independence of the Audit Firms. In this regard, the name of M/s. AR & Company Chartered Accountants is being proposed to be appointed for -2- Two Years (Second Term) i.e. from the conclusion of 102nd Annual General Meeting upto the conclusion of 104th Annual General Meeting, which is subject to approval from the shareholders in the said Annual General Meeting.

The Audit Committee of Board and Board of Directors in meeting held on July 26, 2024 and July 29, 2024 respectively has approved and recommended the name of M/s A R & Company, Chartered Accounts (FRN 002744C) for Bank's Central Statutory for a period of -2- Two Years, being Second Term subject to approval from Reserve Bank of India. Further, Bank has applied to RBI for seeking prior approval for M/s A R & Company, Chartered Accounts for being appointed as the Central Statutory of the Bank. Bank has also ensured that there are no adverse remarks/disciplinary actions in respect of professional conduct, etc., on the records of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and has also perused the website (under notification section, specially w.r.t. AQR reports and Orders) of the National Financial Reporting Authority (NFRA), wherein no disciplinary action has been taken by the NFRA against the aforesaid audit firm.

The Statutory Auditors have confirmed that they had subjected themselves to the peer review process of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and they hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of ICAI. M/s A R & Company, Chartered Accountants is having total experience of 37 years including Bank Audits. M/s. A R & Company, Chartered Accountants is presently the Central Statutory Auditor of Central Bank and was early associated with UCO Bank. Basis the above and satisfactory audit completion of First Tenure, Board of the Bank is of the opinion that M/s A R & Company, Chartered Accounts (FRN 002744C) fulfils all the criteria as laid down by the Companies Act, 2013 and RBI circular and it is desirable to appoint them as the Central Statutory Auditors of the Bank for a period of-2- Two Years, being Second Term i.e. from the conclusion of 102nd Annual General Meeting

है, जैसा कि प्रस्तावित लेखा परीक्षक के परामर्श से बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित और अनुशंसित किया जा सकता है और इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। इसलिए एनबीएल का बोर्ड सदस्यों को अनुमोदन के लिए एजेंडा को साधारण संकल्प के रूप में अनुशंसित करता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसार, बोर्ड ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मेसर्स टी चटर्जी एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, दिल्ली को अपना सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। बैंक ने सचिवीय लेखा परीक्षक को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा करने के लिए सभी सहायता और सुविधाएं प्रदान कीं। दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को कोई मामला रिपोर्ट किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक धारा के तहत कोई विवरण प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक के वित्तीय विवरणों और निदेशक की रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया।

सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और समूह कंपनी/कंपनियां

इस रिपोर्ट की तिथि तक, नैनीताल बैंक की अपनी कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम आदि नहीं है। नैनीताल बैंक की मूल और होल्डिंग कंपनी 98.57% हिस्सेदारी के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा है और हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की समूह कंपनियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश जो बैंक की वर्तमान स्थिति और संचालन को प्रभावित करते है

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, विनियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों आदि द्वारा कोई महत्वपूर्ण /प्रमुख आदेश पारित नहीं किया गया, जो बैंक की चालू स्थिति और उसके भविष्य के परिचालन को प्रभावित करता हो।

रिश्वत और भ्रष्टाचार

बैंक की सदस्यों और समुदायों दोनों के प्रति जिम्मेदारी है जिनमें हम व्यवसाय करते हैं कि वे अपने सभी लेन–देन में पारदर्शी रहें। बैंक की आचार संहिता के लिए आवश्यक है कि हम किसी भी रूप में रिश्वत या भ्रष्टाचार में संलिप्त न हों और स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि बैंक किसी कार्य या एक कार्य के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए रिश्वत या गैरकानूनी शुल्क का भुगतान

upto the conclusion of 104th Annual General Meeting on such terms and conditions, including remuneration, as may be determined and recommended by the Audit Committee of Board in consultation with the proposed Auditor and approved by the Board of Directors in this regard. Board of NBL therefore recommends the agenda as Ordinary Resolution to the members for approval.

Pursuant to Section 204 of Companies Act 2013, the Board has appointed M/s. T Chatterjee & Company, Practicing Company Secretaries, Delhi as its Secretarial Auditors for the Financial Year ended March 31, 2024. The Bank provided all assistance and facilities to the Secretarial Auditor for conducting their audit as prescribed under Companies Act, 2013. The Secretarial Audit Report for the Financial Year ended March 31, 2024 is annexed to this report.

During the financial year under review, your Bank has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India. During the financial year under review, neither the Statutory Auditors nor the Secretarial Auditors have reported any matter under Section 143 (12) of the Companies Act, 2013 to the Audit Committee or Board, therefore no detail is required to be disclosed under relevant section of Companies Act, 2013. During the Financial Year under review, there was no revision of financial Statements and Director's Report of the Bank.

Subsidiaries/JV's and Group Company/ies

As on the date of this report, Nainital Bank is not having any subsidiaries, joint ventures etc. of its own. Nainital Bank's parent and holding company is Bank of Baroda with 98.57% stake and we are categorized under the group companies of Bank of Baroda.

Significant and Material Order passed by regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and operations of the Bank

During the financial year under review, there were no significant/ material orders passed by the Regulators/Courts/ Tribunals etc. which would impact the going concern status of the Bank and its future operations.

Bribery and Corruption

Your Bank has a responsibility both towards the members and to the communities in which we do business to be transparent in all our dealings. Bank's Code of Conduct requires that we do not engage in bribery or corruption in any form and explicitly mentions that the Bank will not pay or procure the payment of a bribe or unlawful fee to encourage the performance of a task

या खरीद नहीं करेगा, जिसका उद्देश्य दूसरे की अखंडता से समझौता करना या संभावना है। बैंक और उसके कर्मचारी किसी तीसरे पक्ष से कोई भुगतान, उपहार या प्रलोभन स्वीकार नहीं करेंगे जिसका उद्देश्य हमारी अपनी अखंडता से समझौता करना है। बैंक उपहार और मनोरंजन, हितों के टकराव और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए प्रक्रियाओं का भी पालन करता है।

हितों का टकराव

बैंक एक संस्था के रूप में विनियमन द्वारा अपने दृष्टिकोण में अत्यंत विश्वास, विश्वसनीयता और ईमानदारी के साथ सार्वजनिक सेवा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह बोर्ड, समितियों, नीति, प्रक्रियाओं और लोगों और प्रणालियों द्वारा शासित है।

बैंक विभिन्न चैनलों और प्लेटफार्मों के माध्यम से ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है और इसलिए संभावित और वास्तविक हितों के टकराव का सामना करता है। हितों का टकराव एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक या अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के हित प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं और हितों की सेवा दूसरे के लिए हानिकारक हो सकती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और निदेशकों को उच्च पेशेवर और नैतिक मानकों के अनुसार कार्य करने में मदद करना है और इसलिए बैंक ने उपरोक्त गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले किसी भी टकराव को कम करने के लिए एक नीति बनाई है। कोई कर्मचारी जो जानबूझकर आंतरिक नीतियों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है, उसे आचरण और अनुशासनात्मक विनियमों के अनुसार बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन किया जाएगा।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

बैंक के वित्तीय वर्ष के अंत यानी 31 मार्च, 2024 और निदेशकों की रिपोर्ट की तिथि यानी 31 अगस्त, 2024 के बीच बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं, सिवाय इस वार्षिक रिपोर्ट में बताई गई। इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल बैंक) ने एनबीएल में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की है, जो निकट भविष्य में बैंक के संगठनात्मक और स्वामित्व ढांचे को बदल सकती है। विनिवेश प्रक्रिया नियामक निकायों, भारत सरकार और शेयरधारकों (जहां भी लागू हो) से विभिन्न अनुमोदन के अधीन है/हो सकती है।

or one which is intended or likely to compromise the integrity of another. Bank & its employees will not accept any payment, gift or inducement from a third party which is intended to compromise our own integrity. Bank also follows procedures for dealing with Gifts & Entertainment, Conflicts of Interest and other important matters.

Conflict of Interest

Bank as an institution by regulation is designed to perform public service with utmost Trust, Credibility and Integrity in its approach and it is governed by Board, Committees, Policy, Processes and People and Systems.

Bank provides customers with financial services through a variety of channels and platforms and hence faces potential and actual Conflicts of Interest. A Conflict of Interest is a situation where one or more persons or entities have competing interests and the serving of interest may be detrimental to another. The objective is to help Employees and Directors to act in accordance with high professional and ethical standards and therefore Bank has put in place a Policy to mitigate any conflict arising out of the above activities. An employee who knowingly violates the internal policies and guidelines shall be subjected to disciplinary action, including dismissal as per - Conduct and Disciplinary Regulations.

Material changes and commitments

There are no material changes and commitments, affecting the financial position of the Bank that have occurred between the end of the Financial Year of the Bank i.e. March 31, 2024 and the date of the Directors' Report i.e. 31 August, 2024 except as disclosed in this Annual Report. Further, Bank of Baroda (Parent Bank) has initiated the process of divestment of its stake in NBL, which may change the organizational and ownership structure of the Bank in the near future. The divestment process is/may subject to various approvals from the Regulatory Bodies, Government of India and shareholders (wherever applicable).

वित्तीय वर्ष 2023–24 में बोर्ड और समिति की बैठकों की संख्या
NUMBER OF BOARD AND COMMITTEE MEETINGS IN FINANCIAL YEAR 2023-24

क्र.सं. / SN.	बोर्ड / Board	एसीबी / ACB	आईटी / IT	आरएमसीबी / RMCB	एनआरसी / NRC	एमसीबी / MCB	आरसी / RC	एसआरसी / SRC	डब्ल्यूडी / WD	एनसीबी / NCB	सीएसआर / CSR	एलवीएफ / LVF
1	-	27.04.2023	-	27.04. 2023	27.04. 2023	27.04. 2023	-	-	-	-	-	-
2	28.04. 2023	-	28.04. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	22.05. 2023	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	08.06. 2023	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	23.06. 2023	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	07.07. 2023	-	-	-	-	-	-	07.07. 2023	
7	-	10.07. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	14.07. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	28.07. 2023	-	-	-	28.07. 2023		28.07. 2023	28.07. 2023	-	-	-
10	29.07.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	28.08. 2023	-	28.08. 2023	-	28.08. 2023	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	01.09. 2023	-	01.09. 2023	-	-	-	-	-
13	-	-	02.09. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	04.09. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04.09. 2023
15	17.10. 2023	17.10. 2023	-	17.10. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	03.12. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	04.12. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	04.12. 2023	-
18	-	-	-	-	-	-	-	07.12. 2023	-	-	-	-
19	-	-	-	-	08.12. 2023	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	09.12. 2023	-	-	09.12. 2023	09.12. 2023	-	-	-	-	09.12. 2023
21	16.12. 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	17.12. 2023	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	25.01. 2024	25.01. 2024	-	-	25.01. 2024	-	-	-	-	-	-	-
25	09.02.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	26.02.2024	-	-	26.02.2024	26.02.2024	-	-	-	-	-
27	-	27.02.2024	-	-	27.02.2024	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	02.03.2024	-	-	-	02.03.2024	-	-	-	-
29	05.03.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	20.03.2024	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-		-	-	-	27.03.2024	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.03.2024

1. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
2. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
4. आईटी रणनीति और डिजिटल संवर्धन समिति (आईटीडी)
5. हितधारक संबंध समिति (एसआर)
6. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर)
7. विलफुल डिफॉल्टबर समिति (डब्ल्यूडी)
8. कॉर्पोरेट सामाजिक कार्यदायित्व समिति (सीएसआर)
9. बड़ी राशियों की धोखाधड़ी समिति (एलवीएफ)
10. गैर–सहयोगी ऋणी (एनसीबी)
11. वसूली समिति (आरसी)

1. Audit Committee of Board (ACB)
2. Management Committee of Board (MCB)
3. Risk Management Committee of Board (RMCB)
4. IT Strategy & Digital Promotion Committee (ITD)
5. Stakeholders' Relationship Committee (SR)
6. Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR)
7. Wilful Defaulter Committee (WD)
8. Corporate Social Responsibility Committee (CSR)
9. Large Value Fraud's Committee (LVF)
10. Non-Co-Operative Borrower (NCB)
11. Recovery Committee (RC)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अच्छा कॉर्पोरेट शासन पर्यवेक्षण और निगरानी की प्रणालियों से संबंधित है जो उद्यम में अन्य सभी हितधारकों के हितों को संबोधित करने के अलावा, किसी कंपनी के दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करता है। यह निम्नलिखित तीन प्रमुख तत्वों का संयोजन भी है:

1. पारदर्शिता – एक प्रतिबद्धता कि व्यवसाय पारदर्शी रेखाओं के साथ प्रबंधित किया जाता है
2. प्रकटीकरण – सभी प्रासंगिक वित्तीय और गैर–वित्तीय जानकारियों को आसानी से समझने योग्य तरीके से
3. पर्यवेक्षण और निगरानी – पेशेवर रूप से सक्षम और स्वतंत्र निदेशक मंडल द्वारा बैंक की गतिविधियों की।

अच्छा कॉर्पोरेट प्शासन ग्राहकों और निवेशकों के साथ विश्वास बनाने के लिए बैंक के प्रबंधन की क्षमता पर भी निर्भर करता है और इस तरह के विश्वास से उन्हें बैंक के प्रबंधन में विश्वास रखने में सक्षम होना चाहिए कि बैंक को ठीक से प्रबंधित किया जाएगा, अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक बनाए रखेगा, अपने निवेशकों की पूंजी की रक्षा करेगा और उसे बढ़ाएगा और अपने शेयरधारकों के लिए कॉर्पोरेट मूल्य बढ़ाएगा।

कॉर्पोरेट का विजन

बैंक का कॉर्पोरेट विजन है: "लाभप्रदता और क्षमता"। बैंक का विज़न निम्न है:

- बैंक के ग्राहकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करना
- गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करके ग्राहकों की संपूर्ण संतुष्टि सुनिश्चित करना
- सामाजिक–आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देना
- निरंतर लाभदायक वृद्धि के माध्यम से इक्विटी निवेश पर संतोषजनक रिटर्न देना
- बैंक के कर्मचारियों की आर्थिक और करियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना
- ग्राहक आधार पर जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाना।

निदेशक मंडल

बैंक का बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 और समय–समय पर यथा संशोधित उसके तहत बनाए गए नियमों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, आरबीआई गवर्नेंस सर्कुलर और बैंक के एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों के अनुसार संचालित और गठित किया जाता है।

बैंक ने हमेशा स्वतंत्र और गैर–स्वतंत्र निदेशकों के इष्टतम संयोजन के साथ एक विविध बोर्ड के महत्व को अपनाया है, जो बैंकिंग व्यवसाय के लिए प्रासंगिक तकनीकी और व्यवहारिक कौशल, अनुभव और दृष्टिकोणों की

Corporate Governance Report

Good Corporate Governance relates to systems of supervision and monitoring that maximize long-term shareholder value of a company, apart from addressing in the interest of all other stakeholders in the enterprise. It is also a combination of three key elements viz:

1. Transparency - a commitment that the business is managed along transparent lines
2. Disclosure - of all relevant financial and non-financial information in an easily understood manner
3. Supervision and monitoring - of the Bank's activities by a professionally competent and independent Board of Directors.

Good Corporate Governance also depends on the ability of the management of the Bank's to build trust with customers and investors and such trust should enable them to repose faith in the management of the Bank that the Bank will be managed properly will successfully perpetuate its business, will protect and enhance the capital of its investors and will increase corporate value for its shareholders.

CORPORATE VISION

The Corporate philosophy of the Bank is: "Profitability and Competence". Bank's vision is to:

- Meet growing aspirations of the customers of the Bank
- Bring about total customer's satisfaction providing quality service
- Promote socio-economic strength
- Post a satisfactory return on equity investment through a sustained profitable growth
- Meet the economic and career aspirations of the employees of the Bank
- Strong hold on grass root customer base.

Board of Directors

The Board of the Bank is governed and constituted in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder as amended from time to time, the Banking Regulation Act, 1949, RBI Governance Circular and the Articles of Association of the Bank.

The Bank has always embraced the importance of a diverse Board with an optimum combination of Independent & Non-Independent Directors, equipped with appropriate balance of

विविधता के उचित संतुलन से लैस है; जिससे बैंक के हितधारकों के प्रति अपने प्रत्ययी दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रभावी बोर्ड गवर्नेंस सुनिश्चित होता है।

both technical and behavioral skills, experience and diversity of perspectives as relevant for the banking business; thereby ensuring effective Board governance while discharging its fiduciary obligations towards the stakeholders of the Bank.

उपर्युक्त के अनुरूप, बैंक का बोर्ड अच्छी तरह से संरचित है और इसमें व्यापक, विविध और व्यावहारिक अनुभव और व्यापक पेशेवर साख, व्यवहारिक कौशल सेट और ज्ञान रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं, जो बैंक को रणनीति निर्माण और दिशा निर्धारण के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करते हैं, इस प्रकार इसके विकास उद्देश्यों में मूल्य जोड़ते हैं।

In line with the above, the Board of the Bank is well structured and comprises of eminent personalities having wide, diverse & practical experience and comprehensive professional credentials, behavioral skill sets and knowledge, which helps the Bank to gain insights for strategy formulation and direction setting, thus adding value to its growth objectives.

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक, बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी / As at March 31, 2024, the composition of the Board was under-

क्र.सं. S. No.	नाम एवं पद Name and Designation	डीआईएन नं. DIN No.	वर्तमान स्थिति Present Status	अन्य निदेशक पद/एलएलपी Other Directorships/LLP	होल्डिंग Holding
1.	श्री एन. के. चारी (गैर–कार्यकारी अध्यक्ष) Mr. N.K. Chari (Non-Executive Chairman)	7409731	स्वतंत्र Independent	ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड Epack Durable Ltd.	शून्य Nil
2.	श्री निखिल मोहन (एमडी एवं सीईओ) Mr. Nikhil Mohan (MD & CEO)	9655509	गैर स्वतंत्र Non-Independent	शून्य Nil	8000 पति/पत्नी Spouse
3.	श्रीमती बिनीता शाह (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mrs. Binita Shah (Non-Executive Director)	1538965	स्वतंत्र Independent	सुपा बायोटेक (पी) लि. Supa Biotech (P) Ltd	2000
4.	श्री मनोज शर्मा (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mr. Manoj Sharma (Non-Executive Director)	9085665	स्वतंत्र Independent	शून्य Nil	शून्य Nil
5.	श्री यू.सी. नाहटा (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mr. U.C. Nahta (Non-Executive Director)	8533075	स्वतंत्र Independent	शून्य Nil	शून्य Nil
6.	श्री नीलम दामोदरन (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mr. Neelam Damodharan (Non-Executive Director)	7759291	स्वतंत्र Independent	जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. GIC Housing Finance Ltd.	शून्य Nil
7.	श्री राकेश नेमा (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mr. Rakesh Nema (Non-Executive Director)	7207816	गैर स्वतंत्र Non-Independent	शून्य Nil	150
8.	श्री गोपाल सिंह गुसाईं (गैर–कार्यकारी निदेशक) Mr. Gopal Singh Gusain (Non-Executive Director)	**03522170**	स्वतंत्र Independent	1. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड 2. एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड 3. पीएनबी गिल्टस लिमिटेड 1. LIC Pension Fund Ltd 2. STCI Finance Ltd 3. PNB GILTS Ltd	शून्य Nil

इस प्रकार दिनांक 31 मार्च, 2024 तक –1– पूर्णकालिक निदेशक (एमडी एवं सीईओ), –6– स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष एवं महिला निदेशक सहित) तथा –1– गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक तथा –2– निदेशकों के पद रिक्त थे। (संस्था के अंतरनियम के अनुसार अधिकतम प्राधिकृत निदेशक –10– दस निदेशक हैं)

Thus as on March 31, 2024, there was -1- Whole Time Director (MD & CEO), -6- Independent Directors (including Chairman & Woman Director) and -1- Non-Executive Non-Independent Director and -2- positions of Directors were vacant. (Maximum Directors authorized as per Articles of Association is -10- Ten Directors)

बैंक के निदेशकों का संक्षिप्त विवरण तथा उनकी नियुक्ति की तिथि नीचे दी गई है।

The Brief Profile of the Directors of the Bank along with their date of appointment, are furnished hereunder:

श्री एन.के. चारी (गैर–कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष)

भारत के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में बैंकिंग परिचालन और ऋण में 39 वर्षों के विविध अनुभव वाले कैरियर बैंकर हैं। जून 2016 से एसबीआई के सहयोगी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (एसबीएम) में प्रबंध निदेशक के

Mr. N.K. Chari (Non-Executive Independent Chairman)

Career Banker with 39 years of varied experience in Banking Operations and Credit in the biggest bank of India, State Bank of India (SBI). Was on deputation as Managing Director to State

रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे और दिनांक 31 मार्च 2017 तक इनके नेतृत्व में बैंक के पैरेंट बैंक कें साथ निर्बाध विलय हुआ। एसबीआई के साथ डेटा और मानव संसाधन एकीकरण के लिए विलय के बाद की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, एसबीआई में वापस आ गए और दिनांक 31 अगस्त 2017 को उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

विभिन्न क्षमताओं में शाखा बैंकिंग, निष्पादन बजट, शाखाओं और क्षेत्रों पर निगरानी और नियंत्रण में व्यापक अनुभव के साथ मजबूत बैंकिंग पृष्ठभूमि हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिदृश्यों में खुदरा और कॉर्पोरेट ऋण को संभालना। प्रत्येक असाइनमेंट के हिस्से के रूप में मानव संसाधन प्रबंधन। निदेशक मंडल के साथ विभिन्न पदों पर घनिष्ठ संपर्क। बैंकिंग मुद्दों पर भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के साथ निरंतर जुड़े रहें।

एसबीआई के रिटेल नेटवर्क, नेशनल बैंकिंग ग्रुप में मुख्य परिचालन अधिकारी (डीएमडी) के रूप में कार्य किया। इस नेटवर्क ने देश भर में 16000 शाखाओं को कवर किया, जिसका व्यापार स्तर ₹ 17,000 अरब (नवंबर 2015 से मई 2016) था। एसबीआई के मिड कॉरपोरेट वर्टिकल का नेतृत्व किया, जो ₹ 2,500 अरब की ऋण पुस्तिका को कवर करता था (नवंबर 2013 से अक्टूबर 2015)। एसबीआई के क्षेत्रीय प्रमुख (मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), चंडीगढ़ सर्कल) ने 4 उत्तरी भारतीय राज्यों जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को 1100 शाखाओं और ₹ 1,100 अरब के व्यापार के साथ कवर किया (नवंबर 2011 से अक्टूबर 2013)। नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड के प्रमुख – एसबीआई की एक विदेशी सहायक – बैंक को नेपाल में शीर्ष स्तरीय बैंक और एसबीआई की सर्वश्रेष्ठ विदेशी सहायक कंपनी बनाया।

पूर्व निदेशक पद –

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के एमडी के रूप में कार्यरत थे। डीएमडी के रूप में एसबीआई में बोर्ड में स्थायी आमंत्रित सदस्य थे। सीजीएम चंडीगढ़ के रूप में स्थानीय बोर्ड का हिस्सा। नेपाल एसबीआई लिमिटेड, काठमांडू के एमडी रहें। एसबीआई की दो सहायक कंपनियों, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज (क्रेडिट कार्ड कंपनी) और एसबीआई कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज (सिक्योरिटीज मार्केट में डीलिंग) में भी निदेशक पद पर रहे।

श्री निखिल मोहन (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)

अपने 23 साल के बैंकिंग करियर के दौरान, उन्होंने नंदुरबार–महाराष्ट्र, बरेली–यूपी, हाजीपुर–बिहार और लंदन–यूनाइटेड किंगडम में शाखा प्रमुख के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा उन्हें रिटेल लोन फैक्ट्री (उस समय सीपीसी के रूप में जाना जाता था) और बरेली और पुणे जिला क्षेत्र में इसके पहले क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में मार्केटिंग विभाग की स्थापना करने का गौरव भी प्राप्त हुआ। इस बैंक का कार्यभार संभालने से पहले, वे बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई मेट्रो पश्चिम क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे थे,

Bank of Mysore (SBM) an Associate of SBI, from June 2016 and led it through a seamless merger with the parent bank as on 31st March 2017. After completing formalities post-merger for data and human resources assimilation with SBI, reverted to SBI and retired as Deputy Managing Director (DMD) on 31st August 2017.

Strong banking background with wide experience in branch banking, performance budgeting, monitoring and control over branches and regions, in various capacities. Handling of Retail and Corporate Credit in both domestic and international scenarios. HR management as part of every assignment held. Close interactions in various positions with Board of Directors. Constant association with Department of Financial Services, Government of India on banking issues.

Served as the Chief Operating Officer (DMD) in National Banking Group, the Retail Network of SBI. This Network covered 16000 branches across the Nation with business level of ₹ 17,000 billion (November 2015 to May 2016). Headed Mid Corporate Vertical of SBI, dealing with a Loan Book aggregating ₹ 2,500 billion (November 2013 to October 2015). Regional Head of SBI (Chief General Manager (CGM), Chandigarh Circle) covering the 4 Northern Indian States of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh with 1100 branches and ₹ 1,100 billion in business (November 2011 to October 2013). Head of Nepal SBI Bank Ltd - an overseas subsidiary of SBI - as Managing Director for 4 years from September 2007 to October 2011. During this tenure, took the branches from 15 to 50, employees from 200 to 600 and achieved threefold business. Transformed the bank to become a Top Tier Bank in Nepal and the best overseas subsidiary of SBI.

Previous Directorships -

MD of State Bank of Mysore. Permanent Invitee to the Board in SBI as DMD. Part of Local Board as CGM Chandigarh. MD of Nepal SBI Ltd, Kathmandu. Also held Directorships in two subsidiaries of SBI, SBI Cards and Payment Services (Credit Card Company) and SBI Capital Market Securities (Dealing in Securities Market).

Mr. Nikhil Mohan (Managing Director & CEO)

During his 23 years of Banking career, he has worked as Branch Heads in Nandurbar- Maharashtra, Bareilly-UP, Hajipur-Bihar and London-United Kingdom. Apart from that he also had the distinction of establishing the Retail Loan Factory (known as CPC at that time) and Marketing Department in Bareilly and Pune District Region as its 1st Regional Head. Prior to taking charge of this Bank, he was heading the Mumbai Metro West Region

जो कुल कारोबार के मामले में बैंक का अखिल भारतीय दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। वे वर्ष 2017 से 2019 तक बैंक ऑफ बड़ौदा के एक कार्यकारी निदेशक के कार्यकारी सचिव के रूप में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे।

उन्होंने अब तक विभिन्न शाखाओं, बरेली और पटना में क्षेत्रीय कार्यालयों, पश्चिमी यूपी, बरेली और यूपीयू, लखनऊ के क्षेत्रीय कार्यालयों, कॉर्पोरेट कार्यालय और यूके में ओवरसीज सेंटर में काम किया है।

श्रीमती बिनीता शाह (गैर–कार्यकारी स्वतंत्र एवं महिला निदेशक)

देश के तीन राज्यों में जैविक और बायोडायनामिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2005 से गैर–लाभकारी संगठन एसएआरजी विकास समिति का नेतृत्व करती हैं। एसएआरजी देश भर में 100,000 किसानों के साथ काम करता है। एसएआरजी 2016 से कौशल विकास मिशन, उत्तराखंड के साथ–साथ राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, भारत सरकार के साथ एक प्रशिक्षण भागीदार है। एसएआरजी महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जैविक कृषि के लिए पारंपरिक कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के लिए एक क्षेत्रीय परिषद और सेवा प्रदाता है।

वे उत्तराखंड में सतत विकास मंच की सचिव हैं। उत्तराखंड कृषि विपणन बोर्ड में स्वतंत्र परामर्शदाता। कई जैविक खाद्य निर्यात कंपनियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सलाहकार हैं। बायोडायनामिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैंगलोर के संस्थापक सदस्य हैं। ऑल इंडिया बायोडायनामिक एंड ऑर्गेनिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदौर के संस्थापक सदस्य हैं। 'सर्किल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' इंटरनेशनल बायोडायनामिक फोरम, जियोथेनम, स्विट्जरलैंड में भारत के प्रतिनिधि हैं। जैविक उत्तराखंड 2018–19 की रणनीति तैयार करने के लिए यूएनडीपी राज्य कार्यालय उत्तराखंड के सलाहकार। वह (देश में पहली बार) राज्य उत्तराखंड जैविक कमोडिटी बोर्ड (यूओसीबी), देहरादून की संस्थापक सदस्या और सीईओ भी हैं।

श्री मनोज शर्मा (गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)

भारतीय रिजर्व बैंक से मुख्य महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनके पास विनियामक और पर्यवेक्षी अनुभव है – ऑन–साइट और नीति निर्माण। नए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की नीति और परिचालन का व्यापक अनुभव। धोखाधड़ी का पता लगाने, उसे कम करने और उसकी रिपोर्टिंग पर नीति को फिर से परिभाषित करने में प्रमुख भूमिका। धोखाधड़ी की त्वरित प्रतिक्रिया टीम का नेतृत्व किया। आरबीएस मॉडल के वैचारिक और परिचालन पहलुओं पर आंतरिक और बाहरी ज्ञान हस्तांतरण करते है।

भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन में उनकी विशेषज्ञता है। छोटे विदेशी बैंकों के मूल्यांकन के लिए छोटे बैंक वेरिएंट आरबीओ मॉडल को लागू करने के लिए आरबीआई टीम का नेतृत्व किया – अवधारणा, डिजाइन से लेकर मॉडल के स्थिरीकरण तक। नीति निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन कार्यों

of Bank of Baroda, which is PAN India 2nd largest Region of the Bank in terms of total Business. He was also discharging his duty as Executive Secretary of one of the Executive Directors of Bank of Baroda from 2017 to 2019.

He has till date, worked in various Branches, Regional Offices at Bareilly and Patna, Zonal Offices of Western UP, Bareilly and UPU, Lucknow, Corporate office and at Overseas Centre at UK.

Mrs. Binita Shah (Non-Executive Independent & Woman Director)

Leads SARG Vikas Samiti, a not for profit organization since 2005 for the promotion of Organic and Biodynamic Agriculture across three states of the country. SARG works with 100,000 farmers' country wide. SARG is a training partner with the Skill Development Mission, Uttarakhand as well as with the National Skill Development Council, GOI since 2016. SARG is a Regional Council & Service Provider for Paramparik Krishi Vikas Yojna (PKVY) for Organic Agriculture in Maharashtra, Uttarakhand & MP.

She is Secretary - Sustainable Development Forum Uttarakhand. Independent consultant with Uttarakhand Agriculture Marketing Board. International Consultant with number of Organic Food Export companies. Founder member Biodynamic Association of India, Bangalore. Founder member All India Biodynamic and Organic Association of India, Indore. India Representative in 'Circle of Representatives' International Biodynamic Forum, Geotheanum, Switzerland. Consultant with UNDP State office Uttarakhand for preparation of Strategy for Organic Uttarakhand 2018-19. She is also Founder member and CEO of the (first ever in the country) State Uttarakhand Organic Commodity Board (UOCB), Dehradun.

Mr. Manoj Sharma (Non-Executive Independent Director)

Retired as Chief General Manager from Reserve Bank of India. Has vast Regulatory and Supervisory experience - on - site & Policy making. Extensive hands-on Policy & Operational experience of new Risk based Supervisory Approach. Major role in redefining Policy on detection, mitigation and reporting of frauds. Headed the Quick Response Team of Frauds. Have internal & external knowledge transfer on Conceptual and Operational aspects of RBS model.

He possesses expertise in conceptualization, design and implementation of Risk Based Supervisory approach for Scheduled Commercial Banks in India. Headed RBI team for implementing the small bank variant RBO model for assessment of small foreign banks - from conceptualization, design to stabilization of the model. Have expertise in Policy Making,

और SPARC प्रक्रिया के संबंधित पहलुओं में विशेषज्ञता है। भारत में बैंकों के लिए धोखाधड़ी का पता लगाने, निगरानी और रिपोर्टिंग पर रूपरेखा लाने के लिए आंतरिक कार्य समूह का नेतृत्व किया। विदेशी बैंकों, सार्वजनिक बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों आदि के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण का अनुभव है।

श्री यू.सी. नाहटा (गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)

भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में कार्यरत। अगस्त 2014 में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हुए (संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर लगभग 16 वर्षों तक सेवा की) विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने मंत्रालय में जांच एवं निरीक्षण निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, कंपनियों के रजिस्ट्रार आदि सहित विभिन्न वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। अगस्त 2014 से अगस्त 2019 तक भारतीय कंपीटिशन आयोग के सदस्य–भारत सरकार के सचिव स्तर पर।

व्यावसायिक अनुभव

कॉर्पोरेट प्रशासन सलाहकार, कॉर्पोरेट और प्रबंधन परामर्श, सीएसआर सलाहकार, कंपनी अधिनियम 2013, कॉर्पोरेट कानूनों में सलाहकार सेवाएं, लेखांकन और संबंधित क्षेत्र, पूंजी बाजार और वित्तीय सेवाएं, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थता, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत मध्यस्थता, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण मामले, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 सहित प्रतिस्पर्धा कानून आदि।

श्री नीलम दामोदरन (गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)

वे दिनांक 16 फरवरी 2017 से 30 नवंबर 2019 तक बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे और मानव संसाधन विकास/प्रबंधन, शिक्षण और विकास, ऋण निगरानी, वसूली, अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, मध्य कॉर्पोरेट व्यवसाय, एमएसएमई, खुदरा बैंकिंग, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रभारी थे।

बैंक ऑफ इंडिया में, वे बोर्ड की विभिन्न समितियों के सदस्य भी थे:

बोर्ड की प्रबंधन समिति, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड की मानव संसाधन समिति, बोर्ड की एनपीए वसूली समिति, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, बोर्ड की कार्यकारी समिति, बोर्ड की आईटी समिति, बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति, एएलसीओ के कार्यकारी सदस्य, बीओआई की शिक्षण और विकास शासी परिषद के अध्यक्ष और नीति समिति के कार्यकारी सदस्य थे।

वे 2.5 वर्षों तक बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड के अध्यक्ष, 2.5 वर्षों तक बीओआई (न्यूजीलैंड) लिमिटेड के निदेशक तथा 2 वर्षों तक न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गैर–कार्यकारी निदेशक रहे (भारत सरकार द्वारा नियुक्त) – 14.08.2017 से 11.10.2019 तक।

Quality Assurance Functions and related aspects of SPARC process. Headed Internal Working Group for bringing out the framework on fraud detection, monitoring and reporting for Banks in India. Have experience in Risk Based Supervision of Foreign Banks, Public Banks, Private Sector Banks etc.

Mr. U.C. Nahta (Non-Executive Independent Director)

Ministry of Corporate Affairs, Government of India as a Class I officer in the Ministry. Retied in August 2014 at the scale of Additional Secretary to the Govt. of India (Served for about 16 years at the Level of Joint Secretary and above) at various important positions. He had held various Senior positions in the Ministry including Director of Investigation & Inspection, Regional Director, Registrar of Companies etc. August 2014 to August 2019 Member, Competition Commission of India- at the level of Secretary to the Government of India.

Professional Exposure

Corporate Governance Advisory, Corporate & Management Consultancy, CSR Advisory, Companies Act 2013, Advisory services in corporate laws, Accounting and related areas, Capital markets and financial services, Arbitration under the Arbitration and Conciliation Act, Mediation under Companies Act, 2013, National Company Law Tribunal matters, Competition Laws including The Competition Act, 2002 etc.

Mr. Neelam Damodharan (Non-Executive Independent Director)

He was Executive Director in Bank of India from 16th Feb 2017 to 30th Nov. 2019 and was in-charge of - Human Resources Development/Management, Learning and Development, Credit Monitoring, Recovery, International Operations, Mid Corporate Business, MSME, Retail Banking, Fraud Risk Management and Disciplinary action.

In Bank of India, he was also a Member of various committees of the Board:

Management Committee of the Board, Audit Committee of the Board, HR Committee of the Board, NPA Recovery Committee of the Board, Risk Management Committee of the Board, Executive Committee of the Board, IT Committee of the Board, Customer Service Committee of the Board, Executive Member of ALCO, Chairman, Learning & Development Governing Council of BOI and Executive Member of Policy Committee.

He was Chairman, BOI Merchant Bankers Ltd for 2.5 years, Director, BOI (New Zealand) Ltd. for 2.5 years and Non-Executive Director on New India Assurance Co Ltd the Board - 2 years (Appointed by GOI) - 14.08.2017 to 11.10.2019.

वे बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व महाप्रबंधक हैं तथा 34 वर्षों तक बैंक से जुड़े रहे हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा में करियर संबंधी मुख्य बातें:

महाप्रबंधक (अंतर्राष्ट्रीय परिचालन), महाप्रबंधक (यूएसए परिचालन), जीएम/क्षेत्रीय प्रमुख (तमिलनाडु एवं केरल अंचल), क्षेत्रीय प्रबंधक (बड़ौदा, कानपुर एवं केरल), उप/सहायक महाप्रबंधक (शारजाह एवं दुबई), सहायक महाप्रबंधक (एमएसएमई), कॉर्पोरेट कार्यालय, भारत भर में 6 विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रमुख तथा निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लिमिटेड (बीओबी की एक सहायक कंपनी)।

वे एनआईबीएम में आमंत्रण पर अतिथि संकाय सदस्य हैं/थे तथा आईडीबीआई की विशेष स्टाफ जवाबदेही समिति (डीएमडी स्तर) के बाह्य सदस्य हैं।

श्री राकेश नेमा (गैर–कार्यकारी गैर–स्वतंत्र निदेशक)

उनके पास एप्लाइड फिजिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर, कंप्यूटर (एडवांस) में डिप्लोमा, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, एंटी–मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी और आईटी सुरक्षा में सर्टिफिकेशन है।

उन्होंने दिनांक 07.08.2000 को बैंक ऑफ बड़ौदा के मुंबई कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। उनके द्वारा संभाले गए पोर्टफोलियो में आईटी अनुपालन (2006–2009), आईटी प्रोजेक्ट्स (2009–2014) और डिजिटल बैंकिंग (2017–2018) शामिल हैं। 25.03.2019 को उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा डिजास्टर रिकवरी साइट, हैदराबाद का कार्यभार संभाला और डीजीएम, आईटी ऑपरेशंस (2019–2022) का भी कार्यभार संभाला। दिनांक 01 अगस्त 2022 को उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में आईटी ऑपरेशंस के प्रमुख–महाप्रबंधक, आईटी ऑपरेशंस का कार्यभार संभाला।

वे दिनांक 26 जून 2015 से 22 दिसंबर 2017 तक नैनीताल बैंक के साथ गैर–कार्यकारी निदेशक के रूप में जुड़े रहे।

श्री गोपाल सिंह गुसाईं (गैर–कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक)

उनके पास इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की डिग्री, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, इंडिया के सर्टिफाइड एसोसिएट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट में डिप्लोमा और बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है।

पेशेवर अनुभव –

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: सितंबर 2018– जनवरी 2022 (कार्यकारी निदेशक), पंजाब नेशनल बैंक अक्टूबर 1994 से सितंबर 2018 तक (क्रेडिट वर्टिकल में विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में शामिल हुए और महाप्रबंधक के पद तक पहुंचे), बैंक के हांगकांग और चीन संचालन के लिए मुख्य कार्यकारी (2013–2016) के रूप में हांगकांग में तीन वर्ष तक काम किया। बैंक के पोर्टफोलियो में 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति थी। अकेले शाखा ने 2013 एफसीएनआर योजना में 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की एफसीएनआर जमा राशि एकत्र की, नामित निदेशक– एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

He is a former General Manager of Bank of Baroda with and was associated with the Bank for 34 years.

Highlights of career in Bank of Baroda:

General Manager (International Operations), General Manger (USA Operations), GM/ Zonal Head (TN & Kerala Zone), Regional Manager (Baroda, Kanpur and Kerala), Dy./ Asst. General Manager (Sharjah and Dubai), Asst. General Manager (MSME), Corporate Office, Branch Head of 6 different branches across India and Director, Bank of Baroda (New Zealand) Ltd (A Subsidiary of BoB)

He is/was a Guest Faculty in NIBM on invitation and External member of Special Staff Accountability Committee (DMD Level) of IDBI.

Mr. Rakesh Nema (Non-Executive Non-Independent Director)

He possesses Postgraduate in Applied Physics and Computer Applications, DIP in Computer (Advanced), JAIIB, CAIIB, Anti-Money Laundering and KYC and has certification in IT Security.

He joined as a Manager in Bank of Baroda on 07.08.2000 Mumbai Corporate Office. Portfolios handled by him are IT Compliance (2006-2009), IT Projects (2009-2014) and Digital Banking (2017-2018). On 25.03.2019 he took charge of Bank of Baroda Disaster Recovery Site, Hyderabad and also took charge as DGM, IT Operations (2019-2022). On 01st August 2022 he took charge as Head of IT Operations- General Manager, IT Operations, Bank of Baroda.

He was early associated with Nainital Bank as a Non-Executive Director from June 26, 2015 till December 22, 2017.

Mr. Gopal Singh Gusain (Non-Executive Independent Director)

He possesses degree of Institute of Cost and Management Accountants of India, Certified Associate of Indian Institute of Bankers, India, Diploma in treasury, Investment and Risk Management from Indian Institute of Bankers, and Bachelors of Science.

Professional Exposure -

Union Bank of India: September 2018- Jan 2022 (Executive Director), Punjab National Bank October 1994 till September 2018 (Joined as Specialist officer in credit vertical and rose to the rank of General Manager), Worked for three years in Hong Kong as Chief Executive (2013-2016) for HK and China operations of the bank. Bank had USD 7 billion assets under the portfolio. Branch alone collected FCNR deposits of over 1 billion USD in the 2013 FCNR scheme, Nominee Director-

– बैंकों के स्वामित्व वाली और पहली एआरसी को बढ़ावा दिया, नामित निदेशक– एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नामित निदेशक– डीएफएल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। एक एनबीएफसी। कंपनी के वित्तीय रूप से कमजोर होने के बाद इसके प्रबंधन में बदलाव के समय इसे संभाला, जांच के लिए एकल बिंदु, रिपोर्टिंग, सरकार, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क करना, नीरव मोदी धोखाधड़ी मामले का पता लगाना और निष्कर्ष निकालना और बैंक द्वारा विकसित जोखिम रेटिंग मॉडल के लिए कॉपीराइट धारक के रूप में कार्य किया।

अन्य संस्थानों के साथ उनका जुड़ाव इस प्रकार है –

सदस्य बोर्ड – भारतीय रिजर्व बैंक, स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष – एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, स्वतंत्र निदेशक और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष – एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड, वरिष्ठ जोखिम सलाहकार – पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड, प्रमोटरों के नामित निदेशक – यूनियन म्यूचुअल फंड और पीएनबी गिल्ट लिमिटेड के सदस्य बोर्ड के रूप में रहें।

समितियों की संरचना

1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

एसीबी का गठन केवल गैर–कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) के साथ किया जाएगा। बोर्ड का अध्यक्ष एसीबी का सदस्य नहीं होगा। एसीबी की बैठक तीन सदस्यों की कोरम के साथ होगी। एसीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम दो–तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। एसीबी की बैठक तिमाही में कम से कम एक बार होगी। एसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा। एसीबी का अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी समिति का सदस्य नहीं होगा जिसे ऋण जोखिम को मंजूरी देने का अधिदेश प्राप्त है। सभी सदस्यों में सभी वित्तीय विवरणों के साथ–साथ उनसे जुड़े नोट्स/रिपोर्ट को समझने की क्षमता होनी चाहिए और कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होनी चाहिए [उदाहरण के लिए, लेखांकन मानकों और प्रथाओं के अनुप्रयोग में अनुभव, जिसमें इसके आसपास आंतरिक नियंत्रण शामिल हैं]।

एसीबी आम तौर पर सचिव को छोड़कर किसी भी कार्यकारी या वरिष्ठ प्रबंधन पदाधिकारी की उपस्थिति के बिना बैठक करेगी। हालांकि, अपने विवेकानुसार और जब भी जरूरत होगी, हॉल टाईम डाइरेक्टर, वित्त कार्य प्रमुख सतर्कता कार्य, जोखिम कार्य, अनुपालन या किसी भी वरिष्ठ प्रबंधन पदाधिकारी या किसी कार्यकारी या सांविधिक लेखा परीक्षक सहित लेखा परीक्षक/लेखा फर्म के प्रतिनिधि को अपनी बैठकों में पूरी तरह या आंशिक रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगी।

Asset Reconstruction Company of India Limited - Banks owned and promoted first ARC, Nominee Director- Experian Credit Information Company Private Limited, Nominee Director- DFL Infrastructure Finance Limited. A NBFC. Handled it at the time for its management change after the company became sick, Single point for investigation, reporting, liasoning with various agencies like Government, CBI, ED, SFIO for unearthing and concluding Nirav Modi Fraud Case and Copyright holder for the risk rating models developed by the bank.

His Association with other institutions are as under -

Member Board - Reserve Bank of India, Independent Director and Chairman Audit Committee of Board - LIC Pension Fund Limited, Independent Director and Chairman Audit Committee of Board - STCI Finance Limited, Senior Risk Consultant - PSB Alliance Private Limited, Promoters' Nominee Director - Union Mutual Fund and PNB Gilts Ltd.

Composition of Committees

1. Audit Committee of Board (ACB)

The ACB to be constituted with only Non-Executive Directors (NEDs). The Chair of the Board shall not be a member of the ACB. The ACB shall meet with a quorum of -3- Three members. At least Two-Thirds of the members attending the meeting of the ACB shall be Independent Directors. The ACB shall meet at least once in a quarter. The meetings of the ACB shall be chaired by an Independent Director who shall not chair any other Committee of the Board. The Chair of the ACB shall not be a member of any Committee of the Board which has a mandate of sanctioning credit exposures. All members should have the ability to understand all financial statements as well as the notes/reports attached thereto and at least one member shall have requisite professional expertise/qualification in financial accounting or financial management [e.g., experience in application of accounting standards and practices, including internal controls around it].

The ACB shall normally meet without the presence of the executives or senior management functionaries except for the Secretary. However, at its discretion and as/when needed shall invite any of the WTDs, Head of Finance function, Vigilance Function, Risk Function, Compliance or any Senior Management functionary or any executive or a representative of an Auditor/Audit Firm including Statutory Auditor to be present at its meetings in whole or in part.

2. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड एनईडी के बहुमत से आरएमसीबी का गठन करेगा। आरएमसीबी की बैठक तीन सदस्यों के कोरम से होगी। आरएमसीबी की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होगी। आरएमसीबी की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी, जो बोर्ड या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं होगा। बोर्ड का अध्यक्ष आरएमसीबी का सदस्य तभी हो सकता है, जब उसके पास अपेक्षित जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो। आरएमसीबी की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।

आरएमसीबी आम तौर पर सचिव को छोड़कर कार्यकारी या वरिष्ठ प्रबंधन पदाधिकारियों की उपस्थिति के बिना बैठक करेगी। हालांकि, अपने विवेक पर और जब भी जरूरत होगी, अनुपालन प्रमुख और प्रबंधन के प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को अपनी बैठकों में पूरी तरह या आंशिक रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित करेगी।

3. नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति

बोर्ड ने केवल एनईडी से बना एक एनआरएचआर का गठन किया है। एनआरएचआर की बैठक तीन सदस्यों के कोरम से होगी। एनआरएचआर की बैठक में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से एक आरएमसीबी का सदस्य होगा। एनआरएचआर की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी। बोर्ड का अध्यक्ष एनआरएचआर की अध्यक्षता नहीं करेगा। आवश्यकतानुसार एनआरएचआर की बैठक आयोजित की जा सकती है।

4. बोर्ड की प्रबंधन समिति

बोर्ड ने प्रबंधन समिति और/या कार्यकारी समिति और/या ऋण समिति और/या निवेश समिति या किसी अन्य समिति का गठन किया है, जिसे किसी भी नाम से जाना जाता है, जिसके पास जोखिम उठाने का अधिदेश है, तो इसमें ऐसे निदेशक शामिल होंगे जो एसीबी, आरएमसीबी या एनआरएचआर का हिस्सा नहीं हैं। ये समितियाँ, जिनके पास जोखिम उठाने का अधिदेश है, आरएमसीबी द्वारा अनुशंसित बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करेंगी। बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष समिति का हिस्सा नहीं होंगे। यदि ऐसी समिति(यों) में एक से अधिक डब्ल्यूटीडी शामिल हैं, तो किसी भी डब्ल्यूटीडी की अन्य डब्ल्यूटीडी के प्रदर्शन मूल्यांकन में कोई भूमिका नहीं होगी।

5. हितधारकों के संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2023 के अनुसार अपने मौजूदा अधिदेश के अलावा, एसआरसी जमाकर्ता हित, ग्राहक सेवा, उपयुक्तता और औचित्य के मामलों के

2. Risk Management Committee of Board

The Board shall constitute an RMCB with a majority of NEDs. The RMCB shall meet with a quorum of -3- Three members. At least half of the members attending the meeting of the RMCB shall be Independent Directors of which at least one member shall have professional expertise/qualification in risk management. Meetings of RMCB shall be chaired by an Independent Director who shall not be a Chair of the Board or any other Committee of the Board. The Chair of the Board may be a member of the RMCB only if he/she has the requisite Risk Management expertise. The RMCB shall meet at least once in each quarter.

The RMCB shall normally meet without the presence of the Executives or Senior Management functionaries except for the Secretary. However, at its discretion and as/when needed shall invite Head of Compliance and representative/s of the management to be present at its meetings in whole or in part.

3. Nomination and remuneration & Human resource Committee

The Board has constituted an NRHR made up of only NEDs. The NRHR shall meet with a quorum of -3- Three members. At least half of the members attending the meeting of the NRHR shall be Independent Directors, of which one shall be a member of the RMCB. The meetings of the NRHR shall be chaired by an Independent Director. The Chair of the Board shall not chair the NRHR. The meeting of NRHR may be held as and when required.

4. Management Committee of Board

The Board constitute/have constituted committee(s) such as Management Committee and/or Executive Committee and/or Credit Committee and/or Investment Committee or any other Committee by whatever name called which has a mandate to assume risks, then it shall consist of Directors who are not part of either ACB, RMCB or NRHR. These Committees which has a mandate to assume risks will exercise powers delegated by the Board as recommended by the RMCB. The Non-Executive Chairperson of the Board shall not be part of the Committee. Should such committee(s) include more than one WTD, then no WTD shall have a role in the performance appraisal of the other WTD.

5. Stakeholders' relationship Committee

In addition to its extant mandate as per Companies Act, 2023, the SRC shall also have oversight on matters of de-

साथ–साथ विभिन्न शिकायत निवारण तंत्रों पर भी निगरानी रखेगा।

6. आईटी रणनीति और डिजिटल प्रचार समिति

संदर्भ – सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर कार्य समूह। आरबीआई/2010–11/494 डीबीएस.सीओ.आईटीसी.बीसी.सं.6/31.02.2008/2010–11 दिनांक 29 अप्रैल, 2011।

बोर्ड कम से कम तीन निदेशकों के साथ एक आईटी रणनीति समिति का गठन करेगा, जिनमें से एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए। आईटी रणनीति समिति के सभी सदस्यों को तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए, जबकि कम से कम एक सदस्य को प्रौद्योगिकी पहलों के प्रबंधन/मार्गदर्शन में पर्याप्त विशेषज्ञता होनी चाहिए।

7. विलफुल डिफॉल्टर समिति

समिति का नेतृत्व अध्यक्ष/एमडी और सीईओ करेंगे तथा इसमें बैंक/एफआई के दो स्वतंत्र निदेशक भी शामिल होंगे और उक्त समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही आदेश अंतिम होगा।

8. गैर–सहकारी उधारकर्ता समिति

समिति का नेतृत्व अध्यक्ष/एमडी और सीईओ करेंगे तथा इसमें बैंक/एफआई के दो स्वतंत्र निदेशक भी शामिल होंगे और उक्त समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही आदेश अंतिम होगा।

9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, बोर्ड तीन या अधिक निदेशकों वाली एक सीएसआर समिति का गठन करेगा, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

मानकों के अनुसार, इसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक होगा। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

10. वसूली समिति

वसूली प्रणाली पर केंद्रित दृष्टिकोण रखने के लिए, बोर्ड ने बैंक को बोर्ड स्तर पर वसूली समिति बनाने का निर्देश दिया है।

मानकों के अनुसार, इसमें कम से कम 3 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 1 स्वतंत्र निदेशक होगा। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

11. बड़ी राशि की धोखाधड़ी समिति

विशेष समिति का गठन निदेशक मंडल के पांच सदस्यों के साथ किया जाना है, जिसमें एमडी और सीईओ, एसीबी के दो सदस्य

positor interest, customer service, suitability and appropriateness as well as various grievance redressal mechanism thereto.

6. **IT Strategy & Digital promotion Committee**

Reference - Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Management and Cyber Frauds. RBI/2010-11/494 DBS.CO.ITC. BC.No.6/31.02.2008/2010-11 dated April 29, 2011.

The Board to constitute an IT Strategy Committee with a minimum of three directors as members, one of whom should be an Independent Director. All members of the IT Strategy Committee would need to be technically competent while at least one member would need to have substantial expertise in managing/guiding technology initiatives.

7. **Wilful Defaulter Committee**

Committee to be headed by the Chairman/ MD & CEO and consisting, in addition, of two independent directors of the Bank/FI and the order shall become final only after it is confirmed by the said Review Committee.

8. **Non-Co-Operative Borrower Committee**

Committee to be headed by the Chairman/ MD & CEO and consisting, in addition, of two independent directors of the Bank/FI and the order shall become final only after it is confirmed by the said Review Committee.

9. **Corporate Social Responsibility Committee**

As per Section 135 of Companies Act, 2013, the Board to constitute a CSR Committee consisting of three or more Directors out of which atleast one Director shall be an Independent Director.

As per standards, it shall consist of atleast -3- Members having atleast -1- Independent Director. The Committee shall be chaired by an Independent Director.

10. **Recovery Committee**

In order to have a focused approach on Recover System, Board has directed the Bank to formulate a Recovery Committee at Board level.

As per standards, it shall consist of atleast -3- Members having atleast -1- Independent Director. The Committee shall be chaired by an Independent Director.

11. **Large Value Fraud Committee**

The Special Committee is to be constituted with five members of the Board of Directors, consisting of MD &

और आरबीआई के नामित व्यक्ति को छोड़कर बोर्ड के दो अन्य सदस्य शामिल होंगे। विशेष समिति की बैठकों की आवधिकता शामिल मामलों की संख्या के अनुसार तय की जा सकती है। इसके अलावा, समिति को ₹ 10 मिलियन और उससे अधिक की राशि से जुड़ी धोखाधड़ी के प्रकाश में आने पर बैठक करनी चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए।

CEO, two members from ACB and two other members from the Board excluding RBI nominee. The periodicity of the meetings of the Special Committee may be decided according to the number of cases involved. In addition, the Committee should meet and review as and when a fraud involving an amount of ₹10 million and above comes to light.

दिनांक 31 मार्च 2024 तक समितियों की संरचनां / Composition of Committees as of March 31, 2024

नाम / NAME	एसीबी / ACB	आरएमसीबी / RMCB	एनआरएचआर / NRHR	एमसीबी / MCB	सीएसआर / SRC	आईटीडी / ITD	डब्ल्यूडी / WD	एनसीबी / NCB	सीएसआर / CSR	आरसी / RC	एलवीएफ / LVF
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) Mr. N K Chari, (Chairman)	x	सदस्य / Member	सदस्य / Member	x	x	सदस्य / Member	x	x	x	सदस्य / Member	सदस्य / Member
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) Mr. Nikhil Mohan (MD & CEO)	x	x	x	अध्यक्ष / Chairman	x	सदस्य / Member	अध्यक्ष / Chairman	अध्यक्ष / Chairman	x	x	सदस्य / Member
श्रीमती बिनीता शाह–आईडी Mrs. Binita Shah-ID	सदस्य / Member	x	अध्यक्ष / Chairperson	x	x	x	x	सदस्य / Member	अध्यक्ष / Chairperson	x	x
श्री राकेश नेमा –एनईडी Mr. Rakesh Nema-NED	x	x	x	सदस्य / Member	सदस्य / Member	अध्यक्ष / Chairman	x	x	सदस्य / Member	x	x
श्री मनोज शर्मा –आईडी Mr. Manoj Sharma -ID	सदस्य / Member	सदस्य / Member	सदस्य / Member	x	अध्यक्ष / Chairman	x	x	x	x	सदस्य / Member	सदस्य / Member
श्री यू सी नाहटा –आईडी Mr. U C Nahta-ID	अध्यक्ष / Chairman	x	x	x	सदस्य / Member	x	x	x	सदस्य / Member	x	x
श्री नीलम दामोदरन –आईडी Mr. Neelam Damodharan-ID	x	x	x	सदस्य / Member	x	सदस्य / Member	सदस्य / Member	सदस्य / Member	x	अध्यक्ष / Chairman	अध्यक्ष / Chairman
श्री गोपाल सिंह गुंसाई –आईडी Mr. Gopal Singh Gusain - ID	सदस्य / Member	अध्यक्ष / Chairman	सदस्य / Member	x	x	x	सदस्य / Member	सदस्य / Member	x	x	सदस्य / Member
कुल सदस्य Total Members	**4**	**3**	**4**	**3**	**3**	**4**	**3**	**4**	**3**	**3**	**5**

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए निदेशकों की उपस्थिति / Attendance of Directors for FY 2023-24

निदेशक / DIRECTOR	बोर्ड / Board	समिति / Committee
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) / Mr. N K Chari, (Chairman)	100% (9/9)	100% (26/26)
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) / Mr. Nikhil Mohan, (MD & CEO)	100% (9/9)	100% (14/14)
श्रीमती बिनीता शाह–आईडी / Mrs. Binita Shah-ID	100% (9/9)	100% (27/27)
श्री राकेश नेमा –एनईडी / Mr. Rakesh Nema-NED	89% (8/9)	80% (20/25)
श्री मनोज शर्मा –आईडी / Mr. Manoj Sharma -ID	100% (9/9)	97% (32/33)
श्री यू सी नाहटा –आईडी / Mr. U C Nahta-ID	100% (9/9)	100% (15/15)
श्री नीलम दामोदरन –आईडी / Mr. Neelam Damodharan-ID	100% (9/9)	100% (18/18)
श्री गोपाल सिंह गुंसाई –आईडी / Mr. Gopal Singh Gusain - ID	100% (3/3)	100% (5/5)
श्री संजीव डोभाल–एनईडी / Mr. Sanjeev Dobhal - NED	50% (1/2)	100% (4/4)

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड मीटिंग की उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register for the Board Meeting FY 2023-2024

निदेशक / Director	28.04. 23	14.07.23	29.07.23	04.09.23	17.10. 23	16.12.23	25.01.24	09.02.24	05.03.24
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) Mr. N K Chari, (Chairman)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) Mr. Nikhil Mohan, (MD & CEO)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्रीमती बिनीता शाह–आईडी Mrs. Binita Shah-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री मनोज शर्मा–आईडी Mr. Manoj Sharma -ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री यू सी नाहटा –आईडी Mr. U C Nahta-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री नीलम दामोदरन –आईडी Mr. Neelam Damodharan-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री राकेश नीमा (एनईडी) –आईडी Mr. Rakesh Nema (NED)	उपस्थित P	उपस्थित P	गैर उपस्थित A	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री गोपाल सिंह गुंसाई –आईडी Mr. Gopal Singh Gusain - ID	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री संजीव डोभाल–एनईडी Mr. Sanjeev Dobhal - NED	उपस्थित P	गैर उपस्थित A	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड के जोखिम प्रबंधन समिति की उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register Risk Management Committee of Board for the FY 2023-2024

निदेशक / Director	27.04.2023	07.07.2023	28.08.2023	17.10.2023	03.12.2023	02.03.2024
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) Mr. N K Chari, (Chairman)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री मनोज शर्मा –आईडी Mr. Manoj Sharma -ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री संजीव डोभाल Mr. Sanjeev Dobhal	उपस्थित P	उपस्थित P	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA
श्रीमती बिनीता शाह Mrs. Binita Shah	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	लागू नहीं NA
श्री गोपाल गुंसाई Mr. Gopal Gusain	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित P

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register Audit Committee of Board for the FY 2023-2024

निदेशक / Director	27.04.23	10.07.23	28.07.23	28.08.23	17.10.23	04.12.23	25.01.24	27.02.24
श्रीमती बिनीता शाह –आईडी Mrs. Binita Shah-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री मनोज शर्मा –आईडी Mr. Manoj Sharma -ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री यू सी नाहटा –आईडी Mr. U C Nahta-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री गोपाल गुंसाई Mr. Gopal Gusain	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित P
श्री संजीव डोभाल Mr. Sanjeev Dobhal	उपस्थित P	उपस्थित P	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड के नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति की उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register Nomination and Remuneration & HR Committee of the Board for the FY 2023-2024

निदेशक / Director	27.04.23	23.06.23	28.07.23	01.09.23	08.12.23	17.12.23	25.01.24	27.02.24	20.03.24
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) Mr. N K Chari, (Chairman)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्रीमती बिनीता शाह –आईडी Mrs. Binita Shah-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री मनोज शर्मा –आईडी Mr. Manoj Sharma -ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री गोपाल गुंसाई Mr. Gopal Gusain	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित P	उपस्थित P

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड की प्रबंधन समिति हेतु उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register for Management Committee of Board for the FY 2023-2024

निदेशक / Director	27.04.2023	22.05.2023	28.07.2023	28.08.2023	09.12.2023	26.02.2024
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) Mr. Nikhil Mohan, (MD & CEO)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री नीलम दामोदरन –आईडी Mr. Neelam Damodharan-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री राकेश नेमा –एनईडी Mr. Rakesh Nema-NED	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड की हितधारक संबंध समिति की उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register Stakeholders Relationship Committee of the Board for the FY 2023-2024

निदेशक / Director	28.07.2023	07.12.2023	02.03.2024
श्रीमती बिनीता शाह –आईडी Mrs. Binita Shah-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री मनोज शर्मा –आईडी Mr. Manoj Sharma -ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री यू सी नाहटा –आईडी Mr. U C Nahta-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री राकेश नेमा –एनईडी Mr. Rakesh Nema-NED	गैर उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड की आईटी रणनीति और डिजिटल प्रमोशन समिति हेतु उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register for IT Strategy & Digital Promotion Committee of the Board for the FY 2023-2024

निदेशक / Director	28.04.2023	02.09.2023	09.12.2023	26.02.2024
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) Mr. N K Chari, (Chairman)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) Mr. Nikhil Mohan , (MD & CEO)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री नीलम दामोदरन –आईडी Mr. Neelam Damodharan-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री राकेश नेमा –एनईडी Mr. Rakesh Nema-NED	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड की रिकवरी समिति के लिए उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register for Recovery Committee of the Board for the FY 2023-2024

निदेशक / Director	08.06.2023	01.09.2023	09.12.2023	26.02.2024
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) Mr. N K Chari, (Chairman)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री मनोज शर्मा –आईडी Mr. Manoj Sharma -ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री नीलम दामोदरन –आईडी Mr. Neelam Damodharan-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड की बड़ी मूल्य धोखाधड़ी समिति के लिए उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register for Large Value Fraud Committee of the Board for the FY 2023-2024

निदेशक /Director	04.09.2023	09.12.2023	30.03.2024
श्री एन के चारी, (अध्यक्ष) Mr. N K Chari, (Chairman)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) Mr. Nikhil Mohan , (MD & CEO)	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री मनोज शर्मा –आईडी Mr. Manoj Sharma -ID	उपस्थित P	गैर उपस्थित A	उपस्थित P
श्री नीलम दामोदरन –आईडी Mr. Neelam Damodharan-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्रीमती बिनीता शाह –आईडी Mrs. Binita Shah-ID	उपस्थित P	NA	लागू नहीं NA
श्री राकेश नेमा –एनईडी Mr. Rakesh Nema-NED	लागू नहीं NA	उपस्थित P	लागू नहीं NA
श्री गोपाल गुंसाई Mr. Gopal Gusain	लागू नहीं NA	लागू नहीं NA	उपस्थित P

वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड की विलफुल डिफॉल्टर समीक्षा समिति के लिए उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register for Wilful Defaulter Review Committee of the Board for the FY 2023-2024

निदेशक /Director	28.07.2023
श्री निखिल मोहन, (एमडी और सीईओ) Mr. Nikhil Mohan , (MD & CEO)	उपस्थित P
श्री नीलम दामोदरन –आईडी Mr. Neelam Damodharan-ID	उपस्थित P
श्री यू सी नाहटा–आईडी Mr. U C Nahta-ID	उपस्थित P

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए बोर्ड की सीएसआर समिति के लिए उपस्थिति रजिस्टर
Attendance Register for CSR Committee of the Board the FY 2023-2024

निदेशक /Director	07.07.2023	04.12.2023	27.03.2024
श्रीमती बिनीता शाह –आईडी Mrs. Binita Shah-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री यू सी नाहटा –आईडी Mr. U C Nahta-ID	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P
श्री राकेश नेमा –एनईडी Mr. Rakesh Nema-NED	उपस्थित P	उपस्थित P	उपस्थित P

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में दावा न किए गए लाभांश और शेयरों का हस्तांतरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 और 125 के प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम") (इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन, संशोधन, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, बैंक को सात (7) वर्षों की अवधि के लिए दावा न किए गए सभी लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना सांविधिक रूप से आवश्यक है।

वित्त वर्ष 2015–16 तक के लाभांश पहले ही आईईपीएफ में अंतरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, बैंक की पुस्तकों में 11,68,035 रुपये की राशि दावा न किया गया लाभांश के रूप में बनी हुई है।

Transfer of unclaimed dividend and shares to Investor Education & Protection Fund (IEPF)

As per the provisions of Section 124 and 125 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("IEPF Rules") (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Bank is statutorily required to transfer to the Investor Education & Protection Fund (IEPF) all dividends remaining unclaimed for a period of seven (7) years.

Dividends for and up to the Financial Year 2015-16 have already been transferred to the IEPF. Further, amount of Rs 11,68,035 remains as unclaimed dividend in the books of the bank.

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं धन वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अनुसार इक्विटी शेयर, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, आईईपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ में स्थानांतरित इक्विटी शेयरों का दावा आईईपीएफ की वेबसाइट यानी www.iepf.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके किया जा सकता है। आईईपीएफ के प्रावधानों के तहत नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण बैंक की वेबसाइट https://nainitalbank.co.in पर उपलब्ध है।

तदनुसार, 10433 इक्विटी शेयर, जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है, को पिछले वर्षों में आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सीएफओ प्रमाणन

निदेशक मंडल
नैनीताल बैंक लिमिटेड

नैनीताल बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को प्रमाण पत्र।

नैनीताल बैंक लिमिटेड (इसमें इसके बाद "बैंक") के महेश गोयल (मुख्य वित्तीय अधिकारी) बोर्ड को प्रमाणित करते हैं किः

क. दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हैः

   i. इन विवरणों में कोई भी महत्वपूर्ण रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा है या ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

   ii. ये विवरण एक साथ बैंक के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कोई भी ऐसा लेन–देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध हो या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, के बारे में बताया है, जिनके

Pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, equity shares in respect of which the dividend has not been claimed for seven consecutive years have been transferred to the designated demat account of the IEPF Authority. The unclaimed dividend and the equity shares transferred to IEPF can be claimed by making an application in the prescribed form available on the website of IEPF i.e. www.iepf.gov.in. The details of Nodal Officer appointed under the provisions of IEPF are available on the website of the Bank at https://nainitalbank.co.in.

Accordingly, 10433 equity shares in respect of which the dividend has not been claimed for seven consecutive years have been transferred to the designated demat account of the IEPF Authority in previous years.

CFO Certification

The Board of Directors
The Nainital Bank Limited

Certificate to the Board of Directors of The Nainital Bank Limited.

Mahesh Goyal (Chief Financial Officer) of The Nainital Bank Limited (hereinafter "the Bank") hereby certify to the Board that:

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the Financial Year ended March 31, 2024 and that to the best of our knowledge and belief:

   i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violate of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps taken

बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताया है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है: (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन; (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोटों में उनका खुलासा किया गया है; और (iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के मामले जिनके बारे में हमें पता चला है और उनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले किसी कर्मचारी की भागीदारी, यदि कोई हो।

ह/––
(महेश गोयल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थानः नैनीताल
दिनांकः 30 अगस्त, 2024

जोखिम प्रबन्धन

जोखिम बैंकिंग व्यवसाय का अभिन्न अंग है और बैंक का उद्देश्य जोखिम और प्रतिलाभों के बीच एक उपयुक्त संतुलन स्थापित करना है। बैंक विभिन्न जोखिमों का सामना करता है, जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्निहित अंग होते हैं। प्रमुख जोखिम ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, नकदी जोखिम और परिचालन जोखिम हैं। धारणीय और सुसंगत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढाँचा विकसित किया है, ताकि बैंक द्वारा कल्पित जोखिमों का उचित आकलन और निगरानी हो सके । गौरतलब है कि जोखिम प्रबंधन ढाँचा स्थापित करने का परम दायित्व बैंक के निदेशक मंडल का है। निदेशक मंडल ने मंडल की एक जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की है, जो विभिन्न प्रकार के जोखिमों के बीच अंतर संबंधों का निरीक्षण करती है।

बैंक की एक व्यापक आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया और दबाव परीक्षण नीति है। नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और पूँजी पर्याप्तता जैसे पिलर 2 के जोखिमों का सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों में वर्तमान नीतियों के अनुसार आकलन किया जाता है। बैंक के भीतर विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन करने के तंत्र की एक संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार हैः–

आस्ति देयता प्रबन्धन (एएलएम)

तरलता जोखिम उचित लागत पर अपेक्षित और अप्रत्याशित नकदी और संपार्श्विक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता है। बैंक में नकदी जोखिम का मापन और निगरानी रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एप्रोच और अन्य विवेकपूर्ण व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाती है। बैंक ने नकदी मानदंडों पर बेसल III ढ़ाचे पर नकदी कवरेज अनुपात (एलसीआर),

or proposed to be taken to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit committee: (i) significant changes in internal control over financial reporting during the year; (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sd/-
(Mahesh Goyal)
Chief Financial officer

Place: Nainital
Date: 30 August, 2024

RISK MANAGEMENT

Risk is an integral part of the banking business and the Bank aims to achieve an appropriate trade-off between risk and returns. The Bank is exposed to various risks that are an inherent part of any banking business. The major risks are credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk. To ensure sustainable and consistent growth, the Bank has developed a sound risk management framework so that the risks assumed by the Bank are properly assessed and monitored. It may be noted that the ultimate responsibility for setting up the risk management framework lies with the Board of the Bank. The Board has also constituted a Risk Management Committee of the Board which oversees the interlinkages among different type of risks.

The Bank has a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process and stress test policy. The Pillar 2 risks such as Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Concentration Risk, Reputational Risk, Pension Obligation Risk, Business and Strategic Risk and Capital Adequacy under both normal and stressed conditions are assessed as per the extant policies. A brief outline of the mechanism for identifying, evaluating and managing various risks within the Bank is as follows:-

ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM)

Liquidity Risk is the inability to meet expected and unexpected cash and collateral obligations at reasonable cost. At the Bank, the liquidity risk is measured and monitored through Stock Approach and other prudential stipulations as per RBI's extant guidelines. The Bank has implemented the Basel III Framework on Liquidity Standards - Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity

नकदी जोखिम निगरानी टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानदंडों का कार्यान्वयन किया है। एलसीआर मानदंडों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक ऐसी भार–रहित उच्चगुणवत्ता पूर्ण आस्तियों का एक उपयुक्त स्तर कायम रखें, जो पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर नकदी दबाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर–दिनों की समय–सीमा की नकदी–आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदली जा सकें। बैंक सदैव एलसीआर के निर्धारित स्तर से पर्याप्त ऊपर रहा है।

आरबीआई ने दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो) भी पेश किया है जो लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलेपन को बढ़ावा देता है जिससे बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को निधि देने की आवश्यकता होती है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक अपनी संपत्तियों और ऑफ बैलेंस शीट से इतर गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफाइल बनाए रखे। बैंक का एनएसएफआर 100% के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है।

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) संवेदनशील परिसंपत्तियों और देयताओं के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है जो ब्याज दरों में बदलाव के साथ बैंक की इक्विटी की आय/आर्थिक मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बैंक बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का आकलन और निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन उपकरण जैसे परंपरागत अंतर विश्लेषण, जोखिम पर आय और इक्विटी की संशोधित अवधि का उपयोग करता है। शुद्ध ब्याज आय (शून्य), पर ब्याज दर के उतार–चढ़ाव के अल्पकालिक प्रभाव की गणना 'जोखिम पर आय' दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है। ब्याज दर के उतार–चढ़ाव के दीर्घकालिक प्रभाव को इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) में बदलाव के माध्यम से मापा और मॉनिटर किया जाता है।

नकदी और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए नीतिगत ढाँचा बैंक की एएलएम नीति में स्थापित किया जाता है, जो विनियामक अनुदेशों से निर्देशित होती है। बैंक की आस्ति देयता समिति (एल्को) सुनिश्चित करती है कि नकदी जोखिम और ब्याज दर जोखिम वहनीयता की सीमाओं के अंतर्गत रहें। इसके अतिरिक्त, हमारे बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नकदी और ब्याज दर जोखिम कवर करने वाला दबाव परीक्षण कार्यक्रम है, जो विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम वह जोखिम है जिसे उधारकर्ताओं के ऋण की गुणवत्ता में कमी आने, प्रतिपक्षों के अचानक डिफाल्ट या पोर्टफोलियो में कमी से सम्बन्धित हानि की सम्भावना के रुप में परिभाषित किया गया है। ऋण जोखिम प्रबन्धन एक व्यापक एवं सुपरिभाषित ऋण नीति के द्वारा नियंत्रित होता है जोकि बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है। पोर्टफोलियो में अनुचित केन्द्रीकरण जोखिम के निवारण के लिए बैंक ने विभिन्न उद्योगों, सेक्टर व उधारकर्ताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं तय की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप बैंक वर्तमान में ऋण जोखिम के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण पर कार्य कर रहा है।

Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. The LCR Standard aims to ensure that banks maintain an adequate level of unencumbered High - Quality Liquid Assets that can be converted into cash to meet liquidity needs for a 30-calendar days' time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors. The Bank has always been well above the stipulated level of LCR.

The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.`

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) arises due to mismatch between rate sensitive assets and liabilities which may adversely impact the earnings/economic value of equity of the Bank with the change in interest rates. The Bank uses risk management tools such as Traditional Gap Analysis, Earning at Risk and Modified Duration of Equity for the measurement and monitoring of Interest rate risk in the banking book. The short term impact of interest rate movements on Net Interest Income [NII] is calculated through the 'Earnings at Risk' approach. The long-term impact of interest rate movements is measured and monitored through change in Market Value of Equity (MVE).

The policy framework for liquidity and interest rate risk management is established in the Bank's ALM Policy and LCR & NSFR Policy which is guided by regulatory instructions. Bank's Asset Liability Committee (ALCO) ensures that liquidity risk and interest rate risk are within the tolerance limits. Additionally, our Bank has a comprehensive Board approved stress testing programme covering liquidity and interest rate risk which is aligned with the regulatory guidelines.

CREDIT RISK

Credit Risk is defined as the possibility of losses associated with the reduction in the credit quality of borrowers or counterparties from outright default of reduction in portfolio value. Credit Risk management is governed by a comprehensive and well-defined Loan Policy and Credit Risk Management Policy which is approved by the Board. To manage the undue concentration risk in the portfolios, the Bank has put in place prudential caps across industries, sectors and borrowers. In accordance with the RBI guidelines, Bank is currently on the Standardized Approach for credit risk.

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम पोर्टफोलियो के मूल्यों में विपरीत बदलावों के कारण होने वाली आय या आर्थिक मूल्य की हानि हैं। विभिन्न बाजार–उत्पादों के आर्थिक मूल्य में बदलाव मुख्यतः बाजार–दर, आर्थिक वृद्धि और व्यापार में भरोसे जैसे कारकों में बदलाव के कारण होता है। बैंक के पास अपने बाजार जोखिम की स्थितियाँ ग्रहण करने वाले राजकोषीय क्रिया–कलापों के नियंत्रण और निगरानी के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ है। बैंक अपनी ट्रेडिंग–बुक में बाजार–दर जोखिम का मापन और निगरानी तिमाही आधार पर संशोधित अवधि दृष्टिकोण के माध्यम से करता है। लेनदेन के स्तर पर हानि–रोध सीमाएँ निर्धारित और कार्यान्वित की गई है। अपने दबाव परीक्षण ढाँचे के अंतर्गत बैंक तिमाही आधार पर अपने व्यापार पुस्तक पोर्टफोलियो का व्यापक दबाव परीक्षण करता है।

मिड–ऑफिस जोखिम प्रबंधन के एक भाग के रूप में, दैनिक आधार पर परिभाषित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुसार पोर्टफोलियो वार निवेश सीमा को मापता है और निगरानी करता है। बैंक के लिए बाजार जोखिम पूंजी प्रभार की गणना विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार की जाती है।

परिचालन जोखिम

परिचालन जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त अथवा निष्फल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, लोगों तथा प्रणालियों अथवा बाहरी घटकों से हानि के कारण होने वाला जोखिम है। इसमें विधिक जोखिम भी शामिल है, लेकिन कार्यनीति तथा प्रतिष्ठा सम्बन्धी जोखिम इसमें शामिल नहीं हैं। बैंक में एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें बैंक ने बेसल III दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालन जेखिम के लिए जोखिम वेटेड आस्ति की गणना हेतु बेसिक सूचक दृष्टिकोण को परिभाषित किया है। बैंक ने बैंक स्तर पर परिचालन जोखिम का विश्लेषण करने के लिए प्रमुख जोखिम सूचक भी परिभाषित किया है।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)

तरलता कवरेज अनुपात बैंक तरलता के लिए एक वैश्विक न्यूनतम मानक है। इस अनुपात का ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण अत्यंत जटिल परिस्थितियों में 30 कैलेंडर दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त भाररहित उच्च कोटि की आस्तियां रखे जिन्हें नकदी में बदला जा सके। जून, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता मानकों पर तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और बेसल–III फ्रेमवर्क पर आधारित एलसीआर प्रकटीकरण, निगरानी टूल्स जारी किया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर एलसीआर दिनांक 1 जनवरी, 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत आवश्यकता के साथ बराबर सालाना वृद्धि के साथ 1 जनवरी, 2019 तक 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ लागू हो गया। कोविड–19 महामारी के कारण बैंक के कैश फ्लो के भार से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 17.04.2020 के अपने परिपत्र में बैंक के एलसीआर को निम्नानुसार रखने के लिए अनुमति दी है:

MARKET RISK

Market Risk implies the risk of loss of earnings or economic value due to adverse changes in market rates or prices of trading portfolio. The change in economic value of different market products is largely a function of change in factors such as interest rates, exchange rates, economic growth and business confidence. The Bank has well defined policies to control and monitor its treasury functions which undertake Market Risk positions. The Bank measures and monitors interest rate risk in its trading book through modified duration approach on quarterly basis. At a transaction level, stop loss limits have been prescribed and implemented. Under its stress testing framework, the Bank conducts comprehensive stress tests of its trading book portfolio on a quarterly basis.

Mid-Office as a part of Risk Management, measures and monitors investment cap limits portfolio wise as per the defined prudential limits on a daily basis. The market risk capital charge for the Bank is computed as per the Standardised Duration Approach (SDA) in line with the regulatory guidelines.

OPERATIONAL RISK

Operational Risk implies the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. This includes legal risk, but excludes strategic and reputation risks. Bank has a well-defined Operational Risk Management Policy where Bank has defined the Basic Indicator Approach for calculating the Risk weighted assets for Operational Risk as per BASEL III guidelines. Bank has also defined the Key Risk indicators for analyzing the Operational Risk at Bank level.

LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR)

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) is a global minimum standard for bank liquidity. The ratio aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high-quality liquid assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario. In June 2014, RBI released Basel III Framework on Liquidity Standards- Liquidity Coverage Ratio (LCR), Liquidity Risk Monitoring Tools and LCR Disclosure Standards. Based on the guidelines, LCR became effective on January 1, 2015 with minimum requirement for the ratio was at 60%, increasing in equal annual increments to reach 100% on January 1, 2019. In order to accommodate the burden on banks' cash flows on account of the Covid19 pandemic, RBI in its circular dated 17.04.2020 permitted to Banks' to maintain LCR as under:

परिपत्र की तारीख से सितंबर 30, 2020 तक –	80 प्रतिशत
1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक –	90 प्रतिशत
1 अप्रैल 2021 और इसके बाद –	100 प्रतिशत

निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात (एनएसएफआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से एनएसएफआर (निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात) भी शुरू किया है जो दीर्घकालिक समय सीमा पर लचीलापन को बढ़ावा देता है जिसके तहत बैंकों को निरंतर आधार पर अधिक स्थिर स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों को वित्त पोषित करना आवश्यक है। एनएसएफआर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैंक अपनी परिसंपत्तियों की संरचना और ऑफ–बैलेंस शीट गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर वित्त पोषण प्रोफ़ाइल बनाए रखता है। एनएसएफआर अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए। बैंक का एनएसएफआर 100% के निर्धारित स्तर से काफी ऊपर रहा है।

बेसल–III कार्यान्वयन

बेसल–III पूंजी विनियमों का कार्यान्वयन भारतीय बैंकों द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2013 से किया गया है। बेसल–III में सरलता से पारगमन के लिए पूंजी आवश्यकता के अनुरुप समुचित पारगमनीय व्यवस्था की गई है और न्यूनतम बेसल–III पूंजी अनुपातों व पूंजी के घटकों से सम्बन्धित पूर्ण नियामकीय समायोजन की प्राप्ति के लिए वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के साथ घोषित करने हेतु सभी आवश्यक घोषणाएं समेकित स्तर पर की गई हैं। इसके कार्यान्वयन के लिए एक ओर पूंजी की परिवर्धित गुणवत्ता एवं मात्रा और दूसरी ओर अधिक प्रकटीकरण की आवश्यकता है। वर्तमान में बैंक की पूंजी बेसल–III के अन्तर्गत जरुरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

नैनी रिपो लिंक्ड रेट दर

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र आरबीआई/2019–20/53 डीबीआरडीआईआर.बीसी.एनओ.14/13.03.00/2019–20, दिनांक 04.09 2019 में दिनांक 01.10.2019 से बाहरी बेंचमार्क आधारित ब्याज दर को बैंक द्वारा प्रदत्तर सभी नए वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण फ्लोटिंग दर और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की फ्लोटिंग दर के लिए अनिवार्य कर दिया है।

उपर्युक्त परिपत्र के मद्देनजर, एएलसीओ (अल्को) ने अपनी दिनांक 26.09.2019 की मीटिंग में को बाहरी बेंचमार्क के आधार पर उधार दर की गणना करने का निर्णय लिया अर्थात भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार दिनांक 1.10.2019 से मासिक आधार पर रेपो दर बैंक द्वारा प्रदत्तर सभी नए फ्लोटिंग वैयक्तिक अथवा रिटेल ऋण अथवा रिटेल ऋण (आवास, ऑटो आदि) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पर लागू होंगी।

इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 26.02.2020 के अपने परिपत्र में बैंकों के लिए मध्यम उद्यम को दिए गए ऋणों हेतु दिनांक 01.04.2020 से सभी फ्लोटिंग दर ऋण को बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर से लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। इस संबंध में अल्को ने अपनी दिनांक 23.03.2020

From date of circular to September 30, 2020 -	80 per cent
Oct 1, 2020 to March 31, 2021 -	90 per cent
April 1, 2021 onwards -	100 per cent

NET STABLE FUNDING RATIO (NSFR)

The RBI has also introduced NSFR (Net Stable Funding Ratio) with effect from 01st October 2021 which promotes resilience over a longer-term time horizon whereby Banks are required to fund their activities with more stable sources on an ongoing basis. The NSFR seeks to ensure that Bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. The NSFR ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis. The Bank's NSFR has been well above the stipulated level of 100%.

BASEL III IMPLEMENTATION

The Basel III capital regulations have been implemented by Indian banks with effect from April 1, 2013. To ensure smooth transition to Basel III, appropriate transitional arrangements have been made with capital requirement and disclosures at consolidated level which are to be disclosed with the publication of financial results, have been provided for meeting the minimum Basel III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital. This implementation requires enhanced quality and quantity of capital on one side and more elaborate disclosure on the other. The bank is adequately capitalized as per the current requirements under Basel III.

NAINI REPO LINKED LENDING RATE

RBI in its circular RBI/2019-20/53 DBR.DIR.BC.No.14/13.03.00/2019-20 dated 04.09.2019 made External benchmark based Interest Rate mandatory for all new floating rate personal or retail loans(housing,auto,etc) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks with effect from 01.10.2019.

In view of the above mentioned Circular, ALCO in its meeting dated 26.09.2019 decided to compute lending rate based on external benchmark i.e. Repo Rate on monthly basis w.e.f.01.10.2019, which will be link to all new floating rate personal or retail loans (housing,auto,etc.) and floating rate loans to Micro and Small Enterprises extended by Banks from 01.10.2019 as per RBI directives.

Further RBI in its circular dated 26.02.2020, made mandatory for the Banks to link all new floating rate loans to medium enterprises with external benchmark based lending rate with effect from 01.04.2020. In view of this, ALCO in its meeting

की मीटिंग में बाहरी बेंचमार्क आधारित ऋण दर को अनुमोदित कर दिया है अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से मध्यम उद्योगों को सभी नए फ्लोटिंग रेट ऋण नैनी रेपो आधारित ऋण दर एनआरएलएलआर हैं। नैनी रेपो आधारित ऋण दर मासिक अंतराल पर अर्थात प्रत्येक माह की 10 तारीख को पुनर्निधारित की जाएगी।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस)

देश में कार्यरत बैंकों के लिए पर्यवेक्षी ढांचे को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम आधारित पर्यवेक्षण फंक्शन कार्य कर रहा है। आरबीएस को बैंक के भीतर उच्च जोखिम के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके पर्यवेक्षी प्रक्रिया की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जोखिम मूल्यांकन मॉडल स्थापित किया है जो विभिन्न जोखिम मापदंडों, जैसे पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन गुणवत्ता, आय, तरलता और बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता पर विचार करता है, ताकि उन बैंकों की पहचान की जा सके जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए उच्च जोखिम पैदा करते हैं। मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) को रिपोर्टिंग करने वाला बैंक का आरबीएस विभाग, आरबीआई द्वारा निर्धारित ढांचे का पालन करने और तदनुसार विनियामक को विभिन्न रिपोर्ट / डेटा प्रस्तुत करने और आरबीआई की एसएसएम टीम द्वारा बैंक की वार्षिक ऑनसाइट ऑडिट का समन्वय स्थापित करने हेतु जिम्मेदार है। वित्त वर्ष 2022–23 के लिए आरबीआई द्वारा बैंक का कुल जोखिम स्कोर 2.279 मूल्यांकित किया गया था, जो दिनांक 31.03.2022 को 2.241 के मुकाबले बढ़ा है। बैंक द्वारा सभी रिटर्न समय पर विनियामक के पास जमा किए जा रहे हैं। बैंक का आरबीएस विभाग अनुपालन विभाग के साथ समन्वय में काम कर रहा है ताकि उन प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी की जा सके जो जोखिम पैदा कर सकते हैं। विनियामक दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि बैंक के जोखिम स्कोर में और सुधार किया जा सके।

ऋण निगरानी

ऋण निगरानी उधार देने संबंधी गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा है और क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी आज के दौर में बैंकों के लिए गुणवत्ता आस्तियों को सुनिश्चित करने और अग्रिम खातों में स्लीपेज की रोकथाम और बैंक को अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए समय पर सुधारात्मक कदम उठाने में एक अहम पहलू है। क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी के लिए एक अनुशासित प्रयास के लिए बैंक में विशेष रूप से वसूली और क्रेडिट निगरानी कार्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ प्रधान कार्यालय स्तर पर एसोसियेट वाइस प्रेसिडेंट की अगुवाई में एक पूरी तरह से समर्पित विभाग कार्यरत है। बैंक ने क्रेडिट पोर्टफोलियो की प्रभावी निगरानी की है जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार खाता विशिष्ट निगरानी, स्टॉक ऑडिट और क्रेडिट ऑडिट शामिल हैं ताकि उधारी खातों की लगातार निगरानी की जा सके और ऋण आस्ति की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सके।

dated 23.03.2020 approved the external benchmark based lending rate i.e. Naini Repo Linked Lending Rate NRLLR to all new floating rate loans to medium enterprises also with effect from 01.04.2020. Naini Repo linked lending rate will be reset on monthly intervals i.e.10th of every month.

RISK BASED SUPERVISION (RBS)

Bank has a Risk Based Supervision function as per the guidelines of the Reserve Bank of India to implement a supervisory framework for banks operating in the country. RBS is designed to enhance the effectiveness and efficiency of the supervisory process by focusing on areas of higher risk within bank. RBI has put in place a risk assessment model which considers various risk parameters, such as capital adequacy, asset quality, management quality, earnings, liquidity, and sensitivity to market risk, to identify banks that pose a higher risk to the stability and health of the financial system. Bank's RBS Department having reporting lines to the Chief Compliance Officer (CCO) is responsible for following the RBI prescribed framework and accordingly submitting various reports/data to the regulator and coordinating the annual onsite audit of the bank by the SSM team of RBI. Bank's aggregate risk score was assessed as 2.279 by the RBI for F.Y. 2022-23, which has increased against the 2.241 as of 31.03.2022. All returns are being timely submitted to the regulator. Bank's RBS department is working in close coordination with Compliance department to supervise key areas which may pose risk. Strict adherence to regulatory guidelines is our top priority so as to further improve the Bank's risk score.

CREDIT MONITORING

Credit Monitoring is an integral part of lending activity and monitoring of credit portfolio is an important aspect in the banks in today's scenario for ensuring quality of advance assets of the bank to prevent the slippages of advance accounts and enable the bank to take timely corrective actions to improve the quality of its credit portfolio. In an effort for a regimented approach for monitoring of credit portfolio, a full-fledged department headed by an Associate Vice President at Head Office level along with senior officials at Regional Offices specifically designated for the recovery and credit monitoring is functional in the bank. The bank has put in place an effective monitoring of credit portfolio which includes account specific monitoring, stock audits as per board approved policy to have constant watch over borrowal accounts and taking remedial steps at appropriate time to arrest deterioration in the quality of loan asset.

विपणन

बैंक का विपणन विभाग नए व्यवसाय को उत्पन्न करने, ग्राहक अधिग्रहण को सुगम बनाने और बैंक के विकास को बढ़ावा देने में एक प्रेरक शक्ति बना हुआ है। ग्राहक–केंद्रित अभियानों पर मजबूत फोकस के साथ, विभाग ने उत्पाद विकास और सफल प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे हमारी विविध पेशकशों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा हुई है।

डिजिटल और फिजिकल मार्केटिंग के माध्यम से बैंक ने अपने ग्राहकों तक पहुँचते हुए मीडिया स्पेक्ट्रम में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति बनाए रखी। वर्ष के दौरान, बैंक ने कुमाऊँ क्षेत्र के पाँच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे स्टेशन मार्केटिंग शुरू की, जहाँ बैंक ने बोर्ड पर अपने विज्ञापन प्रदर्शित किए हैं, यह देखते हुए कि हमारे बैंक की कुमाऊँ क्षेत्र में प्रमुख शाखाएँ हैं और इसका मुख्य कार्यालय उत्तराखंड में स्थित है, इस पहल से काफी दृश्यता मिलने की उम्मीद है, खासकर कुमाऊँ क्षेत्र में आने वाले लोगों की आमद के दौरान। बैंक ने अपने ऋण उत्पादों के लिए ज़ी (यूपी/यूके) चैनल पर विज्ञापन भी चलाए। इसके अलावा, बैंक ने "बैंकिंग ऑन व्हील्स" पहल शुरू की है, जहाँ बैंक का मार्केटिंग वाहन बैंकिंग सुविधाओं से वंचित विभिन्न गाँवों का दौरा करता है और उन क्षेत्रों में मार्केटिंग गतिविधियाँ संचालित करता है। इसके अलावा, बैंक ने अपने उत्पादों के लिए विभिन्न ऑफ़लाइन और ऑनलाइन अभियान भी चलाए हैं।

वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएँ

हमारे सम्मानित ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से हमारी वेल्थ मैनेजमेंट सेवाएँ तैयार की गई हैं। इस संबंध में, हमने जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा सहित बीमा उत्पादों का एक व्यापक पोर्टफोलियो पेश करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ रणनीतिक सहयोग स्थापित किया है।

जीवन बीमा के लिए, हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कॉर्पोरेट एजेंट हैं। यह हमें अपने ग्राहकों को विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला और अग्रणी बीमा प्रदाताओं की सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह, सामान्य बीमा के लिए, हमने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है, जिससे हमारे ग्राहकों के लिए ज़रूरत और दबाव के समय में व्यापक कवरेज और मन की शांति सुनिश्चित होती है। स्वास्थ्य बीमा के महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करने के लिए, हमने केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ गठजोड़ किया है।

नए उत्पादों को जोड़कर और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के साथ गठजोड़ करके बैंक अपने वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में लगातार सुधार कर रहा है। हमारा लक्ष्य सभी सेगमेंट में अपने ग्राहकों की सेवा करना और एक ही छत के नीचे सभी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है। इसी क्रम में, बैंक ने बीएनपी परिबास म्यूचुअल फंड के साथ समझौता किया है और अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड

MARKETING

Marketing Department of the Bank continues to be a driving force in generating new business, facilitating customer acquisition, and promoting the Bank's growth. With a strong focus on customer-centric campaigns, the department has played a pivotal role in product development and successful promotions, creating widespread awareness of our diverse range of offerings.

Bank maintained its impactful presence across the media spectrum, reaching out to its customers through Digital and Physical marketing. During the year, Bank initiated railway station marketing in the five major railway station of Kumaon region where bank has displayed its advertisement in boards given that our bank has major branches in the Kumaon area and the head office is located in Uttarakhand, this initiative is expected to provide substantial visibility, especially during the influx of people visiting the Kumaon region. Bank also ran advertisements on the ZEE (UP/UK) channel for its loan products. In addition, Bank has started a "Banking on Wheels" initiative, where the bank's marketing vehicle visits various villages that lack banking facilities and conducts marketing activities in those areas. Additionally, Bank has conducted various offline and online campaigns for its products.

WEALTH MANAGEMENT SERVICES

Our Wealth Management Services have been tailored to cater to the varied needs of our esteemed customers. In this regard, we have established strategic collaborations with reputable companies to offer an extensive portfolio of insurance products, encompassing life insurance, general insurance, and health insurance.

For life insurance, we are corporate agents for HDFC Life Insurance Company, India First Life Insurance Company, and Reliance Nippon Life Insurance Company. This enables us to provide our customers with a wide array of choices and the security of leading insurance providers. Similarly, for general insurance, we have partnered with Future Generali India Insurance and National Insurance, ensuring comprehensive coverage and peace of mind for our customers in times of need and stress. To address the critical aspect of health insurance, we have tie-up arrangement with Care Health Insurance Company.

Bank is constantly improving its wealth management segment by adding new products and tie up with different service providers. We aim to cater to our customers in all segments and provide all financial services under one roof. In continuation of this, the Bank has tied up with BNP Paribas Mutual Fund and

उत्पादों को जोड़ा है। बैंक ने अपने ग्राहकों को 3–इन–1 डीमैट खाता सेवाएँ प्रदान करने के लिए एसएमसी ग्लोबल के साथ भी भागीदारी की है।

बैंक उत्पाद, प्रक्रिया और लोगों पर ध्यान केंद्रित करके अपने ग्राहकों को कुशल और निर्बाध सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। शाखाओं के विशाल नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, बैंक ने जीवन बीमा के तहत 598 लाख रुपये, सामान्य बीमा के तहत 237 लाख रुपये और बैंकएश्योरेंस सेगमेंट के तहत स्वास्थ्य बीमा के तहत 99 लाख रुपये का प्रीमियम एकत्र किया।

बीमा विकल्पों की एक अद्वितीय श्रृंखला की पेशकश करने की हमारी प्रतिबद्धता हमारे ग्राहकों की वित्तीय आकांक्षाओं और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे समर्पण से उपजी है। बीमा प्रदाताओं के साथ मजबूत गठजोड़ व्यवस्था और मल्टीपल कॉरपोरेट एजेंसी मॉडल के कार्यान्वयन के माध्यम से, हम ग्राहक को अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करने और एक विश्वसनीय वित्तीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते रहें हैं।

वित्त वर्ष 2023–2024 के दौरान सरकारी निकायों से मिली प्रशंसा

- पीएफआरडीए द्वारा अटल पेंशन योजना के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति और योगदान के सम्मान में विनिंग वेडनसडे को जीतने के लिए उत्कृष्टता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।
- पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए एपीवाई अभियान में निजी बैंक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एमडी और सीईओ के लिए अनुकरणीय नेतृत्व का पुरस्कार।
- पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए मिशन अपग्रेड अभियान के अभियान 2 में उपलब्धि का पुरस्कार और अभियान 3 में उत्कृष्टता का पुरस्कार।
- पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए एपीवाई वार्षिक पुरस्कार वित्त वर्ष 2023–24 में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले का पुरस्कार।

अनुपालन विभाग

बैंक ने अनुपालन के मामलों में दक्षता और प्रभावशीलता प्राप्त करके विनियामकों, ग्राहकों, निवेशकों, सरकार, कर्मचारियों और जनता जैसे सभी हितधारकों की नजर में बैंक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए अपने रणनीतिक लक्ष्यों के साथ–साथ एक अच्छी तरह से प्रलेखित अनुपालन नीति और अनुपालन मैनुअल के साथ संगठन में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति और तंत्र को संस्थागत रूप दिया है। अनुपालन कार्य का फोकस विनियामक अनुपालन, वैधानिक अनुपालन, उचित अभ्यास कोड और अन्य निर्धारित कोड का अनुपालन, सरकारी नीतियां, बैंक की आंतरिक नीतियां और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और अवैध गतिविधियों के वित्त पोषण की रोकथाम है। बैंक के पास सभी तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारियों के अलावा मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में बैंक के प्रधान कार्यालय में एक समर्पित और स्वतंत्र अनुपालन विभाग है, जो जवाबदेही, पारदर्शिता के क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को अपनाने और लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने अपने सभी हितधारकों के बीच पारदर्शिता और विश्वास

added mutual fund products to its portfolio. The Bank has also partnered with SMC Global to provide 3-in-1 Demat account services to its customers.

The Bank is gearing up to deliver efficient and seamless services to its customers by focusing on product, process, and people. Leveraging the vast network of branches, the Bank collected premiums of INR 598 lakh under life insurance, 237 lakh under general insurance, and 99 lakh under health insurance under the bancassurance segment.

Our commitment to offering an unparalleled range of insurance options stems from our dedication to meeting the financial aspirations and security needs of our clientele. Through strengthened tie-up arrangements with insurance providers and the implementation of the Multiple Corporate Agency Model, we strive to deliver unparalleled customer satisfaction and reinforce our position as a trusted financial partner.

APPRECIATIONS FROM GOVERNMENT BODIES DURING FY 2023-2024

- Awarded Certificate of Excellence for Winning Wednesday in recognition of achievement of targets and contribution towards Atal Pension Yojana by PFRDA.
- Award of Exemplary Leadership for Best Performing MD & CEO in the Private Bank category in the APY campaign launched by PFRDA.
- Award of Achievement in Campaign 2 and Award of Excellence in Campaign 3 of the MISSION UPGRADE CAMPAIGN launched by PFRDA.
- Award of Excellence Achiever in APY Annual Awards FY 2023-24 launched by PFRDA.

COMPLIANCE DEPARTMENT

The Bank has institutionalized a strong compliance culture and mechanism across the organization, along with a well-documented Compliance policy and compliance manual, pursuant to its strategic goals to enhance the Bank's reputation on in the eyes of all the stakeholders such as Regulators, Customers, Investors, Government, Employees and Public at large by achieving efficiency and effectiveness in matters of Compliance. The focus of the compliance function is adherence to regulatory compliance, statutory compliance, compliance with fair practice codes and other prescribed codes, government policies, the Bank's internal policies and prevention of money laundering and funding of illegal activities. The Bank has a dedicated and independent Compliance Department at Bank's Head Office headed by Chief Compliance Officer, besides

के रणनीतिक लक्ष्यों के अनुसार संगठन में एक मजबूत अनुपालन संस्कृति और तंत्र को विकसित किया है। बैंक में सभी व्यवसायों और संचालनों में विनियामक और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय अनुपालन अधिकारी के अलावा मुख्य अनुपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित स्वतंत्र अनुपालन विभाग सेवारत है।इस विभाग के प्रमुख कार्यों में बैंक के कॉर्पोरेट कार्यों के लिए नए और संशोधित विनियामक और सांविधिक दिशानिर्देशों का प्रसार, सभी शाखाओं और कार्यक्षेत्रों की ऑनसाइट और ऑफ–साइट अनुपालन परीक्षण जांच करना, विनियामक अनुपालन परिप्रेक्ष्य से प्रक्रियाओं की समीक्षा करना, अनुपालन से संबंधित मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करना, अनुपालन पहलुओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना और बैंक में अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना और अनिवार्य दिशा–निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवधिक अनुपालन संस्कृति को मजबूत करना शामिल है।

बैंक विभिन्न विनियामकों से प्राप्त संचार की निगरानी, नियंत्रण और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक अनुपालन पैकेज को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसमें स्व–प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से विनियामक और सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली और अनुपालन विभाग को शाखाओं और कार्यक्षेत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अनुपालन प्रमाण पत्र भी शामिल है। इसके अलावा, बैंक एक एकीकृत डैशबोर्ड लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड के त्वरित संदर्भ के लिए बैंक के आंतरिक और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति प्रदान करना है।

इंड एएस कार्यान्वयन की योजना और स्थिति

फरवरी 2016 में आरबीआई ने एक परिपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार बैंकों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) को लागू करने और दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी स्टैंडअलोन और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता थी। बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018 के लिए तुलनात्मक वित्तीय विवरण भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी, जिसे दिनांक 1 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण के साथ प्रकाशित किया जाना था। हालांकि, आरबीआई ने दिनांक 5 अप्रैल, 2018 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए भारतीय लेखा मानक की प्रयोज्यता को एक वर्ष (यानी 1 अप्रैल 2019) तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके अलावा, आरबीआई ने दिनांक 22 मार्च, 2019 को जारी एक परिपत्र में भारतीय लेखा मानक के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है।

वित्त वर्ष 2017 के दौरान बैंक ने भारतीय जीएएपी बनाम भारतीय लेखा मानक के बीच जीएएपी अंतर का प्रारंभिक निदानात्मक विश्लेषण किया था। बैंक ने इंडएएस को लागू करने के लिए आवश्यक डेटा अंतराल, प्रक्रियाओं और सिस्टम परिवर्तनों की पहचान और मूल्यांकन भी किया है। बैंक अपने आईटी सिस्टम में जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक परिवर्तन लागू करने की प्रक्रिया में है और अन्य प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। बैंक अर्ध–वार्षिक आधार पर आरबीआई को प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण भी प्रस्तुत कर रहा है।

Regional Compliance Officers in all the three regions, committed to adopt and implement the best practices and standards in the areas of accountability, transparency and business ethics to promote sustainability and for ensuring regulatory and legal compliance, across all its businesses and operations. The key functions of this Department include, dissemination of regulatory & statutory guidelines, new and revised, to the respective Corporate functions, carry out on-site & off -site compliance test checks of all branches & verticals, review of processes from a regulatory compliance perspective, provide guidance on compliance-related matters, impart training to employees on compliance aspects and strengthen compliance culture in the Bank. Periodic compliance test checks are put in place for effective implementation of mandatory guidelines.

The Bank is in process to implement a Compliance package to monitor, control & follow up communications received from various regulators which would also include a reporting system to ensure regulatory and statutory compliance through a self-certification process; a Compliance certificate to be submitted by branches and verticals to the Compliance Department. Apart from that, Bank is under process to implement an integrated dashboard aimed to provide status of compliance against Bank's internal and regulatory guidelines, for ready reference of Senior Management and Board.

Plan and status of Ind AS implementation

The RBI had issued a circular in February 2016 requiring banks to implement Indian accounting standards (Ind AS) and prepare standalone and consolidated Ind AS financial statements with effect from 1 April, 2018. Banks were also required to report the comparative financial statements for fiscal 2018, to be published along with the financial statement for the fiscal year beginning 1 April 2018. However. the RBI in its press release issued on 5 April, 2018 deferred the applicability of Ind AS by one year (i.e. 1 April. 2019) for scheduled commercial banks. Further, RBI in a circular issued on 22 March, 2019 has deferred the implementation of Ind AS till turther notice.

During fiscal 2017 the Bank had undertaken a preliminary diagnostic analysis of the GAAP differences between Indian GAAP vis-a-vis Ind AS. The Bank has also identifed and evaluated data gaps, processes and system changes required to implement IndAS. The Bank is in the process of implementing necessary changes in its IT systems wherever required and other processes in a phased manner. The Bank is also submitting proforma Ind AS financial statements to RBI on a half-yearly basis.

इंड एएस कार्यान्वयन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों के सदस्यों वाली एक संचालन समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता बैंक के प्रबंध निदेशक करते हैं। बैंक में इंड एएस कार्यान्वयन की स्थिति पर एक प्रगति रिपोर्ट एसीबी और बोर्ड को तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाती है।

In line with the RBI guidelines on Ind AS implementation, the Bank has constituted a Steering Committee comprising members from the concerned functional areas, headed by the Managing Director of the Bank. A progress report on the status of Ind AS implementation in the Bank is presented to the ACB and the Board on a quarterly basis.

सांविधिक लेखा परीक्षक

लेखा परीक्षकों की संलग्न रिपोर्ट को इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 व कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं बैंककारी कम्पनियों के लिये अपेक्षित विधि से दी गई हैं तथा यह दिनांक 31 मार्च, 2024 को बैंक के कामकाज की सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं।

STATUTORY AUDITORS

The appended Auditors Report is made part of this Report. Auditors Report contains opinion of auditor and confirms that the financial statements contain all the information required by The Banking Regulation Act, 1949 as well as The Companies Act, 2013, in the manner so required for the banking companies and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2024 and of the Profit/loss for the year ended 31st March 2024. Further There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

शाखा सांविधिक लेखापरीक्षा के संबंध में, –28–लेखा परीक्षा फर्मों को 74 शाखाओं का लेखा परीक्षा कार्य (केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक सहित) सौंपा गया था, जिसमें समग्र रूप से बैंक का कुल 80% क्रेडिट पोर्टफोलियो शामिल है।

As regard, Branch Statutory Audit, 28 audit firms were assigned the audit job (including Central Statutory Auditor) of 76 branches, covering a total of 80% credit portfolio of the bank as a whole.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नैनीताल बैंक लिमिटेड के
अंशधारकों के प्रति

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हमने नैनीताल बैंक लिमिटेड ('बैंक') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई 20 शाखाओं के रिटर्न और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 56 शाखाओं के रिटर्न शामिल हैं, जिन्हें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित बैंक की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा बैंकिंग कंपनियों के लिए अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं तथा दिनांक 31 मार्च 2024 तक बैंक की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

राय का आधार

2. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषयवस्तु का प्रभाव

3. हम निम्न की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

क) बैंक को स्वचालित परिसंपत्ति वर्गीकरण (अग्रिमों/निवेशों का एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकरण तथा उनका अपग्रेडेशन), प्रावधान गणना तथा आय मान्यता प्रक्रियाओं की पूर्णता तथा

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
The Nainital Bank Limited

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2024, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the Returns for 20 branches audited by us and returns for 56 branches for the year ended on that date audited by the branch auditors of the Bank's branches located at Rajasthan, Haryana, Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 ('the Act') in the manner so required for banking Companies and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2024, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

3. We draw attention to:

a) That the Bank needs to ensure the completeness and integrity of the automated Asset Classification (classification of advances/investments as NPA/NPI and

सत्यानिष्ठा सुनिश्चित करे।

हालाँकि, उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तथा उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

4. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट तथा अध्यक्ष का कथन, यदि कोई हो, शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है तथा हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है तथा ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियाँ

5. बैंक का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के खण्ड 134 (5) में दिए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है जो इन एकल वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थितियों, वित्तीय कार्यनिष्पादन और बैंक के वित्तीय प्रवाह के जो उन लेखा सिद्धान्तों, जो सामान्यतः भारत में स्वीकार्य हैं तथा अधिनियम के खण्ड 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों जिन्हें कम्पनी (लेखा) के साथ तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों व परिपत्रों का विवरण सही और निष्पक्ष स्थिति दर्शाता है। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखा नीतियों के चयन और कार्यान्वयन, यथोचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और आंकलन करने तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रुपरेखा के कार्यान्वयन, क्रियान्वयन और रख–रखाव, जो ऐसी वित्तीय विवरणियों जो सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाती हैं और किसी भी अवास्तविकता चाहे वह धोखाधड़ी की वजह से हो या त्रुटिवश, से मुक्त हो, से सम्बन्धित लेखा रिकार्ड, को पूरा करने, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में, और उसकी यथार्थता को सुनिश्चित करने, लेखा रिकार्ड को पूरा करने और रख–रखाव की जिम्मेदारी भी सम्मिलित है।

their upgradation), Provisioning calculation and Income Recognition processes.

However, our opinion is not modified in respect of above stated matter.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

4. The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the management report and chairman's statement, if any. Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance or conclusion thereon. In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की बैंक की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को लिक्विडेट करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चल रहे चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना कि क्या एकल वित्तीय विवरण समग्र रूप से, धोखे से या गलती से, वास्तविक महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं, और एक ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारा मत शामिल हो। उपयुक्त आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, पर वह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसार की गई लेखापरीक्षा किसी वास्तविक गलतबयानी के होने पर सदैव उसका पता लगा लेगी। गलतबयानियाँ धोखे या गलती से हो सकती हैं और तब वास्तविक समझी जाती हैं, जब उनसे, अकेले या सकल रूप में, प्रयोगकर्ताओं द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों के प्रभावित होने की काफी संभावना हो।

लेखापरीक्षा के मानदंडों (एसए) के अनुसरण में लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवराना संदेहवाद बनाए रखते हैं।

हम यह भी करते हैं :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधडी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल. साजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की प्रत्यादिष्ट करना शामिल हो सकती है।
- ऐसी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया निरूपित करने के लिए लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) (प) के तहत हम इस बारे में अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि बैंक में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली मौजूद है या नहीं और ऐसे नियंत्रण परिचालन की दृष्टि से कितने कारगर हैं।
- इस्तेमाल की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखा अनुमानों तथा उनके संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए

In preparing the standalone financial statements, Bank's Board of Directors is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Bank's Board of Directors either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit.

We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and

प्रकटीकरणों की समुचितता का आकलन करते हैं।

- इस बात पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि प्रबंधन द्वारा लेखा प्रणाली के लाभकारी संस्था आधार का प्रयोग उपयुक्त है या नहीं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर बताते हैं कि घटनाओं और स्थितियों के संबंध में ऐसी कोई वास्तविक अनिश्चितता तो मौजूद नहीं है, जो एक लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता पर उल्लेखनीय संदेह पैदा करता हो। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम एकल वित्तीय विवरणों में सबंधित प्रकटीकरणों की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उसके प्रति ध्यान आकर्षित करें, या अगर वे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करें। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भावी घटनाएँ या स्थितियाँ लाभकारी संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की योग्यता समाप्त कर सकती है।

- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढाँचे और विषयवस्तु का आकलन करते हैं और जाँच करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेनों और घटनाओं का उस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हासिल होती हो।

महत्वपूर्णता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर गवर्नेंस का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो संबंधित सुरक्षा उपाय हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो।

गवर्नेंस के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को संसूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा विषय हैं. हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन विषयों का उल्लेख करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक न लगाते हों या जब हम यह निर्णय लेते हैं कि यह विषय हमारी रिपोर्ट में नहीं दी जानी

related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of the misstatements in the standalone financial statements that, individually or aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning of the scope of our audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatement in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or

चाहिए क्यों कि ऐसा करने का विपरीत परिणाम होगा और इस तरह की सूचना से सार्वजनिक हित प्रभावित होने की संभावना होती है।

अन्य मामले

7. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 56 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी दिनांक 31 मार्च 2024 तक ₹ 1,612.59 करोड़ के कुल सकल अग्रिम और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 155.26 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक ये शाखाएँ 33.46% अग्रिम, 42.99% जमा राशि और 27.91% गैर–निष्पादित आस्तियाँ तथा दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 34.30% राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना का लेखा–परीक्षण उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

8. अपने लेखापरीक्षा के संचालन में, हमने संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित 93 शाखाओं के संबंध में अलेखापरीक्षित रिटर्न पर ध्यान दिया है, जिनके वित्तीय विवरण/सूचना दिनांक 31 मार्च 2024 तक ₹ 983.13 करोड़ के कुल सकल अग्रिम और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 97.43 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है। ये अलेखापरीक्षित शाखाएँ दिनांक 31 मार्च 2024 तक 20.40% अग्रिम, 28.32% जमा और 14.06% गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों और उस समय समाप्त वर्ष के लिए 21.52% राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना को संबंधित शाखा के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ–हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

10. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप–धारा (3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है;

when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

7. We did not audit the financial statements / information of 56 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total gross advances of ₹ 1,612.59 crores as at 31st March 2024 and total revenue of ₹ 155.26 crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. These branches cover 33.46 % of advances, 42.99% of deposits and 27.91 % of non-performing assets as at 31st March 2024 and 34.30 % of revenue for the year ended 31st March 2024.The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

8. In the conduct of our audit, we have taken note of the unaudited returns in respect of 93 branches certified by the respective branch's management whose financial statements/ information reflect total gross advances of ₹ 983.13 crore as at 31st March 2024 and total revenue of ₹ 97.43 crore for the year ended on that date. These unaudited branches cover 20.40 % of advances, 28.32 % of deposits and 14.06 % of non-performing assets as on 31st March 2024 and 21.52 % of revenue for the year then ended. The financial statements / information of these branches has been certified by the respective branch's management.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and Section 133 of the Companies Act, 2013

10. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

(a) we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;

(ख) बैंक के लेन–देन, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की अधिकारों के भीतर हैं;

(ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त रिटर्न हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पाए गए हैं;

(घ) लाभ–हानि लेखा उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही शेष दर्शाता है।

11. इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणी प्राप्त हुए हैं;

ग) बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित बैंक के शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उनका उचित तरीके से निपटान किया है;

घ) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण लेखा पुस्तकों और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं।

ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं;

च) दिनांक 31 मार्च 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए आधार पर, दिनांक 31 मार्च 2024 तक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है;

छ) बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक क" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) में संशोधन किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि

बैंक द्वारा अपने निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक इस धारा के प्रावधानों के अनुसार है।

(b) the transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank;

(c) the returns received from the offices; and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit;

(d) the profit and loss account shows a true balance of profit for the year then ended.

11. Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:

a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices of the bank audited under section 143(8) of the Act by branch auditors of the Bank have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;

d) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows dealt with in this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us

e) in our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

f) on the basis of written representations received from the directors as at 31 March 2024 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as at 31 March 2024 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A"

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended, Section 197(16) of the Companies Act, 2013 we report that

The remuneration paid by the bank to its directors is in accordance with the provisions of this section.

झ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 18, नोट 14 आर देखें;

ii) बैंक के पास डेरिवेटिव संविदा सहित कोई दीर्घकालिक सं. विदा नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो

iii) बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है;

क. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोटों में बताए गए के अलावा, बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) में, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (या तो उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, बैंक की ओर से या उसके द्वारा किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा;

ख. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, वे अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में बताए गए नोट्स के अलावा, बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("निधि देने वाली पार्टियां") शामिल हैं, इस समझ के साथ कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, बैंक, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि देने वाली पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा; और

ग. ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमारे द्वारा परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप खंड (क) और (ख) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

iv. पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के

i) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. the Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Schedule 18, Note 14 r to the financial statements;

ii. the Bank did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses

iii. there has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank;

A. The management has represented that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

B. The management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the Bank from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Bank shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

C. Based on such audit procedures that were considered reasonable and appropriate by us in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub clause (a) and (b) contain any material misstatement.

iv. The final dividend paid by the company during the year

दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

v. बैंक ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी लेन–देन के लिए पूरे वर्ष के दौरान इसका संचालन किया गया है और ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

कृते **मेसर्स ए.आर. एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी

सीए अनिल गौर
साझेदार
सदस्यता संख्या–017546
यूडीआईएन संख्या 24017546BKASEL7411

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30–04–2024

in respect of the same declared for the previous year is in accordance with Section 123 of the Act as applicable.

v. The Bank has used such accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tampered with and the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention.

For **M/s A.R. & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 002744C

CA Anil Gaur
Partner
M. No-017546
UDIN No. 24017546BKASEL7411

Place: Mumbai
Date: 30-04-2024

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक (क)

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 11(ज) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमने दिनांक 31 मार्च 2024 तक दि नैनीताल बैंक लिमिटेड ('बैंक') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा–परीक्षण किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा–परीक्षण के साथ किया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबन्धन की जिम्मेदारी

2. बैंक का निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ('दि गाइडेंस नोट') इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों के पालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की राकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी की गयी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर बैंक के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय देना है। हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी एवं अधिनियम के भाग 143(10) के अन्तर्गत निर्धारित समझे गये वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाईडेन्स नोट और लेखा परीक्षण के मानकों के आधार पर जहां तक कि वे आन्तरिक लेखा नियन्त्रण के लेखा परीक्षण पर लागू हों, किया है। ये मानक एवं गाईडेन्स नोट द्वारा वांछित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा लेखा परीक्षण की इस तरह योजना एवं क्रियान्वयन करें कि इस सम्बन्ध में उचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण

Annexure A to the independent auditor's report of even date on the standalone financial statements of The Nainital Bank Limited

(Referred to in paragraph 11(g) under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

Report on the Internal Financial Controls over Financial Reporting under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

1. We have audited the internal financial controls over financial reporting with reference to standalone financial statements of The Nainital Bank Limited ('the Bank') as at 31 March 2024 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls over Financial Reporting

2. The Bank's Board of Directors is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI')."] These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate

स्थापित है एवं बनाये रखा गया है एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी ढंग से सभी तात्विक संदर्भो में संचालित हो रहे हैं।

4. हमारा लेखा परीक्षण वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता एवं उनकी परिचालन प्रभावशीलता के सम्बन्ध में लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की प्रदर्शन प्रक्रिया को शामिल करता है। वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखा परीक्षण में वित्तीय रिर्पोटिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की समझा प्राप्त करने, यह जोखिम आकलन करने कि यदि तात्विक कमजोरी मौजूद है और आन्तरिक नियंत्रण की परिचालनात्मक कार्यक्षमता जो कि जोखिम आकलन पर आधारित है शामिल हैं। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण में तात्विक गलत ब्यौरे के आकलन पर निर्भर करती है।

5. हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा लिया गया लेखा परीक्षण प्रमाण बैंक के वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के विषय में एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

6. बैंक की वित्तीय विवरणी पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो कि वित्तीय रिर्पोटिंग की विश्वसनीयता एवं वाह्य उद्देश्य से सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार की गई वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति के विषय में एक उचित आश्वासन देने हेतु तैयार की गई है। बैंक की वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण (1) उन अभिलेखों के रख–रखाव से संबद्ध है जो सही, स्पष्ट रुप से एवं समुचित विस्तार के साथ बैंक के लेन–देन एवं शाखा की संपतियों के निपटान को दर्शाता है। (2) पर्याप्त आश्वासन देता है कि बैंक के लेन–देन सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु अनुमत आवश्यक नियमों के अन्तर्गत दर्ज किये गये हैं तथा बैंक की प्राप्तियां एवं व्यय केवल बैंक के प्रबन्धन व निदेशकों के प्राधिकार के आधार पर किये जा रहे हैं। (3) समुचित आश्वासन देना कि बैंक की किसी आस्ति का जो कि बैंक के वित्तीय विवरण पर एक तात्विक प्रभाव डालता है अनधिकृत अधिग्रहण की समय पर पहचान व रोकथाम के सम्बन्ध में समुचित आश्वासन देता है।

वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

7. आन्तरिक वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों पर प्रबन्धन का अत्यधिक दबाव तात्विक मिथ्या कथन जोकि त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण हों, हो सकते हैं और पता नहीं लगाया

internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

4. Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

6. A bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the bank; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

7. Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud

जा सकता। भविष्य के सम्बन्ध में वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के आकलन का कोई अनुमान यह जोखिम रखता है कि वित्तीय रिर्पोटिंग पर वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों एवं कार्यविधियों के सन्दर्भ में अनुपालन का स्तर घट सकता है।

राय

8. हमारी राय में, बैंक के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किया गया था। बैंक आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रहा है।

9. हमने बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2024 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में सुधार के उन क्षेत्रों पर विचार किया है, जिन्हें ऊपर बताए अनुसार और मजबूत करने की आवश्यकता है। हालाँकि, सुधार के ये क्षेत्र बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

अन्य मामले

10. अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत 76 शाखाओं के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, उन शाखाओं के संबंधित केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों/सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

कृते **मेसर्स ए.आर. एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002744सी

सीए अनिल गौर
साझेदार
सदस्यता संख्या–017546
यूडीआईएन संख्या 24017546BKASEL7411

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30–04–2024

may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

8. In our opinion, the Bank has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting ,except that the framework of internal financial control over financial reporting needs improvement by suitably updating Risk Control Matrix ,and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at 31 March 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note issued by the ICAI.

9. We have considered the areas of improvement identified which needs further strengthening as reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2024 standalone financial statements of the Bank. However, these areas of improvement do not affect our opinion on the standalone financial statements of the Bank.

Other Matters

10. Our aforesaid reports under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls with reference to Standalone financial statement of 76 branches, is based on the corresponding reports of the respective Central Statutory Auditors / Statutory Branch Auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **M/s A.R. & Co.**
Chartered Accountants
Firm's Registration No. 002744C

CA Anil Gaur
Partner
M. No-017546
UDIN No. 24017546BKASEL7411

Place: Mumbai
Date: 30-04-2024

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

नैनीताल बैंक लिमिटेड अपनी शुरूआत से ही सदैव सामाजिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का समेकित भाग बनते हुए बैंक इसके प्रति दीर्घावधि के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बैंक अच्छे कारपोरेट अभिशासन और कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर विश्वास रखता है जिससे अंशधारकों और अन्य हितधारकों का विश्वास बढ़े और सभी की उन्नति हो। मूल रूप से कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों, उनके परिवारों स्थानीय समुदायों और समाज के साथ कार्य करते हुए सतत आर्थिक विकास में योगदान के लिए वचनबद्ध है। जिससे उनके जीवन में सुधार आये और जो व्यापार और विकास के लिये अच्छा हो। बैंक ऐसे लक्षित कार्यक्रमों की पहचान और उनकी सहायता के लिए वचनबद्ध है जिनका लक्ष्य समुदाय के लोगों (विशेषकरऐसे लोग जिनका जीवन स्तर उचित नहीं है) के विकास और उन्नति और पर्यावरण पर उनके कार्यों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में केन्द्रित है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का विवरण

वित्त वर्ष 2023—24 के दौरान खर्च की गई राशि

क. वित्तीय वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल राशि — ₹ 63,07,903 / —

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा खर्च की गई राशि —. ₹ 60,33,965 / —

ग. वित्तीय वर्ष में खर्च न की गई राशि —. ₹ 2,73,938 / — (जिसे पीएम केयर्स फंड की अनुसूची टप्प में विनिर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित किया गया है)

घ. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का तरीका नीचे दिया गया है—

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

The Nainital Bank Limited has always been committed to social development. Corporate Social Responsibility (CSR) has been a long-standing commitment of the Bank, forming an integral part of Social activities. The Bank believes for good corporate governance in corporate social responsibility for strengthening the trust of its shareholders and other stakeholders preferring prominence for growth of all. Corporate Social Responsibility is the commitment of businesses to contribute to sustainable economic development by working with employees, their families, the local community and society, to improve their lives in ways that are good for business and for development. The Bank is committed to identifying and supporting programs aimed at Developing and advancing the community and in particular, those at the bottom of the pyramid and reducing negative impact of its operations on the environment.

DETAILS OF CORPORATE SOCIAL RESONSIBILTY

Amount Spent during the Financial Year 2023-24

A. Total amount, which was to be spent in the Financial Year – ₹ 63,07,903 /-

B. Amount spent by bank during the Financial Year - ₹ 60,33,965 /-

C. Amount which remained unspent in the Financial Year - ₹ 2,73,938 /- (which has transfer to a Fund specified in Schedule VII to PM CARES Fund)

D. Manner in which the amount spent during the Financial Year is mentioned below-

वित्तीय वर्ष 2023—24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के तहत किए गए व्यय की सूची
List of Expenses incurred under CSR activities during FY-2023-24

(राशि लाख में) / (₹ in Lakh)

क्र. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी Sanctioning Authority	श्रेणी Category	प्रतिशत Percentage
1	महिला सशक्तीकरण Women Empowerment	लेक सिटी वेलफेयर क्लब द्वारा मातृ दिवस कार्यक्रम आयोजित Mother's Day Programme Conducted By Lake City Welfare Club	लेक सिटी वेलफेयर क्लब, नैनीताल Lake City Welfare Club, Nainital	20,000	20,000	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.32
2	स्वास्थ्य सेवा और निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना Promoting healthcare & preventive healthcare	अल्मोड़ा बाजरा (श्री अन्न) मेला कार्यक्रम Almora Millets (Shree Anna) Mela Programme	अल्मोड़ा Almora	25,000	45,000	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	स्वास्थ्य देखभाल Healthcare	0.40
3	स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना Providing clean and safe drinking water	वाणिज्यिक आरओ जल शोधक की स्थापना के लिए बैंक का योगदान Bank contribution for Installation of Commercial Ro Water Purifier	टनकपुर डिपो रोडवेज, टनकपुर Tanakpur Depo Roadways , Tanakpur	14,500	59,500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking Water	0.23

क्रं. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी Sanctioning Authority	श्रेणी Category	प्रतिशत Percentage
4	स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना Providing clean and safe drinking water	वाणिज्यिक आरओ जल शोधक की स्थापना के लिए बैंक का योगदान Bank contribution for Installation of Commercial Ro Water Purifier	नगर पंचायत तपोवन, टिहरी गढ़वाल Nagar Panchayat Tapovan, Tehri Garhwal	18,000	77,500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking Water	0.29
5	पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देना Promotion of environment sustainability	नगर पालिका परिषद पौड़ी द्वारा स्वच्छता अभियान Cleanliness Drives By Nagar Palika Parishad Pauri	नगर पालिका परिषद पौड़ी Nagar Palika Parishad Pauri	20,000	97,500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पर्यावरण Environment	0.32
6	शिक्षा गतिविधियों और कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना Promoting Education Activities and skill development programme	डीएसबी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल के सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रायोजन Sponsoring for cultural programme of DSB Campus Kumaun University, Nainital	डीएसबी परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल DSB Campus Kumaun University, Nainital	25,000	1,22,500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	0.40
7	स्थानीय क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Sports Activity In Local Area	नैनीताल में स्वतंत्रता दिवस बाल फुटबॉल टूर्नामेंट का प्रायोजन Sponsoring Independence Day Children Football Tournament At Nainital	नैनीताल Nainital	70,000	1,92,500	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	खेल Sports	1.11
8	शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities	स्कूल और कॉलेज के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना Providing Scholarship To Meritorious Students Of School And College	नैनीताल Nainital	39,800	2,32,300	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	0.63
9	शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities	निबंध प्रतियोगिता का प्रायोजन Sponsoring Of Essay Competition	जीजीआईसी स्कूल, तल्लीताल, नैनीताल GGIC School, Tallital, Nainital	25,000	2,57,300	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	0.40
10	कला और साक्षरता का उत्थान Upliftment of art and literacy	छात्रों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता प्रायोजित करना Sponsoring Fancy Dress Competition of students	लेक सिटी वेलफेयर क्लब, नैनीताल Lake City Welfare Club, Nainital	15,000	2,72,300	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.24
11	स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना Providing Clean And Safe Drinking Water	पौड़ी के पेयजल विभाग में 2 वाटर कूलर की स्थापना Installation Of 2 Water Cooler At Peyjal Department, Pauri	पौड़ी Pauri	20,000	2,92,300	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	सुरक्षित पेयजल Safe Drinking Water	0.32
12	स्थानीय क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Sports Activity In Local Area	देवीधुरा में विभिन्न खेल टूर्नामेंट का प्रायोजन Sponsoring Various Sports Tournament At Devidhura	देवीधुरा Devidhura	20,000	3,12,300	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	खेल Sports	0.32
13	कला और साक्षरता का उत्थान Upliftment of art and literacy	53 शारदा संघ कला प्रतियोगिता 2023 के प्रायोजन हेतु योगदान Contribution For Sponsoring 53 Sharda Sangh Art Competition 2023	म्यूनिसिपल गार्डन और डी.एस.ए बास्केटबॉल कोर्ट नैनीताल Municipal Garden And D.S.A Basketball Court Nainital	35,000	3,47,300	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.55
14	स्थानीय क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Sports Activity In Local Area	कुमाऊं हिल्स हाफ मैराथन 2023 प्रथम संस्करण के प्रायोजन के लिए योगदान Contribution For Sponsoring The Kumaon Hills Half Marathon 2023 1 St Edition	रानीखेत Ranikhet	15,000	36,2300	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	खेल Sports	0.24

क्रं. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी Sanctioning Authority	श्रेणी Category	प्रतिशत Percentage
15	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	दुर्गा महोत्सव के दौरान कला और संस्कृति के उत्थान के लिए योगदान Contribution For Upliftment Of Art And Culture During Durga Mahotsav	नैनीताल Nainital	51,000	41,3300	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.81
16	शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities	बच्चों के लिए विशेष शिक्षा के प्रायोजन के लिए योगदान Contribution For Sponsoring Special Education To Children	द माउंटेन चिल्ड्रन्स फाउंडेशन देहरादून The Mountain Children's Foundation Dehradun	4,36,800	8,50,100	एमडी एवं सीईओ MD & CEO	शिक्षा Education	6.92
17	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	उत्तराखंड स्थापना दिवस Uttarakhand Foundation Day	बरेली Bareilly	25,000	8,75,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.40
18	शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities	नानकमत्ता में "किताब कौतिक" के दौरान शिक्षा का उत्थान Upliftment Of Education During" Kitab Kautik" At Nanakmatta	गुरु नानक देव डिग्री कॉलेज, नानकमत्ता साहिब Guru Nanak Dev Degree College , Nanakmatta Sahib	25,000	9,00,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	0.40
19	शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities	6 तेल निमज्जन कक्ष हीटर, 2 कार्यालय आलमारियां, 1 फ्लोर मैट और एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए योगदान 6 Oil Immersion Room Heaters , 2 Office Almirahs , 1 Floor Mat And Contribution For International conference At Mbpg College Haldwani	एमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी Mbpg College Haldwani	1,58,000	10,58,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	2.50
20	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	उत्तरायणी जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित उत्तरायणी मेला बरेली Uttarayani Mela Organised By Uttrayani Jan Kalyan Samiti Bareilly	बरेली Bareilly	1,00,000	11,58,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	1.59
21	अन्य Other	नैनीताल में लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना के लिए डीएम को दान Donation To D.M For Establishment Of Public Grievance Redressal Cell In Nainital	नैनीताल Nainital	18,00,000	29,58,100	सीएसआर समिति CSR Committee	सीएसआर विशेष अनुमति CSR Special Permission	28.54
22	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तरायणी कौथिग–2024 का प्रायोजन Sponsoring Uttarayani Kauthig -2024 Organised By Parvatiya Mahaparishad	लखनऊ Lucknow	40,000	29,98,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.63
23	स्वास्थ्य सेवा और निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना Promoting healthcare & preventive healthcare	आयुष अस्पताल कोटद्वार के लिए स्वचालित जनरेटर का दान Donation Of Automatic Generator For AYUSH Hospital Kotdwara	कोटद्वार Kotdwara	2,00,000	31,98,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	स्वास्थ्य देखभाल Healthcare	3.17
24	स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना Providing Clean And Safe Drinking Water	डी.आर. पब्लिक स्कूल नैनीताल में कमर्शियल आरओ वाटर प्यूरीफायर की स्थापना Installation of Commercial Ro Water Purifier At D.R.Public School Nainital	नैनीताल Nainital	22,000	32,20,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	सुरक्षित पेय जल Safe Drinking Water	0.35

क्रं. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी Sanctioning Authority	श्रेणी Category	प्रतिशत Percentage
25	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	बसंत महोत्सव रामनगर के लिए योगदान Contribution For Basant Mahotsava Ramnagar	रामनगर Ramnagar	21,000	32,41,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.33
26	गरीब छात्रों के लिए शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Education Activities For Poor Students	राजकीय प्राथमिक विद्यालय ताड़ीखेत, रानीखेत के विद्यार्थियों को स्कूल बैग प्रदान करना Providing School Bags To Students Of The Government Primary School Tadikhet, Ranikhet	रानीखेत Ranikhet	1,00,000	33,41,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	1.59
27	स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना Promoting local art and culture	हल्दूचौड़ महोत्सव के लिए योगदान Contribution For Halduchaur Mahotsav	हल्दूचौर, लालकुआं Halduchaur, Lalkuan	20,000	33,61,100	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.32
28	ग्रामीण विकास परियोजनाएं Rural Development Projects	रानीखेत के ताड़ीखेत में ओपन जिम की स्थापना करना। To Establish An Open Gym In Tarikhet , Ranikhet	रानीखेत Ranikhet	1,46,615	35,07,715	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	2.32
29	गरीब छात्रों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने वाली गतिविधियाँ Promoting Education Activities For Poor Students	सी.आर.एस.टी. इंटर कॉलेज नैनीताल को टेबल और कुर्सियाँ उपलब्ध कराना। Provide Table And Chairs To C.R.S.T Inter College Nainital	नैनीताल Nainital	5,48,700	40,56,415	संचालन समिति Steering Committee	शिक्षा Education	8.70
30	महिला सशक्तीकरण Women Empowerment	सशक्त नारी समृद्ध नारी कार्यक्रम के लिए योगदान Contribution For Sasakt Nari Samridh Nari Program	देहरादून Dehradun	10,000	40,66,415	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.16
31	विद्यालय में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Sports Activity In school	भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय नैनीताल को खेल सामग्री उपलब्ध कराना Providing Sport Material To Bhartiya Saheed Sainik Vidyalaya Nainital	नैनीताल Nainital	1,00,000	41,66,415	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	शिक्षा Education	1.59
32	युवाओं में शिक्षा गतिविधि एवं कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना Promotion Of Education Activity & Skill Development Program Among Youth	सतत विकास और उद्यमिता के लिए युवाओं को सशक्त बनाने हेतु योगदान Contribution For Empowering Youth For Sustainable Development And Entrepreneurship	देहरादून Dehradun	5,00,000	46,66,415	एमडी और सीईओ MD & CEO	शिक्षा Education	7.93
33	पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देना Promotion of environment sustainability and ecological balance	नैनीताल झील के चारों ओर सूचना बोर्ड की स्थापना Establishment Of Information Board Around Nainital Lake	नैनीताल Nainital	4,77,900	51,44,315	एमडी और सीईओ MD & CEO	पर्यावरण Environment	7.58
34	स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और शिक्षा गतिविधियों को बढ़ावा देना. Promotion of health care, hygiene and education activities.	विश्वविद्यालय को स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, स्वच्छता संबंधी वस्तुएं उपलब्ध कराना Providing Health Care, Hygiene, Sanitization items to university	एसएसजे विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा SSJ University, Almora	23,000	51,67,315	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	स्वास्थ्य देखभाल Healthcare	0.36

क्रं. सं. S. No.	सीएसआर परियोजना या गतिविधि की पहचान की गई CSR Project or Activity Identified	उद्देश्य Purpose	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजनाएं शुरू की गई Project or Program (1) Local area or others. (2) State and District where the projects were undertaken	परियोजना या कार्यक्रमवार परिव्यय राशि (बजट) Amount outlay (Budget) project or program-wise	संचयी व्यय Cumulative expenditure	स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी Sanctioning Authority	श्रेणी Category	प्रतिशत Percentage
35	पारंपरिक कला और संस्कृति का संवर्धन और विकास Promotion and Development of traditional Art & Culture	पारंपरिक कला एवं संस्कृति कार्यक्रम को प्रायोजित करना। Sponsoring traditional art & culture programme.	श्री राम सेवक सभा,नैनीताल Shree Ram Sewak Sabha, Nainital	20,000	51,87,315	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.32
36	पारंपरिक कला और संस्कृति का संवर्धन और विकास Promotion and Development of traditional Art & Culture	वार्षिक एथलेटिक और टेक्नो–सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रायोजित करना Sponsoring Annual athletic and techno – cultural event	उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून Uttarakhand technical university , Dehradun	20,000	52,07,315	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य Traditional art and culture / Other	0.32
37	शिक्षा गतिविधि को बढ़ावा देना. Promotion Of Education Activity.	मतदान जागरूकता अभियान के लिए बैंक का योगदान Bank's Contribution for VOTING AWARENESS CAMPAIGN	उत्तराखंड Uttrakhand	4,88,400	56,95,715	एमडी और सीईओ MD & CEO	शिक्षा Education	7.74
38	स्थानीय क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना Promoting Sports Activity In Local Area	लैंडो लीग फुटबॉल प्रतियोगिता को प्रायोजित करने के लिए बैंक का योगदान। Bank's Contribution for sponsoring Lando League football competition.	नैनीताल Nainital	1,00,000	57,95,715	मुख्य परिचालन अधिकारी Chief Operating Officer	खेल–कूद Sports	1.59
39	शिक्षा गतिविधि को बढ़ावा देना. Promotion Of Education Activity.	राजकीय बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय, नैनीताल में कंप्यूटर और प्रिंटर की बुनियादी संरचना को प्रायोजित करने के लिए बैंक का योगदान Bank's Contribution for Sponsoring Basic Infrastructure of Computer and Printer at Government boys Higher Primary School, Nainital	नैनीताल Nainital	81,200	58,76,915	एमडी और सीईओ MD & CEO	शिक्षा Education	1.29
40	शिक्षा गतिविधि को बढ़ावा देना. Promotion Of Education Activity.	राजकीय बालक उच्च प्राथमिक विद्यालय, नैनीताल में कंप्यूटर और प्रिंटर की बुनियादी संरचना को प्रायोजित करने के लिए बैंक का योगदान Bank's Contribution for Sponsoring Basic Infrastructure of Computer and Printer at Government Girls Higher Primary School, Nainital	नैनीताल Nainital	81,200	59,58,115	एमडी और सीईओ MD & CEO	शिक्षा Education	1.29
41	शिक्षा गतिविधि को बढ़ावा देना. Promotion Of Education Activity.	इंदिरा प्रियदर्शिनी राजकीय महिला पीजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हल्द्वानी को 10 स्टील बेंच उपलब्ध कराने के लिए बैंक का योगदान Bank's Contribution for providing 10 steel bench to Indira Priyadarshini Government Girls PG College of Commerce, Haldwani	हल्दवानी Haldwani	75,850	60,33,965	एमडी और सीईओ MD & CEO	शिक्षा Education	1.20
42	पीएम केयर्स फंड PM CARE Fund			2,73,938	63,07,903	एमडी और सीईओ MD & CEO	अन्य (विशेष अनुमति) Other (Special permission)	4.34

श्रेणीवार ग्राफिकल प्रतिनिधित्व 2023–2024
CATEGORY WISE GRAPHICAL REPRESENTATION 2023-2024

(राशि लाख में) / (₹ in Lac)

वर्ग / Category	राशि परिव्यय परियोजना या कार्यक्रम–वार / Amount of project	प्रतिशतता %/ Percentage %
शिक्षा / Education	26.85	42.56
पर्यावरण / Environment	4.98	7.89
स्वास्थ्य देखभाल / Healthcare	2.48	3.93
सुरक्षित पेयजल / Safe drinking water	0.75	1.18
खेल / Sport	2.05	3.25
पारंपरिक कला और संस्कृति / अन्य / Traditional Art & Culture/ Other	5.24	8.30
अन्य (विशेष अनुमति) / Other (Special permission)	20.74	32.88
कुल योग / Grand Total	**63.08**	**100.00**

	Education	Environment	Healthcare	Safe Drinking Water	sports	Traditional art and culture / Other	Other (Special permission)	Grand Total
Amount of project	26.85	4.98	2.48	0.75	2.05	5.24	20.74	63.08
Percentage	42.56	7.89	3.93	1.18	3.25	8.30	32.88	100.00

■ Amount of project ■ Percentage

अभिस्वीकृति

निदेशक मंडल महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों और सहयोग के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक को अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है। बोर्ड सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके मार्गदर्शन और अच्छी तरह से समय पर समर्थन के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा को कृतज्ञता और विशेष रूप से धन्यवाद देता है, जिसके बिना बैंक के लिए वर्तमान विकास प्राप्त करना संभव नहीं होता। बोर्ड अपने निरंतर संरक्षण के लिए बैंक के मूल्यवान शेयरधारकों, सम्मानित ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों के प्रति अपनी ईमानदारी से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड अपनी समर्पित सेवा के लिए बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की सराहना भी करता है।

निदेशक मंडल बैंक द्वारा संदर्भित मुद्दों पर आईबीए से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन को रिकॉर्ड में रखता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान: नैनीताल **(निखिल मोहन)**
दिनांक: 28.08.2024 एमडी और सीईओ

ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors expresses its sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India for the valuable guidance and support. The Board also acknowledges with gratitude and especially thanks Bank of Baroda for their valuable guidance and well-timed support on all vital issues, without which it would not have been feasible for the Bank to achieve present growth. The Board also records its sincere gratitude to the Bank's valuable shareholders, esteemed customers and all other stakeholders for their continued patronage. The Board also expresses its appreciation for every employee of the Bank for their dedicated service.

The Board of Directors places on record the support and guidance received from IBA on the issues referred by the Bank.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: Nainital **(Nikhil Mohan)**
DATE: 28.08.2024 MD & CEO

फॉर्म संख्या एमआर–3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियमए 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यों,
नैनीताल बैंक लिमिटेड
नैनी बैंक हाउस, सेवन ओक
मल्लीताल, नैनीताल,
उत्तराखंड –263001
(सीआईएनः यू65923यूआर1922पीएलसी000234)

हमने नैनीताल बैंक लिमिटेड, जिसका सीआईएनः U65923UR1922PLC000234 है (इसमें इसके पश्चात 'बैंक' कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

बैंक द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र और विवरणी तथा अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा की गई सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि ('लेखा परीक्षा अवधि') के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो कि इस सीमा तक, तरीके से और इसमें इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं।

हमने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तक, प्रपत्र और विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की हैः

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम (लागू नहीं, क्योंकि बैंक सूचीबद्ध नहीं है)

(iii) डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 March, 2024

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act,2013 and Rule no.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules,2014]

To,

The Members,
The Nainital Bank Limited
Naini Bank House, Seven Oaks
Mallital, Nainital, Uttarakhand-263001

(CIN: U65923UR1922PLC000234)

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to the good corporate practices by The Nainital Bank Limited having CIN: U65923UR1922PLC000234 (hereinafter called "the Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliance and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the bank and also the information so provided by the bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, We report that in our opinion , the Bank has during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2024, ('Audit Period') complied with statutory provisions listed hereunder and also that the bank has proper board processes and compliance mechanism in place to the extent , in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended March 31, 2024 according the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; (Not applicable as the Bank is not a Listed)

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules

गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश;

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011; (बैंक पर लागू नहीं है क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है)

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इंसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015; (बैंक पर लागू नहीं है क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है)

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; (बैंक पर लागू नहीं है क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है)

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 (बैंक पर लागू नहीं है क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है)

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021; (बैंक पर लागू नहीं है क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है)

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में (बैंक पर लागू नहीं है क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है)

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डी. लिस्टिंग) विनियम, 2021; (बैंक पर लागू नहीं है क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है)

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम 2018; (बैंक पर लागू नहीं है क्योंकि यह सूचीबद्ध नहीं है)

(vi) बैंक के प्रबंधन ने कहा कि वित्तीय, श्रम और पर्यावरण कानून तथा अन्य क़ानून जो बैंक पर लागू होते हैं, उनका आम तौर पर अनुपालन किया जाता है।

(vii) हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

क. भारतीय बैंक सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड बैठक (एसएस–1) और आम बैठक (एसएस–2) के संबंध में भारतीय बैंक सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act');

a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; (not applicable to the Bank as it is not a Listed)

b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; (not applicable to the Bank as it is not a Listed)

c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; (not applicable to the Bank as it is not a Listed)

d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat equity) Regulation, 2021 (not applicable to the Bank as it is not a Listed)

e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulation, 2021; (not applicable to the Bank as it is not a Listed)

f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and Dealing with Client(not applicable to the Bank as it is not a Listed)

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; (not applicable to the Bank as it is not a Listed)

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations 2018; (not applicable to the Bank as it is not a Listed)

(vi) The Management of the Bank represented that fiscal, labour and environmental laws and other Statutes which are applicable to the Bank, are generally complied with.

(vii) We have also examined compliance of the applicable clauses of the following:

a. Secretarial Standards issued by The Institute of Bank Secretaries of India with respect to Board Meeting (SS-1) and General meeting (SS-2) issued by the Institute of Bank Secretaries of India.

ख. स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक द्वारा किए गए लिस्टिंग करार; (लागू नहीं, क्योंकि बैंक सूचीबद्ध बैंक नहीं है)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें कार्यकारी निदेशक, गैर–कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन बनाए रखा गया है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं।

ख. बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व में भेजे जाते हैं, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

ग. बहुमत के निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है, जबकि असहमति जताने वाले सदस्यों के विचारों को मिनट्स के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

घ. बैंक ने निम्नलिखित दंड का भुगतान किया है:

(i) करेंसी चेस्ट के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों तथा करेंसी चेस्ट सहित बैंक शाखाओं के लिए आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में विनियामक दिशा–निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए आरबीआई कानपुर ने ₹ 40250.00 का जुर्माना अदा किया गया।

(ii) गिरवी रखे गए प्रतिभूति दस्तावेजों को जारी करने में देरी के लिए बैंकिंग लोकपाल ने ₹ 10,000.00 का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया।

(iii) शिकायतकर्ता के सिबिल को अपडेट करने में देरी करने के लिए बैंकिंग लोकपाल ने ₹ 10,000.00 का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया।

(iv) शिकायतकर्ता के सिबिल को अपडेट करने में देरी के लिए बैंकिंग लोकपाल ने ₹ 25,000.00 रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित कार्यक्रम / कार्रवाईयां की हैं:

(i) बैंक ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपने ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम में संशोधन किया है।

b. The Listing Agreements entered into by the Bank with the Stock Exchanges; (Not applicable as the Bank is not a Listed Bank)

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc.

We further report that:

a) The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and independent Directors. The changes in the composition of Board of Directors that took place during the period of review were carried on in compliance with the provisions of the Act.

b) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meeting, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists of seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

c) Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

d) The Bank has paid the following penalties:

(i) Penalty of ₹ 40250.00 paid to RBI Kanpur for Deficiencies observed during the inspection of currency chest and non-compliance to regulatory guidelines in providing customer service to the general public for bank branches including currency chests.

(ii) Penalty of ₹ 10,000.00 imposed by Banking Ombudsman for delay in release of mortgaged Security Documents

(iii) Penalty of ₹ 10,000.00 imposed by Banking Ombudsman for delay in updating CIBIL of the complainant

(iv) Penalty of ₹ 25,000.00 imposed by Banking Ombudsman for delay in updating CIBIL of the complainant

We further report that during the audit period, the Bank has undertaken the following events/actions:

i. The Bank has amended its Memorandum and Articles of Association through the postal ballot.

(ii) बैंक ने अपनी प्राधिकृत शेयर पूंजी 150,00,00,000.00 (एक सौ पचास करोड़) रुपये से बढ़ाकर 230,00,00,000.00 (दो सौ तीस करोड़) रुपये कर दी है।

हस्ता/–
कृते **टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स**
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
एफआरएन सं. – P2007WB067100

बिनीता पांडे – पार्टनर
एसीएस: 41594, सीपी: 19730
यूडीआईएन:A041594F000984228

दिनांक: 16.08.2024
स्थान: दिल्ली

इस रिपोर्ट को हमारे उस दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

ii. The Bank has increased its Authorized Share Capital from ₹ 150,00,00,000.00 (One Hundred and Fifty Crores) to ₹ 230,00,00,000.00 (Two Hundred and Thirty Crore)

Sd/-
For **T. Chatterjee & Associates**
Practicing Company Secretaries
FRN No. - P2007WB067100

Binita Pandey - Partner
ACS : 41594, CP : 19730
UDIN: A041594F000984228

Date: 16.08.2024
Place: Delhi

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

अनुलग्नक—क

प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव द्वारा जारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,

श्रीमान सदस्य
नैनीताल बैंक लिमिटेड
(सीआईएनः यू65923यूआर1922पीएलसी000234)
जीबी पंत रोड, नैनीताल
उत्तराखंड —263001

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए आईसीएसआई ऑडिटिंग मानक, ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन नोटों का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
4. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
5. सचिवीय लेखापरीक्षा न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

हस्ता/—
कृते **टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स**
प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी
एफआरएन सं. — P2007WB067100

बिनीता पांडे — पार्टनर
एसीएसः 41594, सीपीः 19730
यूडीआईएनःA041594F000984228

दिनांकः 16.08.2024
स्थानः दिल्ली

ANNEXURE –A

ANNEXURE TO SECRETARIAL AUDIT REPORT ISSUED BY COMPANY SECRETARY IN PRACTICE

To

The Members
The Nainital Bank Limited
(CIN: U65923UR1922PLC000234)
G B Pant Road Nainital
Uttaranchal-263001

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the Guidance Notes on ICSI Auditing Standard, audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
4. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
5. The Secretarial Audit is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

Sd/-
For **T. Chatterjee & Associates**
Practicing Company Secretaries
FRN No. - P2007WB067100

Binita Pandey - Partner
ACS : 41594, CP : 19730
UDIN: A041594F000984228

Date: 16.08.2024
Place: Delhi

बेसल III पिलर 3 प्रकटीकरण (31.03.2024)

BASEL III PILLAR 3 DISCLOSURES (31.03.2024)

तालिका डीएफ– 1: आवेदन का दायरा

बैंकिंग समूह के प्रधान का नाम, जिस पर यह ढांचा लागू होता है:

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड:

i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क. समेकन हेतु विचार में लिए गए समूह इकाइयों की सूची

ऐसी कोई इकाई नहीं है जिस पर समेकन के लेखांकन दायरे के अंतर्गत विचार किया जा सके।

Table DF- 1: Scope of Application

Name of the head of the banking group to which the framework applies:

The Nainital Bank Ltd.

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation

There is no such entity which may be considered under accounting scope of consolidation.

संस्था का नाम/(निगमन का देश)	क्या इकाई समेकन के लेखांकन दायरे में शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाइए	क्या इकाई समेकन के विनियामक दायरे में शामिल है (हां/नहीं)	समेकन की विधि समझाइए	समेकन की विधि में अंतर के कारणों की व्याख्या करें	यदि समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित किया गया है तो इसके कारण बताएं
Name of the entity/(Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
शून्य/Nil						

ख. समूह संस्थाओं की सूची जिन्हें लेखांकन और समेकन के विनियामक दायरे के तहत समेकन के लिए नहीं माना गया

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

संस्था का नाम/(निगमन का देश)	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन बैलेंस शीट में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का %	इकाई के पूंजीगत साधनों में बैंक के निवेश का विनियामक द्वारा किया गया उपयोग	कुल तुलन पत्र परिसंपत्तियां (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)
Name of the entity/(Country of Incorporation)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of bank's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य/Nil					

समूह में ऐसी कोई इकाई नहीं है जिसे लेखांकन और विनियामक समेकन दायरे दोनों के अंतर्गत समेकन के लिए विचार किया गया हो।
There are no entities in the group which are considered for consolidation under both accounting and regulatory scope of consolidation.

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण: / (ii) Qualitative Disclosures:

ग. समेकन के लिए विचार की गई समूह संस्थाओं की सूची / c. List of group entities considered for consolidation

संस्था का नाम / निगमन का देश (जैसा कि ऊपर (i) क. में दर्शाया गया है)	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्तियां (जैसा कि कानूनी इकाई की लेखा तुलन पत्र में बताया गया है)
Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
शून्य/Nil			

बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए किसी भी सहायक कंपनी में पूंजी की कमी की कोई गुंजाइश नहीं है।
There is no such entity which may be considered for consolidation.

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजी में कमियों की सकल राशि जिसे समेकन के विनियामक दायरे में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात् जिसे घटाया गया है:

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted

संस्था का नाम / निगमन देश	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन बैलेंस शीट में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का %	पूंजी की कमी
Name of the subsidiaries / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
शून्य / Nil				

बैंक की ऐसी कोई अनुषंगी नहीं है इसलिए किसी अनुषंगी में पूंजी के अभाव का दायरा नहीं है।

Bank does not have any subsidiary as such there is no scope of capital deficiency in any of subsidiary.

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की कुल राशि (जैसे वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम–भारित हैं

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

बीमा संस्थाओं का नाम / निगमन का देश	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन बैलेंस शीट में बताया गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का %	जोखिम भार विधि बनाम पूर्ण कटौती विधि का उपयोग करने से विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
शून्य / Nil				

बैंक का बीमा इकाई में कोई हित नहीं है।

The bank has no interest in insurance entity.

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएँ

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group

कोई प्रतिबंध नहीं है।

There is no restriction.

तालिका डीएफ–2: पूंजी पर्याप्तता

TABLE DF-2: CAPITAL ADEQUACY

ii) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) Qualitative Disclosures

क) बैंक ने पूंजी अनुकूलन और लाभ अधिकतमीकरण पर उचित ध्यान देने के साथ एक मजबूत जोखिम प्रबंधन संरचना स्थापित की है, अर्थात उपलब्ध पूंजी से अधिकतम व्यवसाय करना जो बदले में लाभ या इक्विटी पर रिटर्न को अधिकतम करता है। बैंक बेसल III ढांचे के अनुरूप वैश्विक रूप से स्वीकृत सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर बेंचमार्किंग कर रहा है, जिससे संसाधनों का अधिक कुशल, न्यायसंगत और विवेकपूर्ण आवंटन संभव हो सके।

a) The Bank has put in place a robust Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and on profit maximization, i.e. to do maximum business out of the available capital which in turn maximize profit or return on equity. Bank is benchmarking on globally accepted sound risk management system, conforming to Basel III framework, enabling a more efficient equitable and prudent allocation of resources.

पूंजी नियोजन प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता

In Capital Planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the Bank

- व्यवसाय रणनीति और जोखिम उठाने की क्षमता के संदर्भ में लक्षित और टिकाऊ पूंजी।

पूंजी की जरूरतों की निगरानी शीर्ष अधिकारियों वाली आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय–समय पर की जाती है। अग्रिम, निवेश, जमा, एनपीए, परिचालन लाभ आदि में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी की आवश्यकता का अनुमान वार्षिक आधार पर लगाया जाता है।

बैंक जोखिम, कारोबार आदि के मूल्य में नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए पूंजी रखता है ताकि जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों को नुकसान से बचाया जा सके। बैंक के पास सभी जोखिमों का व्यापक मूल्यांकन और दस्तावेज़ीकरण करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (आईसीएएपी) है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुरूप, बैंक ने सीआरएआर की गणना के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण को अपनाया है।

पूंजी की आवश्यकता आर्थिक माहौल, विनियामक आवश्यकता और बैंक की गतिविधियों से उत्पन्न जोखिम से प्रभावित होती है। बैंक की पूंजी नियोजन का उद्देश्य बदलती आर्थिक स्थितियों, यहाँ तक कि आर्थिक मंदी के समय में भी पूंजी की पर्याप्तता सुनिश्चित करना है। पूंजी नियोजन प्रक्रिया में बैंक द्वारा निम्नलिखित की समीक्षा की जाती है।

- बैंक की वर्तमान पूंजी आवश्यकता।
- व्यवसाय रणनीति और जोखिम उठाने की क्षमता के संदर्भ में लक्षित और स्थायी पूंजी।
- भविष्य की पूंजी आयोजन तीन साल के दृष्टिकोण पर की जाती है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्रं सं.	मद	(राशि करोड़ में) 31.03.2024
(ख)	**ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताऐं**	
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	473.54
	• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	----
(ग)	**बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताऐं**	
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	43.20
	• ब्याज दर जोखिम	43.20
	• विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	----
	• इक्विटी जोखिम	0.00
(घ)	**परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताऐं**	
	• बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण	56.71

- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.

Capital needs are monitored periodically by the Internal Risk Management Committee comprising Top Executives. Capital requirement is projected annually considering the expected growth in advances, investments, Deposits, NPA, Operating Profit etc.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses. Bank has a well-defined Internal Capital Adequacy Assessment Policy (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all risks.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, the regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. The purpose of capital planning of the bank is to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at times of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank.
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

ii) Quantitative Disclosures

S. No.	Items	Amount (₹ in Crores) 31.03.2024
(b)	**Capital requirements for Credit Risk**	
	• Portfolios subject to Standardized Approach	473.54
	• Securitization Exposures	----
(c)	**Capital requirements for Market Risk**	
	• Standardized Duration Approach	43.20
	• Interest Rate Risk	43.20
	• Foreign Exchange Risk (including Gold)	----
	• Equity Risk	0.00
(d)	**Capital requirements for Operational Risk**	
	• Basic Indicator Approach	56.71

(ङ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपातः	
	• समूह सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	----
	• टियर 1 अनुपात	----
	• टियर 2 अनुपात	----
	• सीआरएआर	----
	• स्टैंडअलोन सीआरएआर	
	• सीईटी 1 अनुपात	14.26%
	• टियर 1 अनुपात	14.26%
	• टियर 2 अनुपात	0.96%
	• सीआरएआर	15.22%

तालिका डीएफ–3: ऋण जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. बैंक की ऋण परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने की बैंक की नीति निम्नानुसार है:

गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए): गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) एक ऋण या अग्रिम है, जहाँ;

- सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है,
- ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 'आउट ऑफ ऑर्डर' रहता है,
- खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है।
- अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है,
- दीर्घावधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है।

ओडी/सीसी खाते को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है, यदि बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से लगातार अधिक रहती है। ऐसे मामलों में जहां मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन बैलेंस शीट की तिथि पर 90 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं है या उसी अवधि के दौरान डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं हैं, इन खातों को 'आउट ऑफ ऑर्डर' माना जाता है। किसी भी क्रेडिट सुविधा के तहत बैंक को देय राशि 'अतिदेय' है यदि बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है।

बैंक की गैर–निष्पादित आस्तियों को आगे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत की गई हैं:

(e)	Common Equity Tier 1, tier 1 and Total Capital ratios:	
	• Group CRAR	
	• CET 1 Ratio	----
	• Tier 1 Ratio	----
	• Tier 2 Ratio	----
	• CRAR	----
	• Standalone CRAR	
	• CET 1 Ratio	14.26%
	• Tier 1 Ratio	14.26%
	• Tier 2 Ratio	0.96%
	• CRAR	15.22%

TABLE DF-3: CREDIT RISK

(i) Qualitative Disclosures

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/ drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/ drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

An amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

बैंक की गैर निष्पादक आस्तियों को आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

अवमानक आस्तियाँ

अवमानक आस्तियाँ वह होती हैं, जो 12 महीने से कम या उसके बराबर अवधि के लिए एनपीए बनी रहती हैं। अवमानक आस्तियों में भी सभी वसूली उपाय प्रासंगिक हैं। यदि नकद वसूली के माध्यम से संपूर्ण बकाया राशि वसूल की जाती है, तो खाते को तुरंत मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है। इसी तरह, यदि कोई खाता तकनीकी कारणों से एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो तकनीकी कारणों के समाधान के बाद खाते को अपग्रेड किया जाएगा।

संदेहास्पद आस्तियाँ

वे आस्तियाँ जो 12 महीने तक अवमानक श्रेणी में रहती हैं, तो उन्हें संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अवमानक और संदिग्ध खाते, जो पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण के अधीन हैं, उन्हें ब्याज या मूलधन का पहला भुगतान, जो भी पहले हो, देय तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद ही मानक श्रेणी में अपग्रेड किया जा सकता है, बशर्ते कि उस अवधि के दौरान प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो।

हानि आस्तियाँ

हानि आस्ति वह होती है जिसमें बैंक या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों या आरबीआई निरीक्षण द्वारा हानि की पहचान की गई हो। हानि आस्तियों में, उपलब्ध सुरक्षा का वसूली योग्य मूल्य बकाया/देय राशि के 10% से अधिक नहीं होता है। चूँकि सुरक्षा बैंक अप उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए यदि आवश्यक हो तो पुनर्गठन/पुनर्वास पर अत्यधिक सावधानी से विचार किया जाता है।

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ:

बैंक के पास एक अच्छी तरह से परिभाषित ऋण नीति, ऋण जोखिम नीति और निवेश नीति है जो ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है:

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं और उनके समूह और उद्योग के लिए जोखिम की अधिकतम सीमाएँ
- ऋण वितरण में निष्पक्ष व्यवहार संहिता।
- बैंक के विभिन्न स्तरों के लिए विवेकाधीन ऋण देने की शक्तियाँ।
- ऋण वितरण में शामिल प्रक्रियाएँ – स्वीकृति से पहले निरीक्षण, अस्वीकृति, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेज़ीकरण, निगरानी और वसूली।
- कीमत का निर्धारण

बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, वास्तुकला और प्रणालियाँ निम्नानुसार हैं:

ऋण जोखिम दर्शन:

- क्रेडिट और प्रतिलाभ को अनुकूलित करने के लिए परिकल्पना की

Non-Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

Sub standard Assets

A sub standard asset would be one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months. All the recovery measures are relevant in substandard assets also. If the entire overdues are recovered by way of cash recovery, the account can be upgraded to standard category immediately. Similarly, if an account is classified as NPA due to technical reasons, the account shall be upgraded on clearance of technical reasons.

Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it remained in the sub standard category for 12 months. Substandard and Doubtful accounts which are subjected to restructuring/rescheduling, can be upgraded to standard category only after a period of one year after the date when first payment of interest or of principal, whichever is earlier, falls due, subject to satisfactory performance during the period.

Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection. In Loss assets, realizable value of security available is not more than 10% of balance outstanding/ dues. Since security back up will not be available, the restructuring/ rehabilitation, if required, is considered with utmost care.

Strategies and Processes:

The bank has a well defined Loan Policy, Credit Risk Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit.
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank.
- Processes involved in dispensation of credit – pre sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under:

Credit Risk Philosophy:

- To Optimize the Credit and return envisaged in order that

गई है ताकि शेयरधारकों के लिए आर्थिक मूल्यवर्धन अधिकतम हो और बैंक के संसाधनों की सुरक्षा के साथ कॉर्पोरेट विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ–साथ सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जा सके।

- बैंक के वित्तीय संसाधनों को व्यवस्थित तरीके से विनियमित और सुव्यवस्थित करना, ताकि विभिन्न चैनल बैंक के सामान्य लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में नियोजित विकास को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए संस्थागत वित्त की तैनाती के मामले में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का अनुपालन करना।
- उद्यम–व्यापी ऋण संस्कृति की भावना पैदा करना और परिचालन कर्मचारियों की सहायता करना।
- विभिन्न उधारकर्ता वर्गों को आवश्यकता–आधारित और समय पर ऋण उपलब्ध कराना।
- ऋण प्रबंधन कौशल को मजबूत करना, जैसे कि मंजूरी से पहले, मंजूरी के बाद निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती उपाय, ताकि स्वस्थ ऋण संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और बैंक में गुणवत्तापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाए रखा जा सके।
- गुणवत्ता मूल्यांकन, गति और मौजूदा दिशा–निर्देशों के पूर्ण अनुपालन के साथ ऋण प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से निपटाना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करना, विशेष रूप से एक्सपोजर मानदंड, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंड, आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण दिशानिर्देश, पूंजी पर्याप्तता, आरबीआई/अन्य प्राधिकरणों के ऋण जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश आदि।

बैंक की वास्तुकला और प्रणालियाँः

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यों की विशेष रूप से देखरेख और समन्वय करने के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उप–समिति गठित की गई है।
- ऋण नीति समिति की स्थापना ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम रणनीति तैयार करने और लागू करने तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी करने के लिए की गई है।
- सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति) निर्धारित सीमाओं के भीतर ऋण जोखिम को मापने, नियंत्रित करने और प्रबंधित करने तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर कार्य करने के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
- ऋण प्रस्तावों, वित्तीय अनुबंधों, रेटिंग मानकों और बेंचमार्क के लिए मानकों पर नीतियों का निर्माण।
- ऋण विभाग निर्धारित सीमाओं के भीतर ऋण जोखिम की पहचान,

the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the Stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.

- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post- sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speed and in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Risk Management function on a regular basis.
- The CRMC (Credit Risk Management Committee) is responsible for measuring, controlling and managing the credit risk within the prescribed limits and to ensure compliance to functioning within the prudential limits set by the Board.
- Formulating of policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Department deal with identification, measure-

माप, निगरानी और नियंत्रण से संबंधित कार्य करता है।

- ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग ऋण जोखिम नीति के तहत परिभाषित विधियों के अनुसार तिमाही आधार पर पोर्टफोलियो विश्लेषण करता है।
- बोर्ड/विनियामक आदि द्वारा निर्धारित जोखिम मापदंडों और विवेकपूर्ण सीमाओं का प्रवर्तन और अनुपालन,
- जोखिम मूल्यांकन प्रणाली निर्धारित करना, एमआईएस विकसित करना, तथा ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करना, समस्याओं की पहचान करना, कमियों को सुधारना।
- निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन पर ऋण वितरण प्रणाली में सुधार करना।

जोखिम रिपोर्टिंग और/या आकलन पद्धति का क्षेत्र और प्रकृतिः

बैंक ने अपने ऋण जोखिमों के लिए एक मजबूत ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली स्थापित की है। ऋण जोखिमों को कम करने का एक प्रभावी तरीका किसी विशेष परिसंपत्ति में संभावित जोखिमों की पहचान करना, एक स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखना और साथ ही बैंक की समग्र रणनीति और ऋण नीति के अनुसार आवश्यक जोखिम–वापसी मापदंडों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण में लचीलापन प्रदान करना है। हालाँकि बैंक की एक अलग ऋण जोखिम नीति है जहाँ परिभाषित विधियों के आधार पर तिमाही अंतराल पर पोर्टफोलियो ऋण जोखिम का विश्लेषण किया जाता है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजरः

विवरण	राशि (करोड़ रू. में) 31.03.2024
निधि आधारित बकाया	5351.35
गैर–निधि आधारित बकाया	55.68
कुल सकल ऋण	**5407.03**

ग) ऋण एक्सपोजर का भौगोलिक वितरणः

एक्सपोजर	राशि (करोड़ रू. में)	
	निधि आधारित बकाया	गैर निधि आधारित बकाया
घरेलू परिचालन	5351.35	55.68
विदेशी परिचालन	----	----
कुल	**5351.35**	**55.68**

ment, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.

- Credit Risk Management department does the portfolio analysis on quarterly basis as per the defined methods under credit risk policy.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, and monitoring quality of loan portfolio, identification of problems, correction of deficiencies.
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

The Scope and Nature of Risk Reporting and/or Measurement System:

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy. However Bank has a separate Credit Risk Policy where portfolio credit risk is analysed on quarterly interval on the basis defined methods.

(ii) Quantitative Disclosures

b) Total Gross Credit Risk Exposure

Particulars	Amount (₹ in Crores) 31.03.2024
Fund Based Exposure	5351.35
Non-fund Based Exposure	55.68
Total Gross Credit Exposure	**5407.03**

c) Geographic Distribution of Exposures:

Exposures	Amount (₹ in Crores)	
	Fund Based Outstanding	Non-fund Based Outstanding
Domestic operations	5351.35	55.68
Overseas operations	----	----
Total	**5351.35**	**55.68**

घ) जोखिमों का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरणः d) Industry Type Distribution of Exposures

(राशि करोड़ में) / (₹ in Crores)

क्र.सं. S. No.	उद्योग / Industry		कुल वित्तपोषित ऋण जोखिम Total Funded Credit Exposure	कुल गैर–वित्तपोषित ऋण जोखिम Total Non-funded Credit Exposure	कुल ऋण जोखिम (ऋणपोषित और गैर–वित्त पोषित) Total Credit Exposure (Funded and Non-Funded)
ए / A	**खनन और उत्खनन**	**Minning and Quarrying**	**90.22**	**0.84**	**91.06**
ए / A.1	कोयला	Coal	0.00	0.00	0.00
ए / A.2	अन्य	Other	90.22	0.84	91.06
बी / B	**खाद्य प्रसंस्करण**	**Food Processing**	**25.98**	**0.00**	**25.98**
बी / B.1	चीनी	Sugar	0.03	0.00	0.03
बी / B.2	खाने का तेल और वनस्पति	Edible Oils and Vanaspati	1.39	0.00	1.39
बी / B.3	चाय	Tea	0.48	0.00	0.48
बी / B.4	कॉफी	Coffee	0.00	0.00	0.00
बी / B.5	अन्य	Others	24.08	0.00	24.08
सी / C	**पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू**	**Beverages (excluding Tea & Coffee) and Tobacco**	**31.11**	**0.00**	**31.11**
सी / C.1	तम्बाकू व तम्बाकू उत्पाद	Tobacco and Tobacco Products	0.00	0.00	0.00
सी / C.2	अन्य	Others	31.11	0.00	31.11
डी / D	**टैक्सटाईल**	**Textiles**	**32.81**	**0.00**	**32.81**
डी / D.1	सूती	Cotton	1.71	0.00	1.71
डी / D.2	जूट	Jute	0.00	0.00	0.00
डी / D.3	हाथ से बने हुए	Man-made	0.00	0.00	0.00
डी / D.4	अन्य	Others	31.10	0.00	31.10
	डी में से (यानी, कुल वस्त्र) कताई मिलों को	**Out of D (i.e., Total Textiles) to Spinning Mills**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ई / E	**चमड़ा और चमड़े के उत्पाद**	**Leather and Leather Products**	**1.74**	**0.00**	**1.74**
एफ / F	**लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद**	**Wood and Wood Products**	**7.88**	**0.00**	**7.88**
जी / G	**कागज और कागज के उत्पाद**	**Paper and Paper Products**	**4.69**	**0.00**	**4.69**
एच / H	**पेट्रोलियम (गैर–इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर–खनन) और परमाणु ईंधन**	**Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
आई / I	**रसायन और रासायनिक उत्पाद (रंग, पेंट, आदि)**	**Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.)**	**16.92**	**0.00**	**16.92**
आई / I.1	उर्वरक	Fertilizers	0.89	0.00	0.89
आई / I.2	ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	Drugs and Pharmaceuticals	10.18	0.00	10.18
आई / I.3	पेट्रो–रसायन (बुनियादी ढांचे को छोड़कर)	Petro-chemicals (excluding under Infrastructure)	0.00	0.00	0.00
आई / I.4	अन्य	Other	5.85	0.00	5.85
जे / J	**रबड़ प्लास्टिक और उनके उत्पाद**	**Rubber Plastic and their Products**	**5.91**	**0.00**	**5.91**
के / K	**कांच, कांच के बने पदार्थ और अन्य गैर–धात्विक खनिज उत्पाद (सीमेंट और सीमेंट उत्पादों को छोड़कर)**	**Glass, Glassware and other non-metallic mineral products (Except Cement and Cement products)/**	**4.89**	**0.00**	**4.89**
एल / L	**सीमेंट और सीमेंट के उत्पाद**	**Cement and Cement Products**	**2.50**	**0.00**	**2.50**

क्र.सं. S. No.	उद्योग / Industry		कुल वित्तपोषित ऋण जोखिम Total Funded Credit Exposure	कुल गैर–वित्तपोषित ऋण जोखिम Total Non-funded Credit Exposure	कुल ऋण जोखिम (ऋणपोषित और गैर–वित्त पोषित) Total Credit Exposure (Funded and Non-Funded)
एम / M	**मूलभूत धातु एवं धातु उत्पाद**	**Basic Metal and Metal Products**	**15.27**	**0.00**	**15.27**
एम / M.1	लोहा एवं इस्पात	Iron and Steel	10.11	0.00	10.11
एम / M.2	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	Other Metal and Metal Products	5.16	0.00	5.16
एन / N	**सभी इन्जीनियरिंग**	**All Engineering**	**115.68**	**0.24**	**115.92**
एन / N.1	इलैक्ट्रोनिक्स	Electronics	0.57	0.00	0.57
एन / N.2	अन्य	Other	115.11	0.24	115.35
ओ / O	**वाहन, वाहन भागों और परिवहन उपकरण**	**Vehicle, Vehicle Parts and Transport Equipment's**	**10.84**	**0.00**	**10.84**
पी / P	**रत्न एवं आभूषण**	**Gems and Jewellery**	**0.14**	**0.00**	**0.14**
क्यू / Q	**निर्माण**	**Construction**	**4.09**	**2.03**	**6.12**
आर / R	**बुनियादी ढांचा (केवल उद्योग क्षेत्र से संबंधित)**	**Infrastructure (Pertaining to Industries Sector Only)**	**62.11**	**0.00**	**62.11**
आर / R.1	**परिवहन**	**Transport**	**16.48**	**0.12**	**16.60**
आर / R.1.1	रेलवे	Railways	0.00	0.00	0.00
आर / R.1.2	सड़क मार्ग	Roadways	0.00	0.00	0.00
आर / R.1.3	विमानन	Aviation	0.00	0.00	0.00
आर / R.1.4	जलमार्ग	Waterways	0.00	0.00	0.00
आर / R.1.5	अन्य परिवहन	Others Transport	16.48	0.12	16.60
आर / R.2	**ऊर्जा**	**Energy**	**12.02**	**0.00**	**12.02**
आर / R.2.1	गैर–नवीकरणीय ऊर्जा	Non-Renewable Energy	12.02	0.00	12.02
आर / R.2.2	नवीनीकृत ऊर्जा (सौर, पवन, जलविद्युत)	Renewable Energy (Solar, Wind, Hydel)	0.00	0.00	0.00
आर / R.2.3	ऑयल / गैस (भण्डारण एवं पाइपलाईन)	Oil & Gas (Storage & Pipeline)	0.00	0.00	0.00
आर / R.3	**अन्य**	**Other**	**33.61**	**0.12**	**33.73**
आर / R.3.1	दूरसंचार	Telecommunication	0.00	0.00	0.00
आर / R.3.2	जल स्वच्छता	Water Sanitation	0.00	0.00	0.00
आर / R.3.3	सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	Social and Commercial Infra-structure	33.57	0.12	33.69
आर / R.3.4	अन्य अवसंरचना	Other Infrastructure	0.04	0.00	0.04
एस / S	**अन्य उद्योग, कृपया निर्दिष्ट करें**	**Other Industries, pl. specify**	**327.28**	**7.72**	**335.00**
	अन्य	OTHER	327.28	7.72	335.00
	सभी उद्योग (ए से एस)	**All Industries (A to S)**	**760.06**	**11.07**	**771.13**
	शेष अन्य अग्रिम	**Residuary other advances**	**4591.29**	**44.61**	**4635.90**
	विमानन क्षेत्र	Aviation Sector	0.00	0.00	0.00
	एनबीएफसी	NBFC	35.00	0.00	35.00
	अन्य अवशिष्ट अग्रिम	Other residuary Advances	4,556.29	44.61	4,556.29
	कुल ऋण और अग्रिम	**Total Loan & Advances**	**5351.35**	**55.68**	**5407.03**

उन उद्योगों का ऋण जोखिम, जिनका बकाया ऋण बैंक के कुल सकल ऋण जोखिम का 5% से अधिक है जो निम्नानुसार है:

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank is as follows:

क. सं. S. No.	उद्योग Industry	कुल एक्सपोजर/बकाया शेष (रुपये करोड़ में) Total Exposure/(O/s bal.) (in Crores)	कुल सकल ऋण जोखिम का% % of Total Gross Credit Exposure
	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

ङ) परिसम्पतियों का अवशिष्ट परिपक्वता विवरण

(e) Residual maturity breakdown of assets

(रुपये करोड़ में)/(₹ in Crores)

	भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष/ Cash & Balances with RBI	अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि/Balances with other Banks & Money at call & short notice	निवेश/ Investments	अग्रिम/ Advances	अचल आस्तियां/ Fixed Assets	अन्य आस्तियां/ Other Assets	जोड़/ Total
1 दिन/1 Day	191.44	17.13	515.54	14.28	0.00	1.41	739.80
2-7 दिन/2-7 Days	0.00	160.00	0.00	85.67	0.00	29.73	275.40
8-14 दिन/8-14 Days	0.00	17.00	0.00	100.59	0.00	5.02	122.61
15-30 दिन/15-30 Days	41.60	45.00	169.09	202.14	0.00	9.65	467.48
31दिन – 2 माह तक/ 31 days – upto 2 Months	13.74	74.00	64.77	120.81	0.00	20.62	293.94
2 माह से अधिक और 3 माह तक/ Over 2 Months upto 3 Months	16.98	110.00	64.28	222.33	0.00	20.62	434.21
3 माह से अधिक और 6 माह तक/Over 3 upto 6 Months	44.58	454.00	178.07	332.14	0.00	83.53	1092.32
6 माह से अधिक और 12 माह तक/Over 6 upto 12 Months	90.93	765.01	363.81	175.32	0.00	10.10	1405.17
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक/Over 1 year upto 3 Years	127.80	0.09	571.11	1763.30	0.00	206.48	2668.78
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक/Over 3 upto 5 Years	1.70	0.00	6.78	431.70	0.00	79.62	519.80
5 वर्ष से अधिक/Over 5 Year	1.21	0.00	55.62	1069.56	79.06	81.86	1287.31
जोड़/TOTAL	**529.98**	**1642.23**	**1989.07**	**4517.84**	**79.06**	**548.64**	**9306.82**

(रुपये करोड़ में)/(₹ in Crores)

क्र.सं. S.No.	परिसंपत्ति श्रेणी/Asset Category		राशि/Amount
क/a)	**एनपीए (सकल)*:**	**NPAs (Gross)*:**	398.67
	अवमानक	Substandard	62.99
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	40.58
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	81.78
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	189.94
	हानिकर	Loss	23.38
ख/b)	**शुद्ध एनपीए**	**Net NPAs**	41.88
ग/c)	**एनपीए अनुपात**	**NPA Ratios**	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए (%)	Gross NPAs to gross advances (%)	8.29%
	शुद्ध अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	Net NPAs to net advances (%)	0.94%

क्र.सं. S.No.	परिसंपत्ति श्रेणी / Asset Category			राशि / Amount
घ / d)	**एनपीए (सकल) में उतार–चढ़ाव**	**Movement of NPA(Gross)**		
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		443.26@
	वृद्धि	Additions		97.25
	कमी	Reductions		141.84
	विनिमय अंतर के कारण कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments due to Exchange Diff		0.00
	अंतिम शेष	Closing balance		398.67**
ङ / e)	**विशिष्ट प्रावधान**	**SPECIFIC PROVISION**		
	एनपीए के लिए प्रावधान में उतार–चढ़ाव	Movement of provisions for NPAs		
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		300.96
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	Provisions made during the period		64.74
	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ / राइट बैक करना	Write offs/ Write back of excess provisions		72.84
	प्रावधानों के बीच स्थानांतरण सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including transfers between provisions		0.00
	अंतिम शेष	Closing balance		292.86
	सामान्य प्रावधान	**GENERAL PROVISION**		
च / f)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार–चढ़ाव**	**Movement of provisions for NPAs**		
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		62.85
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period		0.00
	बट्टे खाते	Write offs		0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों को वापस करना	Write back of excess provisions		0.00
	प्रावधानों के बीच अंतरणों सहित कोई अन्य समायोजन	Any other adjustments, including transfers between provisions		0.00
	अंतिम शेष	Closing balance		62.85
	राइट–ऑफ जो सीधे आय विवरण में दर्ज किए गए हैं	Write-offs that have been booked directly to the income statement		44.93
	वसूली जो सीधे आय विवरण में दर्ज की गई है	Recoveries that have been booked directly to the income statement		3.99
छ / g)	**गैर निष्पादक निवेश की राशि**	**Amount of Non-Performing Investments**		0.00
ज / h)	**गैर–निष्पादित निवेश के लिए रखे गए प्रावधानों की राशि**	**Amount of provisions held for non-performing investment**		0.00
झ / i)	**निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का संचलन**	**Movement of provisions for depreciation on investments**		
	प्रारंभिक शेष	Opening balance		29.35
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	Provisions made during the period		0.83
	राइट–ऑफ	Write-off		0.00
	अतिरिक्त प्रावधानों का राइट बैक	Write back of excess provisions		26.50
	अंतिम शेष	**Closing balance**		**3.68**
ञ / j)	**प्रमुख उद्योग या काउंटर प्रकार के अनुसार**	**By major industry or counter type**		
			एनपीए राशि / Amount of NPAs	प्रावधान
	शीर्ष 5 उद्योग	Top 5 Industries	121.61	121.61
ट / k)	**भौगोलिक क्षेत्रवार विश्लेषण**	Geographic-wise breakup	सकल एनपीए / Gross NPA	**प्रावधान**
	घरेलू	Domestic	398.67	292.86

@ ₹ 4.47 करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर **₹ 7.33 करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर

@Excluding interest suspense of ₹ 4.47 crore **Excluding interest suspense of ₹ 7.33 crore

तालिका डीएफ–4: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो के लिए क्रेडिट जोखिम प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए:
बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी प्रभार की गणना के लिए जोखिम की रेटिंग और जोखिम भार निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को मान्यता दी है।

घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां:

- क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई),
- क्रिसिल लिमिटेड
- आईसीआरए लिमिटेड,
- इंडिया रेटिंग्स (पूर्व में फिच इंडिया)
- ब्रिक्रवर्क्स
- एसएमईआरए

जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है:

उपर्युक्त सभी एजेंसियों को सभी प्रकार के जोखिमों की रेटिंग के लिए मान्यता प्राप्त है।

बैंकिंग पुस्तकों में तुलनीय परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण:

- बैंक ने अनुमोदित बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई एक वर्ष तक की परिपक्वता वाली परिसंपत्तियों के लिए अल्पकालिक रेटिंग और एक वर्ष के बाद परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों के लिए दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया है।
- बैंक ने एक जोखिम के लिए एक सीआरए (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) की एक रेटिंग और उसी प्रतिपक्ष पर एक अन्य जोखिम के लिए एक अन्य सीआरए की रेटिंग का उपयोग नहीं किया है, जब तक कि दिए गए जोखिम के लिए केवल एक रेटिंग उपलब्ध न हो।
- बैंक ₹ 20.00 करोड़ से अधिक की कुल स्वीकृत सीमा वाले नए क्रेडिट जोखिमों के मामले में आरबीआई द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करने के संबंध में बेसल मानदंडों का अनुपालन करेगा। हालांकि, ₹ 7.50 करोड़ और उससे अधिक तथा 20.00 करोड़ रुपये तक की कुल स्वीकृत ऋण सुविधाओं वाले उधारकर्ताओं से ऐसी रेटिंग प्राप्त करने/जमा करने के लिए एक वचनबद्धता प्राप्त की जानी है, जब भी नियामक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी आवश्यकता हो।
- बैंक ने मान्यता प्राप्त सीआरए से केवल अनुमोदित रेटिंग का ही उपयोग किया है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(ख) बैंक के जोखिम की राशि– सकल प्रमुख जोखिम बकेट में

Table DF-4: Credit Risk Disclosures for portfolios subject to Standardized Approach

i) Qualitative Disclosures

a) For portfolios under the Standardised Approach:

The Bank has recognized following credit rating agencies for the purpose of rating of an exposure & assigning risk weights for computation of capital charge under standardized approach.

Domestic credit rating agencies:

- Credit Analysis & Research Limited (CARE),
- CRISIL Limited,
- ICRA Limited,
- India Ratings (Formerly FITCH India)
- Brickwork
- SMERA

Types of exposure for which each agency is used:

All the above agencies are recognized for rating all types of exposures.

A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking books:

- Bank has used short term ratings for assets with maturity up to one year and long term ratings for assets maturing after one year as accorded by the approved external credit rating agencies.
- Bank has not used one rating of a CRA (Credit Rating Agency) for one exposure and another CRA's rating for another exposure on the same counterparty unless only one rating is available for given exposure.
- The Bank will comply with the Basel norms in respect of obtaining rating from RBI approved external agencies in case of fresh credit exposures having aggregate sanctioned limit above ₹20.00 Crore. However, an undertaking from the borrowers having sanctioned aggregate credit facilities of ₹7.50 Crores and above and up to ₹20.00 Crores to be obtained for obtaining/submitting of such ratings as & when the same is required as per regulator's guidelines.
- Bank has used only solicited rating from the recognized CRAs.

(ii) Quantitative Disclosures

(b) Amount of the Bank's Exposures- Gross Advances

अग्रिम (रेटेड और अनरेटेड) – मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, जोखिम शमन (यानी संपार्श्विक) को ध्यान में रखने के बादः

निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम बकेट में मानकीकृत दृष्टिकोण (रेटेड और अनरेटेड) के अधीन जोखिम शमन के बाद गैर–निधि आधारित सहित जोखिम की राशि निम्नानुसार हैः

बकाया राशि (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	निधि आधारित 31.03.2024	निधीतर आधारित 31.03.2024
1	100% जोखिम भार से कम	2595.04	
2	100% जोखिम भार	1529.54	55.64
3	100% जोखिम भार से अधिक	91.02	
4	सीआरएम कटौती	596.19	29.80
	कुल एक्सपोजर	**4811.79**	**85.44**

तालिका डी.एफ.–5: ऋण जोखिम न्यूनीकरणः मानकीकृत दृष्टिकोणों के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँः बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो प्रक्रिया, उद्देश्य, स्वीकृत प्रकार के संपार्श्विक और प्रभावी संपार्श्विक प्रबंधन के लिए उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली सहित रूपरेखा निर्धारित करती है। संपार्श्विक और गारंटी को उचित रूप से लिया और प्रबंधित किया जाता है जो निम्न कार्य करेगाः

- अपेक्षित नकदी प्रवाह में अपर्याप्तता या नहीं होने के कारण ऋण सुविधा पर उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान का द्वितीयक स्रोत प्रदान करके जोखिम को कम करना;
- चूक की स्थिति में पुनर्भुगतान के स्रोत पर नियंत्रण प्राप्त करना;
- उधारकर्ता की बिगड़ती पुनर्भुगतान क्षमता की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना; और
- जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुकूलन करना और अवशिष्ट जोखिमों को पर्याप्त रूप से संबोधित करना।

बैंक अपने सामने आने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करता है। बैंक की संपार्श्विक प्रबंधन प्रक्रिया और अभ्यास संपार्श्विक मूल्य की सुरक्षा और संरक्षण, संपार्श्विक और गारंटी की वैधता और मूल्यांकन/आवधिक निरीक्षण सहित संपूर्ण गतिविधियों को कवर करते हैं।

मूल्यांकन

बैंक द्वारा दिए गए ऋणों को सुरक्षित करने के लिए प्राप्त की गई संपत्तियों का मूल्यांकन बैंक द्वारा सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाता है। खातों की मौद्रिक सीमा, उधारकर्ता की संपत्ति का वर्गीकरण, जिसका मूल्यांकन किया जाना है, मूल्यांकन की आवधिकता, बैंकों की नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई है। बैंक समय–समय पर मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा करता है।

(Rated & Unrated) in Major Risk Buckets -under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e. Collaterals):

The amount of exposure including non-fund based after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

Outstanding Amount (₹ in Crores)

S. No.	Particulars	Fund Based 31.03.2024	Non–Fund Based 31.03.2024
1	Below 100 % risk weight	2595.04	
2	100 % risk weight	1529.54	55.64
3	More than 100 % risk weight	91.02	
4	CRM Deducted	596.19	29.80
	Total Exposure	**4811.79**	**85.44**

Table Df-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

(i) Qualitative Disclosures

Policies and processes for collateral valuation and management: The Bank is having a Board approved collateral management policy which lays down the process, objectives, accepted types of collaterals and the framework including suitable management information system for effective collateral management. The Collaterals and guarantees properly taken and managed that would serve to:

- mitigate the risk by providing secondary source of repayment in the event of borrower's default on a credit facility due to inadequacy in expected cash flow or not;
- gain control on the source of repayment in the event of default;
- provide early warning of a borrower's deteriorating repayment ability; and
- Optimize risk weighted assets and to address Residual Risks adequately.

Bank uses a number of techniques to mitigate the credit risks to which it is exposed. Collateral Management process and practices of the Bank cover the entire activities comprising security and protection of collateral value, validity of collaterals and guarantees, and valuation /periodical inspection.

VALUATION:

Assets obtained to secure the loans granted by the Bank are subjected to valuation by valuers empanelled by the Bank. Monetary limits of the accounts, asset classification of the borrower, which is to be subjected to valuation, periodicity of valuation, are prescribed in the Banks' policy guidelines. Bank reviews the guidelines on valuation periodically.

बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का विवरणः

बैंक द्वारा जोखिम कम करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संपार्श्विक में शामिल हैंः

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल आस्तियाँ।
2. भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी जैसी अचल संपत्तियां।
3. बैंक की अपनी जमाराशियाँ
4. एनएससी, आईवीपी, केवीपी, सरकारी बॉन्ड, आरबीआई बॉन्ड, एलआईसी पॉलिसी, आदि।
5. गैर–निधि आधारित सुविधाओं के विरुद्ध नकद मार्जिन
6. सोने के आभूषण
7. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर

बैंक ने बैंक को दी जाने वाली प्रतिभूतियों के मूल्यांकन पर अच्छी नीति बनाई है। बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 3 से 6 में उल्लिखित प्रतिभूतियों को क्रेडिट जोखिम शमन के रूप में लागू किया है।

गारंटर प्रतिपक्ष के मुख्य प्रकार और उनकी साख योग्यताः

बैंक के ऋण जोखिम के विरुद्ध गारंटर के मुख्य प्रकार हैंः

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटी)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक ज्यादातर बैंक की अपनी जमा राशि पर ऋण और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों/शेयरों पर ऋण में उपलब्ध हैं।

सीआरएम प्रतिभूतियाँ गैर–निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटी और साख पत्र में भी ली जाती हैं।

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत पूंजी की आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा क्रेडिट जोखिम शमन को मान्यता दी गई है।

बैंक ने नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत पूंजी की आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से नकदी, बैंक की अपनी जमाराशियां, सोना और सोने के आभूषण, घोषित समर्पण मूल्य वाली एलआईसी पॉलिसियां, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों को क्रेडिट जोखिम शमन के रूप में मान्यता दी है।

DESCRIPTION OF THE MAIN TYPES OF COLLATERAL TAKEN BY THE BANK:

The collateral commonly used by the Bank as risk mitigants comprises of

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Bank's own deposits
4. NSCs, IVPs, KVPs, Govt. Bonds, RBI Bonds, LIC policies, etc.
5. Cash Margin against Non-fund based facilities
6. Gold Jewellery
7. Shares as per approved list

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank. The Bank has applied securities mentioned at sr.no.3 to 6 above as Credit Risk Mitigants.

Main types of Guarantor counterparty and their creditworthiness:

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are :

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporate
- Central Government
- State Government
- CGTMSE

CRM collaterals are mostly available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies/ Shares.

CRM securities are also taken in non-fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.

Credit Risk Mitigation recognized by the Bank for the purpose of reducing capital requirement under New Capital Adequacy Framework

The Bank has recognized Cash, Bank's own Deposits, Gold & Gold Jewellery, LIC Policies with a declared surrender value, securities issued by Central and State Govts. as Credit Risk Mitigations for the purpose of reducing capital requirement under the New Capital Adequacy Framework.

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि (करोड़ रुपये में)

क्रं सं.	विवरण	31.03.2024
(ख)	कुल जोखिम (जहां लागू हो, बैलेंस शीट पर या बैलेंस शीट से बाहर नेटिंग के बाद) जो प्रत्येक अलग–अलग प्रकटित क्रेडिट जोखिम पोर्टफोलियो के लिए हेयरकट के आवेदन के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया जाता है।	625.99
(ग)	कुल जोखिम (जहां लागू हो, बैलेंस शीट पर या बैलेंस शीट से बाहर नेटिंग के बाद) जो प्रत्येक अलग–अलग प्रकटित पोर्टफोलियो के लिए गारंटी/क्रेडिट डेरिवे. टिव (जब भी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी जाती है) द्वारा कवर किया जाता है।	----

तालिका डीएफ–6: प्रतिभूतिकरण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

नीति दिशानिर्देश किसी भी प्रतिभूतिकरण जोखिम को शामिल नहीं करते हैं।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2024
शून्य		

ट्रेडिंग बही:

क्रं. सं.	विवरण	31.03.2024
शून्य		

दिनांक 31.03.2024 तक बैंक के पास अपनी परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण का कोई मामला नहीं है।

तालिका डीएफ–7: ट्रेडिंग बुक में बाज़ार जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक बाजार जोखिम को संभावित नुकसान के रूप में परिभाषित करता है जो बैंक को बाजार मूल्यों में प्रतिकूल विकास के कारण उठाना पड़ सकता है।

बैंक ने आरबीआए के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार की गणना के लिए एक उचित प्रणाली स्थापित की है, अर्थात, मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण। इस प्रकार गणना की गई पूंजी प्रभार को जोखिम भारित परिसंपत्तियों में परिवर्तित किया जाता है। सीआरएआर पर पहुंचने के लिए क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए एकत्रित जोखिम भारित परिसंपत्तियों को ध्यान में रखा जाता है।

संबंधित जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन: बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन संरचना निम्नानुसार है:

ii) Quantitative Disclosures

Amount (₹ in Crores)

S. No.	PARTICULARS	31.03.2024
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio.	625.99
(c)	The total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	----

Table DF-6: Securitization Exposures: Disclosures for Standardized Approach

(i) Qualitative disclosures

The policy guidelines do not undertake any securitization exposures.

(ii) Quantitative Disclosures

Banking Book

S.No.	Particulars	31.03.2024
NIL		

Trading Book

S.No.	Particulars	31.03.2024
NIL		

The bank does not have any case of its assets securitised as on 31.03.2024.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

(i) Qualitative Disclosures

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregated Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken in to consideration for arriving at the CRAR.

The structure and organization of the relevant risk management function: The Market Risk Management Structure in the Bank is as under:

- निदेशक मण्डल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)
- एल्को समिति
- आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति
- निवेश समिति
- निवेश और जोखिम विभाग

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	विवरण	पूंजी की आवश्यकता की राशि 31.03.2024
क)	ब्याज दर जोखिम	43.20
ख)	इक्विटी स्थिति पर जोखिम	----
ग)	विदेशी मुद्रा जोखिम	----

तालिका डीएफ–8: परिचालन जोखिम

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ

बैंक की परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति और ठोस परिचालन प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होती है, जिसमें कॉर्पोरेट मूल्य, दृष्टिकोण, योग्यताएं, आंतरिक नियंत्रण संस्कृति, प्रभावी आंतरिक रिपोर्टिंग और आकस्मिक योजना शामिल होती है। बैंक में परिचालन जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए नीतियां बनाई जाती हैं।

सम्बन्धित जोखिम प्रबन्धन कार्यों की संरचना और संगठनः

बैंक में परिचालन जोखिम प्रबन्धन संरचना निम्नानुसार है–

- निदेशक मण्डल
- बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
- आईआरएमसी (आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति)
- जोखिम प्रबंधक
- परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए सहायता समूह

जोखिम रिपोर्टिंग और/या मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

जोखिम रिपोर्टिंग में लोगों, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और बाहरी घटनाओं से संबंधित शाखाओं/कार्यालयों में हुई परिचालन जोखिम हानि घटनाएँ/घटनाएँ शामिल हैं।

जोखिम को कम करने और/या कम करने की नीतियाँ और हेजिंग/शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ।

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन के प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाई हैं।

- Board of Directors
- Risk Management Committee of the Board (RMC)
- ALCO Committee
- Internal Risk Management Committee
- Investment Committee
- Investment and Risk Department

ii) Quantitative Disclosures

(₹ in Crore)

S. No.	Particulars	Amount of capital requirement 31.03.2024
a)	Interest Rate Risk	43.20
b)	Equity Position Risk	----
c)	Foreign Exchange Risk	----

Table DF-8: Operational Risk

i) Qualitative Disclosures

Strategies and processes :

The Operational Risk Management process of the Bank is driven by a strong organizational culture and sound operating procedures, involving corporate values, attitudes, competencies, internal control culture, effective internal reporting and contingency planning. Policies are put in place for effective management of Operational Risk in the Bank.

The structure and organization of the relevant risk management function

The Operational Risk Management Structure in the Bank is as under:

- Board of Directors
- Risk Management Committee of Board
- IRMC (Internal Risk Management Committee)
- Risk Managers
- Support Group for Operational Risk Management

The scope and nature of risk reporting and/or measurement systems

The Risk reporting consists of operational risk loss incidents/ events occurred in branches/offices relating to people, process, technology and external events.

Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/mitigants

Bank has put in place policies for management of Operational

नीति ढाँचे में परिचालन जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू शामिल हैं जैसे परिचालन जोखिम क्षेत्रों की पहचान, प्रबंधन, निगरानी और शमन।

गतिविधियों की आउटसोर्सिंग में शामिल जोखिमों को संबोधित करने के लिए, बैंक ने आउटसोर्सिंग जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाई हैं।

परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन

बैंक ने परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

दिनांक 31.03.2024 तक परिचालन जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार ₹ 56.71 करोड़ था और परिचालन जोखिम के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियां दिनांक 31.03.2024 तक ₹ 493.15 करोड़ थीं।

तालिका डीएफ–9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i) गुणात्मक प्रकटीकरणः

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जहां बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है। चूंकि बैंक का तुलन पत्र विभिन्न परिपक्वता/पुनः कीमत, करैन्सी, बाजार एवं बैंचमार्क दरों के प्रति संवेदनशील होता है और इन मानकों में कोई विपरीत घट–बढ़ बैंक को ब्याज दर जोखिम में डाल देती है। बैंक की बहियों में ब्याज दर जोखिम बैंक की आय पर (लघु अवधि का प्रभाव) और शुद्ध संपत्ति (दीर्घावधि प्रभाव) को दर्शाता है। ब्याज दर में विपरीत उतार–चढ़ाव के कारण इसका मापन मासिक आधार पर किया जाता है।

संगठनात्मक रुपरेखाः

बैंक की आस्ति देयता प्रबन्धन समिति (एल्को), निदेशक मण्डल/जोखिमप्रबन्धन समिति द्वारा स्थापित जोखिम सहनशीलता के अनुसार विकास, ब्याज दर जोखिम प्रबन्धन कार्ययोजना के कार्यान्वयन और प्रबन्धन के प्रति उत्तरदायी है।

कार्ययोजना और प्रक्रियाएंः–

बैंक उचित परिपक्वता मिलान के साथ अपनी उन आस्तियों और देयताओं की कीमतों के मिलान के लिये प्रयास करता है जो अलग–अलग समय में परिपक्व हो रही हैं या जिनकी पुनः कीमत लगायी जा रही है के लिए प्रयास करता है ताकि उनकी समय श्रेणी के अन्तर को कम किया जा सके। आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्र के मदें जो दरों के प्रति संवेदनशील है घरेलू स्थिति के ब्याज दर जोखिम को मापने और उसके प्रबन्धन के लिए बैंक पारंपरिक अन्तर (अल्पावधि) विश्लेषण और ड्यूरेशन गैप विश्लेषण दोनों को लागू कर रहा है।

ब्याज दर जोखिम पुनः कीमत लगाने, प्राप्ति रेखा में परिवर्तन और आधार जोखिम के कारण उत्पन्न होता है। बैंक का लक्ष्य इन जोखिमों जो परिपक्वता और पुनः कीमत लगाने के गलत मिलान की वजह से उत्पन्न

Risk management. The policy framework contains various aspects of Operational risk management such as identification, management, monitoring & mitigation of Operational risk areas.

In order to address risks involved in Outsourcing of activities, bank has put in place policies for management of Outsourcing Risk.

Operational Risk capital assessment

The Bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for Operational Risk.

(ii) Quantitative Disclosures

Capital charge for operational Risk as on 31.03.2024 was ₹ 56.71 Cr. and Risk Weighted Assets for Operational Risk as on 31.03.2024 was ₹ 493.15 Cr.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

Interest rate risk is the risk where changes in market interest rates affect a bank's financial position. As the bank holds rate sensitive on and off balance- sheets items of different maturity/repricing, currencies, markets and benchmark rates, and any adverse movement in these parameters exposes bank to interest rate risk. Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) reveals the impact on bank's earnings (short-term impact) and net worth (long-term impact) due to adverse movement of interest rates and is measured on a monthly basis.

Organizational Framework

Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible for developing, implementing and managing interest rate risk management strategy as per the risk tolerance established by the Board of Directors/Risk Management Committee.

Strategies and Processes

The Bank strives to match the price of its assets and liabilities coupled with proper maturity matching in-order to reduce the gap in different time buckets which are maturing or getting repriced. For measurement and management of interest rate risk, Bank adopts both the Traditional Gap Analysis (TGA) and the Duration Gap Analysis (DGA) to its domestic position of assets, liabilities and off- balance sheet items, which are rate sensitive.

The interest rate risk arises on account of re-pricing, yield curve change, basis risk. The Bank aims at capturing these risks arising from the maturity and re- pricing mismatches both

होते हैं को आय और आर्थिक मूल्य के परिपेक्ष में निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करते हुए रोकना है।

1. **अंतर विश्लेषणः** ब्याज दर जोखिम को मापने का मूलभूत टूल ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी को दरों के प्रति संवेदनशील आस्तियों और दरों के प्रति संवेदनशील दायित्वों और तुलनपत्र के अलग–अलग समय श्रेणी के विभिन्न मदों को समूहीकृत करके बची हुई परिपक्वता के अनुसार या अगली पुनः कीमत लगाने जो पहले हो विवरणी बनाना और शुद्ध अन्तर पर पहुंचना है।

   एक सकारात्मक या आस्ति संवेदनशील अंतर का मतलब है बाजार में ब्याज दर में वृद्धि जिसके परिणाम स्वरुप शुद्ध ब्याज आय में वृद्धि हो। एक नकारात्मक या देयता के प्रति संवेदनशील अंतर यह सूचित करता है कि बाजार ब्याज दरों में वृद्धि के परिणामस्वरुप बैंक की शुद्ध ब्याज आय में कमी आ रही है।

2. **जोखिम से आयः** जोखिम से आय सूचित करती है कि क्या बैंक इस स्थिति में है कि वह सकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में वृद्धि से लाभ कमा सके या नकारात्मक अंतर होने के कारण ब्याज दर में कमी से लाभ कमा सके। ब्याज दर में समानान्तर शिफ्ट के कारण आय पर पुनः कीमत लगाने के जोखिम के प्रभाव का विभिन्न दर समूहों पर आकलन किया जाता है।

3. **इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई):** बदलती हुई ब्याज दर का दीर्घ अवधि प्रभाव बैंक की इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या शुद्ध सम्पत्ति (नेट वर्थ) पर होता है क्योंकि बैंक की आस्तियों का आर्थिक मूल्य, देयताएं और तुलन पत्र की स्थिति बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण प्रभावित होते हैं। समूचे बैंक में संवेदनशील परिस्थितियों में ब्याज दर में परिवर्तन से निर्धारित रेट–शाक के परिणाम स्वरुप इक्विटी के बाजार मूल्य में आकलित कमी अवधि अन्तर विश्लेषण (डी.जी.ए.) द्वारा अनुमानित है।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरणः

आय जोखिम (परम्परागत अन्तर विश्लेषण) (लघु अवधि) :

बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के त्वरित प्रभाव का विश्लेषण इसके द्वारा किया जाता है। घरेलू परिचालन के लिए जोखिम से आय का विश्लेषण विभिन्न परिदृश्यों के अन्तगर्त निम्नानुसार किया जाता है।

- **प्राप्ति रेखा (कर्व) जोखिमः** आस्ति और देयताओं के लिये 02 प्रतिशत का समानान्तर परिवर्तन (शिफ्ट) मान लिया गया है।
- आस्तियों के लिये समूहवार विभिन्न प्राप्ति परिवर्तनों को मान लिया गया है और यही बात देयताओं के लिये भी लागू होती है।

(रू. करोड़ में)

आय पर जोखिम	–200 बीपीएस	200 बीपीएस
	-22.65	22.65

from earnings perspective and economic value perspective using techniques viz.,

1. **Gap Analysis:** The basic tool for measuring interest rate risk is preparation of Interest Rate Sensitivity Statement (IRS) by grouping various items of Rate Sensitive Assets (RSA) and Rate Sensitive Liabilities (RSL) and off balance-sheet items into different time buckets according to the residual maturity or next re- pricing, whichever is earlier and arriving at the net gap (i.e., RSA - RSL).

   A positive or asset sensitive Gap means that an increase in market interest rates result in an increase in NII. Conversely, a negative or liability sensitive Gap implies that the Bank's NII could decline as a result of increase in market interest rates.

2. **Earnings at Risk (EaR):** Earnings at Risk (EaR) indicates whether the bank is in a position to benefit by the rise in interest rate by having positive gap or benefits by fall in interest rate by having a negative gap. The impact of repricing risk on the earnings due to the parallel shift in interest rate is assessed for different rate shocks. Impact on the earnings is also estimated for yield curve change and basis risk.

3. **Market Value of Equity (MVE):** A long-term impact of changing interest rates is on bank's Market Value of Equity (MVE) or Net-worth as the economic value of bank's assets, liabilities and off balance sheet positions get affected due to variation in market interest rates. The estimated drop in the Market Value of Equity (MVE) as a result of prescribed rate shock is estimated by the Duration Gap Analysis (DGA) arising from changes in the value of interest rate sensitive positions across the whole Bank.

(ii) Quantitative Disclosures

Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analyzed under this approach. The Earning at Risk is analyzed under different scenarios for domestic operations as under:

- **Yield curve risk:** A parallel shift of 2% is assumed for assets as well as liabilities.
- Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.

(₹ in Crores)

Earning at Risk	-200 bps	200 bps
	-22.65	22.65

इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)

- इक्विटी का आर्थिक मूल्य परिसंपत्तियों की संशोधित अवधि और देनदारियों की गणना करके इक्विटी की संशोधित अवधि पर पहुंचने के लिए किया जाता है। अवधि अंतराल विधि के माध्यम से घरेलू परिचालन के लिए मासिक अंतराल पर 200 बीपीएस दर के झटके के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है।

इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन	–200 बीपीएस	200 बीपीएस
	(-)0.70%	0.70%

तालिका डीएफ–10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

i) गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम उसे कहा जाता है जिसमें प्रतिपक्षी नकदी प्रवाह के फाइनल निपटान से पहले अपना संव्यवहार पूरा कर लेता है। यह डेरीवेटिव तथा प्रतिभूति वित्तपोषण संव्यवहार के लिए जोखिम का प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार लोन के माध्यम से ऋण जोखिम के संबंध में बैंक का एक्सपोजर के समान ही जहां ऋण जोखिम संबंधी एक्सपोजर एक पक्षीय है और इसमें उधार देने वाला बैंक हानि–जोखिम का सामना करता है। प्रतिपक्षी ऋण जोखिम द्विपक्षीय है अर्थात संव्यवहार का बाजार मूल्य प्रतिपक्षी संव्यवहार से इतर पाजीटिव या निगेटिव हो सकता है और बाजार घटकों के संचालन के साथ ही भिन्न हो सकता है।

चूक के समय यदि संव्यवहार या प्रतिपक्षी के साथ संव्यवहार पोर्टफोलियों में सकारात्मक आर्थिक मूल्य परिलक्षित होते हैं तो आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है।

बैंक किसी पार्टी को डेरीवेटिव उत्पाद देने से पहले सुनिश्चित करता है कि सभी गुणवत्ताओं–अर्थात् केवाईसी मानदंडों, संतुष्टिपूर्ण व्यवहारों, पार्टी की ऋण पात्रता का पालन किया जाए।

ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

राशि करोड़ रू. में

क्र. सं.	विवरण	कल्पित राशि 31.03.2024	वर्तमान एक्सपोजर 31.03.2024
1	फॉरवर्ड फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स	----	----
2	करेंसी फ्यूचर	----	----
3	करेंसी ऑप्शन	----	----
4	ब्याज दर फ्यूचर	----	----
5	क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	----	----
6	सिंगल करेंसी ब्याज दर स्वैप	----	----
	कुल	----	----

Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

- Economic Value of Equity is done by calculating modified duration of assets and the liabilities to arrive at the modified duration of equity. Impact on the Economic Value of Equity is analyzed for a 200 bps rate shock at monthly intervals for domestic operations through Duration Gap Method.

Change in Economic Value of Equity	-200 bps	200 bps
	(-)0.70%	0.70%

Table DF-10: General Disclosures for exposures related to Counterparty Credit Risk

(i) Qualitative Disclosures

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions. Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

An economic loss would occur if the transactions or portfolio of transactions with the counterparty has a positive economic value at the time of default.

Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party.

(ii) Quantitative Disclosures

(Amount ₹in Crores)

S. No.	Particulars	Notional Amount 31.03.2024	Current Exposure 31.03.2024
1	Forward forex Contracts	----	----
2	Currency Future	----	----
3	Currency Options	----	----
4	Interest rate future	----	----
5	Cross Currency Interest Rate Swap	----	----
6	Single Currency Interest Rate Swap	----	----
	Total	----	----

सारणी डीएफ–11 : पूंजी की संरचना

भाग I: टेम्पलेट का उपयोग केवल 31 मार्च, 2024 से किया जाएगा

Table DF-11: Composition of Capital

Part I: Template to be used only from March 31, 2024

(रुपये मिलियन में) / (₹ in Million)

क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्रकटीकरण तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017 Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			संदर्भ सं. / Ref No
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत और आरक्षित निधियां Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	सीधे जारी की गयी अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूंजी और संबंधित स्टाक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	2548.66	a = a1 + a2
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4753.98	
4	सीईटी 1 से धीरे–धीरे समाप्त होने के आधीन सीधे जारी की गयी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टाक कम्पनियों के लिए लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		
5	सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गयी और तीसरे पक्ष (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		
6	**विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**7302.64**	
सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	Prudential valuation adjustments		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)		
9	अमूर्त (शुद्ध संबंधित कर देयता)	Intangibles (net of related tax liability)	190.79	
10	आस्थगित कर संपत्ति	Deferred tax assets		
11	नकदी–प्रवाह हेज रिजर्व	Cash-flow hedge reserve		
12	अपेक्षित हानिं के लिए प्रावधानों की कमी	Shortfall of provisions to expected losses		
13	विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	Securitisation gain on sale		
14	उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हांनि	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities		
15	परिभाषित–लाभ पेंशन कोष निवल संपत्ति	Defined-benefit pension fund net assets		
16	निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूंजी का समायोजन न किया गया हो)	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)		
17	सामान्य ईक्विटी में परस्पर क्रास–होल्डिंग	Reciprocal cross-holdings in common equity		
18	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के पूंजी में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक की जारी शेयर पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)		
19	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्टपोजिशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)		
20	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)		
21	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर संपत्ति (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि, संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	Amount exceeding the 15% threshold		
23	जिनमें सेः वित्तीय संस्थाओं के समान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	of which: significant investments in the common stock of financial entities		
24	जिनमें सेः मार्टगेज सर्विसिंग अधिकार	of which: mortgage servicing rights		
25	जिनमें सेः अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगितकर आस्तियां	of which: deferred tax assets arising from temporary differences		

क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्रकटीकरण तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017 Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			संदर्भ सं./ Ref No
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 226सी 26डी)	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)		
26a	जिसमें से: असमेकित बीमा सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries		
26b	जिसमें से: असमेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों के ईक्विटी पूंजी में निवेश	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries		
26c	जिसमें से: बैंक के साथ गैर–समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं के ईक्विटी पूंजी में कमी	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
26d	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	of which: Unamortised pension funds expenditures		
27	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य ईक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		
28	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	190.79	
29	**सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)**	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**7111.84**	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजीः लिखत / Additional Tier 1 capital: instruments				
30	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31 + 32)	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)		
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत ईक्विटी के रुपमें वर्गीकृत (सतत गैर–संचयी अधिमानी शेयर)	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयता के रुप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		
33	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1		
34	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा (एटी 1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी1 लिखत)	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)		
35	जिसमें से: चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
36	**विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर पूंजी 1**	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**		
अतिरिक्त टियर पूंजी 1: विनियामक समायोजन Additional Tier 1 capital : regulatory adjustments				
37	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	Investments in own Additional Tier 1 instruments		
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		
39	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां बैंक का संस्था के जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिकका स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन का निवल।	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए + 41बी)	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		
41a	जिनमें से: गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	Of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		
41b	बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	Of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
42	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		
43	**अतिरिक्त टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**		

क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्रकटीकरण तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां **Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017** **Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**			संदर्भ सं./ Ref No
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी11)	Additional Tier 1 capital (AT1)	0.00	
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)**	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)**	**7111.84**	
टियर 2 पूंजीः लिखत एवं प्रावधान Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	सीधे जारी किए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टाक अधिशेष	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		
47	टियर 2 पूंजी से चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन सीधे जारी किए गए पूंजी लिखत	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		
48	अनुषंगियों द्वारा जारी किये गये एवं ततृीय पक्षों द्वारा धारित (राशि समहू टियर 2 में अनमुत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 और 34 में शामिल नहीं किये गये सीइटी1 और एटी1 लिखत)	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		
49	जिनमें सेः चरणबद्ध रुप से बाहर (फेज आउट) होने के आधीन अनुषंगियों द्वारा जारी किए गए लिखत	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		
50	प्रावधान	Provisions	479.48	
51	**विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूंजी**	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**479.48**	
टियर 2 पूंजीः विनियामक समायोजन Tier 2 capital: regulatory adjustments				
52	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	Investments in own Tier 2 instruments		
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रास–होल्डिंग्स	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		
54	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शार्ट पोजिशन निवल, जहां संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है।	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		
55	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश कापात्र शार्ट पोजिशन निवल	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	जिसमें सेः गैर–समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries		
56b	जिसमें सेः बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूंजी में कमी जिनको बैंक के साथ समेकित नही किया गया है।	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**		
58	**टियर 2 पूंजी (टी2)**	**Tier 2 capital (T2)**	**479.48**	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)**	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)**	**7591.32**	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**49864.75**	
60a	जिसमें सेः कुल क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियां	of which: total credit risk weighted assets	41176.90	
60b	जिसमें सेः कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	of which: total market risk weighted assets	3756.40	
60c	जिसमें सेः कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	of which: total operational risk weighted assets	4931.45	
पूंजी अनुपात / Capital ratios				
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.26%	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	14.26%	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	15.22%	

क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्रकटीकरण तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजीः लिखत एवं आरक्षित निधियां **Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017** **Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**			संदर्भ सं./ Ref No
64	संस्था विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी1 अपेक्षा और पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में व्यक्त)	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	8.00%	
65	जिसमें सेः पूंजी संरक्षण बफर अपेक्षाएं	of which: capital conservation buffer requirement	2.50%	
66	जिसमें सेः बैंक विशिष्ट प्रतिचक्रीय बफर अपेक्षाएं	of which: bank specific countercyclical buffer requirement		
67	जिसमें सेः जी–एसआईबी बफर अपेक्षाएं	of which: G-SIB buffer requirement		
68	बफर की अपेक्षा पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रुप में)	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	6.26%	
राष्ट्रीय न्यूनतम (बासेल III से भिन्न हो तो) **National minima (if different from Basel–III)**				
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.00%	Including CCB
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.50%	Including CCB
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	11.50%	Including CCB
कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले) **Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)**				
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर–महत्वपूर्ण निवेश	Non-significant investments in the capital of other financial entities		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश	Significant investments in the common stock of financial entities		
74	मार्टगेज सर्विसिंग राइट्स (संबंधित कर देयता का निवल)	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		
75	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		
टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने पर लागू सीमाएं (कैप्स) **Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2**				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	479.48	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा पर कैप	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के आधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किये जाने की सीमा	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		
फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू) **Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)**				
80	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements		
81	कैप के कारण सीईटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
82	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements		

क्र. सं. S. No.	केवल 31 मार्च, 2017 से प्रयोग के लिए बेसल– III सामान्य प्रकटीकरण तालिका सामान्य समता टियर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां Basel III common disclosure template to be used from 31st March, 2017 Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves			संदर्भ सं./ Ref No
83	कैप के कारण एटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भूनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		
84	फेज आऊट व्यवस्थाओं के आधीन टी 2 लिखतों पर मौजूदा कैप	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements		
85	कैप के कारण टी 2 में नहीं शामिल की गई राशि (भूनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद कैप के अतिरिक्त)	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)		

टेम्प्लेट के लिए नोट/NOTES TO THE TEMPLATES

टेम्प्लेट की पंक्ति सं. Row No. of the template	विवरण/Particular		(रु. मिलियन में)/ (₹ in Million)
10	संचित हानियों से संबद्ध आस्थागित कर आस्तियां	Deferred tax assets associated with accumulated losses	----
	आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर आस्थगित कर आस्तियां	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	----
	पंक्ति 10 में इंगित किये गये कुल	Total as indicated in row 10	----
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो बैंक की पूंजी में परिणामी वृद्धि	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	----
	जिसमें से: सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	----
	जिसमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	----
	जिसमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	of which: Increase in Tier 2 capital	----
26 बी/b	यदि गैर–समेकित गैर–वित्तीय सहायक कंपनियों की ईक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तो:	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	----
	i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	----
	ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	(ii) Increase in risk weighted assets	----
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	479.48
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	----
	पंक्ति 50 का कुल	**Total of row 50**	**479.48**

सारणी डीएफ–12: पूंजी की संरचना–मिलान संबंधी अपेक्षाएं
Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

चरण 1/Step 1 **(राशि रु. मिलियन में)/(₹ in Million)**

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार **Balance sheet as in financial statements As on reporting date**	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार **Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
A	**पूंजी तथा देयताएं**	**Capital & Liabilities**		
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	1174.46	1174.46

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोटिंग तिथि की स्थिति के अनुसार **Balance sheet as in financial statements As on reporting date**	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार **Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date**
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	Reserves & Surplus	7002.88	7002.88
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	Minority Interest		
	कुल पूंजी	**Total Capital**	**8177.34**	**8177.34**
ii	**जमाराशियां**	**Deposits**	**82677.44**	**82677.44**
	जिनमें से: बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	4624.09	4624.09
	जिनमें से: ग्राहकों की जमाराशियां	of which: Customer deposits	78053.35	78053.35
	जिनमें से: अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)	----	----
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00
	जिनमें से:भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI	----	----
	जिनमें से: बैंकों से	of which: From banks	0.00	0.00
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	----	----
	जिनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)	----	----
	जिनमें से: पूंजी लिखत	of which: Capital instruments	----	----
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	**2213.44**	**2213.44**
	कुल	**Total**	**93068.22**	**93068.22**
B	**आस्तियां**	**Assets**		
i	**नकद एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष**	**Cash and balances with Reserve Bank of India**	**5299.76**	**5299.76**
ii	**बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि**	**Balance with banks and money at call and short notice**	**16422.28**	**16422.28**
iii	**निवेश:**	**Investments:**	**19890.74**	**19890.74**
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	18828.98	18828.98
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities	----	----
	जिनमें से: शेयर	of which: Shares	----	----
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	1098.57	1098.57
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	----	----
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds & shares etc.)		
	घटा मूल्यह्रास	Less Depreciation	36.81	36.81
iv	**ऋण तथा अग्रिम**	**Loans and advances**	**45178.44**	**45178.44**
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	----	----
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	48191.26	48191.26
	समायोजन मदें	Netting items	3012.82	3012.82
v	**अचल आस्तियां**	**Fixed assets**	**790.58**	**790.58**

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date
vi	अन्य आस्तियां	Other assets	5486.42	5486.42
	जिनमें से: साख (गुडविल) तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	....	....
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets	----	----
vii	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation	----	----
viii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	Debit balance in Profit & Loss account	-----	-----
	कुल आस्तियां	**Total Assets**	**93068.22**	**93068.22**

चरण 2 / Step 2 **(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)**

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
A	**पूंजी तथा देयताएं**	**Capital & Liabilities**			
i	प्रदत्त पूंजी	Paid-up Capital	1174.46	1174.46	a1
	जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for CET1	1174.46	1174.46	
	जिसमें से: एटी 1 के लिए पात्र राशि	of which: Amount eligible for AT1	----	----	
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	**Reserves & Surplus**	**7002.88**	**7002.88**	
	जिसमें से:	of which:			
	– सांविधिक आरक्षितियां	**– Statutory Reserve**	**1977.73**	**1977.73**	
	– शेयर प्रीमियम	**– Share Premium**	**1374.19**	**1374.19**	a2
	– केपिटल रिजर्व	**– Capital Reserve**	**218.07**	**218.07**	
	• स्थाई आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन	• Revaluation of Fixed Assets	218.07	218.07	
	• अन्य आरक्षितियां	• Other Reserve	0.00	0.00	
	– रेवेन्यू और अन्य आरक्षितियां	**– Revenue and Other Reserve**	**3432.89**	**3432.89**	
	• आरक्षिति या खराब और संदिग्ध ऋण	• Reserve or Bad and Doubtful Debts	0.00	0.00	
	• अन्य आरक्षिति–आस्थगित कर	• Other reserve-deferred tax	0.00	0.00	
	– अन्य आरक्षिति	• Other Reserve	2758.78	2758.78	
	• निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित	• Investment Fluctuation Reserve	212.47	212.47	
	• निवेश प्रारक्षित निधि खाता	• Investment Reserve Account	188.35	188.35	
	• धारा 36 के अन्तर्गत विशेष आरक्षित	• Special reserve u/s36	273.29	273.29	
	– वर्तमान समय हानि	**– Current period Loss**	---	-----	
	कुल पूंजी	**Total Capital**	**8118.62**	**8118.62**	
ii	जमाराशियां	Deposits	**82677.44**	**82677.44**	
	जिनमें से: बैंकों की जमाराशियां	of which: Deposits from banks	4624.09	4624.09	

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
	जिनमें से: ग्राहक की जमाराशियां	of which: Customer deposits	78053.35	78053.35	
	जिनमें से:अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Other deposits (pl. specify)	----	----	
iii	उधार	Borrowings	0.00	0.00	
	जिनमें से: भारतीय रिजर्व बैंक से	of which: From RBI	----	----	
	जिनमें से: बैंकों से	of which: From banks	0.00	0.00	
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	of which: From other institutions & agencies	0.00	0.00	
	जिनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	of which: Others (pl. specify)	----	----	
	जिनमें से: पूंजी लिखत	of which: Capital instruments	----	----	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities & provisions	**2213.44**	**2213.44**	
	जिनमें से:गुडविल से संबंधित डीटीएल	of which: DTLs related to goodwill	----	----	
	जिनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित मांग तथा मीयादी देयताएं	of which: DTLs related to intangible assets	----	----	
	कुल	**Total**	**93068.22**	**93068.22**	
B	**आस्तियां**	**Assets**			
i	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	**5299.76**	**5299.76**	
ii	बैंकों के पास शेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balance with banks and money at call and short notice	**16422.28**	**16422.28**	
iii	निवेश:	Investments:	**19890.74**	**19890.74**	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	of which: Government securities	18828.98	18828.98	
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	of which: Other approved securities	----	----	
	जिनमें से: शेयर	of which: Shares	----	----	
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	of which: Debentures & Bonds	1098.57	1098.57	
	जिनमें से: अनुषंगी कंपनियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	----	----	
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड आदि)	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds, shares etc.)	----	----	
	घटा मूल्यह्रास	Less Depreciation	36.81	36.81	
iv	ऋण तथा अग्रिम	Loans and advances	**45178.44**	**45178.44**	
	जिनमें से:बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to banks	0.00	0.00	
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	of which: Loans and advances to customers	48191.26	48191.26	
	समायोजन मदें	Netting items	3012.82	3012.82	
v	अचल आस्तियां	Fixed assets	**790.58**	**790.58**	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	190.79	190.79	

			वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet as in financial statements As on reporting date	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र रिपोर्टिंग तिथि की स्थिति के अनुसार Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on reporting date	संदर्भ संख्या Ref No.
vi	अन्य आस्तियां	Other assets	**5486.42**	**5486.42**	
	जिनमें से: गुडविल तथा अमूर्त आस्तियां	of which: Goodwill and intangible assets	----	----	
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	of which: Deferred tax assets	----	----	
vii	समेकन पर गुडविल	Goodwill on consolidation	----	----	
viii	**लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष**	Debit balance in Profit & Loss account	----	----	
	कुल आस्तियां	**Total Assets**	**93068.22**	**93068.22**	

चरण 3 / Step 3

बासल III सामान्य प्रकटीकरण टेंम्प्लेट (जोड़े गए स्तंभ सहित) का उद्धरण –सारणी डीएफ–11 (भाग I/II जो भी लागू हो) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखत तथा आरक्षित निधियां

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable) Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

(राशि रु. मिलियन में) / (**₹ in Million)**

			बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक Component of regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलनपत्र के संदर्भ संख्या / पत्रों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers /letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	सीधे निर्गमित किये गये अर्हक सामान्य शेयर (तथा संयुक्त–गैर–स्टाक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टाक अधिशेष का जोड़	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	2548.65	अ1 व अ2 a1 & a2
2	प्रतिधारित आय	Retained earnings	----	
3	संचयित अन्य व्यापक आय आरक्षित (तथा अन्य निधियां)	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	4563.19	
4	सीईटी1 से हटाए जाने के अधीन सीधे निर्गमित पूंजी (केवल असंयुक्त नान स्टाक कंपनियों पर लागू)	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	----	
5	अनुषंगी संस्थाओं द्वारा निर्गमित तथा थर्ड पार्टी द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	----	
6	**विनियामक समायोजनों से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी**	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	7111.84	
7	विवेकपूर्ण मूल्यन समायोजन	Prudential valuation adjustments	----	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	Goodwill (net of related tax liability)	----	

सारणी डीएफ–13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं
Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं।

Bank has not issued any kind of regulatory instruments.

बैंक ने किसी प्रकार की विनियामक पूंजी लिखत जारी नहीं किए हैं
Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

1	जारीकर्ता	Issuer
2	युनीक आइडेंटिफ़ायर (उदा, निजी प्लेसमेंट के लिए CUSIP, ISIN या Bloomberg आइडेंटिफ़ायर	Unique identifier (e.g., CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)
3	साधन के शासी कानून (ओं)	Governing law(s) of the instrument
नियामक उपचार/Regulatory treatment		
4	ट्रांज़िशनल बेसल III नियम	Transitional Basel III rules
5	पोस्ट ट्रांज़िशनल बेसल III नियम	Post-transitional Basel III rules
6	एकल / समूह / समूह – एकल में पात्र	Eligible at solo/group/ group & solo
7	उपकरण प्रकार	Instrument type
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (सबसे हालिया रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, मिलियन रुपये में)	Amount recognised in regulatory capital (₹ in million, as of most recent reporting date)
9	साधन का बराबर मूल्य	Par value of instrument
10	लेखांकन वर्गीकरण	Accounting classification
11	जारी करने की मूल तिथि	Original date of issuance
12	शाश्वत या दिनांकित	Perpetual or dated
13	मूल परिपक्वता तिथि	Original maturity date
14	जारीकर्ता कॉल पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन	Issuer call subject to prior supervisory approval
15	वैकल्पिक कॉल तिथि, आकस्मिक कॉल तिथियां और मोचन राशि	Optional call date, contingent call dates and redemption amount
16	बाद की कॉल तिथियां, यदि लागू हो	Subsequent call dates, if applicable
कूपन/लाभांश/ Coupons / dividends		
17	फिक्स्ड या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	Fixed or floating dividend/coupon
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	Coupon rate and any related index
19	लाभांश डाट का अस्ति	Existence of a dividend stopper
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory
21	रिडीम करने के लिए स्टेप अप या अन्य प्रोत्साहन का अस्तित्व	Existence of step up or other incentive to redeem
22	गैर–संचयी या संचयी	Noncumulative or cumulative
23	परिवर्तनीय या गैर–परिवर्तनीय	Convertible or non-convertible
24	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपांतरण ट्रिगर	If convertible, conversion trigger(s)
25	यदि परिवर्तनीय है, तो पूरी तरह या आंशिक रूप से	If convertible, fully or partially
26	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपांतरण दर	If convertible, conversion rate
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	If convertible, mandatory or optional conversion
28	यदि परिवर्तनीय है, तो उपकरण प्रकार निर्दिष्ट करें जो इसमें परिवर्तनीय है	If convertible, specify instrument type convertible into

29	यदि परिवर्तनीय है, तो उस उपकरण के जारीकर्ता को निर्दिष्ट करें जिसमें वह परिवर्तित होता है	If convertible, specify issuer of instrument it converts into
30	राइट–डाउन सुविधा	Write-down feature
31	यदि लिखें, तो लिखें–डाउन ट्रिगर	If write-down, write-down trigger(s)
32	यदि लिखें, पूर्ण या आंशिक	If write-down, full or partial
33	यदि लिखें, स्थायी या अस्थायी	If write-down, permanent or temporary
34	यदि अस्थायी राइट–डाउन है, तो राइट–अप तंत्र का विवरण	If temporary write-down, description of write-up mechanism
35	परिसमापन में अधीनता पदानुक्रम में स्थिति (साधन के लिए तुरंत वरिष्ठ उपकरण प्रकार निर्दिष्ट करें)	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)
36	गैर–अनुपालन संक्रमणित सुविधाएँ	Non-compliant transitioned features
37	यदि हाँ, तो गैर–अनुपालन सुविधाएँ निर्दिष्ट करें	If yes, specify non-compliant features

सारणी डी.एफ. 16: इक्विटीज: बैंकिंग बुक स्थिति का प्रकटीकरण–

विनिवेश खरीद के समय ट्रेडिंग के लिए आयोजित श्रेणी (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी (एएफएस) तथा परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किये हैं जो कि आर.बी.आई. के मास्टर परिपत्र–वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, विनिवेश संविभाग के वर्गीकरण मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार हैं। आर.बी.आई.के दिशा–निर्देशों के अनुसार सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उद्यम की इक्विटी में विनिवेश एचटीएम श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत की जानी चाहिए। पूंजी पर्याप्तता उद्देश्य से, आर.बी.आई. के दिशा–निर्देशों के अनुसार इक्विटी प्रतिभूतियां परिपक्वता अवधि तक रखे गये निवेश बैंकिंग बुक के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं।

बैंक के पास बैंकिंग बुक के अन्तर्गत कोई इक्विटी प्रतिभूति नहीं है।

लीवरेज अनुपात

बेसल III के अन्तर्गत लीवरेज पूंजी उपाय (रिस्क वेस्ड कैपिटल फ्रेमवर्क के अन्तर्गत टीयर–1 पूंजी) के प्रकटीकरण मानदंड से विभाजित कर इस अनुपात को प्रतिशत में दर्शाना है। बैंक से अपेक्षा की जाती है कि न्यूनतम 3.50 प्रतिशत लीवरेज अनुपात बनाये रखे। आर.बी.आई. के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैंक के लिए लीवरेज अनुपात के लिये वांछित प्रकटीकरण **31 मार्च, 2024** को निम्नवत हैं:–

Table DF-16: Equities: Disclosures for Banking Book Positions

Investments are classified at the time of purchase into Held for Trade (HFT), Available for Sale (AFS), Held to Maturity (HTM) categories in line with the RBI master circular-Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks. In accordance with the RBI guidelines, investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category. For capital adequacy purpose, as per the RBI guidelines, equity securities held under HTM category are classified under Banking book.

Bank does not have any equities under banking book

Leverage Ratio Disclosures

The Basel III leverage ratio is defined as the capital measure (Tier-1 capital of the risk based capital framework) divided by the exposure measure, with this ratio expressed as a percentage. The Bank is required to maintain a minimum leverage ratio of 3.50%. As per RBI guidelines, disclosures required for leverage ratio for the Bank as of **March 31st, 2024** is as follows::

सारणी डीएफ 17– लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

DF-17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

क्र.सं. S.No.	मद / Item		रुपये (मिलियन में) (₹ in Million)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	Total consolidated assets as per published financial statements	93068.22
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन जो विनियामक समेकन के दायरे के बाहर हैं तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है।	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	----

क्र.सं. S.No.	मद / Item		रुपये (मिलियन में) (₹ in Million)
3	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है।	Adjustment for fiduciary assets recognised on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	----
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिये समायोजन	Adjustments for derivative financial instruments	----
5	प्रतिभूतियों के वित्तीयन संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात् रेपो और इसी तरह की सुरक्षित उधार)	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	----
6	तुलनपत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलनपत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रुपांतरण)	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	8688.97
7	अन्य समायोजन	Other adjustments	-5630.07
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोजर**	**Leverage ratio exposure**	**96127.12**

सारणी डीएफ 18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्प्लेट
Table DF-18: Leverage Ratio Common Disclosure Template

(राशि रु. मिलियन में) / (₹ in Million)

क्रं. सं. S. No.	मद / Item		लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework
	तुलनपत्र का एक्सपोजर	**On-balance sheet exposures**	
1	तुलनपत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परन्तु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	93068.22
2	(बेसल III टियर 1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	0.00
3	**तुलनपत्र पर मौजूद कुल एक्सपोजर** (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	93068.22
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	**Derivative exposures**	
4	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रुपांतरण मार्जिन का कुल जोड़)	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	0.00
5	समस्त डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़े पीएफई के लिए पूरक राशि	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	0.00
6	प्रवर्ती लेखांकन संरचना के अनुरुप तुलनपत्र आस्तियों से घटाए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए समग्र प्रावधान	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0.00
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट–बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0.00
8	(ग्राहक–समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0.00
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0.00
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां)	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0.00
11	**कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति सं. 4 से 10 का जोड़)**	**Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)**	**0.00**

क्रं. सं. S. No.	मद / Item		लीवरेज अनुपात संरचना Leverage ratio framework
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	**Securities financing transaction exposures**	**0.00**
12	सकल एसएफटी आस्तियों (नेटिंग के लिए मान्य नहीं), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद)	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	0.00
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देय राशियों तथा नकद प्राप्य राशियों की निवल राशि)	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0.00
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	CCR exposure for SFT assets	0.00
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	Agent transaction exposures	0.00
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति सं.12 से 15 का जोड़)**	**Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)**	----
	अन्य तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Other off-balance sheet exposure	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलनपत्रेतर एक्सपोजर	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	8688.97
18	(ऋण समतुल्य राशि के रुपांतरण के लिए समायोजन)	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	-5630.07
19	**तुलनपत्रेतर मदें (पंक्ति सं. 17 और 18 का जोड़)**	**Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)**	**3058.90**
	पूंजी और कुल एक्सपोजर	**Capital and total exposures**	
20	**टियर 1 पूंजी**	**Tier 1 capital**	**7111.84**
21	**कुल एक्सपोजर (पंक्ति सं. 3,11,16 और 19 का जोड़)**	**Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)**	**96127.12**
	लीवरेज अनुपात	**Leverage ratio**	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात**	**Basel III leverage ratio**	**7.40%**

सीआईएन / CIN U65923UR1922PLC000234

31 मार्च 2024 को नैनीताल बैंक लिमिटेड की तुलन पत्र
BALANCE SHEET AS ON MARCH 31, 2024 OF THE NAINITAL BANK LIMITED

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

पूँजी और दायित्व / CAPITAL AND LIABILITIES	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2024 की स्थिति As on 31.03.2024	31.03.2023 की स्थिति As on 31.03.2023
पूँजी / Capital	1	117,44,63	117,44,63
रिजर्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	2	700,28,79	647,34,09
जमा राशियां / Deposits	3	8267,74,44	7681,82,73
उधार / Borrowings	4	-	-
अन्य दायित्व और प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	5	221,34,34	210,05,96
	कुल / Total	**9306,82,20**	**8656,67,41**
संपत्तियां / ASSETS			
नकदी और रिजर्व बैंक के पास अतिशेष Cash & Balances With Reserve Bank of India	6	529,97,62	412,52,62
बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks & Money at call and Short Notice	7	1642,22,76	1328,98,25
निवेश / Investments	8	1989,07,34	2130,23,87
अग्रिम / Advances	9	4517,84,44	4317,03,82
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	79,05,84	81,48,53
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	548,64,20	386,40,32
	कुल / Total	**9306,82,20**	**8656,67,41**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	106,37,09	107,14,72
संग्रह के लिए बिल / Bills for collection			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों पर टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन–पत्र का अभिन्न अंग हैं। Schedules referred above form an integral part of Balance Sheet			

एन.के. चारी
N.K. Chari
गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष
Non Executive Independent Chairman
डीआईएन / DIN - 07409731

नीलम दामोधरन
Neelam Damodharan
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 07759291

निखिल मोहन
Nikhil Mohan
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO
डीआईएन / DIN - 09655509

बिनीता शाह
Binita Shah
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 01538965

गोपाल सिंह गुंसाई
Gopal Singh Gusain
गैर कार्यकारी अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक
Non Executive Addional Independent Director
डीआईएन / DIN - 03522170

मनोज शर्मा
Manoj Sharma
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non-Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 09085665

उत्तम चंद नाहटा
Uttam Chand Nahta
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non-Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 08533075

राकेश नेमा
Rakesh Nema
गैर कार्यकारी / गैर स्वतंत्र निदेशक
Non-Executive / Non Independent Director
डीआईएन / DIN - 07207816

एम.के. गोयल
M.K. Goyal
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

विवेक शाह
Vivek Sah
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
as per our report of even date
कृते ए. आर. एंड कंपनी
For **For AR & Co.**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 002744सी
FRN-002744C
(सी.ए. अनिल गौर) / (CA Anil Gaur)
साझेदार / Partner
एम.एन. नं. / M.N.No. 017546

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital
दिनांक / Date: 30.04.2024

सीआईएन / CIN U65923UR1922PLC000234
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

(रुपये हजार में) / (₹ In Thousands)

	अनुसूची SCHEDULE	31.03.2024 को समाप्त वर्ष Period Ended 31.03.2024	31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2023
I. आय / INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	692,13,26	587,73,38
अन्य आय / Other Income	14	62,78,63	14,82,45
कुल / Total		**754,91,89**	**602,55,83**
II. व्यय / EXPENDITURE			
खर्च किया गया ब्याज / Interest Expended	15	372,04,58	308,71,95
परिचालन खर्च / Operating Expenses	16	275,58,97	216,90,34
प्रावधान और आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies		60,18,68	30,62,67
कुल / Total		**707,82,23**	**556,24,96**
III. लाभ / PROFIT			
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / Net profit for the year		47,09,66	46,30,87
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ / Profit available for appropriation		**47,09,66**	**46,30,87**
IV. विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserve		11,77,42	11,57,72
राजस्व और अन्य आरक्षितियां: / Revenue & Other Reserves:		-	-
I) निवेश आरक्षित खाता / Investment Reserve Account		14,40,65	3,38,05
ii) सामान्य आरक्षित / General Reserve		-	-
iii) धारा 36 (i) (viii) के तहत बनाया गया विशेष रिजर्व special reserve created u/s 36(i)(viii)		1,79,35	-
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		-	4,66,97
तुलनपत्र में ले जायी गई शेषराशि / Balance Carried over to Balance Sheet		19,12,24	26,68,13
कुल / Total		**47,09,66**	**46,30,87**
प्रति शेयर आय (रू.) / Earnings per Share (₹)			
मूल / Basic		4.01	3.94
तनु / Diluted		4.01	3.94

एन.के. चारी
N.K. Chari
गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष
Non Executive Independent Chairman
डीआईएन / DIN - 07409731

नीलम दामोधरन
Neelam Damodharan
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 07759291

निखिल मोहन
Nikhil Mohan
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO
डीआईएन / DIN - 09655509

बिनीता शाह
Binita Shah
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 01538965

गोपाल सिंह गुंसाई
Gopal Singh Gusain
गैर कार्यकारी अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक
Non Executive Addional Independent Director
डीआईएन / DIN - 03522170

मनोज शर्मा
Manoj Sharma
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non-Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 09085665

उत्तम चंद नाहटा
Uttam Chand Nahta
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non-Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 08533075

राकेश नेमा
Rakesh Nema
गैर कार्यकारी / गैर स्वतंत्र निदेशक
Non-Executive / Non Independent Director
डीआईएन / DIN - 07207816

एम.के. गोयल
M.K. Goyal
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

विवेक शाह
Vivek Sah
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
as per our report of even date
कृते ए. आर. एंड कंपनी
For **For AR & Co.**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 002744सी
FRN-002744C
(सी.ए. अनिल गौर) / (CA Anil Gaur)
साझेदार / Partner
एम.एन. नं. / M.N.No. 017546

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital
दिनांक / Date: 30.04.2024

सीआईएन / CIN U65923UR1922PLC000234
31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE PERIOD ENDED 31st March 2024

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	समाप्त वर्ष 31.03.2024 Year Ended 31.03.2024	समाप्त वर्ष 31.03.2023 Year Ended 31.03.2023
क)/A) परिचालनगत गतिविधियां से नकदी प्रवाह / Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व शुद्ध लाभ / Net profit before taxes	74,11,99	50,76,87
समायोजन / Adjustments for		
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed Assets	14,59,71	14,37,51
प्रतिलेखित निवेश पर मूल्यह्रास / Depreciation on investment Written back	-306,675	19,68,21
निवेश पर किया गया प्रावधान / Provision made on Investment	-	-
एनपीए के संबंध में प्रावधान / Provision in respect of NPA	40,89,52	2,00,762
पुर्नगठित मानक संपत्ति के लिए प्रावधान / Provision for standard assets restructured	-1,136	-10,626
अन्य मदों के लिए प्रावधान / Provision for other items	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) / Profit (Loss) on sale of fixed Assets	-101	-408
चालू वर्ष के लिए आस्थगित कर / Deferred Tax for Current year	-36,853	4,02,86
प्रावधान जो प्रतिलेखित किया गया / Excess Provision written back	-	-
	95,13,57	**107,82,74**
निम्नलिखित के लिए समायोजन / Adjustment for :		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in investments	171,83,28	141,17,58
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in advances	-2,008,062	-40,02,105
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी / (Increase)/Decrease in other assets	-1,622,389	4,80,51
उधार में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in Borrowings	-	-
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in deposits	585,91,72	195,94,88
अन्य देयता और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी) / Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	-258,126	-4,16,806
भुगतान किया प्रत्यक्ष कर / Direct Taxes paid	-270,231	-4,46,00
परिचालनगत गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ए) / Net cash from operating activities (A)	**437,00,47**	**3,40,61**
ख)/B) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash flow from investing activities		
अचल संपत्तियों में कमी (वृद्धि) / (Increase)/Decrease in fixed Assets	-63,097	-2,03,576
व्यापार से सम्बन्धित निवेश में परिवर्तन / Changes in Trade related investments	-	-
अनुषंगियों / अन्य से प्राप्त लाभांश / Dividend received from subsidiaries/others	-	-
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (बी) / Net Cash from investing activities (B)	**-63,097**	**-2,03,576**
ग)/C) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह / Cash flow from financing activities		
शेयर पूंजी / शेयर प्रीमियम / Share Capital / Share Premium	0	99,86,56
लाभांश / Dividend	-	-46,697
असुरक्षित प्रतिदेय बांडों पर भुगतान / देय ब्याज/Interest paid/payable on unsecured redeemable bonds	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकद (सी) / Net Cash from financing activities (C)	**0**	**95,19,59**
नकदी और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (ए)+(बी)+(सी) / Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	**430,69,50**	**78,24,44**
नकद और नकद समकक्ष का प्रारंभिक शेष / Opening Cash & cash equivalents	**1741,50,87**	**1663,26,43**
नकद और नकद समकक्ष का अंतिम शेष / Closing Cash & cash equivalents	**2172,20,37**	**1741,50,87**

एन.के. चारी
N.K. Chari
गैर कार्यकारी स्वतंत्र अध्यक्ष
Non Executive Independent Chairman
डीआईएन / DIN - 07409731

नीलम दामोधरन
Neelam Damodharan
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 07759291

निखिल मोहन
Nikhil Mohan
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
Managing Director & CEO
डीआईएन / DIN - 09655509

बिनीता शाह
Binita Shah
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 01538965

गोपाल सिंह गुंसाई
Gopal Singh Gusain
गैर कार्यकारी अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक
Non Executive Addional Independent Director
डीआईएन / DIN - 03522170

मनोज शर्मा
Manoj Sharma
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non-Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 09085665

उत्तम चंद नाहटा
Uttam Chand Nahta
गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक
Non-Executive Independent Director
डीआईएन / DIN - 08533075

राकेश नेमा
Rakesh Nema
गैर कार्यकारी / गैर स्वतंत्र निदेशक
Non-Executive / Non Independent Director
डीआईएन / DIN - 07207816

एम.के. गोयल
M.K. Goyal
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

विवेक शाह
Vivek Sah
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार
as per our report of even date
कृते ए. आर. एंड कंपनी
For **For AR & Co.**
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants
एफआरएन 002744सी
FRN-002744C
(सी.ए. अनिल गौर) / (CA Anil Gaur)
साझेदार / Partner
एम.एन. नं. / M.N.No. 017546

स्थान / Place : नैनीताल / Nainital
दिनांक / Date: 30.04.2024

तुलन–पत्र की अनुसूचियां / Schedules to Balance Sheet

अनुसूची 1–पूंजी / SCHEDULE 1- CAPITAL

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
प्राधिकृत पूंजी (23,00,00,000 इक्विटी शेयर)। 10/– रूपये प्रत्येक (पिछले वर्ष रु. 10/– प्रत्येक के 15,00,00,000 इक्विटी शेयर)* Authorised Capital (23,00,00,000 Equity Shares) of ₹ 10/- each (Last year 15,00,00,000 Equity Share of Rs 10/-each)*	230,00,00	**150,00,00**
जारी की गई पूंजी 11,74,46,250 इक्विटी शेयर रु. 10/– प्रत्येक Issued Capital 11,74,46,250 Equity Shares of ₹ 10/- each	117,44,63	117,44,63
अभिदत्त पूंजी 11,74,46,250 इक्विटी शेयर रु. 10/– प्रत्येक Subscribed Capital 11,74,46,250 Equity Shares of ₹ 10/- each	117,44,63	117,44,63
मांगी गई पूंजी 11,74,46,250 इक्विटी शेयर रु. 10/– प्रत्येक Called Up Capital 11,74,46,250 Equity Shares of ₹ 10/- each (बैंक ऑफ़ बड़ौदा के पास 98.57 प्रतिशत हिस्सेदारी है) (Bank of Baroda holds 98.57%)	117,44,63	117,44,63
अदत्त मांग Calls Unpaid	NIL	NIL
कुल / Total	**117,44,63**	**117,44,63**

नोट – वर्ष के दौरान, बैंक की अधिकृत पूंजी 150 करोड़ से बढ़ाकर 230 करोड़ हो गयी।

Note - *During the year, the authorized capital of the Bank was increased from 150 crore to 230 crore.

अनुसूची 2 – आरक्षितियाँ और अधिशेष / SCHEDULE 2- RESERVES & SURPLUS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	**सांविधिक रिजर्व / Statutory Reserve :**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	185,99,88	174,42,16
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	11,77,42	11,57,72
	अंतिम शेष / Closing Balance	**197,77,30**	**185,99,88**
II	**कैपिटल रिजर्व / Capital Reserve :**	**21,80,67**	**16,08,67**
क) / a)	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व / Revaluation Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	16,08,67	16,24,14
	वर्ष के दौरान जोड़ना / हटाना / addition/deletion during the year	5,85,03	-
	पुनर्मूल्यांकन परिसंपत्तियों के कारण मूल्यह्रास Depreciation pertaing to revalued Asset	(1,303)	(1,547)
	अंतिम शेष / Closing Balance	**21,80,67**	**16,08,67**
ख) / b)	अन्य / Others		
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition/deletion during the year	-	-
	अंतिम शेष / Closing Balance	**-**	**-**
III	**शेयर प्रीमियम / Share Premium :**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	137,41,94	77,50,00
	वर्ष के दौरान राशि में वृद्धि / Addition During the Year	-	59,91,94
	वर्ष के दौरान कटौतियां* / Deduction During the Year*	-	-
	अंतिम शेष / Closing Balance	**137,41,94**	**137,41,94**
IV	**राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ / Revenue & Other Reserves**	-	-
(i)	**निवेश विचलन आरक्षितियाँ / Investment Fluctuation Reserve :**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	21,24,74	21,24,74

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition During the Year	-	-
	घटाएं : सामान्य प्रावधान में स्थानांतरित / Less: Transferred To General Provision	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	**21,24,74**	**21,24,74**
(ii)	**निवेश आरक्षित खाता / Investment Reserve A/C**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	4,42,84	1,04,78
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition During the Year	14,40,65	3,38,06
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction During the year	-	-
	अन्तिम शेष / Closing Balance	**18,83,49**	**4,42,84**
(iv)	**विशेष आरक्षित धारा 36 (I) (VIII) के तहत / Special Reserve u/s 36(1) (VIII)**	-	-
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	25,53,58	25,53,58
	वर्ष के दौरान वृद्धि / Adition During the Year	1,79,35	-
	वर्ष के दौरान कटौती / Deduction During the year	-	-
	अंतिम शेष / Closing Balance	**27,32,93**	**25,53,58**
	जोड़ / Total (IV)	**67,41,16**	**51,21,16**
(V)	**लाभ और हानि खाते का शेष / Balance in Profit & Loss Account**	**-**	**-**
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	256,62,45	229,78,84
	लाभ और हानि खाते में वृद्धि Addition : Surplus in profit & Loss Account	19,12,24	26,68,13
	जोड़े : / Addition : Depreciation pertaining to revalued Assets	1,303	1,547
	अन्तिम शेष / Closing Balance	**275,87,72**	**256,62,44**
	कुल (I,II,III, IV और V) / Total (I,II,III, IV & V)	**700,28,79**	**647,34,09**

अनुसूची 3 – जमाएँ / SCHEDULE 3 -DEPOSITS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
क / A	**I) माँग निक्षेप / Demand Deposits**		
	i) बैंकों से / From Banks	64,37	1,25,45
	ii) अन्य से / From Others	500,76,69	439,34,87
	कुल / Total	**501,41,06**	**440,60,32**
	II) बचत बैंक जमाएँ / Savings Bank Deposits	**2950,20,66**	**2685,64,43**
	III) सावधि जमाएँ / Term Deposits		
	i) बैंकों से / From Banks	461,76,54	370,09,74
	ii) अन्य से / From Others	4354,36,18	4185,48,24
	कुल / Total	**4816,12,72**	**4555,57,98**
	कुल (I, II और III) / Total (I, II & III)	**8267,74,44**	**7681,82,73**
ख / B	I) भारत में शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches in India	8267,74,44	7681,82,73
	II) भारत के बाहर शाखाओं के जमाएँ / Deposits of Branches outside India	-	-
	कुल (I और II) / Total (I & II)	**8267,74,44**	**7681,82,73**

अनुसूची 4– उधार / SCHEDULE 4 -BORROWINGS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	**भारत में उधार / Borrowings in India**		
	i) भारतीय रिजर्व बैंक / Reserve Bank of India	-	-
	ii) अन्य बैंक / Other Banks	-	-
	iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां / Other Institutions and Agencies	-	-
II	भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	-	-
	कुल (I और II) / Total (I & II)	-	-
III	**ऊपर I में शामिल सुरक्षित उधारी Secured Borrowings Included in I above**	-	-

अनुसूची 5 – अन्य दायित्व और प्रावधान / SCHEDULE 5 -OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	देय बिल / Bills Payable	26,58,72	22,76,53
II	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter Office Adjustments (Net)	-	-
III	अर्जित ब्याज / Interest Accrued	10,20,14	8,81,73
IV	अन्य (प्रावधानों सहित) / Others (Including Provisions)	184,55,48	178,47,70
	कुल (I, II, III और IV) / Total (I,II ,III & IV)	**221,34,34**	**210,05,96**

अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेष
SCHEDULE 6 -CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	**नकदी (विदेशी मुद्रा नोटो सहित) Cash in hand (Including foreign currency notes)**	18,26,47	25,07,12
II	**भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिशेष Balances with Reserve Bank of India**		
	i) चालू खातों में / In Current Accounts	511,71,15	387,45,50
	ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / Total (I & II)	**529,97,62**	**412,52,62**

अनुसूची 7 – बैंकों में अतिशेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन
SCHEDULE 7- BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	**भारत में / In India**		
	i) बैंकों में बैलेंस / Balances with Banks		
	चालू खातों में / In Current Accounts	17,21,76	16,52,25
	अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	1503,01,00	1262,46,00
	कुल / Total	**1520,22,76**	**1278,98,25**
	ii) माँग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice		
	बैंकों में / With banks	47,00,00	-
	अन्य संस्थाओं में / With other institutions	75,00,00	50,00,00
	कुल / Total	**122,00,00**	**50,00,00**
	कुल (I और II) / Total (I & II)	**1642,22,76**	**1328,98,25**
II	भारत के बाहर / Outside India	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	कुल (I और II) / Total (I & II)	**1642,22,76**	**1328,98,25**

अनुसूची – 8 निवेश / SCHEDULE 8- INVESTMENT

(रुपये हजार में)/(₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	भारत में निवेश (सकल) / Investments in India (Gross)	1992,75,47	2164,58,75
	घटाएँ : मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Less : Provision for Depreciation	3,68,13	34,34,88
	भारत में शुद्ध निवेश / Net Investments in India	**1989,07,34**	**2130,23,87**
	अलग–अलग विवरण / Break up		
	i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	1882,89,78	2001,27,01
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities		
	iii) शेयर / Shares		
	iv) डिबेंचर और बांड्स / Debentures and Bonds	106,17,56	128,96,86
	v) सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures		
	vi) अन्य (यू.टी.आई. की यूनिट्स और अन्य म्यूचूअल फंडस, वाणिज्यिक पत्र आदि) / Others (units of UTI and other mutual funds comm. papers)	-	-
	कुल / Total	**1989,07,34**	**2130,23,87**
II	भारत के बाहर निवेश / Investments outside India	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	कुल (I और II) / Total (I & II)	**1989,07,34**	**2130,23,87**

अनुसूची – 9 अग्रिम / SCHEDULE 9- ADVANCES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
क) / A	i) खरीदे और भुनाए गए बिल Bills Purchased and Discounted	4,69,61	2,63,48
	ii) कैशक्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, मांग पर चुकाने योग्य ऋण Cash Credit, Overdrafts and Loans repayable on demand	2528,82,57	2522,31,77
	iii) सावधि ऋण / Term Loans	1984,32,26	1792,08,57
	कुल / Total	**4517,84,44**	**4317,03,82**
ख) / B	i) मूर्त सम्पत्तियों द्वारा सुरक्षित / Secured by Tangible Assets	4421,40,81	4103,30,62
	ii) बैंक / सरकार द्वारा कवर की गयी गारंटी Covered by Bank/Govt. Guarantees	-	-
	iii) असुरक्षित / Unsecured	96,43,63	213,73,20
	कुल / Total	**4517,84,44**	**4317,03,82**
ग) / C	I) भारत में ऋण / Advances in India		
	i) प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	2197,90,03	1941,34,29
	शुद्ध प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Net Priority Sector	2197,90,03	1941,34,29
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	-	-
	iii) बैंक / Banks	-	-
	iv) अन्य / Others	2319,94,41	2375,69,53
	शुद्ध अन्य / Net Others	**4517,84,44**	**4317,03,82**
	II) भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India		
	कुल / Total	**4517,84,44**	**4317,03,82**

अनुसूची – 10 अचल आस्तियां / SCHEDULE 10- FIXED ASSETS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	**परिसर / Premises**		
	(पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत / पुनर्मूल्यांकन राशि) / At cost/revalued amount as on 31st March of the preceeding year	22,54,58	22,22,66
	अवधि के दौरान परिवर्धन / Addition during the Period	5,85,03	31,92
	अवधि के दौरान कटौती / Deduction during the Period	-	-
	अद्यतन मूल्यहास – (पुनर्मूल्यांकन के कारण वृद्धिशील मूल्यह्रास सहित) Depreciation to date (including incremental depreciation due to revaluations)	3,25,18	3,08,71
	ब्लाक I का अतिम शेष / Closing Block I	**25,14,43**	**19,45,87**
II	**अन्य अचल संपत्तियां (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
	पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत पर At cost as on 31st March of the preceeding year	128,84,97	108,77,06
	अवधि के दौरान वृद्धि / Addition during the period*	6,32,43	20,10,11
	अवधि के दौरान कटौती / Deductions during the period	39	2,20
	अद्यतन मूल्सह्रास / Depreciation to date	81,25,60	66,82,31
	ब्लाक II का अंतिम शेष / Closing Block II	**53,91,41**	**62,02,66**
	कुल (I और II) / Total (I & II)	**79,05,84**	**81,48,53**

अनुसूची – 11– अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11- OTHER ASSETS

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	अंतर कार्यालय समायोजन (नेट) / Inter Office Adjustment (Net)	27,54	27,31
II	अर्जित ब्याज / Interest Accrued	91,03,28	69,13,40
III	अग्रिम में भुगतान किया गया कर/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों को छोड़कर) Tax Paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	14,08,09	5,30,62
IV	स्टेशनरी और स्टाम्प / Stationery and Stamps	86	70
V	डैफर्ड टैक्स एसेट / Deferred Tax Asset	-	-
VI	अन्य / Others	443,24,43	311,68,29
	कुल (I, II, III, IV, V और VI) / Total (I, II, III, IV, V & VI)	**548,64,20**	**386,40,32**

अनुसूची – 12 आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12- CONTINGENT LIABILITIES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	बैंक के विरुद्ध दावें जो ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए Claims against the Bank not acknowledged as Debts	49,78	49,78
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेश की देयता Liability for partly paid investment	-	-
III	घटकों की ओर से दी गई गारंटी – भारत में Guarantees given on behalf of constituents - IN INDIA	55,63,88	63,04,45
IV	स्वीकृतियां, अनुमोदन और अन्य दायित्व Acceptances, Endorsements and Other Obligations	-	19,81
V	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	50,23,43	43,40,68
	कुल (I, II, III, IV और V) / Total (I, II, III, IV & V)	**106,37,09**	**107,14,72**

अनुसूची – 13– अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13- INTEREST EARNED

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	अग्रिम / बिलों पर ब्याज / छूट Interest/Discount on Advances/Bills	421,43,31	354,97,56
II	निवेश पर आय (शुद्ध) / Income on Investments (NET) वर्ष के दौरान परिशोधित कम राशि Less:amount amortised during the year	148,81,30 -10,849	154,82,57 -15,130
III	भारतीय रिजर्व बैंक में अतिशेषों और अन्य अन्तर–बैंक निवेशों पर ब्याज / Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter Bank Placements	111,19,47	72,72,19
IV	अन्य / Others	11,77,67	6,72,36
	कुल (I, II, III और IV) / Total (I, II, III & IV)	**692,13,26**	**587,73,38**

अनुसूची – 14– अन्य आय / SCHEDULE 14- OTHER INCOME

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज Commission, Exchange & Brokerage	1,46,60	1,64,93
II	निवेश की बिक्री पर लाभ / हानि Profit / Loss on sale of investments घटाएं: निवेश की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of investments	-6,020	2,49,40
III	निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ Profit on revaluation of investments घटाएं: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि Less: Loss on revaluation of investments	25,67,08	-2,09,463
IV	भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets घटाएं: भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	1,01	4,08
V	विविध आय / Miscellaneous Income	34,02,60	29,96,36
VI	तृतीय पक्षकार कमीशन / Third party commission	2,21,54	1,62,31
	कुल (I, II, III, IV, V और VI) / Total (I, II, III, IV,V & VI)	**62,78,63**	**14,82,45**

अनुसूची–15– ब्याज व्यय / SCHEDULE 15-INTEREST EXPENDED

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	जमाओ पर ब्याज / Interest on Deposits	372,00,21	308,68,31
II	आरबीआई / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI /Inter Bank Borrowings	4,37	3,64
III	अन्य / Others	-	-
	कुल (I, II और III) / Total (I, II & III)	**372,04,58**	**308,71,95**

अनुसूची – 16– परिचालन व्यय / SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES

(रुपये हजार में) / (₹ in Thousands)

		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2024	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार As on 31/03/2023
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and Provisions for Employees	183,77,89	120,53,29
II	किराया, कर और लाईटिंग / Rent, Taxes and Lighting	18,03,01	17,11,77
III	मुद्रण और स्टेशनरी / Printing and Stationery	1,24,55	80,94
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and Publicity	58,13	1,09,82
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on Bank's Property घटाएं: पूंजी से समायोजित मूल्यह्रास परिसर के पुनर्मूल्यांकन के कारण आरक्षित / Less: Depreciation adjusted from Capital reserve on account of revaluation of premises	14,59,71	14,37,51
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's Fees Allowances and Expenses	34,53	22,88
VII	लेखापरीक्षक की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय सहित) / Auditor's Fees & Expenses (including Branch Auditor's fee & expenses)	52,98	77,00
VIII	विधि प्रभार / Law Charges	90,07	72,68
IX	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc	1,06,76	97,06
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and Maintenance	1,45,68	93,99
XI	बीमा / Insurance	9,04,02	8,68,21
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure	44,01,64	50,65,19
	कुल (I से XII) / Total (I to XII)	**275,58,97**	**216,90,34**

अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. पृष्ठभूमि

नैनीताल बैंक लिमिटेड, वर्ष 1922 में नैनीताल, उत्तराखंड में निगमित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित एक बैंकिंग कंपनी है और वाणिज्यिक बैंकिंग और ट्रेजरी संचालन सहित बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में लगी हुई है।

2. तैयारी का आधारः

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर गोइंग कंसर्न अवधारणा के बाद तैयार किए जाते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप होते हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर निर्धारित वैधानिक प्रावधान, नियामक मानदंड शामिल होते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत जारी अधिसूचित लेखा मानक (एएस), कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ–साथ भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं की सीमा तक। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

3. अनुमानों का उपयोगः

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्नहो सकता है। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधियों में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

4. निवेशः

4.1 निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है–

(i) परिपक्वता तक धारित (HTM)

(ii) ट्रेडिग के लिए धारित (एचएफटी) और

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS)

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के उद्देश्य से, निवेश को अनुसूची 8 ('निवेश') में वर्गीकृत और प्रकट किया जाता है, प्रत्येक श्रेणी के तहत उप–वर्गीकरण के साथ छह समूहों के तहत (i) सरकारी

SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BACKGROUND

The Nainital Bank Limited, incorporated in Nainital, Uttarakhand in the year 1922, is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949, The Companies act, 2013 and other applicable regulations/ guidelines issued from time to time by regulator(RBI) and Govt. of India, the Bank is engaged in providing a wide range of banking and financial services including commercial banking and treasury operations.

2. BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis and on the accrual/mercantile basis of Accounting, unless otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, notified Accounting Standards (AS) issued under Section 133 of the Companies Act, 2013, read together with paragraph 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, to the extent applicable and current practices prevailing in the banking industry in India. The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year.

3. USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

4. INVESTMENTS:

4.1 Investments are categorized into three categories –

(i) Held to Maturity (HTM),

(ii) Held for Trading (HFT) and

(iii) Available for Sale (AFS)

For the purpose of disclosure in the balance sheet, investments are classified and disclosed in Schedule 8 ('Investments') under six groups with sub-classification under each category viz., (i) Government Securities, (ii) Other Approved Securities, (iii) Shares, (iv) Debentures

प्रतिभूतियां, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, (iii) शेयर, (iv) डिबेंचर और बॉन्ड, (v) सहायक और संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य– म्यूचुअल फंड की इकाइयां, जमा का प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, प्रतिभूति प्राप्तियां और अन्य निवेश।

4.2 अधिग्रहण की लागत

अधिग्रहण के समय भुगतान किए गए निवेश से संबंधित ब्रोकरेज, कमीशन और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

4.3 श्रेणियों के बीच अंतरण

जिस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों को वर्गीकृत किया जाएगा, उसका निर्णय अधिग्रहण के समय किया जाता है। वे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है, उन्हें "परिपक्वता के लिए धारित" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश जो मुख्य रूप से खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर बिक्री के लिए रखे जाते हैं, उन्हें "व्यापार के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचएफटी सिक्योरिटीज जो 90 दिनों की अवधि के लिए बेची नहीं जाती हैं, उन्हें उस तारीख को एएफएस सिक्योरिटीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश जो उपरोक्त दो श्रेणियों में से किसी में वर्गीकृत नहीं हैं, उन्हें "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के स्थानांतरण को स्थानांतरण की तारीख को प्रचलित अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, जो कम हो, के अनुसार किया जाता है और ऐसे स्थानांतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का पूर्णत प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं

4.4 प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

सरकारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर किसी भी प्रीमियम को प्रतिभूति की शेष परिपक्वता पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है। एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के तहत वर्गीकृत निवेश बाजार में चिह्नित हैं। 'एएफएस' और 'एचएफटी' श्रेणियों में शामिल उद्धृत निवेशों के बाजार/उचित मूल्य को शेयर बाजारों पर ट्रेडों/कोटेशन, एसजीएल खाता लेनदेनों, आरबीआई की मूल्य सूची या वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा समय–समय पर घोषित कीमतों से उपलब्ध स्क्रिप के बाजार मूल्य के संबंध में मापा जाता है। निवेश वर्गीकरण की प्रत्येक श्रेणी में निवल मूल्यह्रास यदि कोई हो, को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है । निवेश की प्रत्येक श्रेणी के तहत शुद्ध मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, की अनदेखी की जाती है, उन मामलों को छोड़कर जहां अस्थायी के अलावा कमी के लिए प्रावधान बनाया जाता है, निवेश के आवधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बही मूल्य में बदलाव नहीं किया जाता है।

बैंक निवेशों की खरीद/बिक्री के लिए लेखांकन की निपटान तिथि पद्धति और निवेशों की बिक्री पर लाभ की लागत और लेखांकन का निर्धारण

& Bonds, (v) Subsidiaries and Joint Ventures and (vi) Others – Units of Mutual Funds, Certificate of Deposits, Commercial Paper, Security Receipts and other investments, in accordance with RBI guidelines.

4.2 Cost of acquisition

Brokerage, commission and securities transaction tax (STT) etc., pertaining to investment, paid at the time of acquisition are charged to the profit and loss account.

4.3 Transfer between categories

The category under which the investments would be classified is decided at the time of acquisition. Investments which the bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity". Investments which are primarily held for sale within 90 days from the date of purchase are classified as "Held for Trading".

As per RBI guidelines, HFT Securities which remain unsold for a period of 90 days are classified as AFS Securities on that date. Investments which are not classified in either of the above two categories are classified as "Available for Sale".

Shifting of securities among the categories is accounted at the least of the acquisition cost / book value / market price prevailing on the date of shifting and depreciation, if any, on such shifting is fully provided for. Investments classified under HTM category are carried at acquisition cost.

4.4 Valuation of Securities

Any premium on acquisition of government securities are amortized over the remaining maturity of the security on a straight line basis. Investments classified under the AFS and HFT categories are marked-to-market. The market / fair value of quoted investments included in the 'AFS' and 'HFT' categories is measured with respect to the Market Price of the Scrip as available from the trades / quotes on the stock exchanges, SGL account transactions, price list of RBI or prices declared by Financial Benchmark India Private Limited (FBIL), periodically. Net depreciation, if any, within each category of investment classification is recognised in Profit and Loss Account. The net appreciation, if any, under each category of Investment is ignored, Except in cases where provision for diminution other than temporary is created, the book value of individual securities is not changed consequent to the periodic valuation of Investments.

The Bank follows settlement date method of accounting for purchase / sale of investments, and weighted average cost

करने के लिए भारित औसत लागत पद्धति का अनुसरण करता है। ऋण लिखतों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्रोकन अवधि ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना जाता है। ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र और जमा का प्रमाण पत्र, रियायती उपकरण होने के नाते, वहन लागत पर लिया जाता है। म्यूचुअल फंड की इकाइयों का मूल्यांकन म्यूचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य / एनएवी पर किया जाता है। अनकोटेड बॉन्ड, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयरों के मामले में जहां ब्याज/लाभांश नियमित रूप से प्राप्त होता है (यानी 90 दिनों से अधिक बकाया नहीं), बाजार मूल्य सरकारी प्रतिभूतियों के लिए यील्ड टू मैच्योरिटी (वाईटीएम) के आधार पर निकाला जाता है जैसा कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल)/फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रकाशित किया गया है और लिखत की क्रेडिट रेटिंग पर लागू क्रेडिट जोखिम के लिए उपयुक्त रूप से चिह्नित किया गया है। गैर–निष्पादित निवेशों की पहचान और मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर की जाती है।

4.5 निवेशों का निपटान

निवेशों का विक्रय/मोचन एचएफटी एवं एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों के संबंध में बिक्री/मोचन पर लाभ अथवा हानि लाभ एवं हानि खाते में शामिल की जाती है। एचटीएम श्रेणी में निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार कर के समायोजन और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण के बाद पूंजी आरक्षित निधि में विनियोजित किया जाता है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई मास्टर निर्देश के आधार पर – 30 अगस्त, 2021 को जारी प्रस्तुति और प्रकटीकरणः प्रावधानों और आकस्मिकताओं के हिस्से के रूप में पहले वर्गीकृत मानक निवेश करने पर मूल्यह्रास के प्रावधान को अन्य आय के हिस्से के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

4.6 निवेश में उतार–चढ़ाव आरक्षित

आय में वृद्धि के सापेक्ष संरक्षण हेतु पर्याप्त प्रेषित निधि तैयार करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र संख्या आरबीआई/2017–18/147 डीबीआर.सं.बीपी के माध्यम से। बीसी.102/21.04.048/2017–18 दिनांक 2 अप्रैल 2018 के माध्यम से सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2018–19 से आईएफआर बनाने की सलाह दी।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित (i) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ या (ii) वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर, जो न्यून होगा, जब तक कि आईएफआर की राशि सतत आधार पर एच एफ टी और ए एफ एस पोर्टफोलियो का कम से कम 2% नहीं होती है।

5. अग्रिमों और उस पर प्रावधानः

अग्रिमों को मानक और गैर–निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया

method for determining cost and accounting of profit on sale of investments. Broken period interest on debt instruments and government securities is treated as a revenue item. Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits, being discounted instruments, are valued at carrying cost. Units of Mutual Funds are valued at the latest repurchase price / NAV declared by the Mutual Fund. In case of unquoted bonds, debentures and preference shares where interest / dividend is received regularly (i.e. not overdue beyond 90 days), the market price is derived based on the Yield to Maturity (YTM) for Government Securities as published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. (FBIL)/Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) and suitably marked up for credit risk applicable to the credit rating of the instrument. Non Performing Investments are identified and valued based on RBI guidelines.

4.5 Disposal of Investments

Sale / Redemption of Investments Profit or loss on sale / redemption in respect of securities in HFT and AFS category is included in the Profit and Loss account. Profit on sale / redemption of investments in HTM category is included in the Profit and Loss Account and is appropriated to Capital Reserve after adjustments for tax and transfer to Statutory Reserve, as per RBI guidelines.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India.

Based on RBI Master Direction on Financial Statements - Presentation and Disclosures issued on August 30, 2021: Provision for depreciation on performing standard investments earlier classified as part of provisions and contingencies has been reclassified as part of other income.

4.6 Investment fluctuation reserve

To ensure building up of adequate reserves and protect against increase in yields, RBI through circular number RBI/2017-18/147 DBR.No.BP. BC.102/21.04.048/2017- 18 dated April 2, 2018, advised all banks to create an IFR with effect from the FY 2018-19.

Transfer to IFR will be lower of the following (i) net profit on sale of investments during the year or (ii) net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2% of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

5. ADVANCES AND PROVISIONS THEREON:

Advances are classified as standard and non-performing

जाता है और प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए जाते हैं। तुलन–पत्र में उल्लिखित अग्रिमों के, प्रावधानों, ब्याज उचंत, क्रेडिट गारंटी संस्थानों से प्राप्त दावों और विनियोग के लंबित और विविध खाते में रखे गए वसूलियों को घटाकर दिखाया गया है। गैर–निष्पादित अग्रिमों पर ब्याज एक अप्राप्त ब्याज खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है और प्राप्त होने तक लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं दी जाती है। बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के विरुद्ध वसूल की गई राशि को आय के रूप में मान्यता दी जाती है और उधारकर्ता की वर्तमान स्थिति के आधार पर अब आवश्यक नहीं समझे जाने वाले प्रावधानों को लाभ और हानि खाते में वापस कर दिया जाता है। पुनर्गठन/पुनर्निर्धारित आस्तियों के संबंध में, प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जिसमें पुनर्गठन पर प्रदान की जाने वाली आस्तियों के उचित मूल्य में कमी, जैसा भी लागू हो, शामिल है।

आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया जाता है। अंतर–बैंक भागीदारी के माध्यम से अग्रिमों का हस्तांतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम के साथ और बिना जोखिम के किया जाता है। जोखिम के साथ भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची/खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को अग्रिम में से घटाया/शामिल किया जाता है। जोखिम रहित भागीदारी के मामले में, बैंक द्वारा बेची/खरीदी गई भागीदारी की कुल राशि को उधार/निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

6. फ्लोटिंग प्रावधान:

फ्लोटिंग प्रावधानों का उपयोग केवल भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में और भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से आकस्मिकताओं के लिए किया जाता है।

7. अचल संपत्ति:

परिसर और अन्य अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर लिखा जाता है क्योंकि मूल्यह्रास को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। लागत में खरीद की लागत और साइट की तैयारी, स्थापना लागत, सॉफ्टवेयर के विकास के लिए किए गए व्यय, और जीएसटी (आईटीसी का शुद्ध) जैसे सभी व्यय शामिल हैं। पहले से उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर होने वाले बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों में वृद्धि होती है ।

अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाने के लिए दो स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा समय–समय पर (हर तीसरे वर्ष) परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर मूल्यांकन, यदि कोई हो, पूंजी भंडार के तहत पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में जमा किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन संपत्ति पर अतिरिक्त मूल्यह्रास लाभ और हानि खाते में लगाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से अन्य राजस्व रिजर्व में विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाली संपत्ति की वहन राशि में कमी को लाभ और हानि के विवरण पर आरोपित किया जाना चाहिए। हालांकि, कमी को उस परिसंपत्ति के संबंध

assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by RBI. Advances stated in the Balance Sheet are net of provisions, interest suspense, claims received from credit guarantee institutions and recoveries pending appropriation and held in sundry account. Interest on non-performing advances is transferred to an unrealized interest account and not recognized in profit and loss account until received. Amounts recovered against debts written off is recognised as income and provisions no longer considered necessary based on the current status of the borrower, is reversed to the profit and loss account. In respect of restructured / rescheduled assets, provision is made in accordance with RBI guidelines, including diminution in the fair value of the assets to be provided on restructuring, as applicable.

Provision for standard assets, is made in accordance with the guidelines and at levels stipulated by RBI from time to time. Transfer of advances through inter-bank participation is undertaken with and without risk in accordance with RBI guidelines. In case of participation with risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is reduced from / included in advances. In case of participation without risk, the aggregate amount of participation sold / purchased by the Bank is classified under borrowings / investments.

6. FLOATING PROVISIONS:

The floating provisions are utilized only for contingencies under extraordinary circumstances specified in extent guidelines of RBI and in with prior permission of Reserve Bank of India.

7. FIXED ASSETS:

Premises and other fixed assets are accounted for at historical cost as reduced by depreciation written off. The cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation cost, expenditure incurred for development of software, and GST (net of ITC). Subsequent expenditure incurred on the assets already in use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capacity.

Revaluation of Fixed Assets

Premises are revalued periodically (every 3rd year) by two independent valuers, to reflect current market valuation. Appreciation, if any, on revaluation is credited to Revaluation Reserve under Capital Reserves. Additional Depreciation on the revalued asset is charged to the Profit and Loss Account and appropriated from the Revaluation Reserves to Other Revenue Reserve. A decrease in the carrying amount of an asset arising on revaluation should be charged to the statement of profit and loss. However, the decrease should be debited directly

में पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में मौजूद किसी भी क्रेडिट शेष की सीमा तक सीधे पुनर्मूल्यांकन अधिशेष को डेबिट किया जाना चाहिए।

अमूर्त संपत्ति

यह भौतिक पदार्थ के बिना एक पहचान योग्य संपत्ति है जिससे भविष्य में आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की उम्मीद है और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 26 और नियामक जैसे आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों में निर्धारित मान्यता मानदंडों को पूरा करती है। उदाहरण – **सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुल्क (सीबीएस, ट्रेजरी / थर्ड पार्टी एप्लिकेशन)।** कार्यान्वयन लागत।

8. मूल्यह्रासः

8.1 अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास [पैराग्राफ 7 में संदर्भित के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार लिखित मूल्य पद्धति के अनुसार, निम्नलिखित तालिका के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के मामले में, जिसके संबंध में मूल्यह्रास इन पुनर्मूल्यांकित संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

क्र. सं	अचल संपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास / परिशोधन चार्ज करने की विधि	उपयोगी जीवन (वर्ष)	मूल्यह्रास/ परिशोधन दर/
1.	कंप्यूटर (अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण जैसे लैपटॉप डेस्कटॉप)	सीधी रेखा विधि	3	33.33% हर साल
2.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग बना रहा है	सीधी रेखा विधि	3	33.33% हर साल
3.	सर्वर और नेटवर्क/नेटवर्क डिवाइस (डेटा सेंटर आदि)	सीधी रेखा विधि	6	16.67% हर साल
4.	अमूर्त सम्पत्तियाँ	सीधी रेखा विधि	6	16.67% हर साल
5.	सामान्य फर्नीचर और फिटिंग	अवशिष्ट मूल्य विधि	10	25.89% हर साल
6.	कार्यालय उपकरण	अवशिष्ट मूल्य विधि	5	45.07% हर साल
7.	संयंत्र और मशीनरी	अवशिष्ट मूल्य विधि	15	18.10% हर साल
8.	वाहन – मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य 2 पहिया वाहन	अवशिष्ट मूल्य विधि	10	25.89% हर साल
9.	वाहन – मोटर कार और अन्य चार पहिया वाहन	अवशिष्ट मूल्य विधि	8	31.23% हर साल

8.2 कंप्यूटर (लैपटॉप/डेस्कटॉप/प्रिंटर) और कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अभिन्न अंग बनने वाले सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, 33.33: प्रति वर्ष की दर से सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.

Intangible Assets

- It is an identifiable asset without physical substance form which future economic benefits are expected to generate and meets recognition criteria as prescribed in Accounting Standard 26 issued by ICAI and applicable guidelines of Regulator viz RBI. **Example – Software License fees (CBS, Treasury/Third party applications). Implementation cost.**

8. DEPRECIATION:

8.1 Depreciation on Fixed Assets [other than those referred in Paragraph 7] is provided in accordance with Schedule II to the Companies Act, 2013 as per written down value method, as per following table, except in case of revalued assets, in respect of which depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation/ Amortization	Useful Life (Years)	Depreciation/ amortization rate
1.	Computers (End user device such as laptop, desktop)	Straight Line Method	3	33.33% Per annum
2.	Computer software's, forming an integral part of hardware	Straight Line Method	3	33.33% Per annum
3.	Servers and networks/ Network devices (Data Centers/Data Recovery Centre etc)	Straight Line Method	6	16.67 % Per annum
4.	Intangible Assets	Straight Line Method	6	16.67 % Per annum
5.	General furniture and fittings	Written Down Value method	10	25.89 % Per annum
6	Office Equipment's	Written Down Value method	5	45.07 % Per annum
7	Plant and Machinery	Written Down Value method	15	18.10 % Per annum
8	Vehicles - Motor cycles, Scooters and other 2 wheelers	Written Down Value method	10	25.89 % Per annum
9	Vehicles – Motor Cars and other four wheelers	Written Down Value method	8	31.23 % Per annum

8.2 Depreciation on Computers (Laptops/Desktop/Printer) and Software forming an integral part of Computer Hardware, is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI.

परिवर्धन पर मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से खरीद/उपयोग में लाने की तिथि से प्रदान किया जाता है।

9. रिज़र्व और अधिशेष

आय और अन्य रिज़र्व में सांविधिक रिज़र्व, पूंजी आरक्षित, शेयर प्रीमियम, निवेश में उतार–चढ़ाव और निवेश रिज़र्व, लाभ और हानि खाते में संचित अधिशेष शामिल हैं।

10. कर्मचारी लाभ

10.1 भविष्य निधि

नैनीताल बैंक लिमिटेड पीएफ नियमों के अनुसार भविष्य निधि एक वैधानिक दायित्व है, बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित योगदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है। योगदान लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है। फंड का प्रबंधन द नैनीताल बैंक लिमिटेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

10.2 ग्रेच्युटी

नैनीताल बैंक लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड नियम और विनियम और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान एक वैधानिक दायित्व है। यह एक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

10.3 पेंशन

नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के तहत पेंशन देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है, और यह उन कर्मचारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो 31.03.2010 तक बैंक में शामिल हुए हैं और पेंशन का विकल्प चुना है। पेंशन देयता नैनीताल बैंक लिमिटेड (कर्मचारी) पेंशन फंड ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित है।

नई पेंशन योजना– बैंक, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत नामांकित कुछ कर्मचारियों के कुल मूल वेतन डीए का 14% योगदान देता है, जो एक परिभाषित योगदान योजना है, जिसे पेंशन फंड प्रबंधन कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है। वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एनपीएस में इस प्रकार योगदान/भुगतान की गई राशि को लाभ और हानि खाते से दी जाती है।

10.4 वेतन संशोधन– बैंक कर्मचारियों का वेतन संशोधन हर पांच साल के बाद इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए), (बैंकों के प्रबंधन का एक प्रतिनिधि निकाय) और कर्मचारी संघों और अधिकारी संघों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से होता है। पिछला वेतन संशोधन 01 नवंबर, 2022 से लागू हो गया।

11. आय अभिज्ञान

मौजूदा एनपीए के संबंध में, जहां मुकदमा दायर नहीं किया गया है, समय–समय पर खाते में की गई वसूली (सार्वजनिक

Depreciation on additions is provided proportionately from the date of purchase/put to use.

9. RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves, capital reserve, share premium, Investment fluctuation and Investment reserves, surplus accumulated in profit and loss account.

10. EMPLOYEE BENEFITS

10.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a statutory obligation as per The Nainital Bank Limited PF Rules, the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account. The fund is managed by The Nainital Bank Limited Provident Fund Trust.

10.2 GRATUITY

Gratuity liability is a statutory obligation being higher of gratuity payment as per The Nainital Bank Limited Gratuity Fund Rules and Regulations and Payment of Gratuity Act 1972. This is provided for on the basis of an actuarial valuation.

10.3 PENSION

Pension liability is a defined benefit obligation under The Nainital Bank Ltd (Employees) Pension Regulations 1995, and is provided for on the basis of actuarial valuation, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by The Nainital Bank Limited (Employees) Pension Fund Trust.

New Pension Scheme the Bank contributes 14% of the total basic salary + DA of certain employees enrolled under National Pension Scheme (NPS), a defined contribution plan, which is managed and administered by pension fund management companies. The amounts so contributed/paid by the Bank to the NPS during the year are recognized in the profit and loss account.

10.4 Wage revision- The wage revision of Bank employees takes place after every five years through bilateral talks between Indian Bank Association (IBA), (a representative body of management of Banks) and Employees Unions & Officers' Associations. The last wage revision had become applicable w.e.f. November 01, 2022.

11. REVENUE RECOGNITION

In respect of existing NPAs, where suit is not filed, recoveries effected in the account (including recovery

धनवसूली अधिनियम के तहत वसूली सहित) को निम्नलिखित तरीके से विनियोजित किया जाता है:

i. बैंक द्वारा भुगतान या किए गए सभी खर्चे, कमीशन, प्रभारों और खर्चों के लिए

ii. बैंक को देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगे का ब्याज, पेनल ब्याज के लिए।

iii. मूलधन (किस्त) ।

सूट फाइल्ड/डिक्री किए गए खातों में वसूली न्यायालय के निर्देशों के अनुसार विनियोजित की जाती है और निर्देशों के अभाव में जैसा कि गैर– सूट फाइल्ड खाते पर लागू होता है।

एनसीएलटी या समझौता स्वीकृत खाते के माध्यम से समाधान/निपटान के मामले में, वसूली समझौता मंजूरी/समाधान निपटान की शर्तों के अनुसार विनियोजित की जाती है।

मानक खातों में वसूली का विनियोजन मांग की तारीख के अनुसार किया जाता है और मांग निम्नलिखित क्रम में संतुष्ट की जा रही है:

- बैंक द्वारा भुगतान या की गई सभी लागतों, कमीशन, प्रभारों और खर्चों के लिए
- बैंक को देय ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, आगे ब्याज, पेनल ब्याज के लिए
- मूल धन के भुगतान के लिए

बैंक गारंटी/साख पत्र, लॉकर किराया, बैंक गारंटी और तृतीय पक्ष उत्पादों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र व्यापार, कार्ड पर वार्षिक शुल्क पर कमीशन प्राप्ति के आधार पर हिसाब रखा जाता है।

अनुमोदित/वितरित ऋणों पर एकत्र किए गए प्रसंस्करण/अन्य शुल्कों के साथ–साथ संबंधित ऋण अधिग्रहण लागतों को सुविधा की शुरुआत/नवीनीकरण के समय मान्यता दी जाती है।

अनुपयोज्य आस्तियों/निवेशों के मामलों में आय के संग्रहण की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आय का लेखा–जोखा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार वसूली होने पर ही किया जाता है

आय (ऊपर उल्लिखित के अलावा)/व्यय की पहचान आम तौर से प्रोद्भवन आधार पर की जाती है। लाभांश आय और आयकर वापसी पर ब्याज को मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है। माल और सेवा कर इनपुट क्रेडिट को संशोधित सीजीएसटी नियम, 2017 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर पुस्तकों में शामिल किया जाता है।

12. संपत्ति की हानि

अचल संपत्तियों (पुर्नमूल्यांकन परिसंपत्तियों सहित) पर हानि (यदि कोई हो) आईसीएआई द्वारा जारी एएस 28 (परिसंपत्तियों की हानि) के अनुसार मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि खाते में चार्ज किया जाता है।

under Public Money Recovery Act.) from time to time shall be appropriated in the following manner:

i. Towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank

ii. Towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank.

iii. Towards Principal (Instalment).

Recovery in suit filed/decreed accounts shall be appropriated as per the directives of the Court, in case of absence of directives, as applicable to non-suit filed account.

In case of Resolution/Settlement through NCLT or compromise sanctioned account, recovery should be appropriated as per the terms of compromise sanction/resolution settlement.

The appropriation of recovery in Standard Accounts is effected as per the date of demands raised and the earliest demand is being satisfied in the following order:

- Towards all costs, commission, charges and expenses paid or incurred by the Bank
- Towards interest, additional interest, further interest, penal interest due to the Bank
- Towards payment of the principal money

Commission on bank guarantees / letters of credit, locker rent, banc assurance and third party products, Priority Sector Lending Certificate trading, annual fee on cards are accounted on receipt basis.

Processing / other fees collected on loans approved / disbursed, along with related loan acquisition costs are recognised at inception / renewal of the facility.

In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.

Income (other than mentioned above)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. Dividend income and interest on Income Tax refund is recognised when the right to receive payment is established. Goods & Service Tax input credit is accounted for in the books within the time limit prescribed under CGST Rules, 2017, as amended.

12. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है तो प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है। एक हानि को मान्यता दी जाती है जहां किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। वसूली योग्य राशि संपत्ति शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और संपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। हानि के बाद, शेष उपयोगी जीवन पर परिसंपत्ति की संशोधित वहन राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

The carrying amount of assets is reviewed at each Balance Sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the assets net selling price and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and risks specific to the asset. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over remaining useful life.

13. आय पर करः

आयकर व्यय में न्यायिक घोषणाओं और कानूनी राय (यानी आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि, उसके तहत बनाए गए नियमों और निर्धारित महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार करने के बाद किए गए वर्तमान कर प्रावधान शामिल हैं। आय गणना और प्रकटीकरण मानकों में) और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन।

आस्थगित आय कर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर को पहचानते हैं जो एक अवधि में उत्पन्न होते हैं और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होते हैं। आस्थगित कर आस्तियों को उनकी भविष्य की प्रतिवर्तिता की सीमा तक खाते की पुस्तकों में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को प्रोद्भवन के वर्ष में पूरी तरह से मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर को कर दरों और तुलन पत्र की तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर कानूनों के आधार पर मापा जाता है।

इसमें आयकर और आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय अंतर के कर प्रभावों को दर्शाते हुए) के लिए प्रावधान शामिल हैं, जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी एएस 22 (आय पर करों के लिए लेखांकन) के अनुसार निर्धारित किया गया है। आस्थगित कर को आय और व्यय की मदों के संबंध में विवेक के विचार के अधीन मान्यता दी जाती है जो एक समय में उत्पन्न होती हैं और एक या अधिक बाद की अवधि में रिवर्स करने में सक्षम होती हैं। आस्थ. गित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन वर्षों में कर योग्य आय पर लागू होने वाली अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है जिनमें समय के अंतर को रिवर्स किये जाने की उम्मीद है। कर दरों में बदलाव की आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों पर प्रभाव को परिवर्तन के अधिनियमन की अवधि में आय विवरण में मान्यता प्राप्त है।

13. TAXES ON INCOME:

Income Tax expense comprises of current tax provision made after due consideration of the judicial pronouncements and legal opinion (i.e. the amount of tax for the period determined in accordance with the Income Tax Act, 1961, the rules framed there under and considering the material principles set out in Income Computation and Disclosure Standards) and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.

Deferred income taxes recognize timing differences between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred Tax Assets are recognized in the books of account to the extent of their future reversibility. Deferred Tax Liabilities are recognized fully in the year of accrual. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

14. प्रति शेयर आय

बैंक आईसीएआई द्वारा जारी किए गए एएस 20 (प्रति शेयर आय)

14. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity

के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर मूल और डाइल्यूटेड आय की रिपा.ेर्ट करता है। प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध आय को विभाजित करके की गई है। प्रति इक्विटी शेयर पतला आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और अवधि के दौरान बकाया कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों का उपयोग करके की गई है।

share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share have been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी एएस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति) के अनुसार, बैंक केवल प्रावधानों को मान्यता देता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह होगा दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक है और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक दायित्व का खुलासा तब तक किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर–दूर तक न हो। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप आय की पहचान हो सकती है जिसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

15. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made. Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote. Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.

16. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मान्यता देता है।

16. SEGMENT REPORTING

The Bank recognizes the Business Segment as the Primary reporting segment and Geographical segment as the Secondary reporting segment in accordance with the RBI guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

17. नकदी और नकद समकक्ष

नकदी और समकक्ष नकदी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के साथ शेष और कॉल और शॉर्ट नोटिस पर धन शामिल है।

17. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with the Reserve Bank of India, balances with other banks and money at call and short notice.

18. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी गई है।

18. Corporate Social Responsibility

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013 is recognised in the Profit and Loss Account.

19. अन्य/विविध

I. परिपक्वता अवधि 12 माह से कम होने पर ऋण को अल्पावधि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पावधि के अलावा अन्य ऋणों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

II. भाग लेने वाले फंड में भविष्य के विनियोग के लिए फंड पॉलिसीधारक उचित अपेक्षा (प्री) को पूरा करने के लिए अलग रखी गई देनदारियों से अधिक अधिशेष परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह राशि शेयरधारकों या पॉलिसीधारकों को बैलेंस शीट की तारीख पर आवंटित नहीं की जाती है। भविष्य के

19. OTHERS/MISC.

I. Loan are classified as short term in case the maturity is less than 12 months. Loans other than short term are classified as long term.

II. The funds for future appropriation in the participating fund represent the surplus assets in excess of the liabilities set aside to meet Policyholder Reasonable Expectation (PRE). This amount is not allocated to the shareholders or policyholders at the balance sheet date. The funds for future appropriation when allocated in the

विनियोग के लिए धन जब पॉलिसीधारकों को भविष्य में आवंटित किया जाता है, तो विनियमन द्वारा निर्धारित अनुपात में शेयरधारक के लाभ और हानि खाते में हस्तांतरण किया जायेगा।

III. कंपनी की बीमांकिक देयताओं की गणना बीमा अधिनियम, 1938 की आवश्यकताओं और उन पर संशोधनों, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (परिसंपतियों, देनदारियों, और बीमाकर्ताओं की सॉल्वेंसी मार्जिन) विनियम, 2016, बीमांकिक अभ्यास मानकों और मार्गदर्शन नोट्स द्वारा जारी किए गए बीमांकिक अभ्यास मानकों और मार्गदर्शन नोट्स के अनुसार की गई है। लॉन्ग टर्म नॉन–लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मूल्यांकन ग्रॉस प्रीमियम वैल्यूएशन (जीपीवी) पद्धति के अनुसार किया जाता है

future to policyholders would give rise to a transfer to the shareholder's profit and loss account in the proportion stipulated by regulation.

III. The actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of Insurance Act, 1938 and amendments thereon, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally accepted actuarial practices. Long term non-linked contracts are valued using a gross premium valuation (GPV) method.

अनुसूची 18: 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों में टिप्पणियां
SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2024

1. नियामक पूंजी / Regulatory Capital

क) नियामक पूंजी की संरचना / a) Composition of Regulatory Capital

क्र.सं / Sr No.	विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष* Previous Year*
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) / Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	711.18	709.36
ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Additional Tier 1 capital	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii) / (i + ii)/Tier 1 capital (i + ii)	711.18	709.36
iv)	टियर 2 पूंजी / Tier 2 capital	47.95	47.26
v)	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2) / Total capital (Tier 1+Tier 2)	759.13	756.62
vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडबल्यूए) / Total Risk Weighted Assets (RWAs)	4986.48	4658.89
vii)	सीईटी 1 अनुपात (सीईटी 1 आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में) / CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	14.26%	15.23%
viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	14.26%	15.23%
ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टीयर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	0.97%	1.01%
x)	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीएसआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) / Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	15.22%	16.24%
xi)	लिवरेज अनुपात / Leverage Ratio	7.40%	7.90%
xii)	शेयरधारिता का प्रतिशत / Percentage of the shareholding of भारत सरकार / Government of India राज्य सरकार / State Government प्रायोजक बैंक / Sponsor Bank	शून्य / NIL	शून्य / NIL
xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि / Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य / NIL	39.95
xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर–इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि Amount of Tier 2 capital raised during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL

नोट – वर्ष के दौरान बैंक के सदस्यों ने 10 मार्च, 2024 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से बैंक की अधिकृत पूंजी को 150 करोड़ से बढ़ाकर 230 करोड़ करने के एजेंडे को मंजूरी दी।

*RBI द्वारा अपनी ISE 2022 रिपोर्ट में निकाले गए विचलन को शामिल किए जाने के बाद पिछले वर्ष के अनुपातों की पुनर्गणना की गई है। डाइवर्जेंस से पहले सीआरएआर 16.64% था (सीईटी 1 अनुपात 15.63% था और सीईटी 2 अनुपात 1.01% था)

रिजर्व से निकासी

लेखांकन मानक –10 (स्थिर संपत्तियों के लिए लेखांकन) के अनुपालन में

Note - During the year, the members of the Bank through postal ballot dated March 10, 2024 approved the agenda for increase in authorized capital of the Bank from 150 crores to 230 crores.

*Previous year Ratios have been recalculated after incorporating the divergence observed by RBI in its ISE 2022 report. Before divergence the CRAR was 16.64% (CET 1 ratio was 15.63% and CET 2 ratio was 1.01%)

Draw down from Reserves

An amount of ₹ 13.03 lacs have been appropriated from

पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से रिजर्व में 13.03 लाख रुपये का विनियोजन किया गया है, यह अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास को दर्शाता है।

Revaluation reserve to Revenue reserve in compliance of Accounting Standard -10 (accounting for Fixed Assets) the same reflects the depreciation on revalued portion of fixed assets.

ए) संपत्ति देयता प्रबंधन

31–03–2024 को संपत्ति और देनदारियों की कुछ वस्तुओं की परिपक्वता पैटर्न

(राशि रू. करोड़ में)

a) Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31-03-2024

(Amount in ₹ Cr)

देयताएं / Liabilities	1 दिन / 1 day	2 से 7 दिन / 2 to 7 days	8 से 14 दिन / 8 to 14 days	15 से 30 दिन / 15 to 30 days	31 दिन से 2 माह / 31 days to 2 months	2 माह से अधिक – और 3 माह तक / Over 2 months & up to 3 months	3 माह से अधिक – और 6 माह तक / Over 3 months & up to 6 months	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक / Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक / Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक / Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक / Over 5 years	कुल / Total
जमा / Deposits	54.14 (75.46)	326.93 (215.57)	269.71 (262.24)	171.54 (192.96)	360.02 (342.41)	380.59 (343.04)	1091.65 (870.48)	2254.13 (1691.67)	3310.58 (3609.32)	37.04 (64.90)	11.41 (13.77)	8267.74 (7681.82)
अग्रिम / Advances	14.28 (13.92)	85.67 (81.91)	100.59 (96.14)	202.14 (193.70)	120.81 (111.91)	222.33 (558.73)	332.14 (416.58)	175.32 (144.82)	1763.30 (1617.68)	431.70 (317.92)	1069.56 (763.73)	4517.84 (4317.04)
निवेश / Investments	515.54 (700.87)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	169.09 (0.00)	64.77 (0.00)	64.28 (0.00)	178.07 (0.00)	363.81 (29.99)	571.11 (45.04)	6.78 (428.81)	55.62 (925.53)	1989.07 (2130.24)
उधारियां / Borrowings	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा आस्तियां / Foreign Currency assets	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
विदेशी मुद्रा देयताएं / Foreign Currency liabilities	0.00	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की इसी अवधि (31 मार्च 2023) के आंकड़े दर्शाते हैं।

Note: Figures in bracket indicates previous year figures for corresponding period (i.e 31st March 2023)

बी) तरलता कवरेज अनुपात (LCR)

b) Liquidity coverage ratio (LCR)

(राशि करोड़ रू. में)

(Amount in ₹ Cr)

		पहली तिमाही 2023–2024 / Q1 2023-2024		दूसरी तिमाही 2023–2024 / Q2 2023-2024		तीसरी तिमाही 2023–2024 / Q3 2023-2024		चौथी तिमाही 2023–2024 / Q4 2023-2024	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां / High Quality Liquid Assets									
1.	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) / Total High Quality Liquid Assets (HQLA)	2075.88	2075.88	2002.86	2002.86	1923.21	1923.21	1911.65	1911.65
नकदी प्रवाह / Cash Outflows									
2.	छोटे व्यवसाय ग्राहकों से जमा और खुदरा जमा, जिनमें से / Retail deposits and deposits from small business customers	5656.65	415.86	5718.04	420.58	5736.78	422.91	5806.45	428.87
(i)	स्थिर जमा / Stable deposits	2996.04	149.80	3024.53	151.23	3015.39	150.77	3035.57	151.78
(ii)	कम स्थिर जमा / Less stable deposits	2660.61	266.06	2693.51	269.35	2721.39	272.14	2770.88	277.09
3.	असुरक्षित थोक वित्त पोषण, जिनमें से / Unsecured wholesale funding of which	1481.91	709.38	1553.09	780.85	1504.63	732.17	1541.68	764.31
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्ष) / Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	गैर–परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षकार) / Non-operational deposits (all counterparties)	1481.91	709.38	1553.09	780.85	1504.63	732.17	1541.68	764.31
(iii)	असुरक्षित ऋण / Unsecured debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सुरक्षित थोक वित्त पोषण / Secured wholesale funding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		पहली तिमाही 2023–2024 / Q1 2023-2024		दूसरी तिमाही 2023–2024 / Q2 2023-2024		तीसरी तिमाही 2023–2024 / Q3 2023-2024		चौथी तिमाही 2023–2024 / Q4 2023-2024	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) / **Total Unweighted Value (average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) / **Total Weighted Value (average)**	कुल अभारित मूल्य (औसत) / **Total Unweighted Value (average)**	कुल भारित मूल्य (औसत) / **Total Weighted Value (average)**	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / **Total Unweighted Value (average)**	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / **Total Weighted Value (average)**	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / **Total Unweighted Value (average)**	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / **Total Weighted Value (average)**
5.	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से / Additional requirements, of which	847.12	46.52	919.23	53.14	1113.43	73.03	1158.39	77.63
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह / Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	ऋण और तरलता सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	847.12	46.52	919.23	53.14	1113.43	73.03	1158.39	77.63
6.	अन्य संविदात्मक वित्त पोषण दायित्व / Other contractual funding obligations	201.86	201.86	202.10	199.91	169.83	169.83	188.48	188.48
7.	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व / Other contingent funding obligations	91.21	2.74	79.72	2.39	79.72	2.39	84.01	2.52
8.	**कुल नकद बहिर्वाह / Total Cash Outflows**	**8278.74**	**1376.36**	**8472.18**	**1456.87**	**8604.39**	**1400.33**	**8779.00**	**1461.81**
नकदी इनफ्लो / Cash Inflows									
9.	सुरक्षित उधार (जैसे रिवर्स रेपो) / Secured lending (e.g. reverse repos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000

		पहली तिमाही 2023–2024 / Q1 2023-2024		दूसरी तिमाही 2023–2024 / Q2 2023-2024		तीसरी तिमाही 2023–2024 / Q3 2023-2024		चौथी तिमाही 2023–2024 / Q4 2023-2024	
		कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल अभारित मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित रु मूल्य (औसत) / Total Unweighted Value (average)	कुल भारित रु मूल्य (औसत) / Total Weighted Value (average)
10.	पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह / Inflows from fully performing exposures	299.85	200.02	455.68	345.33	253.70	193.42	284.96	219.59
11.	अन्य नकदी अंतर्वाह / Other cash inflows	108.94	54.47	118.20	59.10	126.68	63.34	144.14	72.07
12.	**कुल नकद अंतर्वाह / Total Cash Inflows**	**408.80**	**254.49**	**573.88**	**404.43**	**380.38**	**256.76**	**429.10**	**291.66**
			कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य / Total Adjusted Value
13.	**कुल एचक्यूएलए / Total HQLA**	**2075.88**	**2075.88**	**2002.86**	**2002.86**	**1923.21**	**1923.21**	**1911.65**	**1911.65**
14.	कुल नकद बहिर्वाह घटा कुल नकद अंतर्वाह / Total Cash Outflows less Total Cash Inflows	7869.94	1121.86	7898.29	1052.44	8224.01	1143.57	8349.90	1170.15
15.	कुल नकदी बहिर्वाह का 25% / 25% of Total Cash outflows	2069.69	344.09	2118.04	364.22	2151.10	350.08	2194.75	365.45
16.	कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह (14 या 15 से अधिक) / Total Net Cash Outflows [Higher of 14 or 15]	7869.94	1121.86	7898.29	1052.44	8224.01	1143.57	8349.90	1170.15
17.	तरलता कवरेज अनुपात(%) (एचक्यूएलए / कुल शुद्ध नकद बहिर्वाह / Liquidity Coverage Ratio (%) (HQLA*100/ Total Net Cash Outflows)		185.04%		190.31%		168.18%		163.37%

गुणात्मक

बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल समिति (बीसीबीएस) ने तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का प्रस्ताव दिया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के पास 30 दिनों की अवधि तक चलने वाले एक महत्वपूर्ण तरलता तनाव से बचने के लिए बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है। LCR को अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए अनुमानित कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह के लिए HQLA के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम एलसीआर 1 जनवरी 2015 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है।

1 जनवरी से शुरू	2015	2016	2017	2018	2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

इसके अलावा कोविड 19 महामारी के कारण आरबीआई ने 17.04.2020 से एलसीआर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। विवरण नीचे दिया गया हैः

सर्कुलर की तिथि से 30 सितंबर, 2020 तक	80%
1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021	90%
1 अप्रैल, 2021 से आगे	100%

LCR में दो घटक होते हैंः

(ए) स्ट्रेस्ड परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए) के स्टॉक का मूल्य।

(बी) कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाहः शब्द "कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह" को बाद के 30 कैलेंडर दिनों (स्ट्रेस्ड अवधि) के लिए निर्दिष्ट तनाव परिदृश्य में "कुल अपेक्षित नकदी बहिर्वाह" घटा "कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह" के रूप में परिभाषित किया गया है।

एलसीआर = अगले 30 कैलेंडर दिनों में उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति/कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह का स्टॉक>=100%

एलसीआर के मुख्य कारकः

उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्यूएलए):

तरल संपत्ति में उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें आसानी से बेचा या उपयोग किया जा सकता है ताकि विभिन्न प्रकार के तनाव परिदृश्यों में धन प्राप्त किया जा सके। उन्हें बिना किसी कानूनी, नियामक या परिचालन बाधाओं के भारमुक्त होना चाहिए। संपत्तियों को उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति माना जाता है यदि उन्हें आसानी से और तुरंत नकद में परिवर्तित किया जा सकता है या मूल्य का कोई नुकसान नहीं होता है।

एचक्यूएलए की बैंक की संरचना में मुख्य रूप से न्यूनतम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत अनुमत सीमा और एलसीआर (एफएएलएलसीआर) के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा से अधिक सरकारी प्रतिभूतियां, इसके अतिरिक्त, नकद, आरबीआई के पास नकदी आरक्षित आवश्यकता से अधिक शेष, शामिल हैं। लेवल 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से एए– और उससे ऊपर के कॉरपोरेट बॉन्ड और कमर्शियल पेपर शामिल थे।

Qualitative

The Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) had proposed the liquidity coverage ratio (LCR) in order to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered high quality liquid assets (HQLA) to survive a significant liquidity stress lasting for a period of 30 days. LCR is defined as a ratio of HQLA to the total net cash outflows estimated for the next 30 calendar days. As per the RBI guidelines the minimum LCR required to be maintained by banks shall be implemented in the phased manner from January 1, 2015 as given below.

Starting from January 1	2015	2016	2017	2018	2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Further due to Covid 19 pandemic RBI has revised the LCR guidelines w.e.f. 17.04.2020, details as given below:

From date of circular to September 30, 2020	80%
Oct 1, 2020 to March 31, 2021	90%
April 1, 2021 onwards	100%

The LCR has two components:

(a) The value of the stock of high-quality liquid assets (HQLA) in stressed conditions.

(b) Total net cash outflows: The term "Total net cash outflows" is defined as "Total expected cash outflows" minus "Total expected cash inflows" in the specified stress scenario for the subsequent 30 calendar days (the stressed period).

LCR = Stock of High Quality Liquid Assets/Total Net Cash Outflows over the next 30 calendar days >=100%

Main Drivers of LCR:

High Quality Liquid Assets (HQLA):

Liquid assets comprise of high quality assets that can be readily sold or used as collateral to obtain funds in a range of stress scenarios. They should be unencumbered i.e. without legal, regulatory or operational impediments. Assets are considered to be high quality liquid assets if they can be easily and immediately converted into cash at little or no loss of value.

Bank's composition of HQLA mainly consists of government securities in excess of minimum Statutory Liquidity Ratio (SLR), the extent allowed under the Marginal Standing Facility (MSF) and the Facility to Avail Liquidity for LCR (FALLCR). Additionally, cash, balances in excess of cash reserve requirement with RBI. Level 2 HQLA primarily consisted of AA- and above rated corporate bonds and commercial papers.

अंतर–अवधि परिवर्तन के साथ–साथ समय के साथ परिवर्तन

समेकित आधार पर एलसीआर जनवरी 2024, फरवरी 2024 और मार्च 2024 को समाप्त महीनों में क्रमशः 170.86:, 171.02: और 154.49: था, जबकि 100: की नियामक आवश्यकता थी।

धन स्रोतों का संकेंद्रणः

एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष को एकल प्रतिपक्ष या जुड़े या संबद्ध समकक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बैंक की कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए कुल मिलाकर लेखांकन करता है। 31 मार्च 2024 तक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष जमा "बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक" और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" और "यूएसडीएमए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि" से था, यानी हमारी कुल देनदारियों का 2.34%, 1.09% और 1.07% था।

हमारी कुल जमा राशि में बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता का हिस्सा 8.59% हैं।

डेरीवेटिव एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉलः

31 मार्च 2024 तक, डेरिवेटिव के लिए बैंक का एक्सपोजर शून्य है।

एलसीआर में करेंसी मिसमैचः

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर मानक को एक ही मुद्रा पर पूरा करना आवश्यक है, बैंक आईएनआर में दैनिक आधार पर एलसीआर बनाए रख रहा है। 31 मार्च 2024 तक, बैंक केवल INR में डील करता है, इसलिए कोई करेंसी बेमेल नहीं है।

तरलता प्रबंधन के केंद्रीकरण की डिग्री और समूह की इकाइयों के बीच का विवरणः

बैंक के लिए नकदी प्रबंधन निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। निदेशक मंडल ने अपनी जिम्मेदारियों को बोर्ड की एक समिति को सौंप दिया है जिसे "बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति" कहा जाता है। समिति विभिन्न प्रकार के जोखिमों और तरलता पर इसके प्रभाव के बीच अंतर संबंधों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

बैंक की एक एएलएम नीति है जो व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है जिसके तहत सभी बैंक तरलता और ब्याज दर जोखिम के संदर्भ में काम करते हैं। बैंक के संचालन की तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की निगरानी बैंक की ALCO समिति द्वारा की जा रही है जिसकी अध्यक्षता MD – CEO करते हैं। जोखिम प्रबंधन विभाग का एएलएम प्रकोष्ठ बैंक की चलनिधि का दैनिक आधार पर प्रबंधन करता है ।

एलसीआर गणना में अन्य प्रवाह और बहिर्वाहः

बैंक के नकद बहिर्वाह में मुख्य रूप से खुदरा जमा, असुरक्षित थोक निधिकरण, और अन्य कानूनी इकाई ग्राहकों से धन, आहरित कमिटेड क्रेडिट शामिल हैं।

Intra-period changes as well as changes over time

LCR on consolidated basis were 170.86%, 171.02% and 154.49% as at the months ended January 2024, February 2024 and March 2024 respectively as against the regulatory requirement of 100%.

Concentration of Funding Sources:

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities. The significant counterparty Deposit as of 31st March 2024 was from "Baroda UP Gramin Bank" and Baroda Rajasthan Khetriya Gramin Bank" and "USDMA state disaster response fund"i.e 2.34%, 1.09% and 1.07% of our Total Liabilities.

Top 20 depositors of the Bank constitute 8.59% of our total deposit.

Derivative Exposures and potential collateral calls:

As on 31 March 2024, Bank's exposure to Derivative is NIL.

Currency Mismatch in the LCR:

As per the RBI guidelines, the LCR standard is required to be met on one single currency, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR. As on 31st March 2024, Bank deals only in INR, hence no currency mismatch.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:

The liquidity management for the Bank is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The Committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has a ALM Policy which provides the broad guidelines under which all the bank operates in terms of liquidity and interest rate risk. The monitoring of liquidity and interest rate risk management of the Bank's operations of the bank is being done by the Bank's ALCO committee which is headed by MD & CEO. ALM Cell of Risk Management Department manages bank's liquidity on day to day basis.

Other inflows and outflows in the LCR calculation:

Bank's Cash Outflow mainly consists of Retail Deposit, Unsecured Wholesale Funding, and Funding from other legal entity customers, Undrawn Committed Credit & Liquidity Facilities, Guarantees Letter Of Credit & Trade Finance, and Other Contractual Outflows.

कैश इनफ्लो में मुख्य रूप से रिटेल और लघु व्यवसाय प्रतिपक्ष से, गैर–वित्तीय थोक प्रतिपक्षों, वित्तीय संस्थाओं से और आर बी आई और अन्य संविदात्मक से प्राप्त होने वाली राशि शामिल है।

The cash Inflow mainly consists of amount received from Retail & Small Business Counterparties, amount to be received from Non-Financial Wholesale Counterparties, amount to be received from Financial Institutions & RBI, and from Other Contractual Cash Inflows.

शुद्ध नकदी बहिर्वाह की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित बहिर्वाह कारकों को देनदारियों की विभिन्न श्रेणियों के साथ–साथ गैर–आहरण प्रतिबद्धताओं को, आंशिक रूप से 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली परिसंपत्तियों से अंतर्वाह द्वारा ऑफसेट लागू करके की जाती है।

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities as well as to undrawn commitments, partially offset by inflows from assets maturing within 30 days.

मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता अर्थात 100% से अधिक, आसानी से 163.37% था। औसत नकद बहिर्वाह ₹ 1461.81 करोड़ था, औसत नकदी अंतर्वाह ₹ 291.66 करोड़ था। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में औसत उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति ₹ 1911.65 करोड़ थी।

The average LCR for the quarter ended March 2024 was 163.37% comfortably above RBI prescribed minimum requirement i.e.100%. Average cash outflows were ₹ 1461.81 Crore, Average cash inflows were ₹ 291.66 Crores. Average High Quality Liquid Assets were ₹ 1911.65 Crores of the quarter ended March 2024.

ग) एनएसएफआर प्रकटीकरण मानक

एनएसएफआर गुणात्मक प्रकटीकरण

आरबीआई के दिशानिर्देशों ने दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही से प्रकटीकरण के साथ समेकित स्तर पर 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया। तदनुसार, बैंक समेकित एनएसएफआर की गणना कर रहा है। NSFR को आवश्यक स्थिर फंडिंग की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर फंडिंग की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है;

NSFR= (उपलब्ध स्थिर फंडिंग (ASF)) / (आवश्यक स्थिर फंडिंग (RSF))

उपलब्ध स्थिर फंडिंग (एएसएफ) को फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है। आवश्यक स्थिर निधिकरण (आरएसएफ) तुलन–पत्र से बाहर एक्सपोजर सहित बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की तरलता विशेषताओं और अवशिष्ट परिपक्वताओं का एक कार्य है।

इसके साथ संलग्न तालिका में लेखापरीक्षित वित्तीय के आधार पर 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार एनएसएफआर घटकों का भारित और भारित मूल्य निर्धारित किया गया है।

समेकित स्तर पर, बैंक का एनएसएफआर 31 मार्च 2024 को 188.66% था, जबकि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 100% की आवश्यकता थी।

एनएसएफआर से संबंधित प्रकटीकरण की निरंतरता और उपयोगिता को बढ़ावा देने और बाजार अनुशासन को बढ़ाने के लिए, बैंक को आरबीआई द्वारा दिए गए एक सामान्य टेम्पलेट के अनुसार अपना एनएसएफआर प्रकाशित करना आवश्यक है। इसलिए बैंक को वित्तीय विवरणों के प्रकाशन के साथ

c) NSFR Disclosure Standards

NSFR Qualitative Disclosure

The RBI guidelines stipulated the implementation of NSFR effective from 1st October 2021 at a consolidated level with disclosure from quarter ended December 2021. Accordingly, the bank is computing the Consolidated NSFR. The NSFR is defined as the amount of Available Stable Funding relative to the amount of Required Stable Funding;

NSFR= (Available Stable Funding (ASF)) / (Required Stable Funding (RSF))

Available stable funding (ASF) is measured based on the broad characteristics of relative stability of funding sources, including contractual maturity of its liabilities and the differences in the tendency of different types of funding providers to withdraw their funding. Required Stable Funding (RSF) is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by the bank including Off-Balance Sheet (OBS) exposures.

The table attached herewith sets out the un-weighted and weighted value of the NSFR components as on 31st March 2024 based on audited financials.

At a consolidated level, the NSFR of the bank comes out to 188.66% as on 31st March 2024 against the requirement of 100% as per RBI guidelines.

To promote the consistency and usability of disclosures related to the NSFR and to enhance market discipline, bank is required to publish its NSFR according to a common template given by RBI. Bank is therefore required to publish this disclosure

इस प्रकटीकरण को प्रकाशित करना आवश्यक है (अर्थात आमतौर पर त्रैमासिक या अर्ध–वार्षिक), बिना आक्षेप के ही वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की गई हो। NSFR जानकारी की गणना समेकित आधार पर की जाती है और भारतीय रुपये में प्रस्तुत की जाती है।

आंकड़ो को तिमाही–अंत टिप्पणियों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एनएसएफआर घटकों के भारित और भारित दोनों मूल्यों का घोषित तब तक किया जाना चाहिए जब तक कि अन्यथा संकेत न दिया गया हो। भारित मूल्यों की गणना एएसएफ (उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण) या आरएसएफ (आवश्यक स्थिर वित्त पोषण) कारकों को लागू करने के बाद मूल्यों के रूप में की जाती है।

आरबीआई ने अपने परिपत्र दिनांक 05.02.2021 में निर्णय लिया कि एनएसएफआर दिशानिर्देश 1, 2021 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।

along with the publication of financial statements (i.e. typically quarterly or semi-annually), irrespective of whether the financial statements are audited. The NSFR information is calculated on a consolidated basis and presented in Indian Rupee.

Data must be presented as quarter-end observations. Both un-weighted and weighted values of the NSFR components are to be disclosed unless otherwise indicated. Weighted values are calculated as the values after applying ASF (Available stable funding) or RSF (Required stable funding) factors.

RBI in its circular dated 05.02.2021 decided that NSFR guidelines will come into effect from October 1, 2021.

						रुपये करोड़ में /(₹ in Crore)
	परिशिष्ट II/Appendix II					
	एनएसएफआर प्रकटीकरण टेम्पलेट–31.03.2024/ NSFR Disclosure Template-31.03.2024					
		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				**भारित मूल्य / Weighted value**
		परिपक्वता नहीं/ No maturity	**<6 महीने से/ < 6 months**	**6 महीने से <1 साल/ 6 months to < 1 year**	**≥एक साल/ ≥ 1 year**	
एएसएफ आइटम/ASF Item						
1	पूंजी/Capital: (2+3)	0.00	0.00	0.00	759.13	759.13
2	विनियामक पूंजी/Regulatory capital	0.00	0.00	0.00	759.13	759.13
3	अन्य पूंजीगत साधन/Other capital instruments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	खुदरा जमा और छोटे व्यापार ग्राहक से जमा/ Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	2,814.11	1,812.26	1,752.79	0.00	5,954.51
5	स्थिर जमा/Stable deposits	1,717.32	724.11	683.74	0.00	3,025.92
6	कम स्थिर जमा/Less stable deposits	1,096.79	1,088.15	1,069.05	0.00	2,928.59
7	थोक निधि /Wholesale funding: (8+9)	108.51	75.50	340.95	0.00	262.48
8	परिचालन जमा/Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक वित्त पोषण/ Other wholesale funding	108.51	75.50	340.95	0.00	262.48
10	अन्य देयता / Other liabilities: (11+12)	0.00	1,146.97	0.00	380.14	380.14
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयता / NSFR derivative liabilities		0.00	0.00	0.00	
12	अन्य सभी देयता और इक्विटी उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं/ All other liabilities and equity not included in the above categories	0.00	1,146.97	0.00	380.14	380.14
13	**कुल एएसएफ/Total ASF (1+4+7+10)**					**7,356.25**

		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य / Weighted value
		परिपक्वता नहीं / No maturity	<6 महीने से / < 6 months	6 महीने से <1 साल / 6 months to < 1 year	≥एक साल / ≥ 1 year	
आरएसएफ आइटम / **RSF Item**						
14	कुल NSFR उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (HQLA) / Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					0.00
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में जमाराशियां / Deposits held at other financial institutions for operational purposes	17.22	0.00	0.00	0.00	8.61
16	ऋण और प्रतिभूतियों का निष्पादनः / Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0.00	5,843.33	860.10	884.75	3,019.73
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा सुरक्षित वित्तीय संस्थानों को ऋण देना / Performing loans to Financial institutions secured by Level 1 HQLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	वित्तीय संस्थानों को गैर–स्तर 1 एचक्यूएलए सुरक्षित ऋण देना और असुरक्षित प्रदर्शन द्वारा वित्तीय संस्थानों को ऋण / Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को ऋण देना ग्राहकों, खुदरा छोटे व्यवसाय ग्राहकों को ऋण और संप्रभुओं को ऋण, केंद्रीय बैंक और सार्वजनिक उपक्रम, जिनमें सेः / Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0.00	2,740.51	86.88	436.22	1,614.36
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	परफार्मिंग आवासीय मॉर्टगेज Performing residential mortgages, of which:	0.00	471.96	8.21	348.71	469.85

		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य / Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य / Weighted value
		परिपक्वता नहीं / No maturity	<6 महीने से / < 6 months	6 महीने से <1 साल / 6 months to < 1 year	≥एक साल / ≥ 1 year	
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ / With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0.00	471.96	8.21	348.71	469.85
23	प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटीज सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हता प्राप्त है / Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0.00	2,630.86	765.01	99.82	935.52
24	अन्य संपत्तियां: (25 से 29 पंक्तियों का योग) / Other assets: (sum of rows 25 to 29)	0.00	1398.19	0.00	0.00	868.21
25	सोने सहित भौतिक व्यापार वाली वस्तुएं / Physical traded commodities, including gold		0.00	0.00	0.00	0.00
26	डेरिवेटिव के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई संपत्तियां डिफ़ॉल्ट निधियों में अनुबंध और योगदान / CCPs /Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs		0.00	0.00	0.00	0.00
27	एनएसएफआर डेरिवेटिव सम्पत्तियाँ / NSFR derivative assets		0.00	0.00	0.00	0.00
28	कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देनदारियां भिन्नता मार्जिन पोस्ट किया गया / NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted		0.00	0.00	0.00	0.00
29	अन्य सभी संपत्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं / All other assets not included in the above categories	0.00	1,398.19	0.00	0.00	868.21
30	ऑफ–बैलेंस शीट आइटम / Off-balance sheet items		85.44	0.00	0.00	2.56
31	**कुल आरएसएफ / Total RSF (14+15+16+24+30)**					**3,899.11**
32	**शुद्ध स्थिर निधि अनुपात / Net Stable Funding Ratio (%)**					**188.66%**

एनएसएफआर डेटा–31.03.2024 तक / NSFR DATA AS OF 31.03.2024 31.03.2024				
एनएसएफआर का विवरण / Statement of NSFR				
क्र. सं. Sl No	आइटम Items	बीएलआर 7 BLR 7		
तालिका 1 Table 1	एएसएफ श्रेणी के घटक (देयता श्रेणियां) Components of ASF category (liability categories)	संबद्ध एएसएफ कारक Associated ASF factors	अभारित राशि (करोड़ रु में) Unweighted Amount (₹ Crore)	भारित राशि (करोड़ रु में) Weighted Amount (₹ Crore)
1	कुल नियामक पूंजी (एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले टियर 2 उपकरणों को छोड़कर) Total regulatory capital (excluding Tier 2 instruments with residual maturity of less than one year)	100%	759.13	759.13
2	एक वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य पूंजीगत लिखत और दायित्व Other capital instruments and liabilities with effective residual maturity of one year or more	100%	0.00	0.00
3	1 वर्ष या उससे अधिक की प्रभावी अवशिष्ट परिपक्वता के साथ अन्य दायित्व Other liabilities with effective residual maturity of 1 year or more	100%	380.14	380.14
4	स्थिर गैर–परिपक्वता (मांग) जमाराशियां और सावधि जमाएं जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम है जो खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की जाती है Stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers	95%	3185.17	3025.91
5	कम स्थिर गैर–परिपक्वता जमा और खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ सावधि जमा Less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers	90%	3253.99	2928.59
6	गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्त पोषण Funding with residual maturity of less than one year provided by non-financial corporate customers	50%	83.51	41.76
7	परिचालन जमा Operational deposits	50%	0.00	0.00
8	सावरेन, PSE, बहुपक्षीय और राष्ट्रीय विकास बैंकों से एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्त पोषण Funding with residual maturity of less than one year from sovereigns, PSEs, and multilateral and national development banks	50%	236.05	118.03

9	छह महीने और एक वर्ष से कम के बीच अवशिष्ट परिपक्वता वाले अन्य फंडिंग उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें केंद्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया गया धन शामिल है Other funding with residual maturity between six months and less than one year not included in the above categories, including funding provided by central banks and financial institutions	50%	205.40	102.70
10	अन्य सभी दायित्व और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिसमें परिपक्वता के बिना देनदारियां शामिल हैं (आस्थगित कर देनदारियों और अल्पसंख्यक हितों के लिए एक विशिष्ट उपचार के साथ) All other liabilities and equity not included in the above categories, including liabilities without a stated maturity (with a specific treatment for deferred tax liabilities and minority interests)	0%	1037.99	0.00
11	व्युत्पन्न देनदारियां NSFR व्युत्पन्न परिसंपत्तियों का शुद्ध यदि NSFR व्युत्पन्न देनदारियां NSFR व्युत्पन्न परिसंपत्तियों से अधिक हैं NSFR derivative liabilities net of NSFR derivative assets if NSFR derivative liabilities are greater than NSFR derivative assets NSFR	0%	0.00	0.00
12	"व्यापार तिथि" वित्तीय साधनों, विदेशी मुद्राओं की खरीद से उत्पन्न होने वाले देय "Trade date" payables arising from purchases of financial instruments, foreign currencies	0%	0.00	0.00
	कुल एएसएफ / Total Available Stable Funding		**9141.38**	**7356.25**
तालिका 2 Table 2	**आरएसएफ श्रेणी के घटक Components of RSF category**	**एसोसिएटेड आरएसएफ फैक्टर Associated RSF Factor**	**अभारित राशि (करोड़ रु में) Unweighted Amount (₹ Crore)**	**भारित राशि (करोड़ रु में) Weighted Amount (₹ Crore)**
A	बैलेंस शीट आइटम पर On Balance Sheet Items			
1	सिक्के और बैंकनोट Coins and banknotes	0%	18.26	0.00
2	अतिरिक्त सीआरआर सहित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) Cash Reserve Ratio (CRR) including excess CRR	0%	511.71	0.00
3	छह महीने से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले केंद्रीय बैंकों पर सभी दावे All claims on central banks with residual maturities of less than six months	0%	0	0.00
4	"व्यापार तिथि" वित्तीय साधनों, विदेशी मुद्राओं और वस्तुओं की बिक्री से उत्पन्न होने वाली प्राप्तियां। "Trade date" receivables arising from sales of financial instruments, foreign currencies and commodities.	0%	0.00	0.00
5	अभारित स्तर 1 सम्पत्तियाँ, सिक्कों, बैंक नोटों, सीआरआर और एसएलआर प्रतिभूतियों को छोड़कर Unencumbered Level 1 assets, excluding coins, banknotes, CRR and SLR Securities	5%	0.00	0.00

6	अभारित एसएलआर प्रतिभूतियां Unencumbered SLR Securities	5%	1882.83	94.14
7	छह महीने से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाले वित्तीय संस्थानों को भारमुक्त ऋण, जहां ऋण 9 जून 2014 के एलसीआर परिपत्र में परिभाषित स्तर 1 परिसंपत्तियों के खिलाफ सुरक्षित है, और जहां बैंक के पास ऋण के जीवन के लिए प्राप्त संपार्श्विक को स्वतंत्र रूप से पुनर्निर्मित करने की क्षमता है Unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months, where the loan is secured against Level 1 assets as defined in LCR circular dated June 9, 2014, and where the bank has the ability to freely rehypothecate the received collateral for the life of the loan	10%	0.00	0.00
8	छह माह से कम की अवशिष्ट परिपक्वताओं वाले वित्तीय संस्थाओं को दिए गए अन्य सभी अभारित ऋण उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए हैं All other 'standard' unencumbered loans to financial institutions with residual maturities of less than six months not included in the above categories	15%	504.78	75.72
9	अभारित स्तर 2क सम्पत्तियाँ Unencumbered Level 2A assets	15%	0	0.00
10	अभारित स्तर 2ख सम्पत्तियाँ Unencumbered Level 2B assets	50%	0.00	0.00
11	छह महीने या उससे अधिक और एक वर्ष से कम की अवधि के लिए अभारित है HQLA encumbered for a period of six months or more and less than one year HQLA	50%	0.00	0.00
12	वित्तीय संस्थानों और केंद्रीय बैंकों को छह महीने और एक वर्ष से कम अवधि के बीच अवशिष्ट परिपक्वता वाले 'मानक' ऋण 'Standard' Loans to financial institutions and central banks with residual maturities between six months and less than one year	50%	3.37	1.69
13	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes	50%	17.22	8.61
14	अन्य सभी परिसंपत्तियां जो एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, जिनमें गैर–वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को 'मानक' ऋण, खुदरा और छोटे व्यवसाय ग्राहकों के लिए, और संप्रभु और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 'मानक' ऋण शामिल हैं All other assets not included in the above categories with residual maturity of less than one year, including 'standard' loans to non-financial corporate clients, to retail and small business customers, and 'standard' loans to sovereigns and PSEs	50%	4293.12	2146.56

15	भारमुक्त 'मानक' आवासीय बंधक एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ और मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत न्यूनतम जोखिम भार सौंपा गया है Unencumbered 'standard' residential mortgages with a residual maturity of one year or more and assigned the minimum risk weight under the Standardised Approach	65%	348.71	226.66
16	अन्य भारमुक्त 'मानक' ऋण जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, वित्तीय संस्थानों को दिए गए ऋणों को छोड़कर, जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि एक वर्ष या उससे अधिक है और जिनका जोखिम भार मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर है Other unencumbered 'standard' loans not included in the above categories, excluding loans to financial institutions, with a residual maturity of one year or more and with a risk weight of less than or equal to 35% under the Standardised Approach	65%	0.00	0.00
17	डेरीवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई नकद, प्रतिभूतियां या अन्य संपत्ति और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट फंड में योगदान करने के लिए प्रदान की गई नकद या अन्य संपत्ति Cash, securities or other assets posted as initial margin for derivative contracts and cash or other assets provided to contribute to the default fund of a CCP	85%	0.00	0.00
18	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से अधिक जोखिम भार वाले अन्य भारमुक्त निष्पादनकारी ऋण और वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋणों को छोड़कर एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले ऋण Other unencumbered performing loans with risk weights greater than 35% under the Standardised Approach and residual maturities of one year or more, excluding loans to financial institutions	85%	436.22	370.79
19	भारमुक्त प्रतिभूतियां जो डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं हैं और एक वर्ष या उससे अधिक की शेष परिपक्वता के साथ मुख्यालय के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती हैं और एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटी Unencumbered securities that are not in default and do not qualify as HQLA with a remaining maturity of one year or more and exchange-traded equities	85%	99.82	84.85
20	सोने सहित भौतिक व्यापारिक वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	85%	0.00	0.00
21	सभी संपत्तियां जो एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए अभारित हैं All assets that are encumbered for a period of one year or more	100%	0	0.00

22	डेरीवेटिव परिसंपत्तियाँ NSFR डेरीवेटिव देनदारियों का शुद्ध यदि NSFR डेरीवेटिव परिसंपत्तियाँ NSFR डेरीवेटिव दायित्वों से अधिक हैं NSFR derivative assets net of NSFR derivative liabilities if NSFR derivative assets are greater than NSFR derivative liabilities NSFR	100%	0.00	0.00
23	डेरिवेटिव देनदारियों का 20% 20% of derivative liabilities	100%	0.00	0.00
24	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी संपत्तियां, जिनमें गैर–निष्पादित ऋण, एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ वित्तीय संस्थानों को ऋण, गैर–एक्सचेंज–ट्रेडेड इक्विटी, अचल संपत्तियां, नियामक पूंजी से काटी गई वस्तुएं, प्रतिधारित ब्याज, बीमा संपत्तियां, सहायक ब्याज और डिफ़ॉल्ट प्रतिभूतियां शामिल हैं All other assets not included in the above categories, including non-performing loans, loans to financial institutions with a residual maturity of one year or more, non-exchange-traded equities, fixed assets, items deducted from regulatory capital, retained interest, insurance assets, subsidiary interests and defaulted securities	100%	868.21	868.21
25	सभी पुनर्गठित 'मानक' ऋण जो उच्च जोखिम भार और अतिरिक्त प्रावधान को आकर्षित करते हैं All restructured 'standard' loans which attract higher risk weight and additional provision	100%	19.33	19.33
क **A**	**आवश्यक स्टेबल फण्ड – बैलेंस शीट परिसंपत्तियों पर [1 से 25 का योग]** **Required Stable Funding – On Balance Sheet Assets [Sum of 1 to 25]**		**9003.58**	**3896.55**
ख **B**	**ऑफ–बैलेंस शीट एसेट्स** **Off-Balance Sheet Assets**	**एसोसिएटेड आरएसएफ फैक्टर** **Associated RSF Factor**		
26	वर्तमान में किसी भी ग्राहक को अपरिवर्तनीय और सशर्त रूप से प्रतिसंहरणीय क्रेडिट और तरलता सुविधाओं की अनाहरित स्थिति Currently Undrawn Position of Irrevocable and conditionally revocable credit and liquidity facilities to any client	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5% 5% of the currently undrawn portion	0.00	0.00
27	वर्तमान में उत्पादों और उपकरणों सहित अन्य आकस्मिक वित्त पोषण दायित्वों की अनाहरित स्थिति (ए) + (बी) + (सी) Currently Undrawn Position of Other contingent funding obligations, including products and instruments (a) + (b) + (c)	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5% 5% of the currently undrawn portion	85.44	2.56

27 (a)	वर्तमान में बिना शर्त प्रतिसंहरणीय ऋण और चलनिधि सुविधाओं की अनाहरित स्थिति Currently Undrawn Position of Unconditionally revocable credit and liquidity facilities	वर्तमान में अनाहरित भाग का 5% 5% of the currently undrawn portion	0.00	0.00
27 (b)	व्यापार वित्त से संबंधित दायित्व (गांरटी और क्रेडिट के पत्र सहित) Trade finance-related obligations (including guarantees and letters of credit)	वर्तमान में अनाहरित भाग का 3% 3% of the currently undrawn portion	0.00	0.00
27 (c)	गारंटी और साखपत्र जो व्यापार वित्त दायित्वों से असंबंधित हैं Guarantees and letters of credit unrelated to trade finance obligations	वर्तमान में अनाहरित भाग का 3% 3% of the currently undrawn portion	85.44	2.56
28	गैर–संविदात्मक दायित्व 28 (ए) + 28 (बी) + 28 (सी) Non-contractual obligations 28(a) + 28(b) + 28(c)		0.00	0.00
28 (a)	बैंक के स्वयं के ऋण या संबंधित नली, प्रतिभूति निवेश वाहनों और ऐसी अन्य वित्तपोषण सुविधाओं के ऋण पुनर्खरीद के लिए संभावित अनुरोध potential requests for debt repurchases of the bank's own debt or that of related conduits, securities investment vehicles and other such financing facilities	5%	0.00	0.00
28 (b)	संरचित उत्पाद जहां ग्राहक तैयार विपणन क्षमता की आशा करते हैं, जैसे समायोजन दर नोट और परिवर्तनीय दर मांग नोट (वीआरडीएन) structured products where customers anticipate ready marketability, such as adjustable rate notes and variable rate demand notes (VRDNs)	5%	0.00	0.00
28 (c)	प्रबंधित फंड जो एक स्थिर मूल्य बनाए रखने के उद्देश्य से विपणन किए जाते हैं managed funds that are marketed with the objective of maintaining a stable value	5%	0.00	0.00
ख **B**	**आवश्यक स्थिर वित्त पोषण – बैलेंस शीट आइटम (26 से 28 का योग)** **Required Stable Funding – Off Balance Sheet Items (Sum of 26 to 28)**		**85.44**	**2.56**
	कुल आवश्यक स्थिर फंडिंग (ए+बी) Total Required Stable Funding (A+B)		**9089.02**	**3899.11**
	कुल उपलब्ध स्थिर फंडिंग *100 कुल आवश्यक स्थिर फंडिंग (एनएसएफआर) (Total Available Stable Funding)*100 Total Required Stable Funding (NSFR)			**188.66**

3. निवेश / **Investment**

31 मार्च 2024 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचना:/ Composition of Investment Portfolio as on 31st March 2024

(राशि रु. करोड़ में) / **Amount in (crore)**

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ / Other approved Securities	शेयर / Shares	शेयर डिबेंचर बांड / Debentures/ Bonds	अन्य / Others	भारत में कुल निवेश / Total Investment in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य / Others	भारत के बाहर निवेश / Total Investments outside India	कुल निवेश / Total Investments
परिपक्वता के लिए आयोजित / Held to Maturity										
कुल / Gross	**951.87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**951.87**	**0**	**0**	**0**	**951.87**
घटाएं: गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) / Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
शुद्ध / Net	951.87	0	0	0	0	951.87	0	0	0	**951.87**
बिक्री के लिए उपलब्ध / Available for Sale										
कुल / Gross	**931.02**	**0**	**0**	**109.86**	**0**	**1040.88**	**0**	**0**	**0**	**1040.88**
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	3.68	0	3.68	0	0	0	**3.68**
शुद्ध / Net	931.02	0	0	106.18	0	1037.2	0	0	0	**1037.2**
ट्रेडिंग के लिए धारित / Held for Trading										
कुल / Gross	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
घटा: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान और एनपीआई / Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
शुद्ध / Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश / Total Investments	**1882.89**	0	0	**109.86**	**0**	**1992.75**	0	0	0	**1992.75**
घटाएं: गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान / Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	0	0	0	3.68	0	3.68	0	0	0	**3.68**
शुद्ध / Net	1882.89	0	0	106.18	0	1989.07	0	0	0	**1989.07**

31 मार्च 2023 तक निवेश पोर्टफोलियो की संरचना / Composition of Investment Portfolio as on 31st March 2023

(राशि रु. करोड़ में) / Amount in (crore)

	भारत में निवेश / Investments in India						भारत के बाहर निवेश / Investments outside India			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य स्वीकृत प्रतिभूति / Other approved Securities	शेयर / Shares	शेयर डिबेंचर बांड / Debentures/ Bonds	अन्य / Others	भारत में कुल निवेश / Total Investment in India	सरकारी प्रतिभूतियाँ / Govt. Securities	अन्य / Others	भारत के बाहर निवेश / Total Investments outside India	कुल निवेश / Total Investments
परिपक्वता के लिए आयोजित / Held to Maturity										
कुल / Gross	**1218.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1218.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1218.37**
घटाएं: गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई) / Less: Provision for non-performing investments (NPI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
शुद्ध / Net	1218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1218.37	0.00	0.00	0.00	**1218.37**
बिक्री के लिए उपलब्ध / Available for Sale										
कुल / Gross	**806.37**	**0.00**	**0.00**	**135.39**	**4.46**	**946.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**946.22**
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	23.47	0.00	0.00	6.42	4.46	34.35	0.00	0.00	0.00	**34.35**
शुद्ध / Net	782.90	0.00	0.00	128.97	0.00	911.87	0.00	0.00	0.00	**911.87**
ट्रेडिंग के लिए धारित / Held for Trading										
कुल / Gross	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
घटा: मूल्यह्रास के लिए प्रावधान और एनपीआई / Less: Provision for depreciation and NPI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
शुद्ध / Net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निवेश / Total Investments	**2024.74**	0.00	0.00	**135.39**	**4.46**	**2164.59**	0.00	0.00	0.00	**2164.59**
घटाएं: गैर–निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान / Less: Provision for non-performing investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
घटा: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान / Less: Provision for depreciation and NPI	23.47	0.00	0.00	6.42	4.46	34.35	0.00	0.00	0.00	**34.35**
शुद्ध / Net	2001.27	0.00	0.00	128.97	0.00	2130.24	0.00	0.00	0.00	**2130.24**

बी) मूल्यह्रास और निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व के प्रावधानों का संचलन

b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(राशि रू. करोड़) / (Amount in ₹ Cr)

	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	**निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments**		
(a)	प्रारंभिक जमा / Opening Balance	29.35	8.41
(b)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Add: Provisions made during the year	0.83	20.94
(c)	घटाः वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट–ऑफ़ खाते Less: Write off / write back of excess provisions during the year	26.50	0.00
(d)	अंतिम शेष / Closing Balance	**3.68**	**29.35**
(ii)	**सुरक्षा प्राप्तियों के प्रावधान / Provisions for Security Receipts**		
(a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	**4.46**	**5.72**
(b)	जोड़ें: तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the year	0.00	0.00
(c)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट–ऑफ़ खाते में डालना Less: Write back of excess provisions during the year	4.46	1.26
(d)	अंतिम शेष / Closing Balance	**0.00**	**4.46**
(iii)	**एनपीआई के प्रावधानों का संचलन / Movement of provisions for NPI**		
(a)	प्रारंभिक जमा / Opening Balance	**0.54**	**0.54**
(b)	जोड़ें: तिमाही के दौरान किए गए प्रावधान / Add: Provisions made during the quarter	0.00	0.00
(c)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को राइट–ऑफ़ खाते में डालना / वापसी Less: Write off/Write back of excess provisions during the year	0.54	0.00
(d)	अंतिम शेष / Closing Balance	**0.00**	**0.54**
	निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व में संचलन Movement in Investment Fluctuation Reserve		
(1)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	**21.25**	**21.25**
(2)	वर्ष के दौरान हस्तांतरित राशि / Amount transferred during the year	3.46	0.00
(3)	कमः ड्राडाउन / Less: Drawdown	3.46	0.00
(4)	31.03.2024 तक अंतिम शेष / Closing balance as on 31.03.2024	21.25	21.25

	निवेश पर मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(5)	AFS' और HFT/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में IFR में अंतिम शेष राशि /Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS* and HFT@Current category	2.04%	2.25%
(6)	ट्रेडिंग पोर्टफोलियों /Trading Portfolio	1040.88	946.22

सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री और स्थानान्तरण

मार्च 2023 तक, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का MTM नुकसान ₹ 29.35 करोड़ था. एमटीएम की संभावित हानियों को और कम करने की दृष्टि से, विभाग ने एएफएस से एचटीएम और इसके विपरीत प्रतिभूतियों को पुनः आवंटित करके पोर्टफोलियो को अनुकूलित किया। इस बदलाव के बाद, बैंक को एएफएस से एचटीएम में प्रतिभूतियों को स्थानांतरित करते समय पी एंड एल खाते में ₹ 24.73 करोड़ के मूल्यह्रास को वापिस करने के बाद ₹ 10.74 करोड़ की हानि हुई। इसके अलावा, बैंक ने प्रतिभूतियों को एचटीएम से एएफएस में स्थानांतरित करते समय ₹ 95.00 करोड़ के अंकित मूल्य के साथ प्रतिभूतियों की बिक्री की, जिससे बिक्री से ₹ 4.60 करोड़ का लाभ हुआ।

c) Sale and transfers to/from HTM category

As on March 2023, the MTM loss of the trading portfolio was ₹29.35 Crores. With a view to mitigate the potential MTM losses further, the department optimized the portfolio by reallocating securities from AFS to HTM and vice versa. Post this shift, the bank incurred a loss of ₹10.74 Crores with a write back of depreciation of ₹24.73 Crores to P&L account while shifting securities from AFS to HTM. Further, bank sold the securities with face value of ₹95.00Crores while shifting securities from HTM to AFS thereby booking a profit of ₹4.60 Crores from the sale.

लेन–देन की प्रकृति Nature of transaction	फेस वेल्यू Face Value	बुक वेल्यू Book Value	बाजार भाव Market Value	एमटीएम लाभ/(हानि) MTM Gain/(Loss)
1. एएफएस से एचटीएम तक 1. From AFS to HTM	241.06	240.58	229.84	(10.74)
2. एचटीएम से एएफएस तक 2. From HTM to AFS	501.99	501.65	516.88	15.23

डी) गैर–एसएलआर निवेश पोर्टफोलियों / d) Non-SLR investment portfolio

i) गैर–निष्पादित गैर–एसएलआर निवेश i) Non-performing non-SLR investments

(राशि रू. करोड़ में) /(₹ in crores)

क्रमांक संख्या Sr. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) (a)	प्रारंभिक जमा/Opening balance	0.54	0.54
(ख) (b)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	0.00	0.00
(ग) (c)	उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती Reductions during the above period	0.54	0.00
(घ) (d)	अंतिम शेष/Closing balance	0.00	0.54
(ङ) (e)	कुल प्रावधान/Total provisions held	0.00	0.54

NAINITAL BANK
THE NAINITAL BANK LTD.

ii) गैर–एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना / ii) Issuer composition of non-SLR investments

(राशि रू. करोड़ में) /(₹ in crores)

क्र. सं./ S. No.	जारीकर्ता / Issuer	राशि / Amount		निजी नियोजन की सीमा Extent of Private Placement		'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा / Extent of 'Below Investment Grade' Securities		सार्वजनिक निर्गम / Public Issue		'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा / Extent of 'Unrated' Securities		असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा / Extent of 'Unlisted' Securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)				(6)		(7)	
		चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous year
(i)	पीएसयू / PSU	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0.00
(ii)	एफआई / FIs	0	24.99	0	24.99	0	0	0	0	0	0	0	0.00
(iii)	बैंक / Banks	49.82	34.82	49.82	34.82	0	0	0	0	0	0	0	0
(iv)	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporate	0	0.54	0	0.54	0	0.54	0	0	0	0.54	0	0.54
(v)	सहायक / संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/Joint Ventures	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
(vi)	अन्य / Others	20.04	39.49	20.04	39.49	0	0	0	0	0	0	0	4.46
(vii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान / Provisions held for depreciation	3.68	-10.88	3.68	-10.88	0	-0.54	0	0	0	-0.54	0	-5
	कुल / Total	**106.18**	**128.96**	**106.18**	**128.96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ई) रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में) – बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान कोई रेपो या रिवर्स रेपो लेनदेन नहीं किया था।

e) Repo transactions (in face value terms) - The Bank had not entered into any Repo or reverse repo transactions during the current year and last year.

एफ) निवेश आरक्षित खाते का संचलन / f) Movement of Investment Reserve Account

विवरण Particulars	31 मार्च, 2024 31st March 2024	31 मार्च, 2023 31st March 2023
वित्त वर्ष के लिए ओपनिंग बैंलेंस Opening Balance for FY	4.43	1.05
कमः ड्राडाउन / Less: Drawdown	0.47	1.05
जोड़ेः हस्तांतरित राशि Add: Amount transferred	14.87	4.43
अंतिम शेष / Closing balance	**18.83**	**4.43**

4. संपत्ति की गुणवत्ता /4. Asset quality

ए) (i) 31 मार्च 2024 तक धारित अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरणः

a) (i) Classification of advances and provisions held as on March 31st 2024:

(राशि ₹ करोड़ में)/ **(Amount in ₹ crore)**

	मानक/ Standard	गैर–निष्पादित / Non-Performing				योग/Total
	कुल मानक अग्रिम/Total Standard Advances	अवमानक/ Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि/Loss	कुल गैर–परफार्मिंग अग्रिम/Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए/Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक शेष/Opening Balance	4175.86	59.21	361.46	22.59	443.26@	4619.12
जोड़ेंः वर्ष के दौरान परिवर्धन/ Add: Additions during the year					97.25	
कमः वर्ष के दौरान कटौती/ Less: Reductions during the year					141.84	
अंतिम शेष/Closing balance	4413.12	62.99	312.30	23.38	398.67**	4811.79
सकल एनपीए में कटौती के कारणः/ Reductions in Gross NPAs due to:						
i) अपग्रेडेशन / i) Upgradation					48.38	-
ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़कर)/ ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					44.46	-
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट–ऑफ़ खाते/ iii) Technical/ Prudential Write-offs					44.93	-
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य राइट–ऑफ़ खाते/ iv) Write-offs other than those under (iii) above					4.07	-
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर)/ Provisions (excluding Floating Provisions)					-	-
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक जमा/ Opening balance of provisions held	24.87	8.93	269.44	22.59	300.96	325.83
जोड़ेंः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान/ Add: Fresh provisions made during the year					64.74	-
घटाएंः अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड/ राइट–ऑफ़ खाते में डाले गए ऋण/ Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					72.84	-
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष/ Closing balance of provisions held	24.76	9.58	259.93	23.35	292.86	317.62
शुद्ध एनपीए/Net NPAs						
प्रारंभिक शेष/Opening Balance					78.33	
जोड़ेंः वर्ष के दौरान नए जोड़/Add: Fresh additions during the year						
कमः वर्ष के दौरान कटौती/ Less: Reductions during the year					36.45	
अंतिम शेष/Closing Balance					41.88	-

**Excluding interest suspense of ₹ 7.33 crore. ** रुपये 7.33 करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर

@Excluding interest suspense of ₹ 4.47 crore @रुपये 4.47 करोड़ के ब्याज सस्पेंस को छोड़कर

	मानक / Standard	गैर–निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर–परफार्मिंग अग्रिम / Total Non-Performing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधान / Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance						62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान / Add: Additional provisions made during the year						NIL
घटा: वर्ष के दौरान आहरित राशि / Less: Amount drawn down during the year						NIL
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of floating provisions						62.85
तकनीकी राइट–ऑफ़ खाते और उस पर की गई वसूली / Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी / प्रूडेंशियल राइट–ऑफ़ खातों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						140.55
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट–ऑफ़ खाते / Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						44.93
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट–ऑफ़ खाते में की गई वसूली / Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						3.99
अंतिम शेष Closing balance						**181.49**

ii) 31 मार्च 2023 तक अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण:

(ii) Classification of advances and provisions held as on March 31st 2023:

(राशि ₹ करोड़ में) / **(Amount in ₹crore)**

	मानक / Standard	गैर–निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर–परफार्मिंग अग्रिम / Total Non- Performing Advances	
सकल मानक अग्रिम और एनपीए / Gross Standard Advances and NPAs						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3690.37	126.62	356.99	24.34	507.95 @	4198.32
जोड़ें: वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the year					122.34	
कमः वर्ष के दौरान कटौती* / Less: Reductions during the year*					187.03	
अंतिम शेष / Closing balance	4175.86	59.21	361.45	22.59	443.26 #	4619.12
*सकल एनपीए में कटौती के कारण: / *Reductions in Gross NPAs due to:						

	मानक / Standard	गैर–निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub- standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर–परफार्मिंग अग्रिम / Total Non- Performing Advances	
i) अपग्रेडेशन / i) Upgradation					106.06	106.06
ii) वसूली (अपग्रेडेड खातों से वसूली को छोड़कर) / ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					72.87	72.87
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट–ऑफ़ खाते / iii) Technical/ Prudential Write-offs					3.2	3.2
iv) उपरोक्त (iii) के तहत अन्य के अलावा अन्य राइट–ऑफ़ खाते / iv) Write-offs other than those under (iii) above					4.9	4.9
प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों को छोड़कर) / Provisions (excluding Floating Provisions)						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of provisions held	25.94	20.72	236.10	24.34	281.16	307.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान / Add: Fresh provisions made during the year					80.85	80.85
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान रिवर्सड / राइट–ऑफ़ खाते में डाले गए ऋण / Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					61.05	61.05
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of provisions held	24.87	8.93	269.44	22.59	300.96	325.83
शुद्ध एनपीए / Net NPAs #						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance					163.61	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए जोड़ / Add: Fresh additions during the year					-	
कमः वर्ष के दौरान कटौती / Less: Reductions during the year					85.28	
अंतिम शेष / Closing Balance					78.33	78.33

Excluding Interest suspense of ₹ 4.47 Crore. # ब्याज सस्पेंस रुपये 4.47 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।

@ Excluding Interest suspense of ₹ 13.46 Crore @ब्याज सस्पेंस के रूपये 13.46 करोड़ छोड़कर।

	मानक / Standard	गैर–निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर–परफार्मिंग अग्रिम / Total Non-Performing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधान / Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance						62.85
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान / Add: Additional provisions made during the year						शून्य / NIL
घटा: वर्ष के दौरान आहरित राशि / Less: Amount drawn down during the year						शून्य / NIL

	मानक / Standard	गैर–निष्पादित / Non-Performing				योग / Total
	कुल मानक अग्रिम / Total Standard Advances	अवमानक / Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि / Loss	कुल गैर–परफार्मिंग अग्रिम / Total Non-Performing Advances	
फ्लोटिंग प्रावधानों का अंतिम शेष / Closing balance of floating provisions						62.85
तकनीकी राइट–ऑफ़ खाते और उस पर की गई वसूली / Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी / प्रूडेंशियल राइट–ऑफ़ खातों का प्रारंभिक शेष / Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						137.68
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट–ऑफ़ खाते / Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						3.20
घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में तकनीकी / विवेकपूर्ण राइट–ऑफ़ खाते में की गई वसूली / Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						0.33
अंतिम शेष **Closing balance**						**140.55**

अनुपात (प्रतिशत में)	Ratios (in per cent)	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
सकल एनपीए से सकल अग्रिम /	Gross NPA to Gross Advances	8.29%	9.60%
शुद्ध एनपीए से शुद्ध अग्रिम /	Net NPA to Net Advances	0.94%	1.84%
प्रावधान कवरेज अनुपात /	Provision coverage ratio	89.22%	82.08%

(ii) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(ii) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(राशि ₹ करोड़ में) / **(Amount in ₹crore)**

क्र. सं. Sr. No.	सेक्टर / Sector	चालू वर्ष / Current Year			पिछला वर्ष / Previous Year		
		बकाया कुल अग्रिम / Outstanding Total Advances#	सकल एनपीए / Gross NPAs#	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम / Outstanding Total Advances	सकल एनपीए## / Gross NPAs##	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
i)	**प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector**						
a)	**कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ /** Agriculture and allied activities	901.76	123.05	13.65	817.35	149.27	18.26
b)	**प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र में पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम /** Advances to industries sector eligible as priority sector lending	384.03	131.97	34.36	365.30	135.09	36.98
c)	(i) सेवाएं / Services	728.83	59.71	8.19	615.46	60.78	9.88
d)	व्यक्तिगत ऋण / Personal Loan	443.90	13.42	3.02	395.05	16.74	4.23
	उप–योग / Subtotal (i)	**2458.52**	**328.15**	**13.35**	**2193.16**	**361.88**	**16.50**

क्र. सं. Sr. No.	सेक्टर / Sector	चालू वर्ष / Current Year			पिछला वर्ष / Previous Year		
		बकाया कुल अग्रिम / Outstanding Total Advances#	सकल एनपीए / Gross NPAs#	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम / Outstanding Total Advances	सकल एनपीए## / Gross NPAs##	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत / Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
ii)	**गैर–प्राथमिकता वाला क्षेत्र / Non-priority Sector**						
a)	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities	3.46	1.18	34.10	2.55	1.19	46.67
b)	उद्योग / Industry	310.31	14.31	4.61	74.74	18.19	24.34
c)	सेवाएं / Services	209.43	17.59	8.40	406.00	19.37	4.77
d)	व्यक्तिगत ऋण / Personal Loan	1830.07	37.44	2.05	1942.67	42.63	2.19
	उप–कुल (ii) / Sub-total (ii)	**2353.27**	**70.52**	3.00	**2425.96**	**81.38**	**3.35**
	कुल (I + ii) Total (I + ii)	**4811.79**	**398.67**	**8.29**	**4619.12**	**443.26**	**9.60**

#ब्याज सस्पेंस ₹ 7.33 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। #Excludes Interest suspense of ₹ 7.33 Crore
₹4.47 करोड़ का ब्याज सस्पेंस शामिल नहीं है। ##Excludes Interest suspense of ₹ 4.47 Crore

ख) समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण
b) Particulars of resolution plan and restructuring

i) 7 जून 2019 के परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.45 / 21.04.048 / 2018–19 के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण – शून्य

i) Particulars of resolution plan implemented vide circular DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 7, 2019 - NIL

ii) पुनर्रचना के अधीन खातों का विवरण

ii) Details of accounts subjected to restructuring

		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities		कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर) / Corporates (excluding MSME)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) / Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर) / Retail (excluding agriculture and MSME)		कुल / Total	
		चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year
मानक Standard	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of borrowers	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	सकल राशि (₹ करोड़) / Gross Amount (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	प्रावधान (₹ करोड़) / Provision held (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
अवमानक / Sub-standard	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of borrowers	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	सकल राशि (₹ करोड़) / Gross Amount (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	प्रावधान (₹ करोड़) / Provision held (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
संदिग्ध Doubtful	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of borrowers	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	सकल राशि (₹ करोड़) / Gross Amount (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	प्रावधान (₹ करोड़) / Provision held (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

		कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ / Agriculture and allied activities		कॉर्पोरेट (एमएसएमई को छोड़कर) / Corporates (excluding MSME)		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) / Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)		खुदरा (कृषि और एमएसएमई को छोड़कर) / Retail (excluding agriculture and MSME)		कुल / Total	
		चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year	चालू वर्ष / Current Year	पिछला वर्ष / Previous Year
कुल / Total	उधारकर्ताओं की संख्या / Number of borrowers	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	सकल राशि (₹ करोड़) / Gross Amount (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
	प्रावधान (₹ करोड़) / Provision held (₹ crore)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

(iii) आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.18 / 21.04.048 / 2018–19 दिनांक **01.01.2019,** आरबी. आई परिपत्र संख्या डीओआर न. बीपी. बीसी. 34 / 21.04. 048 / 2019–20 दिनांक 11.02.2020 और आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर न. बीपी बीसी / 4 / 21.04.048 / 2020–21 **दिनांक 06.08.2020 के अनुसार 'अग्रिमों का पुनर्गठन – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र' (एकमुश्त पुनर्गठन)** पर, एमएसएमई पुनर्गठित उधारकर्ताओं का 31.03.2024 तक विवरण नीचे है :

खातों की संख्या	31.03.2024 को राशि
शून्य	

(iv) आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 12 / 21.04.048 / 2021–22 दिनांक **05.05.2021** और दिनांक **04.06.2021** के आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.21 / 21.04.048 / 2021–22 रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 पर – **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)** के कोविड –19 संबंधित स्ट्रेस का समाधान, पुनर्गठित खातों का विवरण निम्नानुसार है।

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	फंडेड आउट स्टैंडिंग 31.03.2024	प्रावधान धारित
72	7.80	0.77

(v) आरबीआई सर्कुलर के अनुसार सं. DOR.STR.REC.11 / 21.04. 048 / 2021–22 दिनांक **05.05.2021** पर "समाधान फ्रेम. वर्क – 2.0% COVID–19 का **समाधान व्यक्तियों 'और लघु व्यवसाय''**से संबंधित स्ट्रेस, उधारकर्ता खातों की संख्या जहां संशोधन स्वीकृत और कार्यान्वित किए गए थे और ऐसे उधारकर्ता. ओं के लिए कुल एक्सपोजर निम्नानुसार हैः –

(iii) In accordance with RBI Circular No. DBR.No.BP. BC.18/21.04.048/2018-19 dated **01.01.2019,** RBI circular No DOR. No. BP. BC. 34/21.04.048/2019-20 dated 11.02.2020 & RBI circular No DOR. No. BP. BC/4/21.04.048/2020-21 **dated 06.08.2020 on 'Restructuring of Advances - Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Sector' (One Time Restructuring),** the details of MSME restructured borrowers as on 31.03.2024 is as under:

No of Accounts	Amount as on 31.03.2024
Nil	

(iv) In accordance with RBI circular No DOR.STR. REC.12/21.04.048/2021-22 dated **05.05.2021** & RBI circular No DOR.STR.REC.21/21.04.048/2021-22 dated **04.06.2021** on Resolution Framework 2.0 – Resolution of Covid-19 related stress of **Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs),** the details of accounts restructured is as under.

(Amount in ₹crore)

No of Accounts	Funded O/s as on 31.03.2024	Provision Held
72	7.80	0.77

(v) In accordance with the RBI Cir. No. DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated **05.05.2021** on "Resolution Framework – 2.0: Resolution of COVID – 19 **related stress of Individuals* and Small Business**",** the number of borrower accounts where modification were sanctioned and implemented and the aggregate exposure to such borrowers are as under:-

(राशि ₹ करोड़ में)

खातों की संख्या	कुल एक्सपोजर 31.03.2024	प्रावधान धारित
93	15.17	1.76

*भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर के अनुसार व्यक्ति केवल व्यक्तिगत ऋण खंड को कवर करता है। सं. बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और अब आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021–22 दिनांकित 5 मई 2021पैरा 5(ए) में शामिल है।

**लघु व्यवसाय (खुदरा व्यापार और थोक व्यापार सहित) उन व्यक्तियों के लिए विस्तारित है जो भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर के अनुसार एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं। सं. बीपी.बीसी/4/21.04.048/2020–21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 और अब आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसटीआर. आरईसी.11/21.04.048/2021–22 दिनांकित 5 मई, 2021 पैरा 5(बी) में शामिल है।

(vi) 30 सितंबर, 2021 और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाहियों में किए जाने वाले प्रकटीकरण के लिए प्रारूप – X प्रारूप, आरबीआई/2021–22/31 DOR.STR.REC-**11/21.04.048/2021–22**

(Amount in ₹crore)

No of Accounts	Aggregate exposure as on 31.03.2024	Provision Held
93	15.17	1.76

* Individual covers only Personal Loan segment as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(a) of RBI circular No DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.

** Small Business (including retail trade and wholesale trade) extended to individual which were covered under MSME as per RBI circular No DOR. No. BP.BC/4/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 and now covered in to para 5(b) of RBI circular No DOR.STR.REC.11/21.04.048/2021-22 dated May 5, 2021.)

(vi) Format – X Format for disclosures to be made in the quarters ending September 30, 2021 and December 31, 2021, RBI/2021-22/31 DOR.STR. REC.11/21.04.048/2021-22

(स्थिति 31 मार्च 2024 तक)/ (Position as on 31st March 2024)

क्र. सं. S. No	विवरण/Description	व्यक्तिगत उधारकर्ता Individual Borrowers		छोटे व्यवसाय Small businesses	कुल Total
		व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	व्यवसायिक ऋण Business Loans		
(ए) (A)	भाग ए के तहत समाधान प्रक्रिया को लागू करने के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या Number of requests received for invoking resolution process under Part A	87	2	4	93
(बी) (B)	इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है Number of accounts where resolution plan has been mplemented under this window	87	2	4	93
(सी) (C)	योजना के कार्यान्वयन से पहले (बी) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर Exposure to accounts mentioned at (B) before implementation of the plan	11.26	0.37	3.54	15.17
(डी) (D)	(सी), ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था Of (C), aggregate amount of debt that was converted into other securities	--	--	--	
(ई) (E)	अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है Additional funding sanctioned, if any, including between invocation of the plan and implementation	--	--	--	
(एफ) (F)	समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि Increase in provisions on account of the implementation of the resolution plan	1.37	0.04	0.35	1.76

सी) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018–19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किये गये NPA के लिए अतिरिक्त प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ के 10% से अधिक है और/अथवा आरबीआई द्वारा पहचाने गए अतिरिक्त सकल एनपीए संदर्भ अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए के 15% से अधिक हैं तो बैंकों को आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों से विचलन का खुलासा करना आवश्यक है चूंकि पिछले ऑडिट के दौरान आरबीआई द्वारा अतिरिक्त एनपीए की पहचान, निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, इसलिए कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है.

डी) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण का प्रकटीकरण – बैंक ने चालू और पिछले वित्तीय वर्ष में किसी भी ऋण एक्सपोजर को स्थानांत. रित नहीं किया है।

ई) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन (बाजार मूल्य के संदर्भ में) – बैंक ने चालू और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया।

एफ) बैंकों द्वारा जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) का प्रकटीकरण–बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लेटर ऑफ कंफर्ट जारी नहीं किया है।

जी) ग्रीन डिपॉजिट से जुटाए गए फंड के उपयोग पर पोर्टफोलियो–स्तरीय जानकारी – शून्य

एच) फ्रॉड खाते

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	111	2
धोखाधड़ी में शामिल राशि (रु. करोड़ में)	3.24	0.19
ऐसी धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधानों की राशि (रु. करोड़ में)	1.89	0.15
वर्ष के अंत में धारित प्रावधान (रु. करोड़ में)	13.30	11.93
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधियों' से डेबिट किए गए बिना परिशोधित प्रावधान की राशि (रु. करोड़ में)	शून्य	शून्य

आई) COVID–19 से संबंधित स्ट्रेस के लिए समाधान ढांचे के तहत प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2020–21/16 डीओआर.सं.बीपी. बीसी/3/21.04.048/2020–21 दिनांक 06. अगस्त 2020 के अनुसार 31 मार्च 2024 तक COVID 19 संबंधित स्ट्रेस के लिए समाधान ढांचे के तहत कार्यान्वित समाधान योजना का विवरण।

C) Divergence in asset classification and provisioning

As per RBI circular No. DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019, in case the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10% of the reported profit before provisions and contingencies and/or additional Gross NPAs identified by RBI exceeds 15% of published incremental Gross NPAs for the reference period then banks are required to disclose divergences from prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning **Since the additional NPA identified by RBI during the last audit i.e. FY 2023, does not exceed the threshold limit hence nothing to be disclosed.**

D) Disclosure of transfer of loan exposures – The Bank have not transferred any loan exposure in current and previous financial year.

E) Government Security Lending (GSL) transactions (in market value terms) - The Bank did not undertake any such transactions during current and last financial year.

F) Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by banks – The Bank has not issued any letter of comfort during the current financial year or last financial year.

G) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits - NIL

h) Fraud accounts

Particulars	As on March 31, 2024	As on March 31, 2023
Number of frauds reported during the year	111	2
Amounts Involved in Fraud (in ₹ Cr)	3.24	0.19
Amount of Provisions made for such frauds (in ₹ Cr)	1.89	0.15
Provisions held at the end of the year (in ₹ Cr)	13.30	11.93
Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (in ₹ Cr)	NIL	NIL

i) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress

Details of Resolution plan implemented under Resolution Framework for COVID 19 related stress as per RBI circular RBI/2020-21/16 DOR.No.BP.BC/3/21.04.048/2020-21 dated 06.August 2020 as of March 31, 2024.

(राशि रु. करोड़ में)/(Amt in ₹Cr)

उधारकर्ता का प्रकार/ **Type of borrower**	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए एक्सपोजर – पिछले वर्ष के अंत में स्थिति यानि 31.03.2023 (ए)/ **Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of the Previous half-year i.e 31.03.2023 (A)**	(ए) का, कुल ऋण जो वर्ष के दौरान एनपीए में बदल गया/ **Of (A), Aggregate debt that slipped into NPA during the half-year**	(ए) वर्ष के दौरान राइट ऑफ खाते में डाली गई राशि/ **Of (A), amount written off during the half-year**	(ए) वर्ष के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि/ **Of (A), amount paid by the borrowers during the half-year**	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर – इस वर्ष के अंत में स्थिति (ए)/ **Exposure to accounts classified as standard consequent to implementation of Resolution Plan – Position as at the end of this half-year (A)**
व्यक्तिगत ऋण/ Personal Loans					
कॉर्पोरेट व्यक्ति*/ Corporate persons*					
जिनमें से, एमएसएमई/ Of which, MSMEs			शून्य/ NIL		
अन्य/Others					
कुल Total					

5. एक्सपोजर/ Exposures

क) अचल संपत्ति क्षेत्र के लिए एक्सपोजर/ a) Exposure to real estate sector

(राशि रु. करोड़ में)/(₹ In Crore)

श्रेणी/**Category**	**31.03.2024**	**31.03.2023**
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर /a) Direct exposure		
(i) आवासीय मोर्टगेज /(i) Residential Mortgages		
आवासीय संपत्ति पर मोर्टगेज द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है; ('आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत व्यक्तिगत आवास ऋण अलग से दिखाए जा सकते हैं)/ Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (*Individual housing loans classified as Priority Sector as per RBI guidelines may be shown separately)	1074.34 (379.76)	1003.93 (339.27)
(ii) वाणिज्यिक अचल संपत्ति – / (ii) Commercial Real Estate –		
** वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवार आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर मोर्टगेज द्वारा सुरक्षित ऋण।) एक्सपोजर में गैर–निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल होंगी)/ **Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	169.32	65.50

श्रेणी / Category	31.03.2024	31.03.2023
(iii) मोर्टगेज समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर में निवेश – / (iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
ए. आवासीय / a. Residential,		
बी. व्यावसायिक अचल संपत्ति / b. Commercial Real Estate. बी) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर b) Indirect Exposure	0.00	0.00
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित और गैर–निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector	**1243.66**	**1069.43**
****वाणिज्यिक रियल एस्टेट में एक्सपोजर जिसमें शामिल हैं / **Exposure to Commercial Real Estate includes**		
फंडेड एक्सपोजर / Funded Exposure	169.32	60.06
गैर–वित्तपोषित एक्सपोजर / Non Funded Exposure	0.00	5.44
कुल एक्सपोजर / Total Exposure	**169.32**	**65.50**
***कर्मचारी आवास ऋण शामिल / *include staff housing loans.**		

बी) पूंजी बाजार में एक्सपोजर – शून्य / b) Exposure to capital market - NIL

सी) जोखिम श्रेणी–वार देशीय एक्सपोजर – लागू नहीं / c) Risk category-wise country exposure – Not Applicable

डी) 31 मार्च, 2024 तक कर्मचारी द्वारा अर्जित अवकाश क्रेडिट के कारण नियोजित लाभ दायित्व रु. 26.34 करोड़ था. यह पूरी तरह से उसी राशि की योजना परिसंपत्तियों द्वारा कवर किया गया है।

d) The planned benefit obligation on account of earned leave credit by employee as on March 31st, 2024 stood at ₹ 26.34 Crore. the same is fully covered by plan assets of the same amount.

ई) मानक अग्रिमों पर प्रावधान / e) Provision on Standard Advances

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2024 तक As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 तक As on March 31, 2023
मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provisions towards Standard Assets	22.15	20.67
पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Provisions towards Restructured Standard Assets	2.61	4.20
मानक खातों के लिए कुल प्रावधान Total Provision for Standard Accounts	24.76	24.87

एफ) गैर जमानती अग्रिम
f) Unsecured advances

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current year	पिछला वर्ष / Previous Year
बैंक के कुल असुरक्षित अग्रिम / Total unsecured advances of the bank	96.44	213.73
उपरोक्त में से, अग्रिम की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण, आदि पर प्रभार लिया गया है। / Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	शून्य / NIL	शून्य / NIL
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य / Estimated value of such intangible securities	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
(नोटः उपरोक्त में से IBPC में एक्सपोज़र है) / Note: Out of above exposure towards IBPC is	0.00	124.97

जी) फैक्टरिंग एक्सपोजर – शून्य / g) Factoring exposures – NIL

एच) बैंकों में आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण प्रक्रियाओं के स्वचालन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण अतिरिक्त दंडात्मक प्रावधान के सृजन के संदर्भ में आरबीआई के निर्देश के अनुसार। बैंक ने ₹ 0.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.52 करोड़) की राशि का अतिरिक्त प्रावधान किया है, इस प्रकार 31 मार्च 2024 को कुल प्रावधान ₹ 3.14 करोड़ है।

h) As per RBI direction with reference to creation of additional penal provisioning on account of Non-Compliance to guidelines on Automation of Income recognition, Asset classification and provisioning processes in Banks. The Bank has created additional provision amounting ₹ 0.14 Crores (previous year ₹ 1.52 Crores) thus the aggregate provision as on 31st March 2024 is ₹ 3.14 Crores.

आई) इंट्रा ग्रुप एक्सपोजरः / I) Intra Group Exposures

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2024 तक/As on March 31, 2024			31 मार्च 2023 तक/As on March 31, 2023		
	फंड आधारित / Fund Based	निवेश आधारित / Investment Based	कुल / Total	फंड आधारित / Fund Based	निवेश आधारित / Investment Based	कुल / Total
इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि / Total Amount of Intra Group Exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
शीर्ष 20 इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि / Total amount of Top 20 Intra Group Exposures	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर का इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत / Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजर और उस पर नियामक कार्रवाई, यदि कोई हो, पर सीमा के उल्लंघन का विवरण / Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

संबंधित पार्टी प्रकटीकरण – (लेखा मानक – 18):
Related party Disclosure – (Accounting Standard - 18):

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

लेन–देन की प्रकृति / Nature of Transaction	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार) / Parent (as per ownership or control)	पेरेंट सहायक कंपनियों / Parent's Subsidiaries	सहयोगी / संयुक्त उपक्रम / Associates/ Joint ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार / Relatives of Key Management Personnel	कुल / Total
अर्जित ब्याज / Interest Earned	0.51	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.51
कमीशन आय/ Commission Income	शून्य / NIL	0.28	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.28
लाभांश दिया / Dividend Paid	4.66*	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	4.66*
कमीशन का भुगतान / Commission Paid	0.003	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.003
पारिश्रमिक / Remuneration	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.37	शून्य / NIL	0.37
सेवाओं का प्रतिपादन / Rendering of services	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
जमा (कासा) / Deposits (CASA) –प्लेसमेंट / Placements – प्राप्त हुआ / – Received – जमा (अवधि) / – Deposit (Term)	11.69	1.00	325.26	शून्य / NIL		11.69 1.00 325.26
गैर–वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं वर्ष के अंत में / Non-funded commitments at the year end	0.95	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	0.95

* वित्तीय वर्ष 2022–23 से संबंधित

* Relating to F.Y 2022-23

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के संबंधित पक्षों को देय/प्राप्त करने योग्य अधिकतम शेष राशि नीचे दी गई है:

The maximum balances payable to/receivable from the related parties of the Bank during the year ended 31 March, 2024 are given below:

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

आइटम / संबंधित पार्टी / Items/ Related Party	पेरेंट (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)/ Parent (as per Ownership or control)	सहायक कंपनियों / Subsidiaries	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम/ Associates/ Joint ventures #	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक / Key Management Personnel	प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदार/ Relatives of Key Management Personnel	कुल/ Total
प्राप्त जमा /Deposit Received		1.00	325.26			326.26
जमा का प्लेसमेंट/ Placement of deposits	11.69					11.69
अग्रिम */Advances *						
निवेश/Investments						
गैर–वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं/ Non-funded commitments						
कॉल लेंडिंग/Call Lending						
स्वैप/फॉरवर्ड अनुबंध/Swap/ Forwards Contract						
हाइब्रिड कैपिटल में संबंधित पार्टी का निवेश/ बैंक के बांड/ Investment of related party in Hybrid Capital/ Bonds of the Bank						
प्रबंधन अनुबंधों के तहत देय/Payable under management contracts						
अन्य प्राप्य (शुद्ध)/Other receivables (net)		0.05				0.05
अन्य देय (शुद्ध)/Other payables (net)						
नॉन फडिंग (बीजी)/Non Funded (BG)	0.95					0.95

संबंधित पक्षों के नाम और बैंक के साथ उनके संबंध :

Names of the related parties and their relationship with the Bank

i)	**मूल संस्था/Parent**	**बैंक ऑफ बड़ौदा (98.57 प्रतिशत इक्विटी के साथ प्रमुख शेयरधारक)/ Bank of Baroda (Major Shareholder with 98.57% equity)**	
ii)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/ Key Management Personnel	(I)	श्री निखिल मोहन (प्रबंध निदेशक एवं सीईओ) Shri Nikhil Mohan (Managing Director & CEO)
ii)	मूल सहायक कंपनियों Parent's Subsidiary	**घरेलू सहायक कंपनियां/Domestic Subsidiaries**	
		(I)	बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड/BOB Capital Markets Limited.
		(II)	बीओबी कार्ड्स लिमिटेड (पहले बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) BOB Cards Limited (Formerly known as BOB Financial Solutions Limited)
		(III)	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड India First Life Insurance Company Limited
		(IV)	बड़ौदा सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड/Baroda Sun Technologies Ltd.

		(V)	बड़ौदा बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले बीएनपी परिबास एसेट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।)/Baroda BNP Paribas Asset Management India Private Limited (formerly known as BNP Paribas Asset Management India Private Limited)
		(VI)	बड़ौदा ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज लिमिटेड Baroda Global Shared Services Limited
		(VII)	बड़ौदा बीएनपी परिबास ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में बड़ौदा ट्रस्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)/ Baroda BNP Paribas Trustee India Private Limited (Formerly Baroda Trustee India Private Limited)
		विदेशी सहायक/Overseas Subsidiaries	
		(I)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोतसवाना) लिमिटेड/Bank of Baroda (Botswana) Ltd.
		(II)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड/Bank of Baroda (Kenya) Ltd.
		(III)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (युगांडा) लिमिटेड/बड़ौदा कैपिटल मार्केट (युगांडा) लिमिटेड/ Bank of Baroda (Uganda) Ltd., / Baroda Capital Market (Uganda) Limited
		(IV)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुवाना) लिमिटेड/Bank of Baroda (Guyana) Ltd.
		(V)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूज़ीलैड) लिमिटेड/Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.
		(VI)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड/Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.
		(VII)	बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड/Bank of Baroda (UK) Ltd.
iv)	मूल सहयोगी/ Parents' Associates	(I)	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक/Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
		(II)	बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank
		(III)	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक/Baroda Gujrat Gramin Bank
		(IV)	इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड/Indo Zambia Bank Limited
v)	मूल संयुक्त उद्यम/ Parents' Joint Ventures	(I)	इंडिया इंफ्राडेट लिमिटेड/India Infradebt Limited
		(II)	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बरहाद/India International Bank (Malaysia) Berhad

ई) अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर – शून्य/

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रण

ए) जमा की संकेंद्रण

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	881.83	707.68
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	10.67	9.21

बी) अग्रिमों की संकेंद्रण

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	504.13	420.56
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत	10.34	9.10

सी) एक्सपोजर की संकेंद्रण

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजर	567.21	473.43
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	10.28	6.48

डी) एनपीए की एकाग्रता

(राशि रु. करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष बीस एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	172.71	211.56
बीस सबसे बड़े एनपीए एक्सपोजर में एक्सपोजर का प्रतिशत कुल सकल एनपीए के लिए	43.32	47.73

7. **डेरिवेटिव्स** – बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान डेरिवेटिव लेनदेन नहीं किया है ।

8. **प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण** – बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को कोई वित्तीय संपत्ति नहीं बेची थी।

e) Unhedged foreign currency exposure – NIL

6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

a) Concentration of deposits

(Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total deposits of the twenty largest depositors	881.83	707.68
Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank	10.67	9.21

b) Concentration of advances

Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total advances to the twenty largest borrowers	504.13	420.56
Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank	10.34	9.10

C) Concentration of exposures

Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total exposure to the twenty largest borrowers/customers	567.21	473.43
Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/Customers	10.28	6.48

D) Concentration of NPAs

Amounts in ₹ crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Total Exposure to the top twenty NPA accounts	172.71	211.56
Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	43.32	47.73

7. **Derivatives** – The Bank did not enter into the derivative transactions during the current year and previous year.

8. **Disclosures relating to securitization** – The bank had not sold any financial assets to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

9. ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित–शून्य

10. जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईए फंड) में स्थानांतरण

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	डीईए फंड में अंतरित राशि का प्रारंभिक शेष	30.77	25.36
ii)	जोड़ें वर्ष के दौरान डीईए फंड में अंतरित राशि	5.58	5.97
iii)	घटाएं: दावों के लिए डीईए फंड द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	1.02	0.56
iv)	डीईए फंड में अंतरित राशि का अंतिम शेष	35.33	30.77

11. शिकायतों का प्रकटीकरण

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	40	12
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	2899	5287
कमः वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	2918	5259
जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या	1	6
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	21	40

कुल ग्राहक शिकायतें और एटीएम लेनदेन विवादः

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	17	12
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1876	4712
कमः वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1892	4707
वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1	17

9. Off Balance Sheet SPV sponsored -NIL

10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(Amounts in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	30.77	25.36
ii)	Add: Amounts transferred to DEA Fund during the year	5.58	5.97
iii)	Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	1.02	0.56
iv)	Closing balance of amounts transferred to DEA Fund	35.33	30.77

11. Disclosure of complaints

Particulars	As on 31st March, 2024	As on 31st March, 2023
Complaints received by the Bank from its customers		
No. of complaints pending at the beginning of the year	40	12
Add: No. of complaints received during the year	2899	5287
Less: No. of complaints disposed during the year	2918	5259
Of which, number of complaints rejected by the bank	1	6
No. of complaints pending at the end of the year	21	40

Total customer complaints and ATM transaction disputes:

Particulars	As on 31st March, 2024	As on 31st March, 2023
No. of complaints pending at the beginning of the year	17	12
Add: No. of complaints received during the year	1876	4712
Less: No. of complaints redressed during the year	1892	4707
No. of complaints pending at the end of the year	1	17

बैंक द्वारा ओबीओ से प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें:

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
लोकपाल के कार्यालय से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें		
ओबीओ से बैंक को प्राप्त शिकायतों की संख्या	84*	48
बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	78	18
बीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	4	30
बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा अवार्ड पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	0	0
निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए अवार्ड की संख्या (अपील किए गए के अलावा) /	0	0
नोटः रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से बीओ योजना 2021 में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती हैं और योजना के दायरे में आती हैं।		

* ओबीओ से वित्त वर्ष 2023–24 के चौथे तिमाही में प्राप्त कुल 16 रखरखाव योग्य शिकायतों में से 2 शिकायतें, 31–03–2024 तक आरबीआई बीओ पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31.03.2024 को लंबित थीं।

*31–03–2024 तक RBI BO पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार Q4 FY–2023–24 में प्राप्त BO शिकायतों में से एक में RBI BO पोर्टल के अनुसार–1–एडवाइजरी जारी की गई थी

Maintainable complaints received by the bank from OBOs:

Particulars	As on 31st March, 2024	As on 31st March, 2023
Maintainable complaints received by the Bank from Office of ombudsman		
No. of complaints received by the bank from OBOs	84*	48
No. of complaints resolved in favour of the bank by BOs	78	18
No. of complaints resolved through conciliation/mediation/ advisories issued by BOs	4	30
No. of complaints resolved after passing of Awards By BOs against the Bank.	0	0
Number of awards unimplem ented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0
Note: Maintainable complaints refer to complaints on the grounds specifically mentioned in BO Scheme 2021 and covered within the ambit of the Scheme.		

*2 maintainable complaints out of total 16 maintainable complaints received in quarter 4 of FY-2023-24 from OBO were pending on 31.03.2024 as per the information available on RBI BO portal as on 31-03-2024.

*-1- advisory was issued as per RBI BO portal in one of the BO complaints received in Q4 FY- 2023-24 as per the information available on RBI BO portal as on 31-03-2024.

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार
Top five grounds of complaints received by the bank from customers

क्र. सं./ S.No	शिकायतों के आधार, (अर्थात संबंधित शिकायतें) / Grounds ofcomplaints,(i.e. complaintsrelating to)	वर्ष के शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या/ Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/ Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में वृद्धि / कमी साल/ increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/ Number of complaints pending at the end of the year	5 में से 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या /Of 5, number of complaints pendingbeyond 30 days
1	2	3	4	5	6	7
			2023-24			
ग्राउंड–1/ Ground - 1	एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Cards	17	1884**	-60.01%	2	1
ग्राउंड–2/ Ground - 2	ऋण और अग्रिम/ Loans and advances	1	102	20.00%	2	0
ग्राउंड–3/ Ground - 3	इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग/ Internet/Mobile/Electronic Banking	8	473	176.60%	1	0
ग्राउंड–4/ Ground - 4	खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई/ Account opening/difficulty in operation of accounts	3	64	1.58%	1	0
ग्राउंड–5/ Ground - 5	शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/ शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि। Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc.	0	0	-100.00%	0	0
	अन्य/Others	11	376	62.06%	15	12
	कुल/Total	**40**	**2899**	**-45.16%**	**21**	**13**
			2022-23			
ग्राउंड–1/ Ground - 1	एटीएम/डेबिट कार्ड/ ATM/Debit Cards	12	4712	187.14%	17	0
ग्राउंड–2/ Ground - 2	ऋण और अग्रिम/ Loans and advances	0	85	165.63%	1	1
ग्राउंड–3/ Ground - 3	इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग/ Internet/Mobile/Electronic Banking	0	171	108.54%	8	1
ग्राउंड–4/ Ground - 4	खाता खोलना/खातों के संचालन में कठिनाई/ Account opening/difficulty in operation of accounts	0	63	800.00%	3	0
ग्राउंड–5/ Ground - 5	शाखा में आने वाले ग्राहकों के लिए सुविधाएं/ शाखा द्वारा निर्धारित कार्य घंटों का पालन आदि।/ Facilities for customers visiting the branch/ adherence to prescribed working hours by the branch, etc.	0	24	-56.36%	0	0
	अन्य/Others	0	232	84.13%	11	3
	कुल/Total	**12**	**5287**	**172.10%**	**40**	**5**

* Q4 FY 23–24 में RBI BO से प्राप्त 15 गैर–रखरखाव योग्य शिकायतें 2023–24 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उपर्युक्त तालिका (शिकायतों के शीर्ष पांच आधार) में शामिल नहीं हैं। / # 15 Non-Maintainable complaints received from RBI BO in the Q4 FY 23-24 are not included in the above mentioned table (Top five grounds of complaints) for the year ending 2023-24.

** इसमें एटीएम से संबंधित वर्ष 2023–24 के दौरान आरबीआई बीओ के तहत प्राप्त –8– शिकायतें शामिल हैं।/ ** includes -8- complaints received under RBI BO during the year 2023-24 related to ATM.

12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India

ए) आरबीआई / विदेशी नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का खुलासा

a) Disclosure of penalties imposed by RBI / Overseas Regulators

(राशि रु. करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

विवरण / Particulars	उल्लंघन की प्रकृति / Nature of Breach	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2024		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2023	
		मामलों की संख्या / No of Cases	राशि / Amount	मामलों की संख्या / No of Cases	राशि / Amount
आरबीआई द्वारा लगाया गया जुर्माना / Penalties Imposed by RBI	नियामक और परिचालन / Regulatory & Operational	01	0.004	01	0.006
अपने संबंधित नियामकों द्वारा विदेशी क्षेत्रों पर लगाए गया जुर्माना / Penalties Imposed on Overseas territories by their respective regulators		लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable	लागू नहीं / Not Applicable

वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए अन्य दंड / शुल्क / Other penalties/Fees levied by statutory authorities

क्रम संख्या S. N.	प्राधिकारी Authority	जुर्माने का विवरण Details of Penalty	राशि (रुपए में) Amount (in ₹)
1.	बैंकिंग लोकपाल Banking Ombudsman	1 बंधक रखे गए सुरक्षा दस्तावेजों को जारी करने में विलंब 1 Delay in release of mortgaged Security Documents	10000.00
		2 शिकायतकर्ता के सिबिल को अद्यतन करने में विलंब 2 Delay in updating CIBIL of the complainant	10000.00
		3 शिकायतकर्ता के सिबिल को अद्यतन करने में विलंब 3 Delay in updating CIBIL of the complainant	25000.00

बी) एसजीएल फॉर्म के बाउंस होने पर जुर्माना लगाने पर प्रकटीकरण

वर्ष समाप्त	एसजीएल फॉर्म के बाउंस होने की तिथि	राशि	टिप्पणियां
2023-24	शून्य	शून्य	शून्य
2022-23	शून्य	शून्य	शून्य

b) Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

Year ended	Date of bouncing SGL form	Amount	Remarks
2023-24	NIL	NIL	NIL
2022-23	NIL	NIL	NIL

सी) रिवर्स रेपो लेनदेन में आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण (डिफॉल्ट करने वाले प्रतिभागी के लिए लागू)। शून्य

c) Disclosure of penalty imposed by RBI in a reverse repo transaction (Applicable for Defaulting participant). Nil

घ) विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए किसी भी अन्य जुर्माने का विवरण:

1) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, – शून्य
2) भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007,– शून्य
3) सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 । – शून्य

d) Details of any other penalty imposed by RBI under the various provisions of :

1) Banking Regulation Act, 1949, - NIL
2) Payment and Settlement Act, 2007,- NIL
3) Government Securities Act, 2006. – NIL

13. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

बैंकों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/सामग्री जोखिम लेने वालों के पारिश्रमिक पर न्यूनतम वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण करना आवश्यक है। बैंक तालिका या चार्ट प्रारूप में प्रकटीकरण करेंगे और पिछले और वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष के लिए प्रकटीकरण करेंगे। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक (लागू सीमा तक), निम्नलिखित जानकारी का प्रकटीकरण करेंगे:

13. Disclosures on remuneration

Banks are required to make disclosure on remuneration of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers on an annual basis at the minimum, in their Annual Financial Statements. Banks shall make the disclosures in table or chart format and make disclosures for previous as well as the current reporting year. Further, private sector banks and foreign banks (to the extent applicable), shall disclose the following information:

प्रकटीकरण के प्रकार/ Type of disclosure		जानकारी/Information	
गुणात्मक/ Qualitative	(अ)/ (a)	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन एवं अधिदेश से संबंधित सूचना/ Information relating to the composition and mandate of the Nomination and Remuneration Committee.	एनआरसी समिति के सदस्यों की वर्तमान संरचना – 1. बिनीता शाह – अध्यक्ष 2. एन.के. चारी – सदस्य 3. मनोज शर्मा – सदस्य 4. गोपाल सिंह गुसाईं – सदस्य Present composition of NRC Committee Members - 1. Binita Shah - Chairperson 2. N.K. Chari - Member 3. Manoj Sharma - Member 4. Gopal Singh Gusain - Member
	(ब)/ (b)	डिजाइन और संरचना से संबंधित जानकारी पारिश्रमिक प्रक्रियाएं और पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य/ Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy.	बैंक ने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों, कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित नियमों और बैंक के गैर–कार्यकारी अध्यक्ष और गैर–कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार की है और उसे अपनाया है। The Bank has formulated and adopted the Remuneration Policy for Non-Executive Chairperson and Non-Executive Directors of the Bank in terms of the relevant provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013, the relevant Rules made thereunder, rules relating to Corporate Governance and the Guidelines issued by the RBI, in this regard.
	(स) /(c)	पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को ध्यान में रखने के तरीकों का विवरण। इसमें इन जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों की प्रकृति और प्रकार शामिल होना चाहिए/ Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It should include the nature and type of the key measures used to take account of these risks.	नामांकन और पारिश्रमिक समिति बैंक के उद्योग मानकों और जोखिम प्रोफाइल के आधार पर जोखिम मूल्यांकन करती है/ Nomination and remuneration committee undertakes risk evaluation based on industry standards and risk profile of the Bank.

प्रकटीकरण के प्रकार/ Type of disclosure		जानकारी/Information	
	डी/ (d)	उन तरीकों का विवरण जिनसे बैंक लिंक करना चाहता है पारिश्रमिक के स्तर के साथ प्रदर्शन मापन अवधि के दौरान प्रदर्शन/ Description of the ways in which the bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration.	नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) प्रत्येक निदेशक को उपयुक्त सिफारिशें करने से पहले, कौशल सेट, ज्ञान, क्षेत्रीय और उद्योग अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, विशेषज्ञता और अन्य प्रासंगिक जानकारी और प्रत्येक निदेशक द्वारा उपयुक्त और उचित मानदंडों के पालन पर विचार करती है। बोर्ड को उनकी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में, जो बोर्ड को ऐसे सदस्य प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके पास बैंक के व्यावसायिक हितों की सेवा करने और बोर्ड की समग्र प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विविध ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और आवश्यक कौशल है। निदेशक मंडल के लिए नीति के संदर्भ में, एनआरएचआर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने से पहले और सालाना यानी हर साल 31 मार्च को निदेशक की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का आकलन करता है।/The Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) considers, the skill set, knowledge, regional and industry experience, track record, expertise and other relevant information and adherence to the fit and proper norms by each Director, before making appropriate recommendations to the Board with regard to their appointment/re-appointment, which is designed to provide the Board with Members who have diverse knowledge, practical experience and requisite set of skills to serve the business interests of the Bank and enhance the overall effectiveness of the Board. In terms of the Policy for Board of Directors, the NRHR assesses the 'Fit and Proper' status of the Director, before considering his candidature for appointment/re-appointment as a Director of the Bank and annually i.e. as at 31st March every year
	(इ) /(e)	आस्थगित पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने पर बैंक की नीति की चर्चा और पहले आस्थगित पारिश्रमिक को समायोजित करने के लिए बैंक की नीति और मानदंड की चर्चा निहित और निहित होने के बाद/ A discussion of the bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting.	ऐसी सभी वाचाओं के उचित समावेश के साथ बैंक की क्षतिपूर्ति नीति है Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants
	(एफ) /(f)	बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिवर्तनीय पारिश्रमिक के विभिन्न रूपों (यानी, नकद और शेयर–लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के प्रकार) का विवरण और इन विभिन्न रूपों का उपयोग करने का औचित्य। Description of the different forms of variable remuneration (i.e., cash and types of share-linked instruments) that the bank utilizes and the rationale for using these different forms.	ऐसी सभी वाचाओं के उचित समावेश के साथ बैंक की क्षतिपूर्ति नीति है Bank has a compensation policy with due incorporation of all such covenants

प्रकटीकरण के प्रकार / Type of disclosure		जानकारी / Information	चालू वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
मात्रात्मक खुलासे / **Quantitative disclosures** (मात्रात्मक प्रकटीकरण में केवल पूर्णकालिक निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधि. कारी / सामग्री जोखिम लेने वाले शामिल होने चाहिए) / **(The quantitative disclosures should only cover Whole Time Directors/ Chief Executive Officer/ Material Risk Takers)**	(जी)/ (G)	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या और इसके लिए भुगतान किया गया पारिश्रमिक सदस्य। / Number of meetings held by the Nomination and Remuneration Committee during the financial year and remuneration paid to its members.	9	4
	(एच) / (h)	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या (i) Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year. (ii) वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए साइन ऑन / जॉइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि। (ii) Number and total amount of sign-on/ joining bonus made during the financial year. (iii) विच्छेद वेतन का विवरण, में उपार्जित लाभों के अतिरिक्त, यदि कोई हो। (iii) Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	(आई) /(i)	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि, नकद, शेयरों और शेयर लिंक्ड लिखतों और अन्य रूपों में विभाजित। (i) Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms. (ii) आस्थगित की कुल राशि वित्तीय वर्ष में भुगतान किया गया मानदेय। (ii) Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	जे / (j)	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कारों की राशि का व्यवधान निश्चित और परिवर्तनशील, आस्थगित और गैर–स्थगित Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	के / (k)	(i) पूर्व पोस्ट स्पष्ट और / या. के संपर्क में आने वाले बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारित पारिश्रमिक की कुल राशि निहित समायोजन। (i) Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

प्रकटीकरण के प्रकार/ Type of disclosure		जानकारी/Information	चालू वर्ष/ Current Year	पिछले वर्ष/ Previous Year
		(ii) स्पष्ट समायोजन के बाद वित्तीय वर्ष के दौरान कटौती की कुल राशि। (ii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments- (iii) कटौती की कुल राशि वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व पोस्ट निहित समायोजन के कारण।/ (iii) Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA
	एल/ (l)	पहचान किए गए एमआरटी की संख्या। Number of MRTs identified-	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA
	एम/ (m)	(i) उन मामलों की संख्या जहां मैलस का प्रयोग किया गया है। (i) Number of cases where malus has been exercised (ii) मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है। (ii) Number of cases where clawback has been exercised (iii) मामलों की संख्या जहां मालस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है।/ (iii) Number of cases where both malus and clawback have been exercised	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA
सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण **General Quantitative Disclosure**	एन/ (n)	समग्र रूप से बैंक के लिए औसत वेतन (अधीनस्थ स्टाफ को छोड़कर) और इसके प्रत्येक डब्ल्यूटीडी के वेतन का औसत वेतन से विचलन। The mean pay for the bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of its WTDs from the mean pay-	लागू नहीं/ NA	लागू नहीं/ NA

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गैर–कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष को भुगतान किया गया पारिश्रमिक रु. 8,40,000/– (पिछले वर्ष रु. 8,40,000/–), और एमडी एवं सीईओ को रु. 37,03,777/– (बकाया सहित) (पिछले वर्ष रु. 25,87,488)

The remuneration paid to non-executive director/chairman during current financial year is ₹ 8,40,000/-(Previous year ₹ 8,40,000/), and to the MD & CEO is ₹ 37,03,777/- (Including arrears) (Previous year ₹ 25,87,488)

14. अन्य डिस्क्लोजर

ए) बिज़नेस अनुपात

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
i. कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय (%)	7.62%	6.89%
ii. कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में गैर–ब्याज आय(%)	0.69%	0.42%
iii.कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ(%)	1.18%	0.90%
iv. संपत्ति पर वापसी(%)	0.52%	0.54%
v. व्यापार (जमा और अग्रिम बैंक जमा को छोड़कर) प्रति कर्मचारी (करोड़ रुपये में)	10.79	10.99
vi. प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	0.04	0.0426
VII. शुद्ध ब्याज मार्जिन	3.53%	3.27%
VIII. जमाओं की लागत	4.85%	4.24%
IX. अग्रिमों पर आय	9.05%	8.39%

बी) बैंक एश्योरेंस बिजनेस

31.03.2024 को समाप्त अवधि के दौरान बैंक की बीमा व्यवसाय के संबंध में कुल आय ₹ **2.19 करोड़** थी जिसका विवरण निम्नानुसार है

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	बीमा कंपनी	राशि	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1.	एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.754	1.116
2.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.039	0.061
3.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.295	0.174
4.	फ्यूचर जेनराली इंश्योरेंस लिमिटेड	0.272	0.247
5.	केयर स्वास्थ्य बीमा	0.148	0.066
6.	रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस	0.687	0.004
	कुल	**2.195**	**1.669**

31.03.2024 को समाप्त अवधि के दौरान अन्य उत्पादों के संबंध में बैंक की कुल आय 0.065 करोड़ थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

14. Other Disclosures

a) Business ratios

Item	As on 31st March, 2024	As on 31st March, 2023
i. Interest Income as a percentage to Working Funds (%)	7.62%	6.89%
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds(%)	0.69%	0.42%
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds(%)	1.18%	0.90%
iv. Return on Assets(%)	0.52%	0.54%
v. Business (Deposits plus Advances excluding Bank deposits) per employee (₹ in crore)	10.79	10.99
vi. Net Profit per employee (₹ in crore)	0.04	0.0426
vii. Net Interest Margin	3.53%	3.27%
viii. Cost of Deposits	4.85%	4.24%
ix. Yield on Advances	9.05%	8.39%

b) Banc assurance business

The total income of the bank in respect of bank assurance business was ₹ **2.19 Crores** during the period ended 31.03.2024 with details as under:

(₹ in crore)

Sr. No.	Insurance Company	Amount	
		As on 31st March, 2024	As on 31st March, 2023
1.	HDFC Life Insurance Company Ltd.	0.754	1.116
2.	National Insurance Company Ltd	0.039	0.061
3.	India First Life Insurance Co. Ltd	0.295	0.174
4.	Future Generali Insurance Ltd.	0.272	0.247
5.	Care Health Insurance	0.148	0.066
6.	Reliance Nippon Life Insurance	0.687	0.004
	Total	**2.195**	**1.669**

The total income of the bank in respect of other products was 0.065 Crores during the period ended 31.03.2024, with details as under.

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	कंपनी	राशि	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1.	वीज़मैन फॉरेक्स लिमिटेड	0.000	0.003
2.	अटल पेंशन योजना	0.048	0.014
3.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.000*	0.000
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम	0.000**	0.007
5.	बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड	0.017	0.008
	कुल	**0.065**	**0.032**

*वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एसएचसीआईएल से रु.1248/– कमीशन प्राप्त हुआ।

** वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एलआईसी से 5938/– रुपये का कमीशन प्राप्त हुआ।

ख) विपणन और वितरण

शून्य

ग) प्राथमिकता–प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटीकरण – शून्य

घ) भंडार और अधिशेष

सांविधिक रिजर्व– बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 और आरबीआई दिशानिर्देश दिनांक 23 सितंबर 2000 की आवश्यकताओं के अनुसार बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में से ₹11.77 करोड़ (पिछले वर्षः ₹11.58 करोड़) का विनियोजन सांविधिक रिजर्व के लिए किया है।

कैपिटल रिजर्व – पूंजी आरक्षित में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर उत्पन्न होने वाली वृद्धि शामिल है, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने स्वामित्व वाले परिसर का पुनर्मूल्यांकन किया है जिसके परिणामस्वरूप 5.85 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है, संपत्तिवार विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है।

(₹ in lakh)

Sr. No.	Company	Amount	
		As on 31st March, 2024	As on 31st March, 2023
1.	Weizmann Forex Ltd.	0.000	0.003
2.	Atal Pension Yojna	0.048	0.014
3.	Stock Holding Corporation of India Ltd.	0.000*	0.000
4.	Life Insurance Corp. of India	0.000**	0.007
5.	Bob Financial Solution Ltd.	0.017	0.008
	Total	**0.065**	**0.032**

*₹1248/- Commission Received From SHCIL during the FY 2023-24.

**₹5938/- Commission Received From LIC during the FY 2023-24.

b) Marketing and distribution

NIL

c) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) – NIL

d) Reserves and Surplus

Statutory Reserve :- the Bank has made an appropriation of ₹ 11.77 Crores (Previous Year: ₹ 11.58 Crores) out of profits for the year ended March 31, 2024 to the Statutory Reserve pursuant to the requirements of Section 17 of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI guidelines dated September 23, 2000.

Capital Reserve - Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, during current financial year the Bank Has carried out revaluation of owned premises which resulted in upward valuation by ₹ 5.85 Crores, property wise details are as per below table.

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

क्र. सं./ S.No	संपति का नाम NAME OF PROPERTY	अपनाया गया मूल्यांकन Valuation Adopted	मूल्यांकन से पहले WDV WDV before valuation/	बढ़ोत्तरी/कमी Increase/ decrease
	2023-24			
1	नैनीताल (एच ओ –लैंड) NAINITAL(H O-LAND)/	7.41	5.93	1.48
	एच ओ–बिल्डिग H O-BUILDING	1.32	0.21	1.11
	कुल योग (क) Grand Total (A)	**8.73**	**6.14**	**2.59**
2	नैनीताल (मुख्य शाखा) भूमि NAINITAL (MAIN BRANCH) LAND	4.71	3.71	0.99
	बिल्डिग BUILDING	1.14	0.25	0.89
	कुल योग (ख) Grand Total (B)	**5.85**	**3.96**	**1.88**
3	भीमताल–भूमि BHIMTAL-LAND	1.33	1.11	0.22
	बिल्डिग BUILDING	0.78	0.39	0.38
	कुल योग (ग) Grand Total (C)	**2.10**	**1.50**	**0.61**
4	अल्मोड़ा (मुख्य शाखा) भूमि ALMORA(MAIN BRANCH) LAND	0.85	0.70	0.15
	बिल्डिग BUILDING	0.39	0.34	0.05
	कुल योग (घ) Grand Total (C)	**1.24**	**1.04**	**0.20**
5	हल्द्वानी लैंड HALDWANI LAND	2.82	2.82	-
	बिल्डिग BUILDING	1.28	0.70	0.57
	कुल योग (ङ) Grand Total (C)	**4.10**	**3.53**	**0.57**
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ) Grand Total (A+B+C+D+E)	**22.02**	**16.17**	**5.85**

निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व – आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों को वित्तीय वर्ष 2019 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के भीतर अपने एचएफटी और एएफएस निवेश पोर्टफोलियो के 2% के बराबर निवेश उतार–चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाने की आवश्यकता है, जो वैधानिक विनियोग के बाद लाभ की उपलब्धता के अधीन है। बैंक ने 31 मार्च 2024 तक उक्त रिजर्व में रु. 21.25 करोड़ बनाए रखा है, यह बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का 2.04% दर्शाता है

Investment Fluctuation Reserve - In accordance with RBI guidelines, banks are required to create an Investment Fluctuation Reserve (IFR) equivalent to 2% of their HFT and AFS investment portfolios, within a period of three years starting fiscal 2019, subject to profit availability after statutory appropriation. The Bank has maintained Rs. 21.25 Crore in the said reserve as at 31st March 2024 the same represents 2.04% of trading portfolio of the Bank

ई) लेखा मानक –19 – पट्टा" परिसर जो परिचालन पट्टे पर लिए गए, का विवरण निम्नलिखित हैं:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर शामिल हैं, जो बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय हैं।

i) निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट अवधि के लिए, गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों पर लिए गए परिसरों पर भविष्य के किराये के भुगतान का विवरण दिया गया है:

राशि करोड़ में

विवरण – लीज रेंट दायित्व	31 मार्च 2024	31 मार्च 2024
एक वर्ष के बाद नहीं	10.63	11.21
एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	20.62	26.37
पांच साल से बाद में	11.27	2.40
कुल	**42.53**	**39.98**

एफ) अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (लेखा मानक –5)

(i) **पूर्व अवधि की मदें**: वर्ष के दौरान, कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे।

(ii) **लेखा नीतिः** वर्ष के दौरान बैंक ने वित्तीय विवरण पर भौतिक प्रभाव डालने वाली किसी लेखा नीति में परिवर्तन नहीं किया है।

जी) प्रावधान और आकस्मिकताएं

(राशि रु. करोड़ में)

लाभ और हानि खाते में डेबिट किया गया प्रावधान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i) एनपीआई के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
ii) एनपीए के लिए प्रावधान	40.90	20.08
iii) आयकर के लिए किया गया प्रावधान	27.02	4.46
iv) अन्य प्रावधान और आकस्मिकताए		
–मानक अग्रिम	-0.11	-1.06
– सुरक्षा रसीद के लिए प्रावधान	-4.99	-1.26
– विविध प्रावधान	1.06	5.96
–बैंक के खिलाफ दावों के लिए प्रावधान जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	शून्य	0.41
– आस्थगित कर	-3.69	4.03
– अतिदेय टीडीआर खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	शून्य	-1.99
कुल	**60.19**	**30.63**

e) Accounting Standard -19 - "Lease" Premises taken on operating lease are given below

The operating leases primarily comprise office premises, which are renewable at the option of the Bank.

i) The following table sets forth, for the period indicated, the details of future rental payments on Premises taken on Non-Cancellable operating leases:

(Amount in Crores)

Particulars -Lease Rent Obligations	As at 31st March 2024	As at 31st March 2023
Not later than one year	10.63	11.21
Later than one year and not later than five years	20.62	26.37
Later than five years	11.27	2.40
Total	**42.53**	**39.98**

f) Net Profit or Loss for the period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies (Accounting Standard -5)

(i) **Prior Period Items:** During the year, there were no material prior period income / expenditure items.

(ii) **Accounting policy:** During the year the Bank has not change any accounting policy having material impact on financial statement.

g) Provisions and contingencies

(Amount in Crores)

Provision debited to Profit and Loss Account	Current Year	Previous Year
i) Provisions for NPI	NIL	NIL
ii) Provision towards NPA	40.90	20.08
iii) Provision made towards Income tax	27.02	4.46
iv) Other Provisions and Contingencies		
- Standard Advance	-0.11	-1.06
- Provision for Security Receipt	-4.99	-1.26
- Miscellaneous Provisions	1.06	5.96
- Provision for claims against the bank not acknowledged as debt	NIL	0.41
Deferred Tax	-3.69	4.03
-Provision for Interest Payable on Overdue TDR accounts	NIL	-1.99
Total	**60.19**	**30.63**

अनुसूची 11–अन्य परिसम्पत्तियों के अंतर्गत अन्य का मदवार ब्यौरा जो कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक

खाता शीर्ष	राशि (₹ '000)
ग्रामीण इंफ्रास्ट्रचर विकास निधि (आरआईडीएफ) जमाराशियां (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी के बदले जमा)	40,82,754.00
महायोग	**40,82,754.00**

अनुसूची 14 के अंतर्गत अन्य आय का ब्यौरा – अन्य आय जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक

खाता शीर्ष	राशि (₹ '000)
आकस्मिक / प्रोसेसिंग प्रभार	1,01,821.00
सेवा प्रभार	1,18,149.00
महायोग	**2,19,970.00**

अनुसूची 13 के अंतर्गत 'अन्य' का ब्रेकअप– अर्जित ब्याज जो कुल आय राशि के एक प्रतिशत से अधिक

खाता शीर्ष	राशि (₹ '000)
आरआईडीएफ जमाराशियों पर ब्याज	1,17,767.00
महायोग	**1,17,767.00**

अनुसूची 16 के अंतर्गत 'अन्य' का ब्रेकअप– परिचालन व्यय, कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक

खाता शीर्ष	राशि (₹ '000)
सीबीएस / आईटी शुल्क	1,37,954.00
महायोग	**1,37,954.00**

ज) आईएफआरएस अभिसरण भारतीय लेखा मानकों का कार्यान्वयन (इंड एएस)

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 2015 में कंपनियों (भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) नियम 2015 को अधिसूचित किया था, जिसने लेखा अवधि 2016–17 से शुरू होने वाले चरणबद्ध तरीके से आईएनडीएएस को अपनाने और प्रयोज्यता को निर्धारित किया था, जैसा कि उक्त अधिसूचना के अनुसार बैंकों को इन मानकों का पालन 01 अप्रैल 2018 से यानि आईएनडी–एएस कार्यान्वयन के तीसरे चरण के दौरान करना था, हालांकि, आरबीआई ने अधिसूचना संख्या "डीबीआर.बीपी.बीसी. सं.29 / 21.07.001 / 2018 –19" दिनांक 22 मार्च, 2019 ने इन मानकों की प्रयोज्यता को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया है।

इसके अलावा, आरबीआई समय–समय पर बैंकों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के कार्यान्वयन के लिए तैयार रहने और 30 सितंबर, 2016 को

Item wise breakup of "Others" under "SCHEDULE 11- OTHER ASSETS", exceeding one per cent of the total assets

Account Head	Amount (₹ '000)
Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) deposits (deposits in lieu of shortfall in priority sector lending)	40,82,754.00
Grand Total	**40,82,754.00**

Breakup of "Others" under SCHEDULE 14- OTHER INCOME, exceeding one per cent of total income

Account Head	Amount (₹ '000)
Incidental/Processing Charges	1,01,821.00
Service Charges	1,18,149.00
Grand Total	**2,19,970.00**

Breakup of "Others" under SCHEDULE 13- INTEREST EARNED, exceeding one per cent of total income

Account Head/	Amount (₹ '000)
Interest on RIDF deposits	1,17,767.00
Grand Total	**1,17,767.00**

Breakup of "Others" under SCHEDULE 16- OPERATING EXPENSES, exceeding one per cent of total income

Account Head	Amount (₹ '000)
CBS/IT charges	1,37,954.00
Grand Total	**1,37,954.00**

j) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), in 2015, had notified the Companies (Indian Accounting Standards (IND AS) Rules 2015, which stipulated the adoption and applicability of IND AS in a phased manner beginning from the Accounting period 2016-17, as per said notification banks were required to comply with these standards from 01st April 2018 onwards i.e. during Phase-III of IND-AS implementation, however, RBI vide notification no. "DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19" dated March 22nd, 2019, has deferred the applicability of these standards till further notice.

Further RBI from time to time have been instructing Banks to be in preparedness for implementation of Indian Accounting

समाप्त छमाही से प्रोफार्मा इंड –एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देता रहा है। ये प्रोफार्मा स्टेटमेंट नियामक विश्लेषण उद्देश्य के लिए हैं और जरूरी नहीं कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षण प्रारूप का पूरी तरह से IND AS अनुपालन या संकेत हो।

हमारा बैंक नियमित रूप से निर्धारित समय के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को अर्धवार्षिक प्रोफार्मा IND AS प्रस्तुत कर रहा है।

के) निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दी गई सुविधाओं का प्रकटीकरण

बैंक ने निदेशकों, उनके रिश्तेदारों, कंपनियों या फर्मों, जिनसे वे संबंधित हैं को फंड आधारित या गैर–निधि आधारित (गारंटी, साख पत्र, आदि) कोई सुविधा नहीं दी है।

एल) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(राशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	10.42	10.01
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया	शून्य	शून्य

एम) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण

बैंक ने आईबीए संयुक्त नोट/द्विपक्षीय निपटान दिनांक 11 नवंबर, 2020 के अनुसार कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में संशोधन के कारण अतिरिक्त देयता का अनुमान लगाया था, जो कि रु 8.39 करोड़ था। आरबीआई ने अपने सर्कुलर नं. "RBI/2021–22/105 DOR.ACC. REC.57/21.04.018/2021–22" दिनांक 4 अक्टूबर 2021, ने बैंकों को 5 (पांच) वर्षों से अधिक नहीं की अवधि में उक्त अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने की अनुमति दी है, 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के साथ शुरू, हर साल खर्च की जाने वाली कुल राशि का न्यूनतम 1/5 भाग बैंक ने उक्त विकल्प को नहीं चुना और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में पूरी राशि का प्रभारित किया।

बैंक ने उक्त विकल्प का विकल्प नहीं चुना और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाते में पूरी राशि चार्ज कर दी।

Standards (Ind AS), and submit Proforma Ind AS Financial Statements from the half year ended September 30th, 2016 onwards. These Proforma Statements are for the regulatory analysis purpose and may not be necessarily be completely IND AS compliant or indicative of the trial format to be specified in the third schedule to the Banking Regulation Act 1949.

Our Bank is regularly submitting half yearly proforma IND AS to RBI within stipulated time.

k) Disclosure of facilities granted to directors and their relatives

The Bank has not granted any facility whether fund based or non-fund based (guarantees, letters of credit, etc.) to the directors, their relatives, companies or firms in which they are interested.

L) Payment of DICGC Insurance Premium

(Amount in ₹crore)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
i)	Payment of DICGC Insurance Premium	10.42	10.01
ii)	Arrears in payment of DICGC premium	NIL	NIL

m) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks

The Bank had estimated the additional liability on account of revision in family pension for employees covered as per IBA Joint Note/Bipartite settlement dated November 11, 2020, amounting to ₹ 8.39 Crores. RBI vide their Circular no. "RBI/2021-22/105 DOR.ACC.REC.57/21.04.018/2021-22" dated 4th October 2021, has permitted Banks to amortize the said additional liability over a period of not exceeding 5 (five) years, beginning with financial year ending 31st March 2024, subject to a minimum of 1/5th of the total amount being expensed every year.

Bank did not opt the said option and charged the entire amount to the Profit & Loss account for the FY ended 31st March 2024.

एल) परिभाषित लाभ योजनाएं (वित्त पोषित दायित्व—पेंशन, छुट्टी नकदीकरण और उपदान)
N) Defined Benefit Plans (Funded Obligation - Pension, Leave Encashment and Gratuity)

ए) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन
a) Change in present value of Defined Benefit Obligation

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

विवरण /Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023
प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व / Opening Defined Benefit Obligation	383.01	367.64	20.89	17.19	29.36	31.91
प्रारंभिक समायोजित / Opening Adjusted						
जोड़ें– अधिग्रहण समायोजन / Add- Acquisition Adjustment						
जोड़ें: ब्याज लागत / Add: Interest Cost	28.42	26.51	1.55	1.24	2.18	2.30
जोड़ें : पिछली सेवा लागत / Add : Past Service Cost						
जोड़ें: वर्तमान सेवा लागत / Add: Current Service Cost	4.29	4.22	2.59	1.66	2.33	2.00
कम: भुगतान किए गए लाभ / Less: Benefits Paid	(4.26)	(3.91)	(2.99)	(2.45)	(6.31)	(5.50)
जोड़ें: बीमांकिक (लाभ) / दायित्व पर हानि / Add: Actuarial (Gain)/ loss on obligation	20.12	(11.45)	4.30	3.25	1.6	(1.34)
अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व / Closing Defined Benefit Obligation	**431.58**	**383.01**	**26.34**	**20.89**	**29.16**	**29.37**

ख) योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

b) Change in Fair value of Plan Assets

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

विवरण / Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023
योजना संपत्तियों का प्रारंभिक उचित मूल्य / Opening Fair Value of plan assets	121.76	122.37	18.46	17.74	29.79	31.32
प्रारंभिक समायोजन / Opening Adjusted						
जोड़ें – प्लान एसेट्स पर अपेक्षित रिटर्न / Add- Expected Return on Plan Assets	7.91	12.27	1.20	1.15	1.94	3.68
जोड़ें–अंशदान / Add- Contributions	31.51	13.50	6.55	0.00	2.60	0.00
कम– भुगतान किए गए लाभ / Less-Benefits Paid	(46.63)	(34.42)	(2.99)	(2.45)	(6.31)	(5.50)
जोड़ें– बीमांकिक लाभ / (–) हानि / Add- Actuarial gain/(-)loss						
योजनागत आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य / Closing Fair Value of Plan Assets	**114.55**	**113.72**	**23.22**	**16.44**	**28.02**	**29.50**

सी) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि

c) Amount recognized in the Balance Sheet

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

विवरण /Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023
ए) परिभाषित लाभ दायित्व को अंतिम मूल्य / a) Closing Defined Benefit Obligation	431.58	383.01	26.34	20.89	29.16	29.36
ख) योजनागत आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य / b) Closing Fair Value of Plan Assets	114.55	113.72	23.22	16.44	28.02	29.49
ग) अंतर / c) Difference	317.02	269.29	3.12	4.45	(1.14)	0.13
डी) अपरिचित संक्रमणकालीन दायित्व / d) Unrecognized transitional liability						
ई) बीएस में मान्यता प्राप्त देयता / e) Liability Recognized in the BS	317.02	269.29	3.12	4.45	(1.14)	0.13

घ) लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि

d) Amount recognized in the Profit & Loss Account

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

विवरण /Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023
ए) वर्तमान सेवा लागत / a) Current Service Cost	4.29	4.21	2.59	1.66	2.33	2.00
बी) पिछली सेवा लागत / b) Past Service Cost						
ग) ब्याज लागत / c) Interest Cost	28.42	26.51	1.55	1.24	2.18	2.30
घ) योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ / d) Expected Return on Plan Assets	(7.91)	(8.82)	(1.20)	(1.28)	(1.94)	(2.26)

विवरण /Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023
ई) शुद्ध बीमांकिक हानि / लाभ (–)/ e) Net Actuarial Loss/gain(-)	20.12	(14.89)	4.30	3.38	1.60	(2.76)
च) लाभ हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय / f) Expenses Recognized in P&L	44.91	7.00	7.24	5.00	4.17	(0.72)

ई) प्रमुख बीमांकिक धारणाएं
e) Principal Actuarial Assumptions

विवरण / Particulars	पेंशन/Pension		छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment		ग्रेच्युटी / Gratuity	
	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2023 तक / As on 31st March, 2023
छूट की दर / Discount rate	7.15%	7.42%	7.15%	7.42%	7.15%	7.42%
वेतन वृद्धि दर / Salary Escalation Rate	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर / Expected Rate of Return on plan Assets	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%

आय पर कर के लिए लेखांकन (लेखा मानक 22)

ओ) वर्तमान कर

20 सितंबर, 2019 के कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 के तहत आयकर अधिनियम 1961 ("अधिनियम") में नई शुरू की गई धारा 115BAA के मद्देनजर, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019–20 निर्धारण वर्ष 2020–21 से नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना था और इसे चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखने का निर्णय लिया, तदनुसार प्रभावी कर दर 25.168% है।

Accounting for Taxes on Income (Accounting Standard 22)

o) Current Tax

In view of the newly introduced section 115BAA in the Income Tax Act 1961 ("Act") vide the Taxation Laws (Amendment) Ordinance 2019 dated September 20, 2019, the bank had opted for new tax regime from Financial year 2019-20 i.e. Assessment year 2020-21, and decided to continue with the same in current financial year, accordingly effective tax rate is 25.168%.

बैंक ने नीचे सारणी के अनुसार आयकर का प्रावधान किया है:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

वस्तु	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
आयकर के लिए प्रावधान	27.02	4.46

बी) आस्थगित कर

31 मार्च 2024 को आस्थगित कर देयता ₹ 4.44 करोड़ थी (पिछले वर्ष यह ₹ 8.12 करोड़ थी)। आस्थगित कर दायित्व के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

अवयव	अंतिम शेष	डीटीए /25.168%	डीटीएल /25.168%
अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	2.35	0.59	
एलएफसी के लिए प्रावधान	5.61	1.41	
सामान के लिए प्रावधान	0.11	0.03	
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार सृजित आरक्षित निधियां	27.33		6.87
आयकर अधिनियम और पुस्तकों के अनुसार डब्ल्यूडीवी में अंतर	1.61	0.40	-
कुल डीटीए / डीटीएल (वर्तमान वर्ष)		**2.43**	**6.87**
31 मार्च 2024 तक नेट डीटीएल			4.44
31 मार्च 2023 को डीटीएल की प्रारंभिक शेष राशि			8.12
वर्ष के दौरान पीएल खाते से प्रभारित राशि			(3.68)

पी) तकनीकी प्रगति

बैंक ने अपने कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) FINCRAFT को उद्योग विशिष्ट और अधिक मजबूत CBS एप्लिकेशन "FINACLE10.X" के साथ अपग्रेड किया है और 11 फरवरी 2022 से नए CBS में माइग्रेट किया है। परियोजना पर दावा की गई लागत और मूल्यह्रास का विस्तृत विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

The bank has made a provision for income tax as tabulated below:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

Item	As on 31st March, 2024	As on 31st March, 2023
Provision for Income Tax	27.02	4.46

B) Deferred Tax

The deferred tax Liability as on 31st March 2024 stood at ₹ 4.44 Crore (previous year it was ₹ 8.12 Crore). Major components of Deferred Tax Liabilities are as under:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

Components	Closing balance	DTA @25.168%	DTL @ 25.168%
Provision For Ex-Gratia	2.35	0.59	
Provision For LFC	5.61	1.41	
Provision For baggage	0.11	0.03	
Reserves created as per section 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961	27.33		6.87
Difference in WDV's as per Income Tax Act & Books	1.61	0.40	-
Total DTA/ DTL (CURRENT YEAR)		**2.43**	**6.87**
Net DTL as on 31st March 2024			4.44
Opening Balance of DTL as on 31st March 2023			8.12
Amount charged to PL a/c during the year			(3.68)

p) Technological advancements

The Bank has upgraded its Core Banking System (CBS) FINCRAFT with industry specific and more robust CBS application **"FINACLE10.X"** and has migrated to new CBS with effect from 11th February 2022. The detailed breakup of cost incurred and depreciation claimed on the project is tabulated below:

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

क्र. सं.	विवरण	AS–10 और अन्य लागू नियमों के अनुसार पूंजीकृत राशि/	मार्च 2023 तक मूल्यह्रास	मार्च 2023 तक मूल्यह्रास
1	मूर्त आइटम जैसे उच्च अंत सर्वर और नेटवर्क/	33.18	12.20	20.98
2.	लाइसेंस, कार्यान्वयन, नए सीबीएस/ ट्रेजरी और अन्य सहायक मॉड्यूल का अनुकूलन/	26.97	7.89	19.08

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

Sr. No.	Particulars	Amount capitalised as per AS-10 and other applicable regulations	Depre-ciation till March 2024	Book Value as on March 2024
1	Tangible items viz high end servers & networks.	33.18	12.20	20.98
2.	Licences, implemen-tation, customisation of new CBS/ treasury and other ancillary modules.	26.97	7.89	19.08

क्यू) खंड रिपोर्टिंग (लेखा मानक 17) / q) Segment Reporting (Accounting Standard 17)

भाग ए: व्यापार खंड / Part A: Business segments

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

व्यावसायिक क्षेत्रों/ Business Segments	ट्रेजरी/ Treasury	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग/Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग/ Retail Banking	अन्य बैंकिंग संचालन/Other Banking Operation	कुल/Total
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2024 तक/As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2024 तक/As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2024 तक/As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2024 तक/As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2024 तक/As on 31st March, 2024
आय/Revenue	258.32 (228.53)	59.60 (37.65)	434.78 (333.69)	2.22 (2.69)	754.92 (602.56)
परिणाम/Result	73.12 (66.99)	6.15 (3.97)	84.44 (73.49)	2.22 (2.69)	165.93 (147.14)
असंबद्ध व्यय/ Unallocated expenses					91.81 (96.37)
कर पूर्व कुल लाभ/ Total profit before tax					74.12 (50.77)
आय कर/ Income taxes					27.02 (4.46)
असाधारण लाभ/हानि/ Extraordinary profit/ loss					0.00 (0.00)
शुद्ध लाभ/ Net profit					47.10 (46.31)
खंड संपत्ति/ Segment assets	3861.70 (3632.16)	1279.74 (1173.54)	4086.32 (3769.48)	0.00 (0.00)	9227.76 (8575.19)
असंबद्ध संपत्ति/ Unallocated assets					79.06 (81.49)

व्यावसायिक क्षेत्रों / Business Segments	ट्रेजरी / Treasury	कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/ Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	अन्य बैंकिंग संचालन / Other Banking Operation	कुल / Total
विवरण /Particulars	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024	31 मार्च, 2024 तक / As on 31st March, 2024
कुल संपत्ति / Total assets					9306.82 (8656.67)
खंड देयताए /Segment liabilities	3540.82 (3332.15)	1186.85 (1089.13)	3787.09 (3496.29)	0.00 (0.00)	8514.76 (7917.56)
आवंटित देयताए / Unallocated liabilities					792.06 (739.11)
कुल देयताए / Total liabilities					9306.82 (8656.67)

नोटः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े (अर्थात मार्च 2023 के आंकड़े) दर्शाते हैं।
Note: Figures in bracket indicates previous year figures (i.e March 2023 figures)

आर) आकस्मिक देयता और प्रावधानों का विवरण (लेखा मानक 29)
r) Statement of contingent Liability & Provisions (Accounting Standard 29)

(राशि रु. करोड़ में /Amount in ₹ crore)

वस्तु / Item	एएस – 29 . के अनुसार प्रावधान / Provision As per AS – 29							
	राशि जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है / Amt. for which the Bank is contingently Liable	वर्ष की शुरुआत में प्रावधान / Provision as at the beginning of the Year	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि / Amount used during the year	अप्रयुक्त राशि जो वर्ष के दौरान वापस की गई/ Unused amount reversed during the year	वर्ष के अंत में प्रावधान / Provision as at the close of the year	भविष्य की घटनाओं के संबंध में प्रमुख धारणा / Major assumption regarding future events	टिप्पणियां / Remarks
बैंक के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया* / Claims against the Bank not acknowledged as debt*	1.83 (1.84)	1.34 (1.09)	0.00 (0.25)	0.01 शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	1.33 (1.34)	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL
घटकों की ओर से जारी गारंटियां / Guarantees issued on behalf of constituents	55.64 (63.04)	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL
स्वीकृति अनुमोदन और अन्य दायित्व / Acceptance Endorsements and other obligations	0.00 (0.20)	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL	शून्य / NIL शून्य / NIL

वस्तु / Item	एएस – 29 . के अनुसार प्रावधान / Provision As per AS – 29							
	राशि जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है / Amt. for which the Bank is contingently Liable	वर्ष की शुरुआत में प्रावधान / Provision as at the beginning of the Year	वर्ष के दौरान वृद्धि / Addition during the year	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि / Amount used during the year	अप्रयुक्त राशि जो वर्ष के दौरान वापस की गई / Unused amount reversed during the year	वर्ष के अंत में प्रावधान / Provision as at the close of the year	भविष्य की घटनाओं के संबंध में प्रमुख धारणा / Major assumption regarding future events	टिप्पणियां / Remarks
अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है / Other items, for which the Bank is contingently liable	50.23 (43.41)	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2023 को बकाया राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं

*ऐसी देयताएं क्रमशः अदालत / मध्यस्थता / अदालत के बाहर निपटान, अपीलों के निपटान, मांग की जा रही राशि, संविदात्मक दायित्वों की शर्तों, विकास और संबंधित पक्षों द्वारा मांग बढ़ाने पर निर्भर हैं।

Figures in bracket represents the amount outstanding as at 31st March 2023

*Such liabilities are dependent upon the outcome of court/ arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively.

एस) प्रति शेयर आय–

	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
ए)	प्रति शेयर आय	4.01	3.94
	बुनियादी (वार्षिक)	4.01	3.94
	डाइल्यूटेड** (वार्षिक)	4.01	3.94
बी)	अंश के रूप में प्रयुक्त राशि (कर पश्चात लाभ) /	47,09,67,150/-	46,30,87,494/-
सी)	शेयरों की नॉमिनल मूल्य /	₹ 10.00/-per share	₹ 10.00/-per share
डी)	डिनोमिनेटर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या /	11,74,46,250	11,74,46,250

s) Earnings per share-

	Particulars	As on 31st March, 2024	As on 31st March, 2023
a)	Earnings per share	4.01	3.94
	Basic (annualized)	4.01	3.94
	Diluted** (annualized)	4.01	3.94
b)	Amount used as numerator (Profit after tax)	47,09,67,150/-	46,30,87,494/-
c)	Nominal value of shares	10/-	10/-
d)	Weighted average number of equity shares used as the denominator	11,74,46,250	11,74,46,250

टी) अतिरिक्त प्रकटीकरण:

– पुनः समूहीकरण और पुनः वर्गीकरण: पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप आवश्यक होने पर पुनः समूहित किया गया है।

– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतानः सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है और इसलिए भुगतान के लिए प्रकटीकरण एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर ब्याज लागू नहीं है।

– डिजिटल बैंकिंग यूनिट से संबंधित विवरण – वर्तमान में बैंक के पास कोई डिजिटल बैंकिंग यूनिट नहीं है।

t) Additional Disclosures:

- Re-grouping & Re-classification: Previous year's figures have been regrouped where necessary to conform to current year classification.
- Payment to Micro, Small & Medium Enterprises under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006: There have been no reported cases of delayed payments of the principal amount or interest due thereon to Micro & Small Enterprises and hence disclosure for payment of interest on delayed payments to MSME is not applicable.
- Disclosure relating to Digital Banking Unit – Presently Bank has no Digital Banking Unit.

दिल्ली / DELHI		**(16)**
1.	पंचकुंइया रोड / Panchkuian Road	(M)
2.	लाजपत नगर / Lajpat Nagar	(M)
3.	शालीमार बाग / Shalimar Bagh	(M)
4.	तिलक नगर / Tilak Nagar	(M)
5.	पटपड़गंज / Patparganj	(M)
6.	पीतमपुरा / Pitampura	(M)
7.	आई.पी. एक्सटैन्सन / I.P.Extension	(M)
8.	पप्पनकलां / Pappankala	(M)
9.	विकास मार्ग / Vikas Marg	(M)
10.	न्यू कोंडली / New Kondli	(M)
11.	रोहिणी सेक्टर 16 / Rohini Sector 16	(M)
12.	रोहतक रोड / Rohtak Road	(M)
13.	सर्विस ब्रान्च, पंचकुंइया रोड / Serv. Br. Panchkuian Road	(M)
14.	सुरहेड़ा (नजफगढ़) / Surhera (Najafgarh)	(R)
15.	द्वारका / Dwarka	(M)
16.	दिलशाद गार्डन / Dilshad Garden	(M)
उत्तराखंड / Uttarakhand		**(75)**
जिला – अल्मोड़ा / DISTT.-ALMORA		**(4)**
17.	अल्मोड़ा (मुख्य) / Almora (Main)	(SU)
18.	रानीखेत / Ranikhet	(SU)
19.	लोअर माल रोड, अल्मोड़ा / Lower Mall Road, Almora	(SU)
20.	द्वाराहाट / Dwarahat	(R)
जिला – बागेश्वर / DISTT.-BAGESHWAR		**(3)**
21.	बागेश्वर / Bageshwar	(R)
22.	बनलेख / Banlekh	(R)
23.	कपकोट / Kapkot	(R)
जिला – चम्पावत / DISTT. – CHAMPAWAT		**(7)**
24.	लोहाघाट / Lohaghat	(R)
25.	चम्पावत / Champawat	(R)
26.	देवीधुरा / Devidhura	(R)
27.	चौमेल / Chaumel	(R)
28.	भिंगराड़ा / Bhingrara	(R)
29.	टनकपुर / Tanakpur	(SU)
30.	बनबसा–चम्पावत / Banbasa-Champawat	(R)
जिला – नैनीताल / DISTT.-NAINITAL		**(23)**
31.	नैनीताल (मुख्य) / Nainital (Main)	(SU)
32.	रेलवे बाजार, हल्द्वानी / Railway Bazar, Haldwani	(U)
33.	रामनगर / Ramnagar	(SU)
34.	भीमताल / Bhimtal	(R)

35.	रामगढ़ / Ramgarh	(R)
36.	लाल कुंआ / Lalkuan	(R)
37.	बैल पड़ाव / Bailparao	(R)
38.	पहाड़पानी / Paharpani	(R)
39.	रानीबाग / Ranibagh	(R)
40.	तल्लीताल, नैनीताल / Tallital, Nainital	(SU)
41.	कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी / Kaladhungi Road, Haldwani	(U)
42.	एमबीपीजी कालेज, हल्द्वानी / MBGPG College, Haldwani	(U)
43.	रामपुर रोड, हल्द्वानी / Rampur Road, Haldwani	(U)
44.	भवाली / Bhowali	(R)
45.	अर्जुनपुर (गोरापड़ाव), हल्द्वानी / Arjunpur (Goraparao), Haldwani	(R)
46.	लोहरियासाल मल्ला (कठघरिया), हल्द्वानी Lohariasal Malla (Kathgharia), Haldwani	(R)
47.	कमलुवागांजा हल्द्वानी / Kamaluaganja, Haldwani	(R)
48.	जगतपुर (गौलापार) / Jagatpur (Gaulapar)	(R)
49.	दमुवा ढूंगा (बन्दोबस्ती) / Damua Dhunga (Bandobasti)	(R)
50.	पीरुमादारा (रामनगर) / Peerumadara (Ramnagar)	(R)
51.	उदयलालपुर (हल्द्वानी) / Udaylalpur (Haldwani)	(R)
52.	जेल राड (हल्द्वानी) / Jail Road (Haldwani)	(U)
53.	तल्ली बमोरी (हल्द्वानी) / Talli Bamori (Haldwani)	(R)
जिला – पिथौरागढ़ / DISTT.-PITHORAGARH		**(2)**
54.	पिथौरागढ़ / Pithoragarh	(SU)
55.	धारचूला / Dharchula	(R)
जिला – ऊधम सिंह नगर/DISTT.- U.S. NAGAR		**(28)**
56.	काशीपुर / Kashipur	(U)
57.	किच्छा / Kichha	(SU)
58.	बाजपुर / Bazpur	(SU)
59.	किलाखेड़ा / Kilakhera	(SU)
60.	नगला / Nagla	(SU)
61.	बरा / Bara	(R)
62.	श्रीपुर बिछवा / Sripur Bichhwa	(R)
63.	रूद्रपुर / Rudrapur	(U)
64.	जसपुर / Jaspur	(SU)
65.	गदरपुर / Gadarpur	(R)
66.	भूड़ महोलिया (खटीमा) / Bhoor Mohalia (Khatima)	(SU)
67.	सिडकुल, पंतनगर / SIDCUL, Pantnagar	(U)
68.	सितारगंज / Sitargang	(SU)
69.	महेशपुरा (दोराहा), बाजपुर / Maheshpura (Doraha), Bazpur	(R)
70.	बरहैनी, बाजपुर / Barhani, Bazpur	(R)
71.	मुरादाबाद रोड, काशीपुर / Moradabad Road, Kashipur	(U)
72.	भूरारानी, रुद्रपुर / Bhurarani, Rudrapur	(R)

73.	विक्रमपुर, बाजपुर / Vikrampur, Bazpur	(R)
74.	शिमलापिस्तौर, रूद्रपुर / Shimla Pistore, Rudrapur	(R)
75.	दिनेशपुर, रूद्रपुर / Dineshpur Rudrapur	(SU)
76.	नानकमत्ता / Nanakmatta	(R)
77.	दानपुर, रुद्रपुर / Danpur, Rudrapur	(R)
78.	भरतपुर, कुंडा / Bharatpur, Kunda	(R)
79.	प्रतापपुर, काशीपुर / Pratappur, Kashipur	(R)
80.	बेरिया दौलत / Beria Daulat	(R)
81.	राजपुर, जयपुर / Rajpur, Jaspur	(R)
82.	सकानिया, गदरपुर / Sakeniya, Gadarpur	(R)
83.	गंगापुर रोड, रुद्रपुर / Gangapur Road, Rudrapur	(R)
जिला – चमोली / Distt. - Chamoli		**(2)**
84.	जोशीमठ / Joshimath	(SU)
85.	कर्णप्रयाग / Karn Prayag	(R)
जिला – देहरादून / DISTT. - DEHRADUN		**(17)**
86.	देहरादून / Dehradun	(U)
87.	विकास नगर / Vikas Nagar	(SU)
88.	डोईवाला / Doiwala	(R)
89.	ऋषिकेश / Rishikesh	(SU)
90.	हरिद्वार रोड, देहरादून / Haridwar Road, Dehradun	(U)
91.	सहारनपुर रोड, देहरादून / Saharanpur Road, Dehradun	(U)
92.	मंसूरी / Mussoorie	(SU)
93.	वसन्त विहार, देहरादून / Vasant Vihar, Dehradun	(U)
94.	चकराता रोड, देहरादून / Chakrata Road, Dehradun	(U)
95.	कैनाल रोड, देहरादून / Canal Road, Dehradun	(U)
96.	सहस्त्रधारा रोड, देहरादून / Sahastradhara Road, Dehradun	(U)
97.	भनियावाला, देहरादून / Bhaniyawala, Dehradun	(R)
98.	भाऊवाला, देहरादून / Bhauwala, Dehradaun	(R)
99.	चिद्दरवाला, देहरादून / Chidderwala, Dehradun	(R)
100.	नाथुआवाला, देहरादून / Nathuawala, Dehradun	(R)
101.	झजरा, सुधोवाला, देहरादून / Jhajra, Sudhhowala Dehradun	(U)
102.	राजेश्वरीवाला जोगीवाला, देहरादूर Rajeshwaripuram, Jogiwala Dehradun	(U)
जिला– हरिद्वार / DISTT. - HARIDWAR		**(5)**
103.	हरिद्वार / Haridwar	(U)
104.	रूड़की / Roorkee	(U)
105.	ज्वालापुर, हरिद्वार / Jawalpur, Haridwar	(U)
106.	श्यामपुर कांगड़ी, हरिद्वार / Shyampur Kangri, Haridwar	(R)
107.	भगवानपुर, रुडकी / Bhagwanpur, Roorkee	(U)
जिला–पौड़ी (गढ़वाल) / DISTT.- PAURI (GARHWAL)		**(3)**
108.	कोटद्वार / Kotdwar	(SU)
109.	श्रीनगर / Srinagar	(SU)
110.	पौढ़ी / Pauri	(SU)
जिला – रूद्रप्रयाग / DISTT. - RUDRAPRAYAG		**(1)**
111.	रूद्रप्रयाग / Rudra Prayag	(R)
जिला – टेहरी / DISTT. - TEHARI		**(2)**
112.	नई टेहरी / New Tehari	(SU)
113.	तपोवन (ऋषिकेश) / Tapovan-Rishikesh	(R)
जिला –उत्तरकाशी / DISTT. - UTTARKASHI		**(1)**
114.	पुरोला, उत्तराकाशी / Purola, Uttarkashi	(R)
उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh		**(36)**
जिला आगरा / DISTT. AGRA		**(1)**
115.	आगरा / Agra	(M)
जिला – बरेली / DISTT.-BAREILLY		**(6)**
116.	बहेड़ी / Baheri	(SU)
117.	सिविल लाईन्स, बरेली / Civil Lines, Bareilly	(U)
118.	प्रभात नगर, बरेली / Prabhat Nagar, Bareilly	(U)
119.	फरीदपुर, बरेली / Faridpur, Bareilly	(SU)
120.	पवन विहार, बरेली / Pawan Vihar, Bareilly	(SU)
121.	दोहरा रोड, बरेली / Dohra Road, Bareilly	(U)
जिला – बिजनौर / DISTT.- BIJNOR		**(6)**
122.	नजीबाबाद / Najibabad	(SU)
123.	बिजनौर / Bijnor	(SU)
124.	धामपुर / Dhampur	(SU)
125.	नगीना / Nagina	(SU)
126.	अफजलगढ़ / Afzalgarh	(SU)
127.	रानीपुर, नजीबाबाद / Ranipur, Najibabad	
जिला – बुलन्दशहर / DISTT.-BULANDSHAHR		**(1)**
128.	बुलन्दशहर / Bulandshahar	(U)
जिला–गाज़ियाबाद / DISTT.- GHAZIABAD		**(5)**
129.	गाज़ियाबाद / Ghaziabad	(M)
130.	वैशाली, गाजियाबाद / Vaishali, Ghaziabad	(M)
131.	संजयनगर, गाजियाबाद / Sanjay Nagar, Ghaziabad	(M)
132.	गोविंदपुरम, गाजियाबाद / Govindpuram, Ghaziabad	(U)
133.	लोनी, गाजियाबाद / Loni, Ghaziabad	(U)
जिला गौ. बु. नगर / DISTT-G.B. NAGAR		**(3)**
134.	नोएडा सैक्टर –50 / NOIDA Sect. - 50	(U)
135.	नोएडा सैक्टर – 18 / NOIDA Sect. -18	(U)
136.	ग्रेटर नोएडा / Greater NOIDA	(U)

जिला – कानपुर / DISTT. – KANPUR		**(2)**
137.	कानपुर / Kanpur	(M)
138.	बर्रा–कानपुर / Barra-Kanpur	(M)
जिला–लखनऊ / DISTT.-LUCKNOW		**(8)**
139.	टी.एन. रोड, लखनऊ / T. N. Road, Lucknow	(M)
140.	महानगर, लखनऊ / Mahangar, Lucknow	(M)
141.	आशियाना, लखनऊ / Ashiana, Lucknow	(M)
142.	नादान महल मार्ग, लखनऊ / Nadan Mahal Road, Lucknow	(M)
143.	गोमती नगर, लखनऊ / Gomti Nagar, Lucknow	(M)
144.	आईआईएम रोड, लखनऊ / IIM Road, Lucknow	(M)
145.	डालीगंज, लखनऊ / Daligunj, Lucknow	(M)
145.	विकास नगर, लखनऊ / Vikas Nagar, Lucknow	(M)
जिला – मेरठ / DISTT.- MEERUT		**(2)**
147.	मेरठ / Meerut	(M)
148.	कंकर खेडा–मेरठ / Kankar-Khera-Meerut	(M)
जिला – मुरादाबाद / DISTT.- MORADABAD		**(2)**
149.	मुरादाबाद / Moradabad	(U)
150.	कांठ रोड–मुरादाबाद / Kanth Road-Moradabad	(U)
151.	ठाकुरद्वारा–मुरादाबाद / Thakurdwara, Moradabad	(SU)
जिला – मुजफ्फरनगर / DISTT.- MUZAFFARNAGAR		**(1)**
152.	मुजफ्फरनगर / Muzaffarnagar	(U)
जिला – पीलीभीत / DISTT.- PILIBHIT		**(1)**
153.	पीलीभीत / Pilibhit	(U)
जिला – रामपुर / DISTT.- RAMPUR		**(2)**
154.	रामपुर / Rampur	(U)
155.	बिलासपुर / Bilaspur	(SU)
जिला– सहारनपुर / DISTT.- SAHARANPUR		**(1)**
156.	सहारनपुर / Saharanpur	(U)

जिला– शाहजहाँपुर / DISTT.- SHAHJAHANPUR		**(2)**
157.	शाहजहाँपुर / Shahjahanpur	(U)
158.	सतवानबुजुर्ग शाहजहाँपुर / Satwan Bujurg, Shahjahanpur	(R)
जिला – सीतापुर / DISTT.- SITAPUR		**(1)**
159.	सीतापुर / Sitapur	(U)
जिला – मथुरा / DISTT.- Mathura		**(1)**
160.	मथुरा, उत्तर प्रदेश / Mathura, Uttar Pradesh	(U)
हरियाणा / Haryana		**(7)**
जिला–अम्बाला / DISTT.-AMBALA		**(1)**
161.	अम्बाला / Ambala	(U)
जिला–फरीदाबाद / DISTT.-FARIDABAD		**(2)**
162.	फरीदाबाद / Faridabad	(M)
163.	बल्लभगढ़–फरीदाबाद / Ballabgarh-Faridabad	(M)
जिला–गुरूग्राम / DISTT.-GURUGRAM		**(2)**
164.	गुरूग्राम / Gurugram	(U)
165.	सोहना रोड–गुरूग्राम / Sohna Road-Gurugram	(U)
जिला–करनाल / DISTT.-KARNAL		**(1)**
166.	करनाल / Karnal	(U)
जिला–पानीपत / DISTT.-PANIPAT (1)		
167.	पानीपत / Panipat	(U)
जिला–पानीपत / DISTT.-ROHTAK (1)		
168.	सेक्टर 14, रोहतक / Sector 14, Rohtak	(U)
राजस्थान / Rajasthan		**(3)**
जिला–जयपुर / DISTT.-JAIPUR		**(3)**
169.	जयपुर / Jaipur	(M)
170.	कोटपुतली, जयपुर / Kotputli, Jaipur	(SU)
171.	राजा पार्क, जयपुर / Raja Park, Jaipur	(M)

Key : M = Metropolitan Centre महानगरीय केन्द्र, U = Urban Centre शहरी केन्द्र, SU = Semi Urban Centre अर्द्धशहरी केन्द्र, R = Rural Centre ग्रामीण केन्द्र

शाखाओं की संख्या विभिन्न केन्द्रों पर / No.of Branches at various Centers :

1. महानगरीय / Metro	2. शहरी / Urban	3. अर्द्धशहरी / Semi Urban	4. ग्रामीण / Rural
35	46	34	56

क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Offices

1. दिल्ली / Delhi	2. हल्द्वानी / Haldwani	3. देहरादून / Dehradun

विभिन्न नैनीलोन प्वाइंट

1. दिल्ली / Delhi	2. हल्द्वानी / Haldwani	3. देहरादून / Dehradun	4. लखनऊ / Lucknow

STATUTORY AUDITORS :	A.R. & Co., Chartered Accountants
COMPANY SECRETARY :	Mr. Vivek Sah

In case of dispute, english version of this Annual Report shall be treated as final.

Team Naini- On the Occasion Annual Business Conference 2.0 held in Ramnagar (UA)

Received Award from PFRDA for an exemplary performance in enrolment under the APY campaign by achieving 114% of the targets assigned for FY 2023-24.

Scholarship to meritorious students under Corporate Social Responsibility

Bank's contribution under Corporate Social Responsibility

Bank's contribution under Corporate Social Responsibility

Opening of Bank's 170th branch at Dohra Road, Bareilly

नैनीताल बैंक
NAINITAL BANK

Registered Office : G.B. Pant Road,
Nainital - 263001 (Uttarakhand)
Head Office : Naini Bank House, 7 Oaks, Mallital,
Nainital-263001 (Uttarakhand)
Phone : 05942 - 233 739
email: cs@nainitalbank.co.in
Website : www.nainitalbank.co.in
CIN NO.:U 65923UR 1922 PLC 000234

www.nainitalbank.co.in